भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		**v**
विहंगावलोकन		**vii**
अध्याय-I : सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन	**1**	**1**
प्रस्तावना	1.1	1
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) में निवेश	1.2	2
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	1.3	5
बजट बहिर्गमन, उपदानों, प्रत्याभूतियों और देयों की माफी	1.4	7
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अन्तिम रूप दिया जाना	1.5	7
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम	1.6	10
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	1.7	13
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षा के परिणाम	1.8	13
सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.9	18
619-बी कम्पनियाँ	1.10	18
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित न होने वाली कम्पनियाँ	1.11	19
अध्याय- II : सरकारी कम्पनियों से संबन्धित समीक्षायें	**2**	**21**
दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड		
दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड की कार्य पद्धति	2अ	21
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड		
परिवर्तकों की अधिप्राप्ति, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत	2ब	51

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र का विद्युतीकरण	2स	69
अध्याय-III : सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षा		**81**
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम		
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कार्य संचालन एवं सामग्री प्रबन्धन	3	81
अध्याय-IV : विविध रोचक विषय	**4**	**105**
सरकारी कम्पनियाँ	4अ	105
सांविधिक निगम	4ब	139
परिशिष्ट	**संख्या**	
सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2000 को पूँजी बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूँजी, अन्य ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी	1	151
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया गया, के नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी	2	164
प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन और प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को मार्च 2000 की समाप्ति पर दर्शाती हुई विवरणी	3	178
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	4	181
सांविधिक निगमों के कार्यात्मक परिणामों को दर्शाती विवरणी	5	186
सांविधिक निगमों की परिचालनात्मक कार्य सम्पादन को दर्शाती विवरणी	6	191
उन कम्पनियों जिनके व्यवसाय विगत 5 वर्षों से 5 करोड़ रुपये से कम थे तथा जिनके लेखे प्रमाणित थे, को दर्शाती विवरणी	7	195
पिछले पाँच वर्षों में जिनके लेखे प्रमाणित हो गये थे, उन कम्पनियों की चुकता पूँजी एवं संचित हानि को दर्शाने वाली विवरणी	8	197
कम्पनी की वित्तीय स्थिति	9	198
कम्पनी के कार्यचालन परिणाम	10	199
सावधिक ऋण योजना के अंतर्गत बकायों के न वसूले जाने की स्थिति	11	200
अल्पकालिक ऋण योजना के अंतर्गत बकायों के न वसूले जाने की स्थिति	12	203

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
लीज सहायता की स्थिति	13	204
निवेश की स्थिति	14	205
गैर निष्पादक सम्पत्तियों की स्थिति	15	206
वसूली प्रमाण-पत्रों की स्थिति	16	207
एकमुश्त समाधानों की स्थिति	17	208
वर्ष-वार एवं कार्यशाला-वार गंदे एवं जले हुए ट्रांसफार्मर आयल की कम प्राप्ति का विवरण	18	209
ताज ट्रैपेजियम के कार्यों के सम्बंध में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों एवं प्राप्तियों को दर्शाती विवरणी	19	210
वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	20	212
1998-99 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में प्राप्त किये गये कार्य संचालन मानकों को दर्शाती विवरणी	21	215
1998-99 में मुख्य निष्पादन मानकों में देश की 67 राज्य परिवहन इकाईयों में शीर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थिति को दर्शाती विवरणी	22	217
1998-99 तक पाँच वर्षों में वर्ष-वार एवं किलोमीटर-वार बसों की संख्या को दर्शाती विवरणी	23	218
भौतिक लक्ष्यों एवं प्राप्तियों को दर्शाती विवरणी	24	219
1998-99 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में वाहन उत्पाकदता में कमी को दर्शाती विवरणी	25	220
1998-99 को समाप्त हुए तीन वर्षों में पाँच राज्य परिवहन इकाईयों द्वारा अधिसूचित किये गये कि मी का तुलनात्मक निरस्तीकरण को दर्शाती विवरणी	26	221
वर्ष 1998-99 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में अधिसूचित किलोमीटर के निरस्तीकरण हेतु जिम्मेदार कारकों को दर्शाती विवरणी	27	222
वर्ष 1998-99 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में धारित अनुपात में कमी के फलस्वरूप हानि को दर्शाती विवरणी	28	223
वर्ष 1998-99 के आर्थिक रूप से अलाभप्रद मार्गों को विश्लेषित करती विवरणी	29	224
1998-99 को समाप्त हुए तीन वर्षों में देश की पाँच तुलनीय राज्य परिवहन इकाईयों के रख-रखाव लागत को दर्शाती विवरणी	30	225

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
1998-99 को समाप्त हुए तीन वर्षों में देश की पाँच तुलनीय राज्य परिवहन इकाईयों की ईंधन दक्षता के निष्पादन को दर्शाती विवरणी	31	226
वर्ष 1998-99 में चार क्षेत्रों में समय पूर्व खराब हुए टायरों के कारणों को विश्लेषित करती विवरणी	32	227
प्लाई वुड चेकर्ड शीट्स के स्थान पर एल्यूमिनियम चेकर्ड शीट्स के प्रयोग के औचित्य को दर्शाती विवरणी	33	228
वर्ष 1998-99 को समाप्त हुए 5 वर्षों में नये टायरों का अधिक उपभोग किये जाने के कारण हुई हानि को दर्शाती विवरणी	34	229
राजस्व के विलम्बित निर्धारणं को दर्शाती विवरणी	35	230

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक उद्यम जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के आधीन है, निम्न वर्गों के अन्तर्गत आते हैं :

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय प्रबन्धन के अन्तर्गत वाणिज्यिक उपक्रम।

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित है और समय-समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। विभागीय प्रबन्धन के अन्तर्गत वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा के परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है। तथापि, कुछ ऐसी कम्पनियाँ हैं जिनमें सरकारी निवेश होने के बावजूद वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अन्तर्गत नहीं हैं क्योंकि सरकार का उनकी अंश पूँजी में योगदान 51 प्रतिशत से कम है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम जो कि सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में उसे राज्य सरकार द्वारा सी ए जी के परामर्श से नियुक्त किये गये शासपत्रित लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, उनके लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य सरकार को पृथक रूप से अग्रसारित किया जाता है।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में वे मामले शामिल हैं जो वर्ष 1999-2000 के दौरान किये गये लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आये थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में उल्लिखित नहीं हो पाये। जहाँ आवश्यक हुआ, 1999-2000 से बाद की अवधि से सम्बन्धित मामलों को भी शामिल किया गया है।

विहंगावलोकन

1. सामान्य

- *31 मार्च 2000 तक राज्य के पास 98 सरकारी कम्पनियाँ (37 सहायक कम्पनियों सहित), पाँच कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत तथा सात सांविधिक निगम थे। 12 कम्पनियाँ समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत एवं तीन कम्पनियाँ विलय के अन्तर्गत थीं।*

  (प्रस्तर 1.1, 1.2.1 एवं 1.10)

- *105 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (98 सरकारी कम्पनियों एवं सात सांविधिक निगम) में कुल निवेश 17313.04 करोड़ रुपये था जिसमें 5198.85 करोड़ रुपये (अंश आवेदन राशि 381.14 करोड़ रुपये शामिल करके) की अंश पूँजी तथा 12114.19 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे।*

  (प्रस्तर 1.2)

- *वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने 11 सरकारी कम्पनियों एवं 2 सांविधिक निगमों द्वारा लिये गये 824.63 करोड़ रुपये के ऋण एवं उन पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु प्रत्याभूति दी। मार्च 2000 की समाप्ति पर बकाया प्रत्याभूति की कुल राशि 1564.72 करोड़ रुपये थी।*

  (प्रस्तर 1.4)

- *98 सरकारी कम्पनियों एवं सात सांविधिक निगमों में से मात्र तीन कम्पनियों एवं एक सांविधिक निगम ने वर्ष 1999-2000 के लिये अपने लेखे तैयार किये और 91 सरकारी कम्पनियों एवं छः सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 25 वर्षों की अवधि से बकाया थे।*

  (प्रस्तर 1.5.1)

- *नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार, 38 कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों ने अपनी प्रदत्त पूँजी का क्षरण कर लिया था, क्योंकि उनकी 3210.88 करोड़ रुपये की संचित हानि, 1549.67 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी थी*

  (प्रस्तर 1.6.1.2.एवं 1.6.2.2)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षा

दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

- *निगम की स्थापना 29 मार्च 1972 को राज्य में उद्योगों को प्रोन्नत एवं विकसित करने के उद्देश्य से मध्यम एवं वृहत् स्तर की औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध*

कराने हेतु हुई थी। 31 मार्च 1999 को निगम की प्रदत्त पूँजी 110.58 करोड़ रुपये थी जो कि निगम की 112.54 करोड़ रुपये की संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरित हो चुकी थी।

(प्रस्तर 2अ.1 एवं 2अ.5.2)

- निगम ने जीव्यता (वायबिलिटी) को निर्धारित किये बिना दो इकाईयों को ऋण वितरित किये जिसके कारण 5.67 करोड़ रुपयों की वसूली अवरुद्ध हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.1.1 एवं 2अ.7.1.5)

- वितरण-पूर्व की समस्त औपचारिकताओं को शिथिल करते हुये ऋणी इकाई को 'सेतु ऋण' के अनियमित रूप से वितरित किये जाने के फलस्वरूप (भूमि एवं भवन के स्वामित्व विलेख एवं भवन प्लान को लेकर) 4.40 करोड़ रुपयों की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.अ.7.1.3)

- निगम द्वारा सात इकाईयों को जिनके मुख्य प्रवर्तक/जमानतदार एक ही व्यक्ति थे को समस्त वितरण पूर्व औपचारिकताओं को शिथिल करते हुये एवं बन्धक सम्पत्तियों की उपलब्धता तथा उन पर प्रभार प्रमाण पत्र जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा देय था, को सुनिश्चित किये बिना ऋण दिया गया, परिणामतः 21.82 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.1.6)

- निगम द्वारा अल्पकालीन ऋण दिये जाने सम्बन्धी समस्त दिशानिर्देशों की उपेक्षा करते हुये एवं अल्पकालीन ऋण की समस्त मूल औपचारिकताओं को शिथिल करते हुये ऋण स्वीकृत किये जाने के कारण 12.90 करोड़ रुपयों के बकायों की वसूली, परियोजना के प्रारम्भ नहीं होने तथा प्रवर्तकों की अपर्याप्त व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 2अ.7.2.1)

- कागज उद्योग में व्यापक मंदी व्याप्त होने एवं स्वीकृति मानकों को पूरा नहीं करने के बावजूद दो इकाईयों को कार्यशील पूँजी ऋण एवं औजार पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जाने के कारण 8.71 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 2अ.7.3.1 एवं 2अ.7.3.2)

- इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में अपनी अंशधारिता को विनिवेशित न किये जाने के कारण निगम को 29.89 करोड़ रुपये के सम्भावित लाभ की अप्राप्ति के

साथ ही ऋणों पर वर्ष 1994-95 से 1998-99 के मध्य 17 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त ब्याज भार को भी वहन करना पड़ा।

(प्रस्तर 2अ.7.4.1.1)

- ऋणों तथा उन पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में भारी विफलता के कारण 31 मार्च 1999 को गैर निष्पादक आस्तियाँ (एन पी ए) बढ़कर समस्त ऋणों के 58.5 प्रतिशत तक हो गयी थी।

(प्रस्तर 2 अ.8.2)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) में परिवर्तकों की अधिप्राप्ति, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत

- उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) में ऊर्जा परिणमन क्षमता में वृद्धि, वितरण परिणमन क्षमता एवं संयोजित भार में हुई वृद्धि से मेल नहीं खाती थी जिसके फलस्वरूप अतिभारिता हुई। प्रति एम डब्लू संयोजित भार पर सम्पूर्ण वितरण परिणमन क्षमता 1998-99 को समाप्त होने वाले चार वर्षों में की 0.92 से 0.99 के मध्य रहीं।

(प्रस्तर 2ब.4)

- वितरण परिवर्तकों की क्षति दर असमान्य रूप से काफी ऊँची थी और यह कम्पनी द्वारा स्वयं निर्धारित मानक 2 प्रतिशत के विरुद्ध 16.2 तथा 22.5 प्रतिशत के बीच रही। इसके कारण, कम्पनी को 232341 वितरण परिवर्तकों, जो कि 1999-2000 तक पाँच वर्षों की अवधि में मानक से अधिक विफल हुए थे, की मरम्मत पर 325.28 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय भार उठाना पड़ा।

(प्रस्तर 2ब.6.2)

- मरम्मत किये गये परिवर्तकों के तकनीकी विशिष्टीकरण में परिवर्तन के कारण, कम्पनी को नए परिवर्तकों को अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित गारण्टीकृत लास से अधिक लोड लास एवं नो लोड लास में प्लस टालरेन्स की अनुमति देनी पड़ी। इस कारण, कम्पनी ने वाह्य एजेन्सियों से न केवल घटिया किस्म के मरम्मत किये गये परिवर्तक स्वीकार किये बल्कि 1999-2000 तक के पाँच वर्षों में मरम्मत किये गये 177983 वितरण परिवर्तकों पर 130.16 मि.यू. (मूल्य 20.96 करोड़ रुपये) की ऊर्जा हानि भी वहन की।

(प्रस्तर 2ब.7.2.1)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र का विद्युतीकरण

- *ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र (टी टी ए) की पर्यावरणीय सुरक्षा करने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) द्वारा टी टी ए में निर्बाधित ऊर्जा आपूर्ति कायम रखने हेतु 189.64 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत की एक परियोजना परिकल्पित की।*

(प्रस्तर 2.स.1 एवं 2.स.4.1)

- *विद्युत पारेषण खण्ड, आगरा एवं अलीगढ़ ने 1.10 करोड़ रुपये का व्यय उन कार्यों पर किया जो टी टी परियोजना में आच्छादित नहीं थे।*

(प्रस्तर 2स.5.3)

- *16 नये 33/11 के वी उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइनों के निर्माण के लिए प्राक्कलन, 2.47 करोड़ रुपये द्वारा उच्चतर दिशा में तैयार किए गए जिसके कारण कम्पनी को ऋण राशि के अधिक आहरण पर 1.25 करोड़ रुपये की ब्याज देयता वहन करनी पड़ी।*

(प्रस्तर 2स.5.5)

- *ए सी एस आर पैन्थर कन्डक्टर (100.202 कि मी) जो कि 0.77 करोड़ रुपये की कीमत पर अधिप्राप्त किया गया था, अप्रयुक्त रहा।*

(प्रस्तर 2स.6.1)

3. सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कार्य संचालन परिणाम व सामग्री प्रबन्धन

- *राज्य में पर्याप्त, कुशल व मितव्ययी सड़क परिवहन व्यवस्था प्रदान करने हेतु एवं विकास की गति में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) की स्थापना (जून 1972) की गई थी। तथापि निगम, घटिया संचालन भण्डार नियंत्रण के परिणामस्वरूप निरन्तर हानि उठा रहा था। मार्च 1999 के अन्त में कुल संचित हानि 504.63 करोड़ रूपये की थी।*

(प्रस्तर 3.1, 3.4 व 3.5)

- *निगम की अधिकतर बसें पुरानी व अलाभप्रद थी जिससे 183.50 करोड़ रुपये की हानि हुई।*

(प्रस्तर 3.5.1)

- *कार्यशालाओं की अक्षमताओं के कारण बस बेड़ा उपयोजन लक्ष्यों की तुलना में कम था, फलतः 85.10 करोड़ रुपये का वांछित लाभ नहीं मिल पाया ।*

(प्रस्तर 3.5.2)

- *देश में निम्न बस उत्पादकता तथा नियोजित किलोमीटर में उच्चतम से कटौती से, क्रमशः 97.77 करोड़ रुपये व 404.55 करोड़ रुपये की हानि हुई।*

(प्रस्तर 3.5.3)

- *राष्ट्रीय मार्गों पर निजी वाहन संचालकों को परमिट जारी करने व उन पर निजी वाहनों के अनाधिकृत संचालन के परिणामस्वरूप भार गुणक घटा, फलतः 183.64 करोड़ रुपये की हानि हुई।*

(प्रस्तर 3.5.4)

- *बस कर्मचारी अनुपात अधिक होने के कारण संचालन की रखरखाव लागत अधिक थी। निगम, टायरों को समय-पूर्व रद्द हो जाने से बचाने में असफल रहा। परिणामतः, नये टायरों पर 14.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लागत आयी।*

(प्रस्तर 3.5.8, 3.5.9 व 3.6.1.2.5)

- *अधिक अथवा कम कर्मचारी/चालक दल होने के परिणामस्वरूप कर्मचारी उत्पादकता कम थी जिससे 72.04 करोड़ रुपये की हानि हुई।*

(प्रस्तर 3.5.12)

4. विविध रोचक विषय

उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

- *कम्पनी ने अपनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु निजी रूप से जारी बाण्डों द्वारा प्राप्त की गई निधि को कम ब्याज दर की सावधि जमा में निवेशित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 0.64 करोड़ रुपये की हानि हुई।*

(प्रस्तर 4अ.2)

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

- *कम्पनी ने, अपने ग्राहकों से व्यापार कर की वसूली न किये जाने के कारण 1.53 करोड़ रुपये की हानि के अतिरिक्त, व्यापार कर की वापसी के रूप में 0.96 करोड़ रुपये की देयता भी उठाई।*

(प्रस्तर 4अ.5)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

- *परियोजना की मन्द प्रगति तथा विकसित भूखण्डों एवं परिवासीय फैक्ट्रियों की अविवेकपूर्ण उच्च दर नियत किये जाने के कारण कम्पनी, योजना के मुख्य उद्देश्य को निष्फल करते हुये ई पी आई पी में निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने में विफल रही।*

(प्रस्तर 4अ.7)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद)

- *उपभोक्ताओं को एम सी जी का विचार किये बिना ही विद्युत के निर्धारित किये गये उपभोग के बिलों को जारी करने के परिणामस्वरूप 22.80 लाख रुपये की राशि के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।*

(प्रस्तर 4अ.13)

- *अपने ही निर्देशों के उल्लंघन में कम्पनी, विद्युत की चोरी में लिप्त पाये गये उपभोक्ताओं के आठ प्रकरणों में 3.42 करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण करने में विफल रही।*

(प्रस्तर 4अ.16)

- *दर-सूची के गलत लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 1.60 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।*

(प्रस्तर 4अ.18)

- *कम्पनी ने अपने ही निर्देशों के उल्लंघन में 132/33/11 के वी उपकेन्द्र से आने वाली ट्रंक लाइन की टैपिंग द्वारा संयोजन निर्मुक्त करने की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप एक उपभोक्ता को 0.81 करोड़ रुपये की राशि का अनुचित लाभ हुआ।*

(प्रस्तर 4अ.20)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

- *जीव्यता सुनिश्चित किए बिना परियोजना के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 1.30 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली नहीं हुई।*

(प्रस्तर 4ब.2)

अध्याय-I

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2000 को राज्य सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत, 31 मार्च 1999 के 97 सरकारी कम्पनियों तथा आठ सांविधिक निगमों के विरुद्ध 98 सरकारी कम्पनियाँ (37 सहायक कम्पनियों सहित) एवं सात सांविधिक निगम थे। वर्ष के दौरान एक नई सरकारी कम्पनी अर्थात उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड निगमित हुई। सरकारी कम्पनियों के लेखों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित) की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की सलाह पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार, यह लेखे सी ए जी द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा के भी आधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्रम सं0	निगम का नाम	सी ए जी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
2.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
3.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक(कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
6.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	शासपत्रित लेखाकारों एवं सी ए जी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
7.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	शासपत्रित लेखाकारों एवं सी ए जी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा

1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) में निवेश

31 मार्च 2000 को 105 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (98 सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगम) में कुल निवेश, 31 मार्च 1999 को पी एस यू (97 सरकारी कम्पनियाँ एवं आठ सांविधिक निगम) में 20842.20 करोड़ रुपये के कुल निवेश (अंश पूँजी: 2382.35 करोड़ रुपये, दीर्घावधिक ऋण: 18432.62 करोड़ रुपये, अंशपूँजी आवेदन राशि: 27.23 करोड़ रुपये) के विरुद्ध, 17313.04 करोड़ रुपये (अंश पूँजी: 4817.71 करोड़ रुपये, दीर्घावधिक ऋण[1] : 12114.19 करोड़ रुपये तथा अंशपूँजी आवेदन राशि: 381.14 करोड़ रुपये) था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

1.2.1 सरकारी कम्पनियाँ

31 मार्च 2000 को 98 सरकारी कम्पनियों (37 सहायक कम्पनियों सहित) में कुल निवेश 15243.82 करोड़ रुपये (अंश पूँजी: 4384.98 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण: 10554.77 करोड़ रुपये और अंश पूँजी आवेदन राशि 304.07 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 31 मार्च 1999 को 97 सरकारी कम्पनियों (37 सहायक कम्पनियों सहित) में कुल निवेश 3358.98 करोड़ रुपये (अंश पूँजी: 1948.01 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण: 1383.74 करोड़ रुपये, तथा अंश पूँजी आवेदन राशि: 27.23 करोड़ रुपये) था। 31 मार्च 2000 को, निवेश (अनन्तिम)में 2639.24 करोड़ रुपये की अंश पूँजी तथा 8798.88 करोड़ रुपये के दीर्घावधिक ऋण जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू पी एस ई बी)द्वारा तीन सरकारी कम्पनियों अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड(उ प्र रा वि उ नि लि), उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (उ प्र ज वि नि लि)तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी पी सी एल) को तत्कालीन यू पी एस ई बी के 14.01.2000 को पुनर्गठन के फलस्वरूप हस्तांतरित हुए थे, सम्मिलित थे।

1 पैरा 1.2, 1.2.1 एवं 1.2.2 में वर्णित दीर्घावधिक ऋण, उन पर संचित एवं देय ब्याज को छोड़कर है।

सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से था:

कम्पनियों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपये में)		बी आई एफ आर को संदर्भित कम्पनियों की संख्या
		प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधिक ऋण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) कार्यरत कम्पनियाँ	57 (56)	4585.43 (1871.62)	10394.39 (1226.09)	12[2] (10)
(ब) अकार्यरत कम्पनियाँ				
(i) परिसमापनाधीन	12[3] (12)	15.86 (15.86)	0.03 (0.03)	शून्य
(ii) बन्दीकरण के अन्तर्गत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) विलयन के अन्तर्गत	3[4] (3)	0.47 (0.47)	2.69 (2.69)	शून्य
(iv) अन्य	26[5] (26)	87.29 (87.29)	(157.66) (154.23)	शून्य
योग	**98 (97)**	**4689.05 (1975.24)**	**10554.77 (1383.74)**	**12 (10)**

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े गत वर्ष के हैं)

चूंकि 41 कम्पनियाँ 3 से 26 वर्षों की अवधि से कार्यशील नहीं थीं अथवा परिसमापनाधीन/कम्पनी अधिनियम की धारा 560 के अन्तर्गत बन्दीकरण/विलयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत थीं और इन कम्पनियों में 264 करोड़ रुपये का भारी निवेश सन्निहित है, उनके तत्काल परिसमापन अथवा पुनर्जीवन हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

वस्त्र, सीमेन्ट तथा पर्यटन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में दीर्घावधिक ऋणों में वृद्धि के कारण, ऋण अंश पूँजी अनुपात जो वर्ष 1998-99 में 0.70:1 था से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 2.25:1 हो गया (परिशिष्ट-1)। सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं।

सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 2000 को, सरकारी कम्पनियों में 30.76 प्रतिशत अंश पूँजी के रूप में तथा 69.24 प्रतिशत ऋणों के रूप में कुल निवेश की तुलना में, 31 मार्च 1999 को यह क्रमशः 58.80 प्रतिशत तथा 41.20 प्रतिशत था।

1998-99 तथा 1999-2000 की समाप्ति पर सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश (अंश आवेदन राशि को सम्मिलित करते हुए समता अंश पूँजी) तथा दीर्घावधिक ऋण अगले पृष्ठ पर पाई आरेख में दिया गया है।

---

2 परिशिष्ट-1 क्रम संख्या 16,31,32,41,42,43,75,77,78,79,80, तथा 82 के सन्दर्भ में।

3. परिशिष्ट-1 क्रम संख्या 24,25,26,27,28,37,38,39,40,45,67, तथा 84 के सन्दर्भ में।

4. परिशिष्ट-1 क्रम संख्या 44,47, तथा 48 के सन्दर्भ में।

5. परिशिष्ट-1 क्रम संख्या 3,9,13,14,15,18,20,23,34,35,36,50,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,71,83, तथा 94 के सन्दर्भ में।

सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

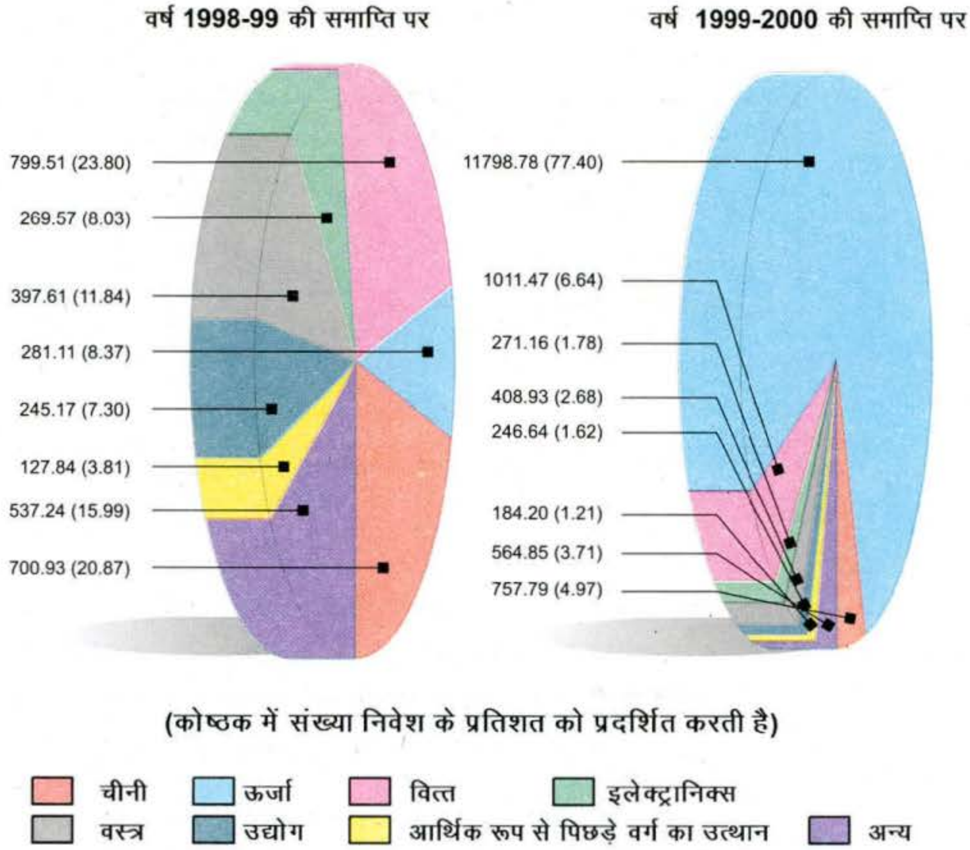

1.2.2 सांविधिक निगम

31 मार्च 2000 को सात सांविधिक निगमों में तथा 31 मार्च 1999 को आठ सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	निगम का नाम	1998–99		1999–2000	
		पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद[6]	—	15178.75	—	—
2	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	321.57[7]	105.83[7]	321.57[7]	88.41[7]
3	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	100.00	1423.04	100.00[7] (74.86)	1283.49[7]

6 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन 14 जनवरी 2000 से सरकारी स्वामित्व वाली तीन कम्पनियों में कर दिया गया है।

7 अनन्तिम।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	10.36 (2.41)	1.43	11.16 (2.21)	1.08
5	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद		28.26[7]	..	19.64[7]
6	उत्तर प्रदेश जल निगम	..	302.20	..	131.02[7]
7	उत्तर प्रदेश वन निगम	..	7.00	..	32.58[7]
8	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	..	2.37[7]	..	3.20[7]
	योग	**431.93 (2.41)**	**17048.88**	**432.73 (77.07)**	**1559.42**[8]

(कोष्ठक के आँकड़े अंश आवेदन राशि को दर्शाते हैं)

सात निगमों में से, चार निगमों के पास कोई अंश पूँजी नहीं है। 31 मार्च 1999 को इन सांविधिक निगमों के 1870.13 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋणों के विरुद्ध (तत्कालीन यू पी एस इ बी जिसे 14.01.2000 को पुनर्गठित कर दिया गया है, के 15178.75 करोड़ रुपये को छोड़कर) 31 मार्च 2000 को यह बकाया ऋण 1559.42 करोड़ रुपये के थे। बकाया ऋणों में कमी के मुख्य कारण, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से सम्बन्धित ऋण (11.26 करोड़ रुपये) का अंश पूँजी में परिवर्तन था।

नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, सभी निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं तथा 1999-2000 तक के तीन वर्षों की प्रत्येक[9] सांविधिक निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम क्रमशः परिशिष्ट-4 एवं 5 में दिये गये हैं।

1.3 उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन[10]

1.3.1 सरकार द्वारा पी एस यू के निजीकरण/विनिवेश हेतु बनाई गई नीति (जून 1994) में सामाजिक एवं कल्याणकारी क्रियाकलापों तथा लोक सुविधाओं में कार्यरत उद्यमों को छोड़कर ऐसे सभी उद्यमों की समीक्षा करने का प्रावधान था जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी और जिन्होंने अपनी निबल पूँजी (नेट वर्थ) का 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था। परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन, उद्यमियों का चयन आदि की विभिन्न पद्धतियों और आधार की व्याख्या करती हुई एक व्यापक नीति सरकार द्वारा अभी भी बनायी जानी है।

8 पिछले वर्ष की तुलना में ऋणों में कमी का मुख्य कारण उ प्र रा वि प का तीन सरकारी कम्पनियों में पुनर्गठन था।

9 उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अलावा, जिसकी लेखा परीक्षा 1997-98 के दौरान भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी थी परन्तु कोई लेखें अभी तक प्राप्त नहीं हुए।

10 पुनर्गठन में पी एस यू के विलयन एवं बन्दीकरण सम्मिलित हैं।

निजीकरण/विनिवेश/बी आई एफ आर को सन्दर्भित मामलों की समीक्षा एवं निर्णय के लिए तथा आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने जैसे अन्य विकल्पों की संस्तुतियाँ करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ई सी) का गठन (दिसम्बर 1995) किया गया। ई सी की संस्तुतियाँ, लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयीं। शासन ने सूचित किया (मई 2000)कि ई सी की संस्तुतियों पर राज्य विनिवेश आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है।

1.3.2 उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू पी एस ई बी) का पुनर्गठन 14.01.2000 को किया गया था तथा इसके ताप एवं जल विद्युत उत्पादन कार्यों को क्रमशः मौजूदा सरकारी कम्पनियों जैसे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड(यू पी आर वी यू एन एल) तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू पी जे वी एन एल)को हस्तांतरित कर दिया गया था एवं इसके विद्युत वितरण तथा पारेषण सम्बन्धी कार्यों को, सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी अर्थात उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी पी सी एल) जिसकी स्थापना नवम्बर 1999 में हुई थी, को हस्तांतरित कर दिया गया था। नियामक कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का भी गठन 10 सितम्बर 1998 को किया गया था। तत्कालीन यू पी एस ई बी की 31 मार्च 1999 के अन्त की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को अनन्तिम आधार पर यू पी पी सी एल (8793.58 करोड़ रुपये), यू पी आर वी यू एन एल (5248.03 करोड़ रुपये) तथा यू पी जे वी एन एल (1100.90 करोड़ रुपये) को हस्तांतरित (14.01.2000) कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा 3045.50 करोड़ रुपये की देयताओं तथा 203.19 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों को अनन्तिम आधार पर, जिसका विवरण निम्न है, रोक लिया गया था:

(करोड़ रुपये में)

क. देयतायें	
1. विद्युत क्रय के बिलों के विलम्बित भुगतान पर अधिभार दावा	306.64
2. पारेषण प्रभारों के विलम्बित भुगतान पर अधिभार दावा	61.95
3. केन्द्र सरकार के उपक्रमों/निगमों के भुगतान योग्य बकाये तथा केन्द्रीय योजना के आवंटन में समायोजन हेतु दावे	2327.13
4. आकस्मिक देयतायें	349.78
योग	**3045.50**
ख. परिसम्पत्तियाँ	
1. यू पी एस ई बी के नाम से टेहरी जल विद्युत परियोजना में निवेश	176.69
2. बेतवा जल विद्युत परियोजना में निवेश	26.50
योग	**203.19**

1.4 बजट बहिर्गमन, उपदानों, प्रत्याभूतियों और देयों की माफी

राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट बहिर्गमन, उपदानों, निर्गत की गई प्रत्याभूतियों, देयों की माफी एवं ऋणों के अंश पूँजी में परिवर्तन के विवरण परिशिष्ट-1 एवं 3 में दिये गये हैं।

1999-2000 तक के तीन वर्षों में अंश पूँजी, ऋण, अनुदान एवं उपदान के रूप में राज्य सरकार से सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट बहिर्गमन नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये मे)

	1997-98				1998-99				1999-2000			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
अंश पूँजी	11	48.94	2	1.16	9	26.48	2	7.14	4	3.06	2	36.46
ऋण	12	109.95	2	829.50	13	113.80	4	1149.49	13	215.84	2	1.17
अनुदान	—	—	1	60.28	—	—	—	—	—	—	—	—
उपदान:												
(i) परियोजनायें/ कार्यक्रम/योजनायें	—	—	—	—	—	—	3	3.01	5	75.80	1	404.55
(ii) अन्य उपदान	13	197.77	1	638.03	4	80.62	1	133.92	4	4.78	1	1.73
(iii) कुल उपदान	13	197.77	1	638.03	4	80.62	3	136.93	9	80.58	2	406.28
कुल बहिर्गमन	**26**	**356.66**	**2**	**1528.97**	**21**	**220.90**	**8**	**1293.56**	**21**	**299.40**	**5**	**443.91**

वर्ष 1999-2000 के दौरान, सरकार ने 11 सरकारी कम्पनियों (762.28 करोड़ रुपये) और दो सांविधिक निगमों (62.35 करोड़ रुपये) द्वारा लिए गये कुल 824.63 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अन्त में, नौ सरकारी कम्पनियों (937.50 करोड़ रुपये) और दो सांविधिक निगमों (627.22 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 1564.72 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति बकाया थी। सरकार ने ब्याज माफ करने के कारण अथवा दो कम्पनियों (26.92 करोड़ रुपये) तथा दो निगमों (150.66 करोड़ रुपये) में ऋणों के पुनर्भुगतान में स्थगन के द्वारा 177.58 करोड़ रुपये छोड़ दिये। वर्ष के दौरान, सरकार ने छः कम्पनियों (67.91 करोड़ रुपये) तथा एक सांविधिक निगम (11.26 करोड़ रुपये) में 79.17 करोड़ रुपये की राशि के अपने ऋणों को अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया था। अन्य राज्यों से भिन्न, सरकार द्वारा, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों पर कोई प्रत्याभूति कमीशन भारित नहीं किया जा रहा है।

1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अन्तिम रूप दिया जाना

1.5.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619-बी सहपठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कम्पनियों के लेखे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर

लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीनों के अन्दर विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत किया जाना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में इनके लेखे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार, लेखा परीक्षित एवं विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

तथापि, जैसा कि परिशिष्ट-2 से देखा जा सकता है, 98 सरकारी कम्पनियों में से मात्र तीन कम्पनियों (एक कम्पनी सहित जिसने अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999 की अवधि के लेखे तैयार किये) और सात सांविधिक निगमों मे से मात्र एक निगम ने ही वर्ष 1999-2000 के लिए अपने लेखे बतायी गयी अवधि के अन्दर तैयार किये। अक्टूबर 1999 से सितम्बर 2000 की अवधि के दौरान, 49 सरकारी कम्पनियों (तीन कम्पनियों सहित जो समापन/संविलयन के अन्तर्गत थीं) ने वर्ष 1999-2000 के या गत वर्षों के (46 कम्पनियों द्वारा गत वर्षों के 49 लेखे और तीन कम्पनियों द्वारा वर्ष 1999-2000 के तीन लेखे जिसमें एक लेखा अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999 की अवधि का था) 52 लेखों (समापन/संविलयन के अन्तर्गत कम्पनियों के चार लेखों को शामिल करके) को अन्तिम रूप दिया। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान, चार सांविधिक निगमों ने 1999-2000 अथवा गत वर्षों के (तीन निगमों द्वारा गत वर्षों के तीन लेखे) चार लेखे तैयार किये। 30 सितम्बर 2000 को अन्य 91[11] सरकारी कम्पनियों (समापन के अन्तर्गत नौ कम्पनियों एवं संविलयन के अन्तर्गत तीन कम्पनियों सहित) और 6 सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 25 वर्षों तक की अवधि के लिए बकाया थे, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्रम संख्या	वर्ष जिसके लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जिसमें लेखे बकाया रहे	कम्पनियों / निगमों की संख्या		परिशिष्ट–2 के क्रमांक संख्या का सन्दर्भ	
			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1975–76	25	1		14	
2	1977–78	23	1		13	
3	1978.79	18	1		40[12]	
4	1982.83	18	1		60	
5	1983–84	17	1		71	
6	1980–81	16	1		38[12]	
7	1984–85	16	1		58	
8	1985–86	15	2		9,59	
9	1986–87	14	2		62,70	
10	1987–88	13	4		35,57,61,74	
11	1988–89	12	4		50,56,65,69	

11 परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 24,25 एवं 67 पर कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत हैं और कोई बकाया नहीं था तथा क्रम संख्या 87 पर स्थित कम्पनी के लेखे बकाया नहीं हैं।

12 परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 26,27,28,37,38,39,40,45 एवं 84 पर कम्पनियाँ परिसमापनाधीन हैं; इसलिए बकाया उनके समापन में जाने की तिथि तक के हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	1989—90	11	2		36,66	
13	1976—77	10	1		26[12]	
14	1990—91	10	4		18,34,46,90	
15	1991—92	9	2		21,91	
16	1992—93	8	4		11,15,20,55	
17	1993—94	7	2		3,96	
18	1994—95	6	5		12,33,63,64,68	
19	1995—96	5	—	1		5
20	1993—94	4	1		37[12]	
21	1996—97	4	9		2,17,23,32,49, 73,75,80,98	
22	1988—89	3	1		48	
23	1993—94	3	1		27[12]	
24	1997—98	3	6	1	22,54,78,83,93,97	7
25	1989—90	2	1		28[12]	
26	1998—99	2	10	1	1,7,16,41,51,77,79,92,94,95,	6
27	1990—91	1	2		44[13], 47[13]	
28	1993—94	1	1		84[12]	
29	1995—96	1	1		45[12]	
30	1996—97	1	1		39[12]	
31	1999—2000	1	18	3	4,5,6,8,10,19,29,42,43,52,53,72,76, 81,85,86, 88,89	1,2,4

उपरोक्त 91 सरकारी कम्पनियों में से, जिनके लेखे बकाया हैं, 38[14] कम्पनियाँ अकार्यशील कम्पनियाँ थीं।

प्रशासनिक विभागों को निरीक्षण एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर ही लेखे तैयार एवं अंगीकृत कर लिये जायें। यद्यपि, लेखों के अन्तिमीकरण के बकाये के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों एवं शासन के अधिकारियों को त्रैमासिक जानकारी दी गईं, सरकार द्वारा कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को लेखा परीक्षा में मूल्यांकित नहीं किया जा सका।

1.5.2 विधायिका में सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की स्थिति

विभिन्न सार्वजनिक निगमों के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न

13 परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 44,47, एवं 48 पर कम्पनियाँ संविलयन में हैं; अतः, बकाए संविलयन की तिथि तक हैं।

14 परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 3, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 71, 83, 84 एवं 94 ।

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एस ए आर) को सरकार द्वारा विधायिका को प्रस्तुत करने की स्थिति निम्न तालिका में इंगित की गई हैं।

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जब तक के एस ए आर विधायिका में प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिसके लिए पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत नही किये गयें		
			प्रथम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधायिका में प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1993–94	1994–95 1995–96 1996–97 1997–98	08.11.1996 20.01.1998 10.09.1999 12.01.2000	सूचना प्रतीक्षित है
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1992–93	1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98	07.07.1995 18.04.1996 28.08.1998 17.12.1999 27.07.2000	सूचना प्रतीक्षित है
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	1997–98	1998–99	27.8.2000	सूचना प्रतीक्षित है
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम[15]	—	1997–98	17.8.2000	सूचना प्रतीक्षित है
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	[16]	1990–91 1991–92 1992–93 1993–94	23.02.1998 23.02.1998 27.02.1998 19.08.1999	सूचना प्रतीक्षित है
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	[16]	1995–96 1996–97 1997–98	21.10.1997 18.02.1999 03.07.2000	सूचना प्रतीक्षित है
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम[17]	—	—	—	—

1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम

94[18] सरकारी कम्पनियों एवं छः सांविधिक निगमों के नवीनतम तैयार लेखों के अनुसार, 65 कम्पनियों एवं तीन सांविधिक निगमों ने क्रमशः कुल 325.17 करोड़ रुपये एवं 147.52 करोड़ रुपये की हानि उठाई और शेष 28 कम्पनियों और तीन निगमों ने क्रमशः 28.02 करोड़ रुपये एवं 43.17 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया।

नवीनतम तैयार किये गये लेखे के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, नवीनतम 3 वर्षों के तैयार लेखों के अनुसार प्रत्येक निगम के कार्यचालन परिणाम परिशिष्ट-5 में दिये गये हैं।

---

15 लेखा परीक्षा 1997-98 से सौंपी गई।

16 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सम्बंध में 1990-91 से पूर्व की तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के सम्बंध में 1995-96 से पूर्व की सूचनाएं सरकार से प्रतीक्षित थी।

17 लेखा परीक्षा 1997-98 से सौंपा गया है। लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

18 परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-35, 36 एवं 40 पर स्थित तीन कम्पनियों ने प्रारम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किए हैं एवं क्रम संख्या 87 पर स्थित कम्पनी के लेखे बकाया में नहीं थे ।

1.6.1 सरकारी कम्पनियाँ

1.6.1.1 लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ और लाभांश

तीन कम्पनियों (दो सहायक कम्पनियों सहित), जिन्होने वर्ष 1999-2000 के अपने लेखे सितम्बर 2000 तक तैयार कर लिये थे (एक सहायक कम्पनी सहित जिसने अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999 के लेखे तैयार कर लिये थे), में से एक कम्पनी (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 31) ने 1.56 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया परन्तु लाभांश घोषित नहीं किया।

इसी प्रकार, 46 कम्पनियों, जिन्होंने सितम्बर 2000 तक गत वर्षों के अपने लेखे तैयार किये, में से 15 कम्पनियों ने 17.49 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया और मात्र 13[19] कम्पनियों ने दो या उससे अधिक लगातार वर्षों में लाभ कमाया।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये कोई लाभांश नीति नहीं बनाई। तथापि, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कारपोरेट योजनाएं बनाने का आदेश दिया (जून 1994)। सरकार ने सूचित किया (मई 2000) कि इस तरह की कोई योजनायें उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयीं थी।

1.6.1.2 हानि उठाने वाली कम्पनियाँ

तीन कम्पनियों (दो सहायक कम्पनियों सहित) जिन्होंने सितम्बर 2000 तक 1999-2000 के अपने लेखे तैयार कर लिये थे, में से दो कम्पनियों (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 30 एवं 82) ने 6.19 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

इसी प्रकार, 46 कम्पनियों जिन्होनें सितम्बर 2000 तक अपने गत वर्षों के लेखे तैयार कर लिये थे, में से 31 कम्पनियों ने कुल 228.07 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

65 हानि उठाने वाली कम्पनियों में से, 38 कम्पनियों की कुल संचित हानि 2311.73 करोड़ रुपये थी जो कि उनकी कुल प्रदत्त पूँजी 1135.98 करोड़ रुपये से बहुत अधिक हो गई थी।

खराब प्रदर्शन के कारण प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षय होने के बावजूद, राज्य सरकार इन कम्पनियों को पूँजी में अशंदान, ऋणों की पुनः स्वीकृति, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन, उपदान आदि के रूप में वित्तीय सहायता देती रही। उपलब्ध सूचना के आधार पर, इन 38 कम्पनियों में से, 12 कम्पनियों को 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूँजी में अंशदान, ऋणों की पुनःस्वीकृति, ऋणो पर स्थगन एवं ऋणों के पूँजी में परिर्वतन के रूप में उपलब्ध कराई गई कुल वित्तीय सहायता 246.56 करोड़ रुपये की राशि की थी।

1.6.2 सांविधिक निगम

1.6.2.1 लाभार्जन कर रहे सांविधिक निगम और लाभांश

एक सांविधिक निगम (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 3) जिसने 1999-2000 के अपने लेखे सितम्बर 2000 तक तैयार कर लिए थे, ने 13.03 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और 52 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया। उपरोक्त लाभार्जन करने वाले निगम में लाभांश, प्रतिशत के रूप में अंश

---

19 परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 5,10,43,48,53,63,68,76,81,,86,88,91 एवं 96 ।

पूँजी का 4.66 प्रतिशत आगणित हुआ। सभी सांविधिक निगमों में 432.73 करोड़ रुपये के कुल अंश पूँजी निवेश पर गत वर्ष के 0.07 प्रतिशत के विरुद्ध 1999-2000 में 52 लाख रुपये का उपरोक्त लाभांश 0.12 प्रतिशत आगणित हुआ।

इसी प्रकार, पाँच निगमों, जिन्होंने सितम्बर 2000 तक गत वर्षों के लेखे तैयार कर लिये थे, में से दो निगमों (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 4 व 5) ने कुल 30.14 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और दोनों निगमों ने दो या उससे अधिक वर्षों से लगातार लाभ कमाया।

1.6.2.2 हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

पाँच निगमों, जिन्होनें सितम्बर 2000 तक अपने गत वर्षों के लेखे तैयार कर लिये थे, में से तीन निगमों ने कुल 147.52 करोड़ रुपये की हानि उठायी।

तीन हानि उठाने वाले निगमों में से, दो निगमों (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 1 एवं 2)की कुल संचित हानियाँ 899.15 करोड़ रुपये की थीं जो कि उनकी कुल 413.69 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से बहुत अधिक हो गई थीं।

खराब निष्पादन से प्रदत्त पूँजी का पूर्णतः क्षरण होने के बावजूद, राज्य सरकार इन निगमों को पूँजी के लिए अंशदान, ऋणों की पुनः स्वीकृति, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन, उपदान आदि के रूप में, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा 1999-2000 के दौरान पूँजी के लिए अंशदान एवं ऋणों का पूँजी में परिवर्तन के रूप में एक निगम को उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता 47.51 करोड़ रुपये की राशि की थी।

1.6.2.3 सांविधिक निगमों का संचालन निष्पादन

सांविधिक निगमों का संचालन निष्पादन परिशिष्ट-6 में दिया गया है जो निम्न तथ्यों को प्रकट करता है:

(i) जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अवस्थित अपने वाहनों की औसत संख्या 1997-98 की तुलना में 1999-2000 में 11.2 प्रतिशत तक घट गई, उसी अवधि के दौरान किराये पर ली गई बसों की औसत संख्या में 61.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह किराये पर ली गयी बसों पर निर्भरता में वृद्धि को दर्शाता था। अभिधारिता अनुपात 1997-98 में 64 से घटकर 1999-2000 में 61 हो गया।

(ii) वसूली हेतु अतिदेय राशि 1996-97 में 508.17 करोड़ रुपये (मूलधनः 137.65 करोड़ रुपये तथा ब्याजः 370.52 करोड़ रुपये) से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 737.11 करोड़ रुपये (मूलधनः 238.22 करोड़ रुपये तथा ब्याज 498.89 करोड़ रुपये) हो गया था जो कि निगम द्वारा किये जा रहे दयनीय प्रयासों को दर्शाता है (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम)।

(iii) इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण का वितरण 1996-97 में 423.14 करोड़ रुपये (1491 प्रकरणों) से 1998-99 में घटकर 129.39 करोड़ रुपये (637 प्रकरणों) रह गया जो कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए हानिकारक था।

1.7 नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार (सितम्बर 2000 तक), 94[21] कम्पनियों में नियोजित पूँजी[20] 2302.58 करोड़ रुपये आगणित हुई और उन पर कुल प्रतिलाभ[22] 10.89 करोड़ रुपये की राशि का था जो पिछले वर्ष (अन्तिमीकृत लेखे सितम्बर 1999 तक) के 96.43 करोड़ रुपये के कुल प्रतिलाभ (4.68 प्रतिशत) की तुलना में 0.47 प्रतिशत था। इसी प्रकार, वर्ष 1999-2000 के दौरान सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में नियोजित पूँजी एवं उस पर कुल प्रतिलाभ के 1998-99 के 174.50[23] करोड़ रुपये के कुल प्रतिलाभ (3.20 प्रतिशत) के विरुद्ध क्रमशः 5466.47 करोड़ रुपये तथा 142.54 करोड़ रुपये (2.61 प्रतिशत) था। सरकारी कम्पनियों एवं निगमों के सम्बन्ध में नियोजित पूँजी एवं नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

1.8 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षा के परिणाम

अक्टूबर 1999 से सितम्बर 2000 तक की अवधि के दौरान, 35 कम्पनियों एवं चार सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा को समीक्षा के लिय चयनित किया गया। सी ए जी द्वारा किये गये प्रेक्षणों के फलस्वरूप, दो कम्पनियों (उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड) ने अपने लेखों को संशोधित किया। इसके अतिरिक्त, शेष पी एस यू की समीक्षा के परिणामों पर महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का शुद्ध प्रभाव निम्नानुसार था।

विवरण	लेखों की संख्या		लाख रुपये में	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
(i) लाभ में कमी	5	1	32.69	12.12
(ii) लाभ में वृद्धि	1	1	0.46	2.53
(iiii) हानियों में वृद्धि	11	2	633.98	9783.22
(iv) हानियों में कमी	2	1	33.40	31.14
(v) महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	8	2	752.67	1938.64
(vi) वर्गीकरण की त्रुटियाँ	6	1	291.98	1816.39

20 नियोजित पूँजी, शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिगत कार्य सहित) और कार्यशील पूँजी के योग को निरूपित करती है, केवल वित्तीय कम्पनियों और निगमों को छोड़कर जहाँ यह प्रदत्त पूँजी के पूर्व और अन्तिम शेषें के कुल माध्य, आरक्षित निधियों एवं ऋणों (पुनर्वित्त सहित) का प्रतिनिधित्व करती है ।

21 परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-35,36,एवं 40 पर स्थित कम्पनियों को छोड़कर जिन्होंने प्रारम्भ से ही लेखे नहीं बनाये तथा परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-87 पर स्थित कम्पनी को छोड़कर जिसके लेखे बकाया नहीं हैं ।

22 नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ की गणना हेतु, ऋण ली गई निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है/हानि से घटाया जाता है, जैसा कि लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया था।

23 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को छोड़कर।

उपरोक्त कम्पनियों एवं निगमों में से कुछ के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गई कुछ प्रमुख त्रुटियों और चूकों को नीचे उल्लिखित किया गया है:

अ. *सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में पायी गयी त्रुटियां एवं चूकें*

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (1998-99)

विविध देनदारों (1268.68 लाख रुपये) में 8.15 लाख रुपये की राशि, जो दो बन्द मण्डल विकास निगमों (3.27 लाख रुपये) तथा तीन कम्पनियों (4.88 लाख रुपये) पर 10 वर्षों से अधिक से बकाया थी, भी सम्मिलित थी जिनकी वसूली संदेहास्पद थी तथा जिसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (1998-99)

(i) निवेशकों से प्राप्त राशि 1998-99 के दौरान, 14.90 प्रतिशत ब्याज वाले बाण्ड के निर्गम के विरुद्ध निवेशकों से प्राप्त राशि को सम्मिलित नहीं करने के कारण संरक्षित ऋण (715.25 लाख रुपये) 50 लाख रुपये से कम दर्शाया गया जिससे चालू सम्पत्तियाँ भी कम प्रदर्शित हुईं।

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को मार्च 1999 तक देय विद्युत प्रभारों का प्राविधान नहीं करने के कारण चालू देयतायें एवं प्राविधान (2200.70 लाख रुपये) 93.92 लाख रुपयों से कम दर्शाये गये ।

दि प्रादेशीय इंण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (1998-99)

प्राविधानों तथा कराधान (5322.83 लाख रुपये)के पश्चात् वर्ष की हानियों को निम्न के अल्प प्राविधान के कारण 385.25 लाख रुपये से कम दर्शाया गया:

(i) परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण को 320.74 लाख रुपये से; तथा

(ii) 18 कम्पनियों में अंश पूँजी निवेशों के मूल्य में स्थायी ह्रास के सम्बन्ध में 64.51 लाख रुपये से।

घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (1997-98)

ऋण एवं अग्रिम (132.08 लाख रुपये) को निम्न के कारण बढ़ा कर दर्शाया गया:

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास जमा धरोहर राशि 3.78 लाख रुपये को सम्मिलित किया जाना जो कम्पनी को वापसी योग्य नहीं थी क्योंकि इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाये के विरुद्ध पहले ही समायोजित किया जा चुका था।

(ii) नियंत्रक कम्पनी की बन्द इकाईयों से प्राप्य 13.56 लाख रुपये की राशि के संदेहास्पद अग्रिमों का प्राविधान न किया जाना।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड (1996-97)

सरकार से प्राप्त अनुदानों के अनुपयोजित भाग पर अर्जित ब्याज की राशि 6.94 लाख रुपये जो सरकार को देय थी, को कम्पनी की आय मान लेने के कारण आय(1337.69 लाख रुपये) को अधिक दर्शाया गया।

यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड टयूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड (1998-99)

निम्न लेखांकन के कारण विविध देनदारों को 35.06 लाख रुपये से अधिक तथा हानियों को उसी राशि से कम दर्शाया गयाः

(i) अननुमत्य मूल्य वृद्धि 17.25 लाख रुपये; एवं

(ii) अननुमत्य आकस्मिता प्रभार 17.81 लाख रुपये।

यू पी स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मारकेटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (1997-98)

(i) जल कर (3.80 लाख रुपये) एवं गृह कर (3.85 लाख रुपये)के प्राविधान न किये जाने के कारण, चालू देयताओं (209.61 लाख रुपये) को 7.65 लाख रुपये से कम दर्शाया गया था।

(ii) हाई फ्रीक्वेंसी केन्द्र, आगरा (41.72 लाख रुपये) तथा तीन आम सुविधा केन्द्रों (फतेहपुर, जायस एवं बस्ती 16.63 लाख रुपये) के भवनों पर ह्रास के प्राविधान न किये जाने के कारण, स्थायी परिसम्पत्तियों को 58.35 लाख रुपयों से अधिक दर्शाया गया था।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड (1998-99)

उत्पाद शुल्क विभाग को देय अल्कोहल संयंत्र की अनुज्ञप्ति शुल्क का प्राविधान न किये जाने के कारण, चालू देयतायें एवं प्राविधान (2348.44 लाख रुपये)को 7.86 लाख रुपये से कम दर्शाया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (1997-98)

(i) विविध लेनदारों की पुरानी दावा नहीं की गई पुनर्लिखित राशि को विविध आय मानने के स्थान पर घटा देने के कारण, कार्यों पर हुये व्यय (17356.54 लाख रुपये) को 38.29 लाख रुपयों से कम दर्शाया गया।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित ह्रास की दरों का अनुपालन न करने के कारण, ह्रास को 35.54 लाख रुपये (चालू वर्ष के लिये 3.65 लाख रुपये सहित)

से कम प्राविधान किया गया।

टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन) (1992-93)

नियंत्रक कम्पनी के माध्यम से प्राप्त हुये सरकारी ऋण का लेखांकन न किये जाने के कारण, असुरक्षित ऋणों (258.13 लाख रुपये) एवं चालू परिसम्पत्तियों (309.61 लाख रुपये) को 21.99 लाख रुपये से कम दर्शाया गया।

हैन्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर-बस्ती) लिमिटेड (1989-90)

कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी का प्राविधान न किये जाने के कारण, प्राविधानों (33.98 लाख रुपये) को 11.18 लाख रुपये से कम दर्शाया गया।

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड (1991-92)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों की तुलना में ह्रास की अधिक दरों को अंगीकृत किये जाने के कारण स्थाई परिसम्पत्तियों (433.12 लाख रुपये) को कम तथा ह्रास को 50.41 लाख रुपये से अधिक दर्शाया गया।

ब. सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में पाई गयी त्रुटियाँ एवं चूकें

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम (1998-99)

अन्य आय (12.10 लाख रुपये) में 9.97 लाख रुपये की ब्याज आय भी सम्मिलित थी, जो सरकार द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु प्राप्त निधियों को सावधि जमा खातों में निवेश करने से प्राप्त हुई थी तथा जिसे दिनांक 04.12.93 के आदेशों के अनुपालन में शासन के पास जमा किया जाना चाहिये था।

उत्तर प्रदेश जल निगम (1997-98)

आय-सेन्टेज (5650.01 लाख रुपये) निम्न कारणों से बढ़ा कर दर्शाये गये थे:

(अ) निगम द्वारा वर्ष 1997-98 में निष्पादित शासन के समस्त 'लागत योग' तथा निक्षेप कार्यों (डिपोजिट वर्क्स) पर अनुमत्य 12.5 प्रतिशत की बजाय, 15 प्रतिशत की दर से 941.67 लाख रुपये के सेन्टेज का लेखांकन किया जाना।

(ब) भारत सरकार के एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम (ए आर डब्लू एस पी) पर 15 प्रतिशत से वर्ष के 1347.82 लाख रुपये सहित 7905.22 लाख रुपये के अननुमत्य सेन्टेज का लेखांकन किया जाना।

(स) एक्सीलरेटेड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोग्राम (ए यू डबल्यू एस पी) पर 25.69 लाख रुपये के

अननुमत्य सेन्टेज का लेखांकन किया जाना।

स. पी एस यू के वित्तीय मामलों में स्थाई अनियमिततायें एवं प्रणाली दोष

पी एस यू के वित्तीय मामलों में स्थाई अनियमितताऐं और प्रणाली दोषों को उनके लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान बारम्बार इंगित किया गया था परन्तु इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अब तक कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

(i) विशेष कम्पोनेन्ट योजना/स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के अन्तर्गत, अनुमन्य उपदान एवं मार्जिन मनी ऋण की कम्पनी के अंशदान की राशि का भुगतान, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अग्रणी बैंकों को चेकों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा एक वर्ष के दौरान उपयोजित उपदान एवं वितरित मार्जिन मनी ऋण का लेखांकन, लाभार्थियों को वितरण हेतु बैंकों को भुगतान किये गये उपदान एवं मार्जिन मनी को दर्शाता था न कि वास्तविक उपभोग को। 31 मार्च 1994 तक कम्पनी की 61 इकाइयों से सम्बन्धित विभिन्न बैंकों में अवितरित पड़ी धनराशि 403.31 लाख रुपये थी (गत वर्षः 271.44 लाख रुपये)।

(ii) बैंकों द्वारा वापस किये गये अवितरित ऋणों की धनराशि को ऋणी के खातों में क्रेडिट नहीं किया जा रहा है, परिणामतः अवितरित राशि पर ब्याज प्रभारित हो रहा है। इसके फलस्वरूप, 31 मार्च 1994 तक 78.02 लाख रुपये की वापस की गई राशि (गत वर्षः 33.35 लाख रुपये) पर ब्याज (राशि अनिश्चित) को अधिक दिखाया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

(i) चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों के अन्तर्गत दर्शायी गई विकासरत औद्योगिक भूमि लागत (21348.89 लाख रुपये) जो कि जब्त कर ली गई धरोहर राशि/प्रीमियम की एकत्रित धनराशि थी, को लाभ-हानि खाते में क्रेडिट करने के स्थान पर विकास व्ययों में से घटाकर दर्शाये जाने के कारण, 67.76 लाख रुपये से कम दर्शाया गया था।

(ii) इसमें, आगरा में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से सम्बन्धित व्यय किये गये 23.51 लाख रुपये भी सम्मिलित थे, यद्यपि अधिग्रहण प्रस्ताव कम्पनी द्वारा वापस लिया जा चुका था जिसको लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाना चाहिये था।

द. बन्दीकरण

अपने अस्तित्व के पाँच वर्षों के पूर्ण होने के बाद भी, 23 सरकारी कम्पनियों (परिशिष्ट-7) का व्यवसाय (बिक्री एवं अन्य आय) 5 करोड़ रुपये से कम रहा। इसी प्रकार, 13 सरकारी कम्पनियाँ

(परिशिष्ट-8) लगातार पाँच वर्षों से हानियाँ उठा रही थीं जिसके कारण उनकी निबल परिसम्पत्तियाँ ऋणात्मक हो गईं थीं। दयनीय निष्पादन तथा प्रदत्त पूँजी के क्षरण के बावजूद, शासन ने इन कम्पनियों के कार्यकलापों में सुधार अथवा समापन हेतु किसी कार्यवाही पर विचार नहीं किया।

1.9 सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित कुल समीक्षायें/प्रस्तर		चर्चा हेतु लम्बित समीक्षायें / प्रस्तर की संख्या	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
1976-77	2	53	--	5
1977-78	5	28	1	3
1979-80	6	59	--	7
1980-81	6	30	--	2
1981-82	4	73	4	39
1982-83	5	50	4	21
1983-84	4	60	4	10
1984-85	2	14	1	7
1985-86	6	22	6	11
1986-87	3	28	2	19
1987-88	8	23	7	12
1988-89	5	22	5	13
1989-90	6	14	3	10
1990-91	6	21	5	21
1991-92	4	38	4	35
1992-93	5	33	4	28
1993-94	5	31	5	31
1994-95	5	41	5	38
1995-96	7	39	7	26
1996-97	8	40	8	30
1997-98	5	67	5	64

1.10 619-बी कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अन्तर्गत कुछ गैर सरकारी कम्पनियों को अधिनियम की धारा 619 में वर्णित सरकारी कम्पनियों के लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्राविधानों को सीमित उद्देश्य के साथ लागू करने के लिये सरकारी कम्पनी माना जाता है। अधिनियम की धारा 619-बी के अन्तर्गत इस तरह की पाँच कम्पनियाँ थीं । निम्न तालिका, नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर इन कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी एवं कार्यचालन परिणामों को इंगित करती है।

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी का नाम	लेखों का वर्ष	प्रदत्त पूँजी	द्वारा निवेश			लाभ(+)/ हानि (–)	संचित हानि
			राज्य सरकार	सरकारी कम्पनियाँ	अन्य		
अल्मोड़ा मैग्निसाइट लिमिटेड	1999-2000	2.00	--	1.22	0.78	(+) 0.08	2.27
कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1994-95	0.24	--	--	0.24	(+) 0.00003[24]	0.07
इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	प्रारम्भ से ही (1975–76) लेखे नहीं बनाये गये						
स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	1978-79	0.90	--	0.55	0.35	(-) 0.45	--
उत्तर प्रदेश सीड एवं तराई डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1998-99	2.77	0.83	--	1.94	(+) 1.49	--

1.11 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित न होने वाली कम्पनियाँ

राज्य सरकार ने 10.16 लाख रुपये 27 कम्पनियों में निवेशित किये जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण के अधीन नहीं थीं क्योंकि राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश की कुल राशि सम्बंधित कम्पनियों की अंश पूँजी के 51 प्रतिशत से कम थी।

ऐसी कोई कम्पनी नहीं थी जिसमें राज्य सरकार द्वारा अंश पूँजी के रूप में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक था।

24 316 रुपये मात्र।

अध्याय-II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें

2अ. दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

मुख्य अंश

निगम की स्थापना 29 मार्च 1972 को राज्य में उद्योगों को प्रोन्नत एवं विकसित करने के उद्देश्य से मध्यम एवं वृहत स्तर की औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु हुई थी। 31 मार्च 1999 को निगम की प्रदत्त पूँजी 110.58 करोड़ रुपये थी जो 112.54 करोड़ रुपये की संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरित हो चुकी थी।

(प्रस्तर 2अ.1 एवं 2अ.5.2)

वर्ष 1997-98 के मध्य स्वीकृतियों के अत्यधिक निरस्तीकरण (249.34 करोड़ रुपये) के बावजूद 31 मार्च 1999 को 155.20 करोड़ रुपयों की स्वीकृतियाँ वितरण के लिये शेष थी जो कि कुल वितरण योग्य ऋणों का 52.5 प्रतिशत थीं।

(प्रस्तर 2.अ.6.2)

निगम ने जीव्यता (वायबिलिटी) को निर्धारित किये बिना दो इकाईयों को ऋण वितरित किये जिसके कारण 5.67 करोड़ रुपयों की वसूली अवरुद्ध हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.1.1 एवं 2अ.7.1.5)

ऋणी इकाई द्वारा एक मुश्त समाधान (ओ टी एस) प्रस्ताव के अनुसार भुगतान करने की बजाय, निगम के कब्जे से गायब हुई मशीनों के लिये 2 करोड़ रुपये का दावा किया जिसके कारण 3.70 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.1.2)

वितरण-पूर्व की समस्त औपचारिकताओं को शिथिल करते हुये ऋणी इकाई को 'सेतु ऋण' के अनियमित रूप से वितरित किये जाने के फलस्वरूप (भूमि एवं भवन के स्वामित्व विलेख एवं भवन प्लान को लेकर) 4.40 करोड़ रुपयों की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.अ.7.1.3)

निगम ने एक इकाई को उसके ऋण उपयोग तथा संयंत्रों के स्थल पर पहुँचने सम्बन्धी झूठी वितरण-पूर्व रिपोर्ट पर ऋण वितरित किया जिसके फलस्वरूप 3.37 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.1.4)

निगम द्वारा सात कम्पनियों को जिनके मुख्य प्रवर्तक/जमानतदार एक ही व्यक्ति थे, को समस्त वितरण-पूर्व औपचारिकताओं को शिथिल करते हुये एवं बन्धक सम्पत्तियों की उपलब्धता तथा उन पर प्रथम प्रभार प्रमाण-पत्र जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा देय था, को सुनिश्चित किये बिना ऋण दिया गया, परिणामतः 21.82 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.1.6)

निगम द्वारा अल्पकालीन ऋण दिये जाने सम्बन्धी समस्त दिशानिर्देशों की उपेक्षा करते हुये एवं अल्पकालीन ऋण की समस्त मूल औपचारिकताओं को शिथिल करते हुये, ऋण स्वीकृत किये जाने के कारण 12.90 करोड़ रुपयों के बकायों की वसूली परियोजना के प्रारम्भ न होने तथा प्रवर्तकों की अपर्याप्त व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण न हो सकी।

(प्रस्तर 2अ.7.2.1)

शासपत्रित लेखाकारों द्वारा दो इकाईयों को जारी किये गये असत्य बन्धक प्रमाण-पत्रों पर अल्पकालीन ऋणों के वितरित किये जाने के कारण 5.25 करोड़ रुपयों की हानि हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.2.2एवं 2अ.7.2.3)

शासपत्रित लेखाकारों द्वारा एक इकाई को व्यवसाय एवं लाभ के आँकड़ों जो कि अत्यधिक बढ़ा कर सत्यापित किये गये थे, पर अल्पकालिक ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये जाने तथा साथ ही इकाई की साख एवं बन्धक सम्पत्तियों को सुनिश्चित न किये जाने के कारण 2.09 करोड़ रुपयों की हानि हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.2.4)

कागज उद्योग में व्यापक मंदी व्याप्त होने एवं स्वीकृति मानकों को पूरा न करने के बावजूद दो इकाईयों को कार्यशील पूँजी ऋण एवं औजार पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जाने के कारण 8.71 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 2अ.7.3.1 एवं 2अ.7.3.2)

इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड मे अपनी अंशधारिता को विनिवेशित न किये जाने के कारण 29.89 करोड़ रुपये के सम्भावित लाभ की अप्राप्ति के साथ ही ऋणों पर वर्ष 1994-95 से 1998-99 के मध्य 17 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त ब्याज भार को भी निगम को वहन करना पड़ा।

(प्रस्तर 2अ.7.4.1.1)

निगम 'इण्डिया पालीफाइबर्स लिमिटेड' की अपनी अंशधारिता को कम्पनी की अत्यंत दयनीय वित्तीय स्थिति होने के बावजूद विनिवेशित करने में विफल रही जिसके कारण बी आई एफ आर द्वारा पुनर्स्थापन प्रस्ताव के अन्तर्गत पूँजी को घटा देने के कारण निगम को 6.43 करोड़ रुपये की पूँजीगत हानि हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.4.1.4)

संयन्त्रों के आपूर्तिकर्ता की साख एवं विश्वसनीयता को परखे बिना निगम द्वारा एक इकाई को लीज सहायता स्वीकृत किये जाने के कारण 2.18 करोड़ रुपये की राशि निरुद्ध रही जिस पर अप्रैल 1999 तक 0.98 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2अ.7.5.2)

ऋणों तथा उन पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में भारी विफलता के कारण 31 मार्च 1999 को गैर निष्पादक सम्पत्तियाँ (एन पी ए) बढ़कर समस्त ऋणों के 58.5 प्रतिशत तक हो गयी थीं।

(प्रस्तर 2 अ.8.2)

2अ.1 प्रस्तावना

दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश की स्थापना मार्च 1972 में प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में जिसका मुख्य उददेश्य प्रदेश में पूर्व स्थापित अथवा स्थापित हो रही मध्यम एवं वृहत औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर उनका प्रवर्तन एवं विकास करना था।

2अ.2 उददेश्य

निगम के मुख्य उददेश्य निम्न प्रकार से है:-

(i) राज्य में नवीन/वर्तमान में स्थापित औद्योगिक संस्थानों को वित्त उपलब्ध कराने तथा एक निवेश कम्पनी के रूप में कार्य करना;

(ii) मूल याचना द्वारा अथवा समूहों में भाग लेकर, अंशों, स्कन्ध ऋण पत्रों, बन्ध पत्रों, दायित्व (आब्लीगेशन) तथा प्रतिभूतियों का क्रय, अभिगोपन(अन्डरराइट), विनियोजन, अधिग्रहण करना एवं उनको रखना।

(iii) मर्चेन्ट बैंकिंग के समस्त व्यवसायिक कार्य करना एवं विभिन्न निर्गमों एवं प्रस्तावों के प्रबन्धक के रूप में कार्य करना;

(iv) पट्टे (लीज) पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा विनियोजन एवं वित्तीय सेवाओं सम्बन्धी समस्त व्यवसायिक कार्य करना।

निगम के वर्तमान कार्यकलाप, नवीन/वर्तमान औद्योगिक इकाईयों को सावधिक ऋण, अल्पकालिक ऋण, कार्यशील पूँजी, आवधिक ऋण, लीज सहायता एवं पूँजी अंशदान के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित थे।

2अ.3 संगठनात्मक ढाँचा

31 मार्च 1999 को निगम का प्रबन्धन, निदेशक मंडल में, जिसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक तथा नौ अन्य निदेशक (संयुक्त प्रबन्ध निदेशक को सम्मिलित करते हुये) थे, निहित था। प्रबन्ध निदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है जिसकी सहायता के लिये एक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, दो मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं तकनीकी), दो महाप्रबन्धक, तीन उप महाप्रबन्धक तथा एक कम्पनी सचिव मुख्यालय में निगम के दिन प्रतिदिन मामलों के लिए तथा एक उप महाप्रबन्धक एवं तीन वरिष्ठ आंचलिक प्रबन्धक, निगम के चार आंचलिक कार्यालयों में होते हैं।

वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में प्रबन्ध निदेशकों की पदधारिता में बारम्बार परिवर्तन हुये तथा सभी प्रबन्ध निदेशकों का कार्यकाल 5 से 23 माह के मध्य था। प्रबन्ध निदेशकों की पदधारिता में बार-बार परिवर्तन के कारण निगम के कार्यकलापों के प्रबन्धन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

2अ.4 सम्प्रेक्षा का क्षेत्र

निगम की 'वसूली निष्पादन' पर एक क्षेत्रीय समीक्षा इस क्षेत्र की अन्य कम्पनियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की रिपोर्ट में वर्ष 1988-89 (वाणिज्यिक) में प्रकाशित हुई थी जिस पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा होना बाकी थी। वर्तमान समीक्षा निगम के 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के निष्पादन (कार्य कलाप) पर आधारित है। कुल 391 प्रकरणों में से, विक्रय योग्य सम्बद्ध इकाईयों (58), निगम द्वारा सम्बद्ध किये जाने के बाद विक्रीत इकाइयों (32), हानि आस्तियाँ (28) एवं वादे पर रुपया न चुकाने वाली इकाईयों (273) से सभी श्रेणी के सम्बधित प्रकरणों में से 105 प्रकरणों को नमूना जाँच में जो कि नवम्बर 1999 से अप्रैल 2000 के मध्य हुई थी, में समीक्षित किया गया जिसका समीक्षा परिणाम अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

2अ.5 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

2अ.5.1 वित्तीय स्थिति

निगम की 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में वित्तीय स्थिति, जैसी कि परिशिष्ट-9 में दी गयी है, दर्शाती है कि निगम द्वारा इस अवधि में अत्यधिक ऋण लिये गये जिसके कारण निगम की उधारी जो कि वर्ष 1994-95 में 403.49 करोड़ रुपये थी, से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 708.63 करोड़ रुपये हो गयी थी। इस वृद्धि का कारण मुख्यतयाः (i) संयुक्त क्षेत्र में विनियोजित संसाधनों की अनुपलब्धता; (ii) द्वितीयक बाजार में धनराशियों का अवरुद्ध होना तथा

(iii) ऋणी इकाइयों को दिये गये ऋणों की दयनीय वसूली आदि थे।

इस प्रकार उधार ली गई राशियों का उपभोग, वृहत एवं मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को निगम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, सुरक्षित ऋणों की वापसी तथा राजस्व व्ययों जैसे ब्याज भुगतान आदि के लिये किया गया। 31 मार्च 1999 के अन्त में संचित हानियों के कारण निगम की चुकता पूँजी का पूर्णतया क्षरण हो चुका था।

2अ.5.2 कार्यचालन परिणाम

संचित हानियों के कारण शुद्ध आस्ति का पूर्णतः क्षरण हो चुका था।

निगम के वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाले प्रत्येक 5 वर्षों के कार्यचालन परिणाम जो कि परिशिष्ट-10 में संग्रहीत हैं, निम्न तथ्यों को प्रकाश में लाते है :

- निगम ने वर्ष 1996-97 एवं इससे आगे हानियाँ वहन करनी शुरू की तथा 31 मार्च 1999 के अन्त में संचित हानियाँ 112.54 करोड़ रुपयों तक पहुँच गयी थी जिसके कारण निगम की चुकता पूँजी जो कि 110.58 करोड़ रुपये थी, का पूर्णतः क्षरण हो चुका था। गैर निष्पादक सम्पत्तियों पर 3.85 करोड़ रुपयों का कम प्रावधान किये जाने के कारण 31 मार्च 1999 को संचित हानियाँ उक्त धनराशि से कम दर्शायी गयी थी। हानि में वृद्धि का मुख्य कारण, वित्तीय खर्चो में वृद्धि जो कि बाजार से लिये गये ऋणों पर ब्याज के रूप में, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये ऋणों पर देय ब्याज की कम वसूली तथा गैर निष्पादक सम्पत्तियों पर प्रावधान में वृद्धि थे।

- 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तक, निगम में ब्याज आय का लेखांकन नकद आधार पर तथा अन्य आय एवं व्ययों का लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जा रहा था तथापि, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 145 में संशोधन के परिपालन में निगम द्वारा, पूर्व में अपनायी गयी लेखांकन विधि को परिवर्तित कर 'उपार्जित विधि' को दिनाँक 1 अप्रैल 1996 से अपनाया गया। इस प्रकार लेखांकन विधि में परिवर्तन के कारण निगम की वर्ष 1996-97 की हानियाँ 13.85 करोड़ रुपयों से कम दर्शायी गयी थीं।

- वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में ब्याज का भुगतान निगम की कुल आय से ज्यादा हो गया था जो उक्त वर्षों की कुल आय का क्रमशः 107.81 एवं 133.69 प्रतिशत था। इससे यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि राजस्व खर्चे का भुगतान उधार ली गयी राशियों द्वारा किया गया था।

ऋणों की स्वीकृति तथा वितरण

2अ.6.1 योजनावार निष्पादन

अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में ऋणों की योजनावार स्वीकृति तथा वितरण की स्थिति को दर्शाती है।

(करोड़ रुपये में)

		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
क्रम सं0	विवरण	वर्ष के दौरान स्वीकृतियाँ	वर्ष के दौरान वितरण	वर्ष के दौरान स्वीकृतियाँ	वर्ष के दौरान वितरण	वर्ष के दौरान स्वीकृतियाँ	वर्ष के दौरान वितरण	वर्ष के दौरान स्वीकृतियाँ	वर्ष के दौरान वितरण	वर्ष के दौरान स्वीकृतियाँ	वर्ष के दौरान वितरण
(अ)	**ऋण वितरण**										
(i)	सावधि ऋण (इ आर एस, इ एफ एस तथा इ सी एस को सम्मिलित कर)	138.88	90.61 (87.18)[25]	151.50	71.62 (71.55)[25]	173.65	112.86 (88.65)[25]	236.09	117.59 (80.27)[25]	95.24	66.27 (75.41)[25]
(ii)	अल्पकालीन ऋण	30.50	14.47	11.50	21.56	8.25	7.17	13.50	8.08	1.00	5.41
(iii)	कार्यशील पूँजी ऋण	--	--	18.65	6.92	8.80	7.28	15.30	15.40	2.80	3.92
(iv)	बिल डिसकाउन्टिंग	--	--	--	--	--	--	4.50	5.43	4.50	12.28
	योग ऋण (अ)	**169.38**	**105.08**	**181.65**	**100.10**	**190.70**	**127.31**	**269.39**	**146.50**	**103.54**	**87.88**
(ब)	संयुक्त सहायित क्षेत्रों/ परियोजनाओं/एफ सी डी में निवेश	4.86	2.19	24.64	11.20	2.53	4.36	15.18	10.95	6.48	9.26
(स)	लीज हेतु औजारों का क्रय	0.16	0.09	7.84	2.92	2.23	5.05	7.75	5.48	--	--
	योग (अ)+(ब)+(स)	**174.40**	**107.36 (61.5)**	**214.13**	**114.22 (53.3)**	**195.46**	**136.72 (69.9)**	**292.32**	**162.93 (57.7)**	**110.02**	**97.14 (88.3)**

(इ आर एस = इक्विपमेंन्ट रिफाइनेन्स स्कीम, इ एफ एस = इक्विपमेंन्ट रिफाइनेन्स स्कीम, इ सी एस = इक्विपमेंन्ट क्रेडिट स्कीम, एफ सी डी = फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेन्चर)

यह देखा गया कि वर्ष 1998-99 में कुल ऋण सहायता वर्ष 1997-98 की तुलना में जो कि 292.32 करोड़ रुपये थी, से घटकर 110.02 करोड़ रुपये हो गई। इसी के साथ ऋण सहायता का वितरण भी जो वर्ष 1997-98 में 162.93 करोड़ रुपये था, से घट कर 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में केवल 97.14 करोड़ रुपये हो गया जिसका मुख्य कारण, जैसा प्रबन्धन द्वारा बताया गया, सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक मंदी था। 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में वितरण का स्वीकृति के सापेक्ष प्रतिशत 53.3 तथा 88.3 के मध्य रहा जिसका मुख्य कारण विधिक औपचारिकताओं का पूर्ण न किया जाना तथा स्वीकृति अवधि में ऋणों का इकाईयों द्वारा न उठाना था।

2अ.6.2 अनिस्तारित स्वीकृतियाँ

31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में ऋणों की स्वीकृति तथा उनके वितरण का विवरण अगले पृष्ठ पर तालिका में दिया गया है:

25 कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल वितरित ऋण के प्रतिशत को दर्शातें हैं।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
वर्ष के प्रारम्भ में स्वीकृति के प्रकरण जिनका वितरण शेष था	258.68	241.69	288.66	305.49	185.54
जोड़ा : वर्ष में स्वीकृति	174.40	214.13	195.47	292.33	110.02
कुल वितरण योग्य धनराशि	**433.08**	**455.82**	**484.13**	**597.82**	**295.56**
घटाया: वर्ष में निरस्तियाँ	84.02	52.93	41.92	249.34	43.21
घटाया: वर्ष में वितरण	107.37	114.24	136.72	162.94	97.15
स्वीकृति प्रकरण जिनका वितरण वर्षान्त में शेष था	241.69	288.65	305.49	185.54	155.20
अनिस्तारित स्वीकृतियों से निस्तारण योग्य स्वीकृतियों का प्रतिशत	55.80	63.32	63.10	31.03	52.51

सम्प्रेक्षा में यह देखा गया कि :

- वर्ष 1998-99 को समाप्त 5 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के अन्त में अत्यधिक मात्रा में अनिस्तारित स्वीकृतियाँ जो कि 155.20 करोड़ रुपये और 305.49 करोड़ रुपये के मध्य थी, शेष थी।

स्वीकृत ऋण की अत्यधिक राशि वितरण के लिये शेष थी

- 31 मार्च 1999 को स्वीकृत राशि जिनका निस्तारण शेष था, 155.20 करोड़ रुपये थी जिसमें 33.61 करोड़ रुपये की धनराशि के 18 प्रकरण शामिल थे जो कि 2 वर्षों से अधिक पुराने थे। प्रबन्धन द्वारा इन्हें निरस्त अथवा ऋणियों को वितरित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गयी, तथा

- वर्ष 1997-98 में, प्रबन्धन को 249.34 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण की अत्यधिक धनराशि के मामले, उद्यमियों द्वारा स्वीकृति की अवधि में, स्वीकृति पूर्व शर्तो, यथा प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने, बैंकों द्वारा कार्यशील पूँजी ऋण, उद्यमियों का स्वयं का अंशदान इत्यादि न मिलने के कारण निरस्त करने पड़े जिनका अनुपालन प्रबन्धन द्वारा शुरू में अनावश्यक रूप से शिथिल कर दिया गया था।

2अ.7 कार्यकलाप

निगम द्वारा 31 मार्च 1999 तक समाप्त होने वाले 5 वर्षों में नये, मध्यम अथवा वृहत् स्तर के उद्योगों की स्थापना, उनके आधुनिकीकरण, विस्तार एवं निवर्तमान इकाइयों द्वारा विविधीकरण हेतु वित्तीय सहायता एवं सेवायें, विविध विस्तृत योजनाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी जिनका विवरण निम्न है:

विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता के लिये निश्चित प्रारूप पर प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को विधि अनुसार विश्लेषित कर रजिस्ट्रेशन समिति (जो कि प्रबन्ध निदेशक या संयुक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा शीर्षित होती है) के समक्ष प्रकरण पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। यदि प्रकरण को विलेखित (रजिस्टर्ड) कर लिया जाता है तो परियोजना खण्ड के तकनीकी एवं वित्त अधिकारियों के द्वारा विस्तृत मूल्यांकन का कार्य किया जाता है एवं मूल्यांकन टिप्पणी को सलाहकार समिति

जो कि प्रबन्ध निदेशक/सहायक प्रबन्ध निदेशक द्वारा शीर्षित होती है तथा पिकअप से बाहर के अनुभवी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तदुपरान्त प्रकरण को सलाहकार समिति द्वारा निदेशक मंडल/प्रबन्ध निदेशक के पास वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिये संस्तुत किया जाता है।

2अ.7.1 सावधिक ऋण योजना

सावधिक ऋण द्वारा वित्त पोषण, निगम की एक मुख्य गतिविधि है एवं 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में कुल वितरित ऋणों में से 70 से 80 प्रतिशत ऋण इसी योजना के अन्तर्गत वितरित किये गये। वर्ष 1998-99 को समाप्त 5 वर्षों में निगम द्वारा कुल (566.89 करोड़ रुपये) वितरित किये गये ऋणों में से 458.96 करोड़ रुपये सावधिक ऋण योजना (औजार वित्त योजना, औजार पुनर्वित्त योजना एवं औजार उधारी योजना को सम्मिलित करते हुये) के अन्तर्गत वितरित किये गये थे।

निगम 21 इकाइयों से 75.25 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल नहीं कर सका

सावधिक ऋण प्रकरणों की नमूना जाँच में प्रबन्धन की त्रुटियाँ यथा दोषपूर्ण मूल्यांकन, निगम के ही अधिकारियों द्वारा मिथ्या जाँच प्रतिवेदन का दिया जाना, वितरण पूर्व शर्तों का शिथिल किया जाना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर दी गई सम्पत्तियों का अपर्याप्त होना, बन्धक सम्पत्तियों का ऋण वितरण के बाद सामयिक अन्तराल पर सत्यापन न करना, चूक कर रही इकाइयों को सम्बद्ध करने तथा उनकी सम्पत्तियों को बेचने में विलम्ब, तथा बकायों की वसूली हेतु समुचित प्रयास नहीं करना, आदि पाये गये जिसके कारण 31 मार्च 2000 तक 75.25 करोड़ रुपयों की वसूली 21 ऋणियों से नहीं हो सकी जिनका विवरण परिशिष्ट-11 में दिया गया है।

प्रबन्धन की गम्भीर त्रुटियों को इंगित करते हुये कुछ प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा नीचे की गई है।

2अ.7.1.1 जी.एस.प्रोडक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड

निगम ने (मार्च 1989) 90.00 लाख रुपये का एक सावधिक ऋण जी.एस. रबर प्राइवेट लिमिटेड (जिसका नाम 1992 में बदलकर जी.एस. प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि. कर दिया गया था) जो कि श्री एस. पी.शर्मा द्वारा प्रवर्तित थी, को नैनीताल जिले में बाजपुर नामक स्थान पर जिसे बाद में सिकन्दराबाद (जिला बुलन्दशहर) स्थानान्तरित कर दिया गया था, पी यू कोटेड सिन्थेटिक लेदर वस्त्र के उत्पादन हेतु संयंन्त्र स्थापित करने के लिये दिया गया था। कम्पनी को स्वीकृत समस्त ऋणों का वितरण अप्रैल 1990 से नवम्बर 1991 के मध्य सम्पत्तियों के संयुक्त समान बन्धपत्र [26] से सुरक्षित करके, कर दिया गया था।

इकाई, ऋणों का पुनर्भुगतान करने में प्रारम्भ अर्थात् जून 1990 से ही विफल रही जिसके कारण निगम द्वारा बकायों की वसूली हेतु स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन एक्ट, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत, चार नोटिसें मार्च 1993 से मई 1994 के मध्य जारी की गयी जिसके अनुपालन में विफल रहने के बाद इकाई की सम्पत्तियों को 13 जून 1994 को हस्तगत कर (जून 1995 में) तोहफिल

26 संयुक्त समान बंधपत्र, स्थायी सम्पत्तियों के बंधक जो कि सम्पत्तियों के स्वामित्व विलेख की सुपुर्दगी मात्र द्वारा प्रभावी किया जा सकता है, को दर्शाता है।

इण्डिया (प्रा.)लि. को 1.12 करोड़ रुपयों में विक्रय कर दिया गया था (निगम के अंश 87.30 लाख रुपये सहित) विक्रय की शर्तों में 28 लाख रुपयों को तुरन्त (जिसे बाद में बढ़ाकर 33 लाख रुपये कर दिया गया था) तथा अवशेष भुगतान 12 त्रैमासिक किस्तों में 18.5 प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाना था, साथ ही सम्पत्ति के हस्तांतरण पर एक वर्ष की रोक थी। प्रबन्धन द्वारा पुराने प्रर्वतकों की व्यक्तिगत गारण्टी को 43.16 लाख रुपयों की अन्तर राशि वसूल करने हेतु हरण (इनवोक) करने का भी निर्णय लिया गया (जून 1995) जिसकी वसूली अभी भी शेष थी (जुलाई 2000)।

तोहफिल इण्डिया (प्रा.) लि.द्वारा इकाई का कब्जा प्राप्त कर लिया गया परन्तु शेष विक्रय मूल्य का भुगतान करने (79 लाख रुपये) में विफल रहने के कारण उनके खिलाफ 1.13 करोड़ रुपये का वसूली प्रमाण-पत्र जिसमें 33.89 लाख रुपये (जुलाई 1999 तक) ब्याज सहित 11 अक्टूबर 1999 को जारी किया गया लेकिन अभी तक कोई भी वसूली नहीं हो सकी थी (जुलाई 2000)।

एक अलाभप्रद परियोजना को ऋण स्वीकृत किये जाने के कारण 1.56 करोड़ रुपये की हानि हुई

इस प्रकार निगम को 1.56 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी जिसके मुख्य कारण (अ) बाजपुर से सिकन्दराबाद स्थानान्तरण के समय परियोजना की लाभप्रदता की समीक्षा में प्रबन्धन की विफलता (ब) पुराने प्रवर्तकों द्वारा दी गयी व्यक्तिगत जमानत का हरण न किया जाना (स) बकायों की वसूली में विफलता तथा एस.एफ.सी.एक्ट की धारा 29 में इकाई को सम्बद्ध करने हेतु नोटिस जारी करने में लगभग 3 वर्षों का विलम्ब तथा (द) नये प्रवर्तकों द्वारा विक्रय मूल्य का अवशेष भुगतान करने में विफलता के बाबजूद इकाई को पुनः सम्बद्ध न किया जाना इत्यादि थे। ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी थी (जुलाई 2000)।

2अ.7.1.2 हन्टर फूड्स (प्रा.)लि.

निगम द्वारा उपरोक्त कम्पनी को जो कि श्री बी.बी.चोपड़ा एवं श्रीमती एच.चोपड़ा द्वारा प्रवर्तित थी, को देहरादून में पुरानी आयातित मशीनों का प्रयोग करते हुए आलू चिप्स बनाने की परियोजना स्थापित करने हेतु (अगस्त 1987 में) 90 लाख रुपये का सावधिक ऋण वितरित किया गया था। तथापि प्रवर्तकों द्वारा दिये गये व्यक्तिगत गारन्टियों को निगम द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन दिसम्बर 1989 में कार्यान्वयन सूची में तय समय से 21 माह के विलम्ब के बाद शुरू हुआ।

इकाई ने बकायों के भुगतान में फरवरी 1990 से ही चूक शुरू कर दी तथा 30.15 लाख रुपयों के पुनः अनुसूचीकृत किये अधिकालीन ब्याज जो कि मई 1992 से अप्रैल 1993 के मध्य 2.5 लाख रुपये प्रति माह की दर से देय था, का भुगतान करने में विफल रही। इसके कारण इकाई को 22 मार्च 1993 को सम्बद्ध कर दिया गया था परन्तु प्रवर्तकों द्वारा वसूली समीक्षा समिति के निर्णय के अनुपालन में 5.83 लाख रुपये जमा करने के बाद भी इकाई को उन्हें हस्तगत नहीं किया गया (मई 1993)। इकाई को देहरादून की एक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाली संस्था को हस्तगत कर दिया गया था जिसे वापस ले लिया गया और पुनः इसका कब्जा नैनीताल की एक सुरक्षा संस्था को दिसम्बर 1997 में सौंप दिया गया।

एकमुश्त समाधान प्रस्ताव के अन्तर्गत 2.57 करोड़ रुपये के ब्याज अतिदेयों को माफ कर दिया गया था

तथापि, इकाई द्वारा 'एक मुश्त समाधान' (ओ टी एस) के प्रस्ताव को निगम द्वारा 1.27 करोड़ रुपये में इस शर्त के साथ स्वीकार (दिसम्बर 1998) कर लिया गया था (मूलधन 90 लाख रुपये

एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत 2.57 करोड़ रुपये के ब्याज बकायों को माफ कर दिया गया

एवं 22.03.1993 तक देय ब्याज कर के साथ साधारण ब्याज 37.41 लाख रुपये) कि 14.02 लाख का भुगतान तुरन्त (शुद्ध भुगतान पिछले भुगतान किये गये 5.83 लाख रुपये को समायोजित करते हुये 8.19 लाख रुपये) तथा शेष 1.13 करोड़ रुपयों का भुगतान नौ समान मासिक किश्तों में जो कि ओ टी एस के अनुमोदित होने के 3 माह पश्चात् शुरु होनी थी, के द्वारा किया जाना था। इस तरह की व्यवस्था पर निगम को 2.57 करोड़ रुपयों का अतिदेय ब्याज (साधारण ब्याज 63.19 लाख रुपये तथा चक्रवर्ती एवं दण्ड ब्याज 1.94 करोड़ रुपये) माफ करना पड़ा।

ऋणी इकाई ने एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत भुगतान करने की बजाय 2.00 करोड़ रुपये के हरजाने की मांग की

इकाई को 14.02 लाख रुपयों का भुगतान करने पर प्रवर्तकों को 28 जनवरी 1999 को सौंप दिया गया परन्तु ओ टी एस के अनुसार भुगतान करने की बजाय प्रवर्तकों द्वारा निगम के कब्जे से 2 करोड़ रुपयों की मशीनों के गायब होने का दोषारोपण किया (29 जनवरी 1999) तथा उसकी क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। तथापि, निगम ने ओ टी एस प्रस्ताव को निरस्त कर प्रवर्तकों की निजी जमानत का हरण करने का फैसला किया (दिसम्बर 1999) परन्तु अभी तक कोई भी वसूली नहीं हो सकी थी (जुलाई 2000)।

प्रबन्धन द्वारा गायब मशीनरी के लिये पुलिस में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी गई, साथ ही जाँच अधिकारी द्वारा गायब मशीनों की कीमत की वसूली के लिये पूर्व सुरक्षा संस्था के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही संस्तुत नहीं की गई थी।

3.70 करोड़ रुपये की वसूली की संभावना संदिग्ध थी

3.70 करोड़ रुपयों के बकायों की वसूली की सम्भावना नगण्य थी क्योंकि प्रवर्तकों के पास, असूचीबद्ध कम्पनियों के अंशकों जिनकी कीमत कुछ भी नहीं थी, के अतिरिक्त कोई अन्य सम्पत्ति नहीं थी।

2अ.7.1.3 रेनुका रिसार्ट्स लिमिटेड

वितरण-पूर्व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये बिना ऋण वितरित किया गया

निगम द्वारा श्री संजीव शर्मा, पायनियर फाइनेस्ट लि., नई दिल्ली तथा गोल्डमाइन सिक्योरिटीज कलकत्ता द्वारा प्रवर्तित रेनुका रिसार्ट्स को लखनऊ में एक 3 सितारा होटल की स्थापना के लिये (अगस्त 1997) 9 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण स्वीकृत किया गया। उपरोक्त सावधिक ऋण के सापेक्ष प्रबन्ध निदेशक द्वारा वितरण के पूर्व की सारी शर्तो को शिथिल करते हुये यथा विद्युत भार की स्वीकृति, भवन योजना की स्वीकृति, भूमि का स्वामित्व विलेख, बैंक की रिपोर्ट, प्रवर्तकों की साख, प्रवर्तकों द्वारा 100 प्रतिशत अंशदान एवं शेष 1.80 करोड़ रुपयों के लिये सावधिक ऋण की व्यवस्था किये बिना, 5 करोड़ रुपयों का ब्रिज ऋण स्वीकृत किया जिसमें से इकाई को 3 करोड़ रुपयों का ऋण सितम्बर 1997 में वितरित कर दिया गया था।

तत्पश्चात्, नवम्बर 1997 में किये गये निरीक्षण में जिसमें कि वितरित ऋण के अनुचित उपयोजन, परियोजना पर अन्यायोचित खर्चों तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार (अक्टूबर 97) पट्टे पर ली गई भूमि के फ्रीहोल्ड भूमि में परिवर्तित न किये जाने के कारण निगम ने 6 करोड़ रुपये का अवितरित ऋण निरस्त कर दिया और पूर्व में वितरित 3 करोड़ रुपये के ऋण को वापस मांग लिया गया (जनवरी 1998)।

निगम द्वारा प्रवर्तकों की निजी जमानत का हरण (इनवोक) करते हुए 3.99 करोड़ रुपये का वसूली प्रमाण-पत्र सितम्बर 1999 में निर्गत किया गया था लेकिन वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधीश

4.40 करोड़ रुपये की वसूली की संभावना नगण्य थी

नैनीताल की इस टिप्पणी के साथ कि श्री संजीव कुमार के नाम कोई भी चल अथवा अचल सम्पत्ति उपलब्ध नहीं थी जिससे कि बकायों की वसूली की जा सके, के साथ वापस आ गया। शेष दोनों निगमित कम्पनियों (अर्थात पायनियर फाइनेस्ट, नई दिल्ली तथा गोल्डमाइन सिक्योरिटीज कलकत्ता) के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र भी जारी किये गये थे लेकिन सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी (जुलाई 2000)। वसूली योग्य बकाया धनराशि जनवरी 2000 तक 4.40 करोड़ रुपये तक बढ़ गई थी जिसकी वसूली की सम्भावना नगण्य थी। प्रबन्धन ने (अप्रैल 2000) प्रकरण को सतर्कता विभाग को सौंपने का फैसला किया।

निगम द्वारा विभिन्न स्तर पर की गई चूकों के लिये अपने अधिकारियों/कर्मचारियों पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई।

2अ.7.1.4 गंगा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

वितरित ब्रिज ऋण का मिथ्यापयोग हुआ

निगम द्वारा श्री जय नारायण गोयल द्वारा प्रवर्तित गंगा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को पार्टिकिल बोर्ड का उत्पादन मोतीगंज जिला मैनपुरी में करने हेतु 1.50 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण दिसम्बर 1990 में स्वीकृत किया। इस ऋण के विरुद्ध 1.12 करोड़ रुपये के ब्रिज ऋण का वितरण इकाई को वितरण-पूर्व निरीक्षण के पश्चात् (मार्च 1991) कर दिया गया गया था जिसे सितम्बर 1991 में विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् सावधिक ऋण में परिवर्तित कर दिया था। तथापि, प्रबन्धन ने पूर्व में वितरित किये गये ऋणों के मिथ्यापयोग के संज्ञान में आने पर सावधिक ऋण की शेष किश्तों (37.50 लाख रुपये) के भुगतान को रोक दिया (दिसम्बर 1991) और सावधिक ऋण को 1.12 करोड़ रुपये तक घटाते हुये अन्तिम रूप से निरस्त कर दिया (सितम्बर 1994)।

इकाई द्वारा निगम को दिग्भ्रमित किया गया क्योंकि शपथ पत्र में उल्लिखित सम्पत्तियाँ प्रवर्तकों के नाम पर नहीं थी

बकायों के भुगतान में बारम्बार चूक करने के कारण इकाई को 16 अप्रैल 1996 में सम्बद्ध कर उसी दिन मैनपुरी पुलिस में स्थल पर किसी भी प्रकार की सम्पत्ति न होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी तथा 2.98 करोड़ रुपये की राशि का वसूली प्रमाण पत्र (15.10.98 तक की अवधि तक के आगणित ब्याज सहित) प्रवर्तकों के विरुद्ध नवम्बर 1998 में जारी किया गया जिसे जिलाधीश मैनपुरी द्वारा इस टिप्पणी के साथ कि शपथ प्रमाण-पत्र में दर्शायी गई चल तथा अचल आस्तियाँ प्रवर्तकों के नाम से नहीं थी अतः इनसे कुछ भी वसूला नहीं जा सकता, वापस कर दिया गया।

विभिन्न वितरण-पूर्व तथा बाद में की गई अनियमितताओं के कारण निगम को 3.37 करोड़ रुपये की हानि हुई

निगम द्वारा सम्बद्ध इकाई को विक्रय हेतु विज्ञापित किया गया और स्थल पर उपलब्ध इकाई की कुल सम्पत्तियों (भूमि एवं भवन) के 5.50 लाख रुपये आंके गये मूल्य के विरुद्ध उच्चतम प्रस्ताव 8 लाख रुपये प्राप्त किया गया था। तथापि, इन सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी थी (मार्च 2000)। इस प्रकार, निगम को 3.37 करोड़ रुपयों की हानि हुई (31.01.2000 तक के आगणित ब्याज सहित) जिसका मुख्य कारण निगम के अपने अधिकारियों द्वारा ऋण के उपयोग, प्रवर्तकों के अंशदान एवं मशीनों के स्थल पर पहुँचने सम्बन्धी असत्य निरीक्षण रिपोर्ट, वितरण-पूर्व निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाना, तथा प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा शपथ-पत्र में दिये गये चल तथा अचल सम्पत्ति के विवरण की अपर्याप्तता, इकाई को विलम्ब से सम्बद्ध किया जाना तथा वितरण-पूर्व की दूसरी शर्तों में शिथिलता इत्यादि थे।

प्रबन्धन ने चूकों के लिये उत्तरदायी अपने अधिकारियों के विरुद्ध निगम को हुई हानि के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की।

2अ.7.1.5 एल.आर.ब्रदर्स इण्डो फ्लोरा लिमिटेड (एल आर बी)

श्री वी.के. गर्ग द्वारा प्रवर्तित एल.आर. ब्रदर्स इण्डो फ्लोरा लिमिटेड को प्रति वर्ष 11.83 मिलियन गुलाब के फूलों का उत्पादन करने हेतु 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाई की स्थापना चकराता रोड, सहारनपुर में करने हेतु जुलाई 1996 में 2.50 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण मंजूर किया। इसमें से, निगम द्वारा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया के साथ समान बन्ध पत्र पर 2.25 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण सितम्बर 1996 से मार्च 1997 के मध्य किया गया। इकाई का नकदं प्रवाह कम रहने के कारण ऋणी इकाई द्वारा मूल तथा ब्याज राशि के भुगतान में प्रारम्भ से ही चूक की गई। निगम द्वारा इकाई को सम्बद्ध करने हेतु एस एफ सी एक्ट 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत सितम्बर 1997 से फरवरी 1999 की अवधि में 3 बार नोटिसें जारी की गईं परन्तु फिर भी इकाई को सम्बद्ध नहीं किया जा सका (जुलाई 2000) जिसके लिए अभिलेखों पर कोई कारण उपलब्ध नहीं थे। निगम द्वारा जमानतदारों पर कारण बताओं नोटिसें भी दिनाँक 28.05.99 को जारी की गई थीं लेकिन ये नोटिसें इस टिप्पणी के साथ कि प्रेषिती व्यक्ति स्थान छोड़ चुका था, दिनाँक 2.6.99 को अवितरित होकर लौट आईं थीं। जमानतदारों के विरुद्ध इसी पते पर 4.11 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण-पत्र 17.1.2000 को भेजे गये (2.25 करोड़ रुपये मूलधन तथा 1.86 करोड़ रुपये 31.10.99 तक के ब्याज सहित) जिनका कोई परिणाम नहीं निकला।

कुल परियोजना लागत 25.70 करोड़ रुपये में से, 15.45 करोड़ का वित्त पोषण (परियोजना लागत का 60 प्रतिशत) वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाना था। ऋणों का बोझ तथा उन पर देय ब्याज के ज्यादा होने के कारण परियोजना लाभप्रद नहीं थी लेकिन परियोजना का मूल्यांकन/ऋण की स्वीकृति करते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया था।

अलाभप्रद परियोजना को ऋण स्वीकृत किये जाने के कारण 4.11 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई

इस प्रकार, परियोजना की लाभप्रदता का अशुद्ध मूल्यांकन करने, उत्पादन क्षमता का आंशिक क्रियान्वयन करने, 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी इकाई को सम्बद्ध नहीं किये जाने, तथा वसूली प्रमाण पत्र को जमानतदारों के गलत पते पर भेजने के कारण, 4.11 करोड़ रुपयों की वसूली की सम्भावना नगण्य है।

2अ.7.1.6 मनु कम्पनी समूह

एक मुख्य प्रवर्तक की विश्वसनीयता को परीक्षित किये बिना सात इकाइयों को ऋण वितरित किया गया

श्री सन्त कुमार द्वारा प्रवर्तित सात[27] इकाईयों को फरवरी 1988 से अगस्त 1990 की अवधि में 6.30 करोड़ रुपये का ऋण (प्रत्येक इकाई को 90 लाख रुपये) स्वीकृत किया जिसमें से मई 1988 से जुलाई 1991 के मध्य 5.69 करोड़ रुपयों तक वितरण भी कर दिया गया था। इन सात इकाइयों में से कोई भी इकाई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं कर सकी तथा प्रारम्भ से ही चूक कर

27 (1) कानपुर फैट्स (प्रा.) लिमिटेड, कानपुर देहात (2) मनु आयल्स (प्रा.) लिमिटेड, कानपुर देहात (3) मनु एग्रो (प्रा.) लिमिटेड, कानपुर देहात (4) मनु रिफाइनरीस (प्रा.) लिमिटेड, बाजपुर (5) पार्थ आयल्स (प्रा.) लिमिटेड, बाजपुर (6) नैनी आटोमोटिव्स (प्रा.) लिमिटेड, बाजपुर एवं (7) हिल आटोमोटिव कम्पोनेन्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, बाजपुर।

रही थी। भुगतान में चूक के कारण निगम ने एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अप्रैल 1992 में नोटिसों को जारी किया और इस प्रकार इकाईयों को मई 1992 में सम्बद्ध कर लिया गया। इकाईयों को सम्बद्ध करते समय, अधिकतर संयन्त्र एवं मशीनें जिनकी लागत 1.45 करोड़ रुपये थी, गायब पाई गयीं। अतः प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, गोमती नगर, लखनऊ पुलिस थाने में दिनाँक 16.7.92 को दर्ज करायी गयी परन्तु न तो किसी राशि की वसूली हो सकी और न ही प्रवर्तकों को गिरफ्तार किया जा सका (मार्च 2000)। प्रवर्तकों/निदेशकों की व्यक्तिगत जमानतों का भी दिसम्बर 1992 में वसूली प्रमाण पत्र जारी कर हरण (इनवोक) किया गया परन्तु अभी तक किसी भी रकम की वसूली नहीं हो सकी। इन सभी सातों इकाइयों की सम्पत्तियों यथा भवन एवं संयन्त्र परन्तु भूमि छोड़कर, को निगम द्वारा 29.62 लाख रुपयों में मार्च 1997 में बेचा गया। प्रकरण की जाँच वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा (इ ओ डब्लू)[28] द्वारा की जा रही है तथा उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (जुलाई 2000)।

इस सन्दर्भ में सम्प्रेक्षण द्वारा निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:-

वितरण-पूर्व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये बिना ऋण वितरित किया गया

- प्रबन्ध निदेशक द्वारा वितरण-पूर्व की समस्त शर्तो को शिथिल करते हुए जो कि (i) विद्युत संयोजन की स्वीकृति (ii) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (iii) तकनीकी व्यक्ति की नियुक्ति (iv) बन्धक सम्पत्तियों का रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रभार प्रमाण-पत्र (v) कार्यशील पूँजी ऋण की स्वीकृति (vi) अनुमोदित भवन योजना का प्रस्तुतीकरण तथा (vii) बैंकों द्वारा साख रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण आदि थीं, ऋण वितरित किया गया।

- कुल 6.30 करोड़ रुपये के गारन्टीड ऋण के विरुद्ध इन सात इकाईयों के प्रवर्तकों की व्यक्तिगत सम्पत्तियों की कीमत केवल 1.02 करोड़ रुपये (बेची गयी 4 कम्पनियों की अंश पूँजी 54.60 लाख रुपये सहित) ही थी जो ऋणों के दायित्वों को वहन करने के लिये अपर्याप्त थी।

सम्पत्तियों को विलम्ब से निस्तारित किये जाने के कारण 1.66 करोड़ रुपये की हानि हुई

- अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा अगस्त 1992 में आंके गये 1.96 करोड़ रुपये के विभिन्न भवन तथा सयंत्रों के विरुद्ध, निगम सातों इकाईयों की सम्पत्तियों की बिक्री से वर्ष 1997 में केवल 29.62 लाख रुपये ही प्राप्त कर सका। इस प्रकार सम्पत्तियों के निस्तारण में 5 वर्षों का विलम्ब होने के कारण अत्यंत कम वसूली हो सकी तथा निगम को सम्पत्तियों के मूल्य में 1.66 करोड़ रुपयों की हानि वहन करनी पड़ी।

प्रवर्तकों की अपर्याप्त जमानत के कारण बकायों की वसूली संदिग्ध हो गई

इस प्रकार सातों इकाईयों के विरुद्ध फरवरी 2000 में 21.82 करोड़ रुपये के बकाया अतिदेयों (मूलधन 5.69 करोड़ रुपये सहित) की वसूली की संभावना नगण्य थी जिसके लिये अभी तक कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गयी थी (अप्रैल 2000)।

2अ.7.2 अल्पकालिक ऋण

निगम द्वारा अक्टूबर 1994 में 1.50 करोड़ रुपये की राशि तक के अल्पकालिक ऋण जो कि

28 प्रदेश सरकार की आर्थिक अपराध शाखा।

3 माह की अवधि के लिये भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित दरों से 4 से 7 प्रतिशत अधिक पर, तथा जिनको प्रबन्ध निदेशक के विवेकानुसार पुनः 3 माह के लिये बढ़ाया जा सकता था, उन इकाइयों को जो कि पिछले 3 वर्षों से उत्पादन गतिविधियों में संलग्न थीं और पूर्व के दो लगातार वर्षों में लाभ कमाया था तथा जिनका वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को भुगतान करने का समाविष्ट रिकार्ड त्रुटिहीन तथा दोषहीन था, को स्वीकृत किये जाने की एक योजना प्रस्तुत की। यह सहायता प्रथमतया उन इकाइयों को जिनके अंश, पूँजी बाजार में सूचीबद्ध थे, को बाजार में बहुतायत में खरीद फरोख्त होने वाले अंशकों को गिरवी रखकर दी जानी थी। लीजिंग तथा वित्त कम्पनियों को इस योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था।

इस योजना में ऋण का पुनर्भुगतान 3 माह पश्चात् उसी तारीख को (बढ़ोत्तरी के मामलों में छः माह बाद) अपने आप देय हो जाता है एवं भुगतान में विफल रहने पर गिरवी रखे गये अंशकों को सात दिन की समाप्ति के बाद निस्तारण होता है।

सात कम्पनियों से 28.09 करोड़ रुपये के बकायों की वसूली नहीं हो सकी

यह देखा गया कि निगम द्वारा 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में 35 इकाइयों को 56.69 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण वितरित किया। सम्प्रेक्षण में नमूना जाँच के अन्तर्गत यह देखा गया कि निगम, सात इकाईयों के मामले में बाकी रहे 28.09 करोड़ रुपये, विभिन्न वितरण-पूर्व शर्तो को शिथिल करने, चूक होने पर गिरवी रखे गये अंशकों का निस्तारण नहीं करने, अयोग्य इकाइयों को ऋण स्वीकृत करने, शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पत्ति को गिरवी रखने सम्बन्धी असत्य प्रमाण-पत्रों पर ऋण वितरित करने, वसूली के लिये विलम्ब से किये गये प्रयासों जिसके फलस्वरूप बी आई एफ आर में रजिस्ट्रेशन होने तथा असूचीबद्ध इकाईयों के अंशको की गिरवी के विरुद्ध ऋण स्वीकृत करना, आदि के कारण वसूल नही कर सका। इसका विवरण परिशिष्ट-12 में सारणीबद्ध है।

कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी है:

2.अ.7.2.1 आनन्द एग्रोकेम (प्रा.) लिमिटेड

बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी शर्तों को पूरा किये बिना ऋण वितरित किया गया

अल्पकालिक ऋण देने की बताई हुई प्रक्रिया के विरुद्ध निगम द्वारा 5 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण श्री एस.एन.चतुर्वेदी द्वारा प्रवर्तित आनन्द एग्रो केम (प्रा.) लि. (एक असूचीबद्ध इकाई) को अलीगढ़ में नयी समामेलित चीनी मिल स्थापित करने हेतु मार्च से मई 1995 के मध्य 3 माह के लिये स्वीकृत किया, जिसे बाद में छः माह तक के लिये बढ़ा दिया गया था। निगम के बोर्ड द्वारा उक्त अल्पकालिक ऋण की स्वीकृति इस शर्त के साथ कि यह आई सी आई सी आई द्वारा ऋण की स्वीकृति के पश्चात् ही प्रभावी होगी, दी गयी। यद्यपि आई सी आई सी आई द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब हुआ तो भी बोर्ड द्वारा प्रवर्तकों की व्यक्तिगत जमानत एवं स्थायी सम्पत्तियों के संयुक्त समता बन्धक पर ऋण को चार किस्तों में मार्च से मई 1995 के मध्य, वितरित करने की अनुमति दी जो कि नवम्बर 1995 में वापस होना था।

इकाई, मूलधन तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान करने में विफल रही तथा अतिदेय मूलधन एवं ब्याज की राशि 30 नवम्बर 1999 को 12.90 करोड़ रुपये (ब्याज की राशि 7.90 करोड़ रुपये सहित) हो गयी। परियोजना अभी तक शुरू नहीं की जा सकी थी (मार्च 2000)।

निगम द्वारा इकाई को सम्बद्ध किये जाने हेतु एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थगनादेश को दिसम्बर 1997 से रद्द नहीं कराया जा सका

फरवरी 1996 में और तदुपरान्त पुनः नवम्बर 1997 में नोटिसें जारी कीं। फलस्वरूप, इकाई को जनवरी 1998 में सम्बद्ध कर लिया गया और व्यक्तिगत जमानतों को मार्च 1998 में हरण (इनवोक) कर लिया परन्तु कोई भी वसूली नहीं हो सकी क्योंकि इकाई द्वारा वसूली के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया था जिसमें निगम को इसके विक्रय पर रोक लगा दी थी एवं प्रर्वतकों के पास किसी प्रकार की चल अथवा अचल सम्पत्ति उपलब्ध नहीं थी। निगम स्थगनादेश को जुलाई 2000 तक निरस्त नहीं करा सका था। जिलाधीश लखनऊ के माध्यम से जिलाधीश मथुरा तथा जिलाधीश मुम्बई (नगर) को भेजे गये वसूली प्रमाण पत्र बिना वसूली हुऐ लौट आये थे।

इकाई को विलम्ब से सम्बद्ध किये जाने के कारण 12.90 करोड़ रुपये की वसूली न हो सकी

इस सिलसिले में, सम्प्रेक्षण द्वारा यह पाया गया कि प्रबन्धन ने वांछित योग्यता, परियोजना की लाभप्रदता, को ध्यान में रखे बिना आई सी आई सी आई द्वारा वित्तीय गठबन्धन के अभाव में तथा व्यक्तिगत जमानत में चल सम्पत्तियों में असूचीबद्ध कम्पनियों के अंशकों जिनका मूल्य कुछ भी नहीं था, की जमानत पर अल्पकालिक ऋण स्वीकृत किया।

इस प्रकार प्रबन्धन द्वारा ऋण की स्वीकृति एवं वितरण में इकाई को अनुचित लाभ पहुँचाया गया तथा इकाई को सम्बद्ध करने में विलम्बित कार्यवाही के कारण कम्पनी को न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु काफी समय मिला जिससे निगम को 12.90 करोड़ रुपये की सीमा तक हानि हुई।

2अ.7.2.2 योगी फार्मेसी लिमिटेड

निगम द्वारा श्री अविनाश मेगन द्वारा प्रवर्तित योगी फार्मेसी लिमिटेड को 1.50 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु स्वीकृत (जुलाई 1997) एवं वितरित (अगस्त 1997) किया गया। ऋण प्रवर्तक निदेशकों की व्यक्तिगत जमानत, योगी फार्मेसी लिमिटेड के 40 लाख सूचीबद्ध अंशकों को गिरवी रखकर तथा हरिद्वार में स्थित 2.42 करोड़ रुपये की समस्त संयन्त्र एवं मशीनों पर प्रथम प्रभार से सुरक्षित था। तीन माह के पश्चात् अर्थात् 14 नवम्बर 1997 को अल्पकालिक ऋणावधि समाप्त होने पर अल्पकालिक ऋण को पुनः 3 माह की अवधि के लिये आगे बढ़ा दिया गया था जिससे वह 14 फरवरी 1998 को देय हो गया था।

इकाई को सम्बद्ध करते समय समस्त बन्धक मशीनें गायब पाई गई

इकाई द्वारा देय तिथि पर भुगतान में चूक की गई क्योंकि इकाई द्वारा दिये गये उत्तरांकित चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गये। अतिदेयों की वसूली हेतु जमानतदारों के विरुद्ध एक वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया (जून 1998) परन्तु कोई भी रकम वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि इकाई के अंशकों को छोड़कर किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल सम्पत्ति उपलब्ध नहीं थी। एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत इकाई को सम्बद्ध करने हेतु एक नोटिस (जुलाई 1999) जारी की गई तथा इकाई की सम्पत्तियों को 15 सितम्बर 1999 को सम्बद्ध कर लिया गया। इकाई को सम्बद्ध करते समय, निगम के पास बन्धक रखी गयी 15 मशीनों में से, कोई भी स्थल पर मौजूद नहीं पायी गयी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना, हरिद्वार में 2.42 करोड़ रुपये की गायब मशीनों के लिए 15 सितम्बर 1999 को दर्ज कराई गयी। यह भी देखा गया कि ऋणी इकाई द्वारा बी आई एफ आर में बीमार इकाई के रूप में पंजीकृत होने के लिये आवेदन किया गया था। याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि

इकाई का दावा पोषण योग्य नहीं पाया गया था और इकाई गलत उद्देश्यों के साथ खातों में गड़बड़ी कर तथा मूल आँकड़ों में हेरा फेरी कर बी आई एफ आर के समक्ष आई थी।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

- ऋण का वितरण, शासपत्रित लेखाकारों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर बन्धक सम्पत्ति की जाँच किये बिना कर दिया गया था जो कि निरीक्षण के दौरान गायब पाई गयी (जनवरी 1998)।

निगम गिरवी रखे गये अंशकों को बाजार में निस्तारित करने में विफल रहा

- निगम, ऋणी इकाई द्वारा गिरवी रखे गये 40 लाख अंशकों को खुले बाजार में बेचने में विफल रहा।

- निगम का समस्त संयन्त्र एवं मशीनों पर प्रथम प्रभार नहीं था क्योंकि समस्त सम्पत्तियाँ ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स को पूर्व में ही गिरवी रखी जा चुकी थी। इस तथ्य की जाँच रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से ऋण-वितरण के पूर्व नहीं की गयी थी।

इस तरह से 2.65 करोड़ रुपये की वसूली की संभावना (1.50 करोड़ रुपये के मूलधन सहित) लगभग नगण्य हो चुकी थी जिसके कारण निगम को इस सीमा तक हानि हुई। निगम द्वारा हानि के लिये जिम्मेदार अपने अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

2अ.7.2.3 एच-लॉन होजरी लिमिटेड

निगम द्वारा श्री रतन लाल गरेरा तथा श्रीमती गुंजन गरेरा द्वारा प्रवर्तित एच-लॉन होजरी लिमिटेड को इसकी नोयडा स्थित इकाई की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये जुलाई 1997 में 1.50 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण दिल्ली में स्थित दूसरी इकाई की 6.73 करोड़ रुपये की मशीनों जिनको शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सत्यापित किया गया था, पर प्रथम प्रभार एवं प्रवर्तक निदेशकों की व्यक्तिगत जमानत पर स्वीकृत किया गया था। निगम ने इसके मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग (एम बी डी) नई दिल्ली की रिपोर्ट तथा समस्त विधिक औपचारिकताओं जैसे बन्ध-पत्र एवं प्रवर्तक निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत जमानत बन्ध-पत्र, दिये जाने के बाद (4 जुलाई 1997) 3 माह की अवधि के लिये ऋण वितरित कर दिया जिसे बाद में पुनः 3 माह के लिये बढ़ा दिया गया था जिसका भुगतान 3 फरवरी 1998 को देय था। तथापि, निगम ने ऋणदाता इकाई द्वारा 1.32 करोड़ रुपये के 40 लाख अंशको को गिरवी के रूप में रखने की ऋण स्वीकृत करने की एक मुख्य शर्त को शिथिल कर दिया था।

ऋणी इकाई 1.50 करोड़ रुपये के मूलधन तथा उस पर देय ब्याज के भुगतान में विफल रही क्योंकि कम्पनी द्वारा उत्तरांकित चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गये थे। निगम द्वारा व्यक्तिगत जमानतदारों तथा कम्पनी के खिलाफ मई और अगस्त 1998 में जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र 'व्यक्तिगत जमानतदारों के पास कोई भी सम्पत्ति उपलब्ध नहीं' की टिप्पणी के साथ वापस लौट आये तथा कम्पनी भी परिसमापनाधीन थी।

चूंकि ऋणी इकाई परिसमापनाधीन थी और जमानतदारों के पास वसूली हेतु कोई भी सम्पत्ति

किसी भी परिसम्पत्ति की अनुपलब्धता से 2.60 करोड़ रुपये के देयों की वसूली नहीं हुई

उपलब्ध नहीं थी, बकायों की वसूली की संभावना अत्यंत क्षीण थी और निगम को 2.60 करोड़ रुपये का भारी नुकसान होने की संभावना है जिसको प्रबन्धन द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गयी उपरोक्त चूकों को बचाकर, बचाया जा सकता था।

उपरोक्त के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दु उल्लेखनीय है:

एम बी डी द्वारा इकाई की तरलता एवं बाजार की खुफिया जानकारी सम्बन्धी आँकलन अशुद्ध थे

- मर्चेन्ट बैकिंग डिवीजन की तरलता एवं बाजार की खुफिया जानकारी गलत सिद्ध हुई क्योंकि इकाई द्वारा पूर्व में नवम्बर 1996 में उनके द्वारा मांगी गयी लीज सहायता को उनके गम्भीर वित्तीय संकट एवं बाजार में किये गये वादों को पूरा करने में उनकी विफलता के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था।

बन्धक सम्पत्तियों के सम्बन्ध में शासपत्रित लेखाकारों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र असत्य थे

- प्रबन्धन द्वारा, शासपत्रित लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किये गये अप्रमाणिक प्रमाण-पत्रों पर जिनको न तो किसी अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकित तथा न ही निगम के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था, पर ऋण वितरित किया गया। पुनः शासपत्रित लेखाकारों द्वारा बन्धक रखी गई सम्पत्तियों पर दिया गया प्रमाण-पत्र भी सत्य नहीं था क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली के अभिलेखो के अनुसार 1.40 करोड़ रुपये की सम्पत्तियों पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, वजीरपुर, दिल्ली का प्रथम प्रभार था। निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध हानि के लिए कोई उत्तदायित्व सुनिश्चित नहीं किया गया।

2अ.7.2.4 लूनर डायमन्ड लिमिटेड (एल डी एल)

बकायों की वसूली हेतु किसी भी सम्पत्ति की अनुपलब्धता के कारण हानि हुई

निगम द्वारा श्री एस. एल. मालू द्वारा प्रवर्तित लूनर डायमन्ड लिमिटेड को इसकी नोयडा स्थित इकाई की कार्यशील पूँजी में वृद्धि करने हेतु 1.50 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण 3 मास की अवधि के लिये (सितम्बर 1997) स्वीकृत एवं वितरित किया जिसे पुनः 3 माह की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया जिसका भुगतान 23 मार्च 1998 को देय था। भुगतान हेतु 1.52 करोड़ रुपये के दो उत्तरांकित चेक (2.27 लाख रुपये के ब्याज सहित), प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गये। ऋणी इकाई द्वारा कोई भुगतान अभी तक नहीं किया गया था (जुलाई 2000)। 31 मार्च 1999 को भुगतान हेतु कुल ऋण तथा उस पर देय ब्याज की धनराशि 2.09 करोड़ रुपये हो गयी थी।

बन्धक सम्पत्तियाँ स्थल पर उपलब्ध नहीं थीं

ऋण, इसी समूह की नोयडा स्थित दूसरी कम्पनी अर्थात टेकनिक डिजीटल सिस्टम प्रा. लिमिटेड (टी डी एस पी एल) की संयन्त्र एवं मशीनों को बन्धक रख कर तथा प्रवर्तकों/निदेशकों की व्यक्तिगत जमानत द्वारा सुरक्षित था। टी डी एस पी एल द्वारा बताये गये स्थलों का 7 अप्रैल 1998 तथा 26 नवम्बर 1998 को निरीक्षण करने पर टी डी एस पी एल एवं बन्धक सम्पत्तियों का अस्तित्व ही नहीं पाया गया जिसके कारण नोयडा पुलिस में प्रवर्तकों के विरुद्ध जालसाजी करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी (28 नवम्बर 1998)।

ऋणी इकाई, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश (जनवरी 1999) के अनुसार नई धरोहर की व्यवस्था करने में विफल रही। ऋणी इकाई द्वारा धरोहर राशि जमा न करने पर निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों की अवहेलना हेतु, दुबारा (काउन्टर)

इकाई, अत्यधिक हानि के कारण एस आई सी ए के अन्तर्गत बी आई एफ आर में पंजीकृत हो गयी

शिकायत दर्ज करने के लिए कोई कदम नही उठाया। प्रवर्तकों/निदेशकों की व्यक्तिगत जमानतों का भी हरण (इनवोक) नहीं किया गया था। ऋणी इकाई को बीमार औद्योगिक कम्पनी अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1985 (एस आई सी ए) के अन्तर्गत बी आई एफ आर द्वारा मार्च 1999 में पंजीकृत किया गया।

इस प्रकार, ऋणी इकाई की दिनोदिन खराब हो रही वित्तीय स्थिति, विदेशी मुद्रा ऋण तथा आई डी बी आई के अपरिवर्तनीय डिबैन्चरों पर फरवरी 1996 से ब्याज बकाया होने के कारण, ऋणी इकाई के बी आई एफ आर में पंजीकृत होने और टी डी एस पी एल एवं इसकी बन्धक सम्पत्तियों का अस्तिस्व ही मौजूद न होने के कारण अल्पकालिक ऋण एवं उस पर ब्याज की वसूली की संभावना नगण्य थी। यह निगम द्वारा की गई निम्नलिखित चूकों के कारण घटित हुआ:

निगम द्वारा एक अपात्र इकाई को असत्य वित्तीय प्रपत्रों के आधार पर ऋण वितरित किया गया

- निगम द्वारा एक अपात्र इकाई को असत्य वित्तीय प्रपत्रों के आधार पर तथा वितरण पूर्व की शर्तों जैसे प्रमुख रूप से व्यापारिक अंशकों को गिरवी रखना तथा भूमि एवं भवन की समान धरोहर उपलब्ध कराना आदि को शिथिल करते हुए ऋण वितरित किया गया।
- वैधानिक लेखांकन के समय टी डी एस पी एल की बन्धक सम्पत्तियों को किसी भी स्तर पर निगम के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित एवं सत्यापित नहीं किया गया था।

ऋणी इकाई ने शासपत्रित लेखाकारों से प्रमाणित वित्तीय प्रपत्र जिसमें बिक्री एवं लाभ को बढ़ाकर प्रदर्शित किया गया था, प्रस्तुत किये

- ऋणी इकाई ने 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के शासपत्रित लेखाकारों से प्रमाणित अनन्तिम वित्तीय प्रपत्र जिसमें विक्रय को बढ़ाकर 102.02 करोड़ रुपये दर्शाते हुये 6.01 करोड़ रुपये का झूठा लाभ दिखाया गया था, प्रस्तुत किये, जबकि आई डी बी आई द्वारा प्रमाणित वास्तविक बिक्री तथा हानि क्रमशः 16.16 करोड़ रुपये तथा 34.57 करोड़ रुपये थी। निगम द्वारा ऋण-वितरण के पूर्व इकाई की वास्तविक बिक्री एवं लाभों को सत्यापित नहीं किया गया था।

निगम ने अपने विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गयी चूकों के लिये कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की।

2अ.7.3 कार्यशील पूँजी सावधि ऋण योजना (डब्ल्यू सी टी एल)

निगम द्वारा अगस्त 1995 में इसके द्वारा पोषित उन इकाइयों को, जो उत्पादन गतिविधियों में लगी हुई थी एवं जो विगत 3 वर्षों से कार्यशील थी तथा जिन्होंने पूर्व के दो वर्षों में लाभ अर्जित किया था और जिन्होंने विगत एक वर्ष में किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के भुगतान में 15 दिनों से ज्यादा की चूक नहीं की थी, कार्यशील पूँजी हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिये जा रहे ऋण की दर से 1 से 2 प्रतिशत ज्यादा पर एक डब्ल्यू सी टी एल योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना के तहत, इकाई की शुद्ध कार्यशील पूँजी की आवश्यकता का 75 प्रतिशत जो कि कम से कम 33 लाख एवं अधिकतम 2 करोड़ रुपये था या शुद्ध लाभ का 200 प्रतिशत, इनमें से जो कम हो तक स्वीकृत किया जा सकता था। वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में निगम द्वारा 34 प्रकरणों में 33.53 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी ऋण वितरित किया गया।

निगम दो इकाईयों से 8.70 करोड़ रुपये की वसूली करने में विफल रहा

कार्यशील पूँजी ऋण योजना की नमूना जाँच में दो इकाइयों के विरुद्ध 8.70 करोड़ रुपये की वसूली, इन इकाईयों द्वारा वांछित मापदण्डों को पूरा न करने, दूसरे बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के पुनर्भुगतान सम्बन्धी पिछले आंकड़ो को न देखे जाने, तथा बैंकों द्वारा किये जाने वाले डब्लू सी टी एल के वितरण का पालन न किये जाने के कारण, नही की जा सकी जैसा कि नीचे वर्णित है:

2अ.7.3.1 संगल पेपर्स लिमिटेड (एस पी एल)

श्री हिमांशु संगल द्वारा प्रवर्तित संगल पेपर लिमिटेड को कागज उद्योग में व्याप्त व्यापक मंदी के बावजूद 2 करोड़ रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण, कार्यशील पूँजी सावधि ऋण दिये जाने की महत्वपूर्ण शर्तों यथा ऋणी इकाई द्वारा पिछले 1 वर्ष में चूक न किया जाना, कार्यशील पूँजी ऋण की धनराशि का स्वीकृति सीमा से अधिक होना (20.76 लाख रुपये अर्थात् इकाई द्वारा वर्ष 1996-97 में कमाये गये 10.38 लाख रुपये के निवल लाभ का 200 प्रतिशत), सूचीबद्ध इकाई के अंशको या भूमि एवं भवन की समान धरोहर लिया जाना आदि को शिथिल करते हुऐ स्वीकृत किया गया (जून 1997) । ऋण को, ऋण अनुबन्ध के निष्पादन से पूर्व स्थायी सम्पत्तियों पर प्रभार, कार्यशील पूँजी सावधि ऋण के बराबर धनराशि का मांग प्रतिज्ञा-पत्र तथा 4 निदेशकों द्वारा न वापस हो सकने वाली व्यक्तिगत जमानत द्वारा सुरक्षित किया गया था।

ऋणी इकाई द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में की गई चूक के कारण एसएफसी अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अंतर्गत एक नोटिस (अप्रैल 1998) निर्गत की गई परन्तु न तो इकाई को सम्बद्ध किया गया और न ही कोई वसूली की गई (जुलाई 2000)।

ऋणी इकाई की दिनो दिन खराब होती वित्तीय स्थिति के कारण इसे बी आई एफ आर द्वारा एक रूग्ण औद्योगिक इकाई के रूप में 6 जुलाई 1999 को पंजीकृत कर लिया गया। बी आई एफ आर ने प्रकरण की जाँच करने एवं इकाई की वित्तीय स्थिति पर विस्तृत आख्या देने हेतु आई एफ सी आई को (जनवरी 2000) नियुक्त किया जिनकी आख्या प्रतीक्षित थी (जुलाई 2000)।

कागज उद्योग में व्याप्त व्यापक मंदी के बावजूद एक कागज उत्पादक इकाई को ऋण वितरित किया गया

इस प्रकार, कागज उद्योग में व्याप्त व्यापक मंदी तथा कार्यशील पूँजी ऋण दिये जाने के वांछित मापदण्डों को ऋणी इकाई के संबंध में शिथिल किये जाने के कारण निगम को 3.49 करोड़ रुपये की सीमा तक की हानि का मार्ग प्रशस्त हुआ। पुनः, निगम द्वारा इसके बकायों को वसूल करने हेतु कोई प्रयास यथा, इकाई को सम्बद्ध किया जाना, सम्पत्तियों की बिक्री, प्रवर्तकों की व्यक्तिगत जमानतों का हरण (इनवोक) किया जाना आदि (एस एफ सी अधिनियम, 1951की धारा 29 के अंतर्गत अप्रैल 1998 में नोटिस जारी किये जाने को छोड़कर) नहीं किये गये थे जिसके कारण इकाई को वस्तुस्थिति को जोड़-तोड़कर बी आई एफ आर के समक्ष पंजीकृत होने का पर्याप्त अवसर मिल गया था ।

निगम द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गई चूकों के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई थी ।

2अ.7.3.2 रामा पेपर मिल्स लिमिटेड (आर पी एम एल)

श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रवर्तित रामा पेपर मिल्स लिमिटेड को कागज उद्योग में व्याप्त व्यापक मंदी के बावजूद 'औजार पुनर्वित्त योजना' के अन्तर्गत 1.50 करोड़ रुपये का ऋण, नवम्बर 1996 में स्वीकृत किया गया। ऋण को अप्रैल/मई 1997 में वितरित किया गया था। यद्यपि इकाई ऋणों

का पुनर्भुगतान करने में प्रारम्भ से ही विफल रही थी, फिर भी इसे कार्यशील पूँजी सावधि ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये की सहायता इसकी नजीबाबाद स्थित एक अन्य इकाई की समस्त स्थायी सम्पत्तियों पर प्रभार रखते हुए सितम्बर 1997 में स्वीकृत की गई। तथापि, प्रभार को निगम के पक्ष में अंगीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि सम्पत्तियां पहले से ही आई सी आई सी आई के पास गिरवी रखी थीं तथा उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था और ऋण को राम फिन फारचून्स (प्रा) लिमिटेड की समान जमानत तथा 2.00 करोड़ रुपये के उत्तरांकित चेक के आधार पर वितरित कर दिया गया। समान जमानत पर दी गई सम्पत्तियों का मूल्यांकन दो अलग-अलग वाह्य मूल्यांकनकर्ताओं अर्थात् जितसन एण्ड एसोसिऐट्स द्वारा सितम्बर 1997 में एवं एस के आहूजा एण्ड एसोसिएट्स द्वारा फरवरी 1998 में क्रमशः 2.03 करोड़ रुपये तथा 2.02 करोड़ रुपये के लिए किया गया था जो कि निगम के अपने अधिकारियों द्वारा किये गये मूल्यांकन 40 लाख रुपये मात्र से तुलना करने पर गलत और उच्च ओर पाया गया। इस प्रकार समान धरोहर में हो रही कमी को पूरा करने के लिए ऋणी इकाई को 1.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धरोहर की व्यवस्था करने को कहा गया जिसे इकाई द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका था (मई 2000)। इकाई द्वारा दिया गया 2 करोड़ रुपये का उत्तरांकित चेक भी अनादृत हो गया जिसके लिये निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। पुनर्भुगतान में चूक के कारण इकाई को सम्बद्ध करने हेतु मार्च 1998 से जनवरी 1999 के मध्य 3 बार नोटिसें जारी की गईं फिर भी इकाई को सम्बद्ध नहीं किया जा सका। ऋणी इकाई के मई 1999 में बी आई एफ आर में पंजीकृत होने के कारण निगम अप्रैल 2000 में 5.22 करोड़ रुपये बकाया अतिदेयों (कार्यशील पूँजी सावधि ऋण : 3.20 करोड़ रुपये तथा औजार पुनर्वित्त योजना : 2.02 करोड़ रुपये) की वसूली के लिये कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सका। निगम की अकर्मण्यता के कारण 5.22 करोड़ रुपये की वसूली की संभावना नगण्य हो गयी थी ।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षण द्वारा निम्न तथ्य देखे गये:

5.22 करोड़ रुपये की वसूली की संभावना नगण्य थी

- वर्तमान प्रक्रिया में, चालू सम्पत्ति प्रणाली के आधार पर ऋणी इकाई केवल 1 करोड़ रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण पाने हेतु अधिकृत थी परन्तु इस शर्त को शिथिल करते हुए शुद्ध अचल सम्पत्तियों/शुद्ध लाभ के आधार पर 2.00 करोड़ रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत किया गया।

- कार्यशील पूँजी सावधि ऋण योजना में, प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) डी एस सी आर (ऋण सर्विस कवरेज अनुपात), कार्यशील पूँजी ऋण को मिलाकर 2 से कम नहीं होना चाहिए था जबकि औसत डी एस सी आर केवल 1.40 था। इस शर्त को भी बिना कोई कारण बताये शिथिल कर दिया गया था।

उपरोक्त चूकों के लिये निगम द्वारा कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

2 अ.7.4 समता अंशकों में निवेश

2 अ.7.4.1 संयुक्त सहाय्यित क्षेत्रों में निवेश

निगम, उद्योगों की उन्नति एवं पूँजी वृद्धि के दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संयुक्त/सहाय्यित क्षेत्र की इकाईयों में सीधे अंश पूँजी में भाग लेकर या अंशकों में निवेश कर रहा था । 31 मार्च 1999 को इस तरह के संयुक्त/सहाय्यित क्षेत्रों की इकाईयों में कुल अंश पूँजी का निवेश 76.69 करोड़ रुपये था। वर्ष 1998-99 में निगम द्वारा किये गये कुल निवेश पर 4.40 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया गया जो कि समस्त निवेश का 5.7 प्रतिशत था। निगम द्वारा इन निवेशित अंशकों को समय-समय पर प्रवर्तकों द्वारा पुनर्खरीद के माध्यम से अथवा खुले बाजार में बिक्री के जरिये विनिवेशित किया जाता है।

विनिवेशन निर्णयों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिये निदेशक मंडल द्वारा सितम्बर 1989 में एक समिति गठित की गई थी जिसे विनिवेश किये जाने वाले अंशकों की पहचान, उनकी मात्रा तथा न्यूनतम (फ्लोर) मूल्य तय करना था। निगम की नीति के अनुसार अंशकों को कम्पनी द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद कभी भी विनिवेशित किया जा सकता था। समिति का गठन स्वयमेव ही संतोषजनक नहीं था क्योंकि इसमें पूँजी बाजार के किसी विशेषज्ञ या पोर्टफोलियो सलाहकार को शामिल नहीं किया गया था जो प्रतिभूतियों का चयन, विनिवेशित की जाने वाली मात्रा तथा उनका न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में सहायता कर सके। परिणामतः, व्यवसायिक सलाह के अभाव में समिति द्वारा समय तथा न्यूनतम मूल्य के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय उचित नहीं थे जिसके कारण समुचित मूल्यों पर विनिवेश नहीं हो सका ।

कुछ ऐसे प्रकरण, जिसमें विनिवेशन सम्भव था, परन्तु किया नहीं जा सका, उदाहरण के रूप में नीचे चर्चित हैं :

2.अ.7.4.1.1 इण्डो- गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

निगम द्वारा इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, जगदीशपुर की अंशपूँजी में 18.15 करोड़ रुपयों का सम मूल्य पर निवेश वर्ष 1985 में किया गया था। निगम की विनिवेश समिति द्वारा नवम्बर 1994 में निगम की 20 प्रतिशत अंश धारिता को (10 रुपये मूल्य वाले 36,23,000 अंशकों)निधियों की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु 125 रुपये के अवास्तविक न्यूनतम मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया गया जिसके विरुद्ध केवल भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इन अंशकों को उस समय चल रहे मूल्य 92.50 रुपये (दलाली को घटाकर शुद्ध) पर खरीदने का प्रस्ताव दिया गया (दिसम्बर 1994)। चूंकि यह प्रस्ताव विनिवेश समिति द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम (फ्लोर) मूल्य से कम था अतः इसे अन्य सम्बद्ध बिन्दुओं को जाँच किये बिना अस्वीकृत कर दिया गया (दिसम्बर 1994)।

चूंकि निगम को निधियों की अत्यधिक आवश्यकता थी तथा 31 मार्च 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त में निगम की उधारी 400 करोड़ रुपये के चिन्ताजनक स्तर पर पहुंच चुकी थी, जिसके ऊपर केवल ब्याज के रूप में 60 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक की धनराशि व्यय करनी पड़ रही थी, अतः इन परिस्थितिओं में प्रबन्धन को व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारतीय

यूनिट ट्रस्ट के पक्ष में 92.50 रुपये प्रति अंश की दर से अंशकों को विनियोजित कर दिया जाना उचित होता। वर्तमान में इन अंशकों की कीमतें 42 रुपये प्रति अंश तक गिर चुकी थी (26 मई 2000)।

अपनी अंशधारिता को विनिवेशित नहीं किये जाने के कारण निगम लाभ से वंचित रहा तथा उसे बाजार से लिये गये उधार पर अतिरिक्त ब्याज वहन करना पड़ा

इस प्रकार, निगम एक ओर तो 29.89 करोड़ रुपये के संभावित लाभ से वंचित रहा तथा दूसरी ओर उसे वर्ष 1998-99 तक के चार वर्षों में 17 करोड़ रुपये के ब्याज का अतिरिक्त भार वहन करना पडा जिसको अन्यथा बचाया जा सकता था।

निगम को इन अंशकों को विनिवेशित करने का एक और अवसर वर्ष 1999 में मिला था जब जुलाई तथा अगस्त 1999 में स्क्रिप की कीमतें बढ़नी प्रारम्भ हुई थी जो जनवरी 2000 में उच्चतम मूल्य 87.50 रूपया प्रति अंश पर पहुंच गई थी। इस अवसर को भी प्रबन्धन में व्यवसायिक दृष्टिकोण एवं दूरदृष्टि के अभाव के कारण भुनाया नहीं जा सका।

2अ.7.4.1.2 पशुपति एक्रीलान लिमिटेड

अधिकार निर्गम के माध्यम से प्राप्त अंशकों को विनिवेशित न किये जाने के कारण 2.36 करोड़ रुपये की हानि हुई

निगम द्वारा पशुपति एक्रीलान लिमिटेड, मुरादाबाद में धारित अपनी अंशधरिता 4.98 करोड़ रुपये में से 73.26 लाख रुपये मूल्य के अंशकों को जो कि 'अधिकार निर्गम' के माध्यम से वर्ष 1992 में प्राप्त किये गये थे (जिसके सम्बन्ध मे प्रवर्तकों द्वारा कोई पुनर्खरीद आश्वासन नही दिया गया था) को भी विनिवेशित करने में विफल रही। इन अंशकों को यदि उसी वर्ष में 42.25 प्रति अंशकों के औसत मूल्य पर विनिवेशित किया जाता तो निगम को 2.36 करोड़ रुपये का लाभ होता। जहां तक मूल रूप से आवंटित 4.25 करोड़ रुपये के अंशकों का संबंध है (जिनके सम्बन्ध में प्रवर्तकों द्वारा पुनर्खरीद का आश्वासन दिया गया था), प्रबन्धन प्रवर्तकों के ऊपर उनके द्वारा किये गये पुनर्खरीद आश्वासन को पूरा करवाने हेतु समझौते की कमी के कारण जिसके कारण निगम अंशकों को तृतीय पक्षकारों के प्रवर्तकों द्वारा दी जा रही कीमत से 10 प्रतिशत से कम कीमत पर नहीं बेच सकता था, कोई असर डालने में विफल रहा, जिसके कारण 4.98 करोड़ रुपये की निधियाँ (अधिकारिक निर्गम में निवेशित 73.26 लाख रुपयों सहित) अवरुद्ध रहीं तथा उनके मूल्यों में भारी क्षरण हुआ क्योंकि बाजार में इन अंशकों की कीमत 8 अगस्त 2000 को 2 रुपये तक गिर गई थी। इस प्रकार प्रबन्धन द्वारा अंशकों को विनिवेशित न किये जाने के कारण, निगम 2.36 करोड़ रुपये के लाभ से वंचित रहा।

2अ.7.4.1.3 नेशनल स्विचगियर लिमिटेड

अंशकों को निस्तारित न किये जाने के कारण 1.43 करोड़ रुपये की हानि हुई

विनिवेश समिति की अप्रैल 1992 में की गयी संस्तुतियों तथा सह-प्रवर्तकों द्वारा अंशकों की पुनर्खरीद जून 1992 में इंकार कर देने के बावजूद, निगम नेशनल स्विचगियर लिमिटेड, रायबरेली के अंशकों को बाजार में विनिवेश करने में विफल रहा। अंशकों को बाजार में बेचने में विफल रहने का मुख्य कारण निगम द्वारा विषम संख्या वाले अंश प्रमाण पत्रों (प्रत्येक प्रमाण में 10,000 अंश) को विक्रय योग्य प्रमाण-पत्रों (प्रत्येक प्रमाण पत्र में 100 अंश)में बदले जाने की विफलता थी, इस तथ्य के बावजूद कि निगम के अधिकारी स्वयं ही उक्त कम्पनी के निदेशक मण्डल में सम्मिलित थे। यदि इन अंशकों को औसत चल रहे मूल्य 65 रुपये प्रति अंश की दर से वर्ष 1992 (जून 1992 से अगस्त 1992) में विनिवेशित किया जाता तो निगम को 55 रुपये प्रति अंश की दर से 1.43 करोड़ रुपये का लाभ होता।

लगातार हो रहे अलाभप्रद परिचालन के कारण इकाई के शुद्ध मूल्य (नेट वर्थ) का पूर्णतया क्षरण हो चुका था तथा निगम द्वारा यूनिट को बन्द किये जाने हेतु अपनी सहमति मई 1999 में दी गयी। इस प्रकार, इस निवेशित धनराशि पर किसी तरह के प्रतिफल की कोई सम्भावना नहीं थी जिसके कारण निगम को 1.43 करोड़ रुपये के संभावित लाभ की हानि के साथ साथ 25.99 लाख रुपयों की पूँजीगत हानि भी वहन करनी पड़ी।

2अ.7.4.1.4 इण्डिया पालीफाइबर्स लिमिटेड

निगम, इण्डिया पालीफाइबर्स लिमिटेड, बाराबंकी द्वारा शुरूआत से ही किये जा रहे दयनीय प्रदर्शन तथा सह-प्रवर्तकों के साथ किये गये त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध जिसमें अंशकों की पुनर्खरीद करने का निर्णय पूर्णतया निजी सह-प्रवर्तकों के विवेक पर छोड दिया गया था, के बावजूद 8.03 करोड़ रुपये के 8032500 अंशकों को जनवरी 1994 से जून 1995 के मध्य 10 रुपये से 27.50 रुपये के मध्य चल रही कीमत पर विनिवेशित करने में विफल रहा।

पूँजी में घटोत्तरी के फलस्वरूप निगम को 6.43 करोड़ रुपये की पूँजीगत हानि हुई

निरन्तर दयनीय निष्पादन के कारण इकाई रूग्ण हो गयी तथा इसे बी आई एफ आर को सन्दर्भित किया गया, जिसने सभी पक्षकारों द्वारा स्वीकार किये गये जुलाई 1999 के अपने अन्तिम अनुमोदित पैकेज के अन्तर्गत कम्पनी की अंशपूँजी को 80 प्रतिशत से घटा दिया गया था, जिस कारण निगम द्वारा किये गये निवेश की कीमत 1.61 करोड़ रुपये तक घट गयी थी।

इस तरह प्रबन्धन द्वारा इन अंशकों को विनिवेशित किये जाने में विफल रहने के कारण निगम को 6.43 करोड़ रुपये की पूँजीगत हानि हुई ।

2अ.7.5 लीज़ वित्त

निगम द्वारा वर्ष 1983 से औजारों को लीज़ पर देने की योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसमें लीज़ी द्वारा वांछित संयंत्र एवं मशीनों को उनके द्वारा एक निश्चित मासिक किराये का भुगतान करने पर प्राप्त किया जा सकता था तथा इन मशीनों के रख-रखाव एवं बीमा की जिम्मेदारी भी उसी की होती थी। तथापि, इन संयंत्रों का स्वामित्व एवं इन पर ह्रास काटने का लाभ निगम के पास ही था।

लीज़ सहायता की स्वीकृति, वितरण एवं लीज़ किराये की वसूली एवं बकायों की स्थिति परिशिष्ट-13 में दिये गये हैं।

संप्रेक्षण में यह देखा गया कि 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले सभी पाँच वर्षों में लीज़ किराये की वसूली की स्थिति दयनीय रही। वसूली का प्रतिशत वर्ष 1994-95 के उच्चतम स्तर 43.94 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1998-99 में 10.74 प्रतिशत तक हो गया था । लीज़ किराये की वसूली न होने के कारण 31 मार्च 1999 को 8.50 करोड़ रुपये के अदत्त लीज़ किराये पर गैर निष्पादक सम्पत्तियों हेतु 1.88 करोड़ रुपयों का प्रावधान करना पडा था। इस तथ्य के बावजूद कि लीज पर दी गई मशीनों का स्वामित्व निगम के पास ही था, बकायों की वसूली तथा लीज़ सम्पत्तियों का कब्जा वापस लेने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

लीज़ी द्वारा चूक किये गये विभिन्न रोचक प्रकरण निम्न प्रकार है :

2अ.7.5.1 प्रीमियर इन्टरनेशनल लिमिटेड दिल्ली

उपरोक्त इकाई को कापर एनग्रेब्ड प्रिंटिंग रोल्स, उपस्कर के निर्माता सर्वश्री विदियानी इंजीनियर्स लिमिटेड से खरीदने हेतु अप्रैल 1997 में 4 करोड़ रुपये की लीज़ सहायता (जिसे बाद में घटाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया था) स्वीकृत की गई जिसमें से 2 करोड़ रुपये की लीज़ सहायता आपूर्तिकर्ता को 31.5.97 को वितरित कर दी गयी । लीज़ सहायता की सुरक्षा हेतु निदेशकों की व्यक्तिगत जमानत, प्राइमर विनाइल फ्लोरिंग्स लिमिटेड(लीज़ी की सहयोगी कम्पनी) की निगमित (कोरपोरेट) जमानत के रूप में थी तथा लीज़ सहायता के बराबर की राशि की अचल सम्पत्तियों को बन्धक के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

लीज़ी द्वारा जाली प्रपत्र प्रस्तुत किये गये

निगम के मुख्य विधिक सलाहकार द्वारा की गई जाँच (2.6.97) में अचल सम्पत्तियों के प्रपत्र एवं उक्त सम्पत्ति के मालिक के हस्ताक्षरों का बैंक द्वारा किया गया सत्यापन नकली पाया गया क्योंकि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु कई वर्षों पूर्व हो चुकी थी। इसके बावजूद, निगम द्वारा सहायता को निरस्त करने तथा लीज़ी के खिलाफ 1997 में दिये गये अग्रिम की वसूली हेतु कोई अपराधिक कार्यवाही के प्रयास नहीं किये गये थे।

धनराशि की वसूली की सम्भावना नगण्य थी क्योंकि निवेशकों की व्यक्तिगत जमानतों में किसी अचल सम्पत्ति का उल्लेख नहीं था तथा एक निवेशक का पता सत्यापन करने पर गलत पाया गया था एवं दूसरे निवेशक अपने निवासों को छोड़कर जा चुके थे। समूह की अन्य कम्पनी द्वारा दी गयी निगमित (कोरपोरेट) जमानत का हरण (इनवोक) नहीं किया गया था जिसके लिए कोई कारण अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थे।

इन परिस्थितियों में 3.54 करोड़ रुपये के मूलधन तथा ब्याज (जनवरी 2000 तक) की वसूली सम्भव नहीं थी। इसके लिये निगम द्वारा कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी (मार्च 2000)।

2अ.7.5.2 मिडईस्ट इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली

मशीनों के आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता एवं अस्तित्व का सत्यापन किये बिना ऋण वितरित किया गया

गम्भीर वित्तीय तरलता के संकटों के बावजूद उपरोक्त इकाई को शू लास्ट्स के उत्पादन हेतु मशीनों को प्राप्त करने के लिए 2.91 करोड़ रुपये की लीज सहायता, निगम द्वारा इस सम्बन्ध में बनायी गयी नीति के विरुद्ध स्वीकृत की गई। इस स्वीकृत की गई राशि में से, 2.18 करोड़ रुपये का वितरण उपस्कर के आपूर्तिकर्ता (काउगर इन्टरनेशनल (प्रा .लि.) को 28.06.1997 को उनकी साख का सत्यापन किये बिना कर दिया गया जो बाद में जाँच करने पर विद्यमान नही थी।

इस प्रकार से पट्टे पर दी गयी मशीनें लीज़ी तक पहुँची ही नहीं तथा निगम की 2.18 करोड़ रुपये की राशि खतरे में पड़ गयी, इसके अतिरिक्त उस पर अप्रैल 1999 तक 98.41 लाख रुपये के ब्याज की भी हानि हुई।

इस रकम की वसूली की सम्भावना नगण्य थी क्योंकि (i) इकाई के ऊपर विभिन्न भुगतानों में की गयी चूकों के कारण असंख्य समापन दावे दाखिल किये गये थे (ii) धरोहर के रूप में जमा किये अंशकों के साथ हस्तांतरण विलेख (डीड्स) नहीं थे (iii) वसूली प्रमाण-पत्र में दिये गये अचल सम्पत्तियों के विवरण को प्रबन्धन द्वारा परखा (कनफर्म) नहीं गया था तथा वह अभी भी निष्पादित किया जाना था। प्रबन्धन द्वारा प्रकरण में जिम्मेदारी अब तक निश्चित नहीं की गई थी (जुलाई 2000)।

2अ.7.6 मर्चेन्ट बैंकिंग

निगम ने मर्चेन्ट बैकिंग योजना के अंग के रूप में, इकाईयों के अंशकों के सार्वजनिक निर्गमों वाले अंशकों में निवेशित करने की योजना वर्ष 1994-95 में आरम्भ की जिसे 1996-97 से रोक दिया गया था। प्रारम्भ में इस योजना में निवेश एएए/एए श्रेणी की इकाईयों तक ही सीमित था तथा एक इकाई में अधिकतम निवेश की सीमा 25 लाख रुपये थी। इस सीमा को बाद में बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया था और केवल एएए/एए श्रेणी की इकाईयों में निवेश की शर्त को नवम्बर 1994 में शिथिल कर दिया गया था।

16 इकाइयों में किये गये निवेश का बाजार मूल्य उनके अधिगृहण मूल्य के 24 प्रतिशत तक घट गया था

इस प्रकार, वर्ष 1994-95 से 1997-98 के मध्य 16 इकाईयों, जिनका विवरण परिशिष्ट-14 में दिया गया है, में 7.80 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था जिसमें से मात्र 65.85 लाख रुपये का विनिवेश (एक निर्गम पूर्ण तथा 3 निर्गमों में आंशिक विनिवेश) 38.92 लाख रुपये के अल्प लाभ पर किया जा सका। इस प्रकार से निवेशित किये गये अंशक उनके अधिगृहीत मूल्यों से अत्यधिक कम कीमतों पर उपलब्ध थे तथा 31 मार्च 1999 को इन अंशको का बाजार भाव उनके अधिगृहीत मूल्य 7.14 करोड़ रुपये (विनिवेशित किये गये अंशकों को छोड़कर) के समक्ष मात्र 1.74 करोड़ रुपये था।

निम्न श्रेणी के स्कन्ध में निवेश का मुख्य कारण किसी निवेशन नीति का न बनाया जाना एवं प्रबन्धन द्वारा केवल एएए/एए श्रेणी की कम्पनियों में ही निवेश की शर्त को शिथिल किया जाना था जिसके फलस्वरूप अश्रेणित इकाईयों में अत्यधिक प्रीमियम पर निवेश किया गया जो कि अन्यायोचित एवं जोखिम भरा था। निवेश की गुणवत्ता इतनी दयनीय थी कि उन्हें हानि पर भी बेचा नही जा सकता था क्योंकि अंश बाजार में इन प्रतिभूतियों में मात्र कुछ सौदे ही हो रहे थे। निवेश की कीमतों में घटोत्तरी के अतिरिक्त, निगम को 3.31 करोड़ रुपये के ब्याज की वृहत हानि हुई जिसकी गणना साधारण औसत दर पर निगम द्वारा उधार ली गयी राशियों पर की गयी थी क्योंकि यह सारा निवेश उधार ली गयी राशियों की सहायता से ही किया गया था।

2अ.8 ऋणों की वसूली का दयनीय निष्पादन

31 मार्च 1999 तक के 5 वर्षों में प्रत्येक के अन्त पर कुल ऋण सम्पत्तियाँ, वसूली हेतु बकाया धनराशि तथा उनके समक्ष वसूली को दर्शाती हुई तालिका नीचे दी गयी है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कुल ऋण सम्पत्तियाँ	470.79		475.00		545.88		607.73		617.37	
(अ) वसूली हेतु बकाया राशि										
(1) वर्ष के प्रारम्भ में बकाये	40.09	36.59	41.97	42.51	36.17	43.76	49.76	51.81	61.39	74.83
(2) वर्तमान बकाया	66.18	63.83	61.69	61.54	94.82	87.41	102.81	86.22	82.27	62.46
योग (अ)	**106.26**	**100.42**	**103.66**	**104.05**	**130.99**	**111.17**	**152.57**	**138.03**	**143.56**	**137.29**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(ब) वसूली										
(1) बकायों में से	1.82	1.73	7.27	4.66	7.20	3.60	4.99	4.87	3.82	1.98
(2) वर्तमान बकायों से	62.48	56.19	60.22	55.63	74.03	55.76	86.20	58.32	69.17	48.75
योग (ब)	**64.30**	**57.92**	**67.49**	**60.29**	**81.23**	**59/36**	**91.19**	**63.19**	**72.99**	**50.73**
वर्ष के अन्त में बकाये की स्थिति (ब)	41.97	42.51	36.17	43.76	49.76	51.81	61.39	74.83	70.65	86.57
अ (1) से ब (1) का प्रतिशत	4.53 (4.6)	4.72	17.32 (14.2)	10.97	19.91 (14.1)	8.22	10.02 (9.7)	9.40	6.23 (4.4)	2.64
अ (2) से ब (2) का प्रतिशत	94.41	88.03	97.61	90.38	78.07	82.73	83.84	67.65	84.09	78.04
अ से ब का प्रतिशत	60.50	57.67	65.10	57.94	62.01	53.40	59.77	45.79	50.82	36.95
		(58.3)		**(61.5)**		**(57.7)**		**(52.78)**		**(43.88)**

(टिप्पणी:कोष्ठक में दिये गये आँकड़े प्रत्येक वर्ष में मूलधन तथा ब्याज की संयुक्त वसूली के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से निम्न तथ्य प्रकार में आते हैं:

23अ.8.1 बकायों की वसूली

31 मार्च 1999 तक के 5 वर्षों में ऋणों की वसूली का निष्पादन दयनीय था तथा बकायों की वसूली का स्तर वर्ष 1995-96 में 61.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1998-99 में 43.9 प्रतिशत हो गया था। उपरोक्त में, बकायों की वसूली का प्रतिशत जो कि मात्र 4.4 से 14.2 प्रतिशत के मध्य असामान्य कम स्तर पर था, भी सम्मिलित है।

23अ.8.2 गैर निष्पादक सम्पत्तियाँ (एन पी ए)

आई डी बी आई के मई 1993 के दिशा निर्देशों, जो समय समय पर संशोधित किये गये, के अनुसार आय की गणना करने एवं प्रावधान करने हेतु निगम की सम्पूर्ण ऋण सम्पत्तियों को मानक सम्पत्तियाँ अथवा निष्पादक सम्पत्तियाँ (पी ए) एवं गैर निष्पादक सम्पत्तियों (एन पी ए) में विभक्त किया जाता है। एक निष्पादक ऋण सम्पत्ति, वसूली में चूक की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् गैर निष्पादक सम्पत्ति बन जाती है जिसे पुनः चार श्रेणियों में विभक्त किया जाता है अर्थात् (i) गैर मानक सम्पत्ति वह ऋण जो एक वर्ष से अधिक परन्तु 2 वर्षों से कम गैर निष्पादक आस्तियों के रूप में श्रेणीबद्ध है (ii) संदेहास्पद आस्तियाँ (अ) : वह ऋण आस्तियाँ जो 2 वर्षों से अधिक परन्तु 5 वर्षों तक गैर निष्पादक थीं, (iii) संदेहास्पद सम्पत्तियाँ (ब) : वह ऋण सम्पत्तियाँ जो 5 वर्षों से अधिक गैर निष्पादक थीं एवं (iv) हानि सम्पत्तियाँ, वह सम्पत्तियाँ जहाँ हानियाँ चिन्हित हैं परन्तु जिसे पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अपलिखित न किया गया हो। खातों की वसूली के संदेहास्पद होने पर समय के अन्तराल को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक श्रेणी की गैर निष्पादक सम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण सम्पत्तियों के विरुद्ध क्रमशः 10, 25, 50 तथा 100 प्रतिशत की दर से एक समुचित प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

तथापि, सम्प्रेक्षा में यह देखा गया कि निगम ने अपने सम्पूर्ण ऋण सम्पत्तियों को शीर्ष प्रबन्धन द्वारा नियमित तौर पर समीक्षित किये जाने हेतु कोई तन्त्र विकसित नहीं किया था। गैर निष्पादक सम्पत्तियों का प्रबन्धन करने हेतु नियमित अन्तराल पर प्रत्येक प्रकरण में तन्त्र की समीक्षा,

निष्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक, वसूली की संभावना तथा सम्पत्तियों की उपलब्धता आदि तथ्यों के संदर्भ में नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, ऋणियों के आर्थिक चिटठे तथा लाभ हानि खाते आदि को विश्लेषित नहीं किया जाता है तथा दूसरे वित्तीय संस्थानों के साथ बकाये की स्थिति, प्रबन्धन की गुणवत्ता तथा सम्बन्धित तकनीकी पहलुओं आदि को भी अद्यतन नहीं रखने के कारण निगम अपनी सम्पत्तियों पर विभिन्न जोखिमों की पूरी वस्तुस्थिति से परिचित नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त नये प्रकरणों को गैर निष्पादक श्रेणी में जाने से रोकने हेतु जिन सख्त अनुवीक्षण की आवश्यकता होती है, वह भी कुशलतापूर्वक नहीं किये गये।

एन पी ए बढ़कर 58.5 प्रतिशत हो गये थे

31 मार्च को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में कुल ऋण सम्पत्तियों का वर्गीकरण जैसा कि परिशिष्ट-15 में सारबद्ध है, मानक सम्पत्तियों के गैर निष्पादक सम्पत्तियों में निरन्तर बदल जाने को दर्शाता है जो 31 मार्च 1999 के अन्त में कुल ऋण सम्पत्तियों के 58.5 प्रतिशत तक पहुँच गया था जो कि एक अत्यन्त प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। उपरोक्त अवधि में गैर निष्पादक सम्पत्तियों का तुलनात्मक प्रतिशत, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया तथा इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इन्डिया में क्रमशः 6.7 से 8.1 प्रतिशत तथा 14 से 21 प्रतिशत के बीच था।

ऋणों की वसूली की दयनीय स्थिति के परिणामस्वरूप जैसा प्रस्तर 2.अ.8.1 (पूर्ववर्ती) में चर्चित है, 31 मार्च 1999 के अन्त में गैर निष्पादक आस्तियों में असाधारण वृद्धि हुई तथा यह 58.5 प्रतिशत पर पहुँच गयी जिसके मुख्य कारण जैसा कि सम्प्रेक्षण द्वारा विश्लेषित किया गया, निम्न थे :

- परियोजनाओं का अशुद्ध मूल्यांकन (पूर्ववर्ती प्रस्तर 2.अ.7.1.1, 2.अ.7.1.5, 2अ.7.2.1, 2अ.7.2.3, 2अ.7.3.1, 2अ.7.3.2 तथा परिशष्ट-11 की क्रम संख्या 15, 16, 19, तथा परिशष्ट-12 की क्रम संख्या 6);

- सम्पत्तियों को बन्धक रखे जाने के लिये शासपत्रित लेखाकारों द्वारा दिये गये सम्पत्ति के मूल्य के असत्य प्रमाणीकरण तथा निगम के अधिकारियों द्वारा दी गयी असत्य सर्वेक्षण रिपोर्ट पर ऋणों की स्वीकृति (पूर्ववर्ती प्रस्तर 2.अ.7.1.4, 2अ.7.2.2, 2अ.7.2.3, 2अ.7.2.4 एवं परिशष्ट-11 की क्रम संख्या 13);

- वितरण-पूर्व शर्तो के पालन को अवांछनीय रूप से शिथिल किया जाना (पूर्ववर्ती प्रस्तर 2अ.7. 1.3,2अ.7.1.6, 2अ.7.2.1);

- गायब हुई सम्पत्तियों का मूल्य वसूल करने हेतु कार्यवाही न किया जाना (प्रस्तर 2अ.7.1.2);

- वैधानिक प्रपत्रों के निष्पादन से पूर्व बन्धक सम्पत्तियों तथा व्यक्तिगत जमानत के समक्ष उपलब्ध व्यक्तिगत गारण्टी (पीजी) का सत्यापन न किया जाना। (प्रस्तर 2अ.7.1.4, 2अ.7.1.6, 2अ.7.2.2 एवं परिशष्ट-11 की क्रम संख्या 18);

- बकायों की वसूली हेतु निष्प्रभावी अनुसरण कार्यवाही के कारण बकायों की दयनीय

वसूली (प्रस्तर 2 अ.7.1.6 एवं परिशिष्ट 12 की क्रम संख्या 5 एवं 7);

- चूक करती हुई इकाईयों को विलम्ब से सम्बद्ध किये जाने के कारण, सम्पत्तियों को स्थल से गायब किये जाने में मदद मिली। (प्रस्तर 2अ.7.1.1, 2अ.7.1.4, 2अ.7.1.6 पूर्ववर्ती तथा परिशिष्ट-11 क्रमांक 14 तथा 17); एवं
- वसूली प्रमाण-पत्रों का अनुसरण न किया जाना (अनुवर्ती प्रस्तर 2.अ.8.3)।

2अ.8.3 वसूली प्रमाण-पत्रों (आर सी)का अनुसरण न किया जाना

जिला प्राधिकारियों के पास 172.72 करोड़ रुपये के 117 आर सी वसूली हेतु लम्बित थे

31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र और बकाया वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति जैसी परिशिष्ट-16 में दी गयी है, दर्शाती है कि निगम ने 31 मार्च 1999 को समाप्त हुऐ पाँच वर्षों में 156.97 करोड़ रुपये की धनराशि के वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये जिनमें से 4.89 करोड़ रुपये के 7 वसूली प्रमाण-पत्र या तो वापस ले लिये गये थे अथवा बिना वसूल हुए वापस लौट आये थे तथा 172.72 करोड़ रुपये मूल्य के 117 वसूली प्रमाण-पत्र जिला प्राधिकारियों के पास लम्बित थे। 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए 5 वर्षों में निर्गत किये गये वसूली प्रमाण-पत्रों के माध्यम से कोई भी राशि वसूल नहीं की जा सकी जो कि बकायों की दयनीय वसूली का एक मुख्य कारण है।

यह भी देखा गया था कि 20.66 करोड़ रुपये की राशि के 29 वसूली प्रमाण-पत्र विगत 5 वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थे जिनके विरुद्ध न तो वसूली हुई थी और न ही वह वापस किये गये थे। यह प्रबन्धन के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है, यद्यपि मुख्यालय तथा आंचलिक कार्यालयों में स्थित विधिक प्रकोष्ठ वसूली प्रमाण-पत्रों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे।

2अ.9 बकायों का एकमुश्त समाधान (ओ टी एस)

उन चूक करती हुई सहाय्यित इकाईयों, जहाँ वसूली की सम्भावना नगण्य थी, से बकायों की वसूली को तेज करने के लिये निगम द्वारा इन सतत चूक करती इकाईयों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओ टी एस) (जनवरी 1987) प्रारम्भ की गई।

एकमुश्त समाधान के अन्तर्गत 39.55 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ कर दिया गया

31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में ओ टी एस तथा उसके सम्बन्ध में माफ किये गये ब्याज की स्थिति जैसा परिशिष्ट-17 में दी गयी है, यह इंगित करती थी कि चूक करती इकाईयों द्वारा ओ टी एस प्रस्तावों का सामान्य तौर पर सम्मान नहीं किया गया था तथा निगम द्वारा वसूली हेतु कोई सख्त कार्यवाही करने की बजाय इन इकाईयों द्वारा ओ टी एस के प्रस्ताव/ओ टी एस की समय सीमा बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्तावों/प्रार्थनाओं को, जब भी बाद में इन इकाईयों द्वारा प्रार्थना की गयी, स्वीकार कर लिया गया था। 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में, निगम द्वारा अनुमोदित 92 ओ टी एस प्रस्तावों में से केवल 57 प्रस्ताव ही (62 प्रतिशत) पूर्ण रूप से मान लिये गये थे तथा 35 प्रस्ताव (38 प्रतिशत) या तो आंशिक रूप से माने गये थे अथवा ओ टी एस प्रस्ताव के अनुसार भुगतान न करने के कारण निरस्त कर दिये गये थे। इस प्रकार, निगम द्वारा 39.55 करोड़ रुपये के अतिदेय बकाया ब्याज (8.09 करोड़ रुपये के साधारण ब्याज सहित) को माफ कर दिया गया था।

उपसंहार

निगम ने वर्ष 1996-97 से अग्रेतर हानियाँ वहन कीं तथा 31 मार्च 1999 के अन्त में संचित हानियाँ कुल 112.54 करोड़ रुपये तक पहुँच गयीं; जिसके कारण निगम की चुकता पूँजी का पूर्णतः क्षरण हो चुका था। निगम के दयनीय निष्पादन के मुख्य कारण निम्न थे:

- लाभप्रद/अलाभप्रद परियोजनाओं को पहचानने वाली मूल्यांकन प्रणाली का अपर्याप्त होना जिससे अलाभप्रद परियोजनाओं को भी ऋण स्वीकृत किये गये;
- वितरण-पूर्व की शर्तो के अनुपालन को अनावश्यक रूप से शिथिल किया जाना जिसके कारण अपात्र उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किये गये, फलस्वरूप बकायों की वसूली नहीं हो सकी;
- वैधानिक अभिलेखन के समय बन्धक सम्पत्तियों तथा व्यक्तिगत जमानत के विरुद्ध दी गई चल अथवा अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन तथा सत्यापन की अपर्याप्त प्रणाली;
- सहाय्यित इकाईयों के भौतिक सत्यापन तथा अनुश्रवण में कमी तथा इकाईयों को चूक के बाद भी विलम्ब से सम्बद्ध किया जाना, परिणामतः सम्पत्तियों को स्थलों से हटा दिया गया;
- पुनरोत्थान योग्य/अयोग्य इकाईयों तथा जानबूझ कर भुगतान में त्रुटि करने वाली इकाईयों को पहचानने तथा वसूली हेतु कठोर, प्रभावी एवं समय से वसूली कार्यवाही को प्रारम्भ करने में वसूली प्रणाली की विफलता साथ ही ओ टी एस के अन्तर्गत में बकायों का खुले हाथों से निपटारा;
- अंश सहभागिता, लीज़ वित्त सहायता तथा मर्चेन्ट बैंकिंग के सौदो में व्यवसायिकता का अभाव।

निगम द्वारा स्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन, स्वीकृति तथा ऋणों एवं वित्तीय सहायता के वितरण की प्रणाली को समीक्षित किये जाने, साथ ही गैर निष्पादक आस्तियों में कमी लाने, वसूली निष्पादन में सुधार तथा निवेशन एवं विनिवेशन प्रक्रिया में विवेकपूर्ण निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।

इन प्रकरणों को निगम एवं सरकार को सूचित किया गया (मई 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2000) ।

2ब. उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) में परिवर्तकों (ट्रांसफार्मरों) की अधिप्राप्ति, निष्पादन, रखरखाव एवं मरम्मत

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) में ऊर्जा परिणमन क्षमता में वृद्धि, वितरण परिणमन क्षमता एवं संयोजित भार में हुई वृद्धि से मेल नहीं खाती थी जिसके फलस्वरूप अतिभारिता हुई। प्रति एम डब्लू संयोजित भार पर सम्पूर्ण वितरण परिणमन क्षमता 1998-99 को समाप्त होने वाले चार वर्षो में 0.92 से 0.99 के मध्य रहीं।

(प्रस्तर 2ब.4)

चूंकि परिवर्तकों की मांग का वैज्ञानिक पद्धति से निर्धारण नहीं होता था, फलस्वरूप 19.86 करोड़ रुपये मूल्य के 7239 परिवर्तक 1999-2000 में एक वर्ष तक अप्रयुक्त रहे।

(प्रस्तर 2ब.5)

400 के वी उपकेन्द्र, उन्नाव पर 315 एम वी ए के एक परिवर्तक एवं रिएक्टर की आवश्यकता से अतिरिक्त अधिप्राप्ति (अक्टूबर 1999) से न केवल 4.01 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ बल्कि कम्पनी ने गारन्टीकृत लोड लॉस एवं नो लोड लॉस के कारण 6.43 मिलियन यूनिटस (मूल्य 1.14 करोड़ रुपये) के क्षय की हानि उठायी।

(प्रस्तर 2ब.5.4.1)

वितरण परिवर्तकों की क्षति दर असमान्य रूप से काफी ऊँची थी और यह कम्पनी द्वारा स्वयं निर्धारित मानक 2 प्रतिशत के विरुद्ध 16.2 तथा 22.5 प्रतिशत के बीच रही। इसके कारण कम्पनी को 232341 वितरण परिवर्तकों, जो कि 1999-2000 तक पाँच वर्षों की अवधि में मानक से अधिक विफल हुए थे, की मरम्मत पर 325.28 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय भार उठाना पड़ा।

(प्रस्तर 2ब.6.2)

मरम्मत किये गये परिवर्तकों के तकनीकी विशिष्टीकरण में परिवर्तन के कारण, कम्पनी को नए परिवर्तकों को अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित गारण्टीकृत लॉस से अधिक लोड लॉस एवं नो लोड लॉस में प्लस टालरेन्स की अनुमति देनी पड़ी। इस कारण, कम्पनी ने वाह्य एजेन्सियों से न केवल घटिया किस्म के मरम्मत किये गये परिवर्तक स्वीकार किये बल्कि 1999-2000 तक पाँच वर्षों में मरम्मत किये गये 177983 वितरण परिवर्तको में 130.16 मि यू (मूल्य 20.96 करोड़ रुपये) की ऊर्जा हानि भी वहन की।

(प्रस्तर 2ब.7.2.1)

2ब.1 प्रस्तावना

विद्युत के पारेषण एवं वितरण के वोल्टेज को अधिक अथवा कम करने के लिए परिवर्तक नामक स्थैतिक उपकरण स्थापित किया जाता है। विद्युत का उत्पादन साधारणतः बहुत कम वोल्टेज (11 के वी से 15.75 के वी) पर किया जाता है और तत्पश्चात लोड केन्द्रों पर प्रेषण के लिए पावर परिवर्तक द्वारा इसे ऊपर (132 के वी, 220 के वी तथा 400 के वी) बढ़ाया जाता है जहाँ पर इसे विभिन्न उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति के लिए वोल्टेज को कम (132 के वी, 66 के वी, 33 के वी, 11 के वी तथा 0.400 के वी) किया जाता है। उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण 440 वोल्ट से 132 किलोवोल्ट (के वी) की प्रेषण तथा वितरण लाइनों के द्वारा किया जाता है।

2ब.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रेषण नेट वर्क के पावर परिवर्तकों की अधिप्राप्ति दो उपकेन्द्र डिजाइन सर्किल द्वारा की जाती है जिसके मुखिया अधीक्षण अभियन्ता होते हैं जो सदस्य (पारेषण) के अधीन होते हैं जबकि वितरण परिवर्तकों की अधिप्राप्ति इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्स प्रोक्योरमेन्ट सर्किल-1 (ई.एस.पी.सी.-1) द्वारा की जाती है जिसके मुखिया अधीक्षण अभियन्ता होते हैं जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) के सदस्य (वितरण) के अधीन होते हैं। परिवर्तकों की प्राप्ति एवं उपभोक्ता खण्डों को निर्गमन का नियंत्रण मुख्य अभियन्ता तथा भण्डार नियंत्रक (सी ई, सी ओ एस) द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता के लिए चार विद्युत भण्डार सर्किलों (ई एस सी एस) जिनमें प्रत्येक के मुखिया अधीक्षण अभियन्ता तथा 13 भण्डार खण्ड है जो अधिशाषी अभियन्ता के अधीन होते हैं। क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की मरम्मत कम्पनी द्वारा अपनी स्वयं की 13 कार्यशाला खण्डों तथा वाह्य एजेन्सी के माध्यम से ई एस पी सी-1 द्वारा निर्धारित रेट कान्ट्रेक्ट पर करायी जाती है।

2ब.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

'वितरण संगठन में परिवर्तकों की मरम्मत' पर एक समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) 1985-86, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन में सम्मिलित की गयी थी, जिस पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा अभी तक चर्चा नहीं की गयी है (अप्रैल 2000)।

वर्तमान समीक्षा, जो अक्टूबर 1999 से मार्च 2000 के बीच की गयी है, में, ई एस पी सी-1 एवं नौ भण्डार एवं कार्यशाला खण्डों के 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा पावर एवं वितरण परिवर्तकों की अधि-प्राप्ति, निष्पादन, रखरखाव तथा मरम्मत से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

2ब.4 परिणमन (ट्रान्सफार्मेशन) क्षमता में वृद्धि

नीचे दी गई तालिका में 1998-99 तक चार वर्षों में परिणमन क्षमता में वृद्धि तथा स्थापित पावर

एवं वितरण परिवर्तकों की संख्या, साथ ही साथ उनके विरुद्ध संयोजित भार को दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	ग्रिड विद्युत परिणमन क्षमता (132 के वी एवं इससे अधिक)				
	एम डब्लू	18619	18847	19319	21322
	एम वी ए	21905	22173	22728	25085
	(संख्या)	(569)	(575)	(581)	(604)
2.	उप विद्युत परिणमन क्षमता (66 के वी से 33 के वी)				
	एम डब्लू	8844	9133	9440	10400
	एम वी ए	10405	10745	11106	12236
	(संख्या)	(2559)	(2622)	(2681)	(2878)
3.	वितरण परिणमन क्षमता (11/0.4 के वी)				
	एम वी ए	14492	16352	16818	17458
	एम डब्लू	12318	13899	14295	14839
	(संख्या)	(273989)	(296494)	(303366)	(314501)
4.	विद्युत परिणमन क्षमता से अधिक उप विद्युत परिणमन क्षमता का प्रतिशत (2 का 3 से)	39.3	52.2	51.4	42.7
5.	संयोजित भार				
	एम वी ए	15747	16416	17058	18407
	एम डब्लू	13385	13954	14499	15646
6.	(अ) वितरण क्षमता से संयोजित भार की अधिकता (5–3)				
	एम डब्लू	1067	55	204	807
	(ब) अधिक भार का प्रतिशत	8.7	0.5	1.4	5.4
7.	प्रति एम वी ए संयोजित भार के हिसाब से उप विद्युत परिणमन क्षमता				
	एम वी ए	0.66	0.65	0.65	0.78
8.	प्रति एम डब्लू संयोजित भार के हिसाब से वितरण परिणमन क्षमता				
	एम डब्लू	0.92	0.99	0.99	0.95

विद्युत परिणमन क्षमता में वृद्धि, वितरण परिणमन क्षमता एवं संयोजित भार में वृद्धि से मेल नहीं खाते थे

उपरोक्त तालिका से विदित है कि 1998-99 तक सभी चार वर्षों में विद्युत परिणमन क्षमता, वितरण परिणमन क्षमता तथा संयोजित भार में वृद्धि, आपस में मेल नहीं खाते थे। विद्युत परिणमन क्षमता, वितरण परिणमन क्षमता तथा संयोजित भार के मेल न खाने से विद्युत कटौती तथा परिवर्तकों पर अधिक भार पड़ा।

इस सम्बन्ध मे सम्प्रेक्षा द्वारा निम्न तथ्य देखे गये :

(i) 1998-99 तक के चार वर्षों में सब विद्युत परिणमन क्षमता में वृद्धि 1831 एम वी ए थी जो कि 2966 एम वी ए की वितरण परिणमन क्षमता एवं 2660 एम वी ए के सम्बद्ध भार से काफी कम थी जो सब विद्युत परिणमन क्षमता की अतिभारिता में परिणामित हुआ।

(ii) यद्यपि विगत चार वर्षों में 1998-99 तक कुल मिलाकर वितरण परिणमन क्षमता प्रति एम डब्लू संयोजित भार की 0.92 तथा 0.99 एम डब्लू के बीच में रही, फिर भी सात जिलों के खण्डों, देहरादून, नैनीताल, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी तथा गोरखपुर में 1998-99 में यह क्रमशः 0.52, 0.61, 0.69, 0.74, 0.84, 0.87 तथा 0.93 एम डब्लू रहा तथा परिवर्तकों की क्षति को रोकने के लिए,मांग को पूर्ण करने हेतु वितरण क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी।

2ब.5 परिवर्तकों की अधिप्राप्ति

फील्ड इकाईयों द्वारा मांग का निर्धारण करने के लिए कोई वैज्ञानिक विधि नहीं अपनायी गयी थी और कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं किये गये थे।

पावर तथा वितरण परिवर्तकों की अधि प्राप्ति, उपकेन्द्र डिजाइन सर्किल तथा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर प्रोक्योरमेन्ट सर्किल-1 के अधीक्षण अभियन्ताओं की संस्तुतियों के आधार पर की जाती है। क्रय का अन्तिम निर्णय, कम्पनी की तीन समितियों जो मुख्य अभियन्ता समिति(50 लाख रुपये तक के आदेशों के लिए), सदस्य समिति (50 लाख रुपये से ऊपर तथा 1.50 करोड़ रुपये तक), तथा केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति जिसके मुखिया अध्यक्ष होते हैं (1.50 करोड़ रुपये से अधिक) द्वारा, लिया जाता है।

मांग का आंकलन करने के लिए वैज्ञानिक विधि को नहीं अपनाया गया।

परिवर्तकों की वार्षिक मांग का अनन्तिम आँकलन मुख्य अभियन्ता तथा भण्डार नियंत्रक (सी ई, सी ओ एस) द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण (आर ई) के लिए वार्षिक योजना को ध्यान में रखते हुए तथा गैर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए पिछले उपभोग के आधार पर किया जाता है जो कि पुनः फील्ड इकाईयों द्वारा सूचित वास्तविक मांग एवं बजट प्राविधानों के अनुसार संशोधित की जाती है।

पुनः, मांग निर्धारण पद्धति में कमियां थी क्योंकि यह विफल रही :

(i) फील्ड इकाइयों द्वारा मांग का सही आँकलन करने में क्योंकि कम्पनी द्वारा इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये थे;

(ii) वितरण परिवर्तकों के स्टाक की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा निर्धारित करने में।

(iii) फील्ड इकाईयों की मांग के अनुसार विभिन्न आदेशों की आपूर्ति सूची के पालन तथा धन की उपलब्धता में सम्बंध स्थापित करने में।

(iv) परिवर्तकों तथा इनके स्पेयर्स की शीघ्र तथा प्रतिस्पर्धात्मक अधिप्राप्ति को सुविधाजनक बनाने हेतु परिवर्तक की डिजाइन का मानकीकरण करने में; तथा

(v) वेन्डर रेटिंग पद्धति विकसित करने में।

विगत पाँच वर्षों में 1999-2000 तक वर्ष-वार वितरण तथा पावर परिवर्तकों की मांग, आदेशित मात्रा तथा पारित आदेशों का मूल्य नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	वितरण परिवर्तक (25 के वी ए से 630 के वी ए क्षमता के)			पावर परिवर्तक (1 एम वी ए से 100 एम वी ए क्षमता के)		
	मॉग (संख्या)	आदेशित (संख्या)	मूल्य (लाख रूपये में)	मॉग (संख्या)	आदेशित (संख्या)	मूल्य (लाख रुपये में)
1995-96	15477	8680 (1869)[29]	2855.14	79	100	2235.98
1996-97	21185	13000 (3160)[29]	3464.39	201	98	4219.34
1997-98	22750	22852 (9)[29]	6239.73	102	162	3003.39
1998-99	22250	19776 (10)[29]	6312.17	249	124	2860.74
1999-2000	23500	6000 (7239)[29]	2238.00	191	120	2867.41
योग	**105162**	**70308**	**21109.43**	**822**	**604**	**15186.86**

मांग का उचित आँकलन न करने के कारण 7239 परिवर्तक एक वर्ष तक अप्रयुक्त रहे

बारम्बार अनुरोध के बावजूद, वर्षवार परिवर्तकों की प्राप्ति तथा स्थापना सम्बन्धी विवरण आडिट को नहीं दिये गये। फिर भी, ऊपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग प्रत्येक वर्ष में (1997-98 को छोड़कर) आदेश आवश्यकता से काफी कम प्रेषित किये गये थे। मांग तथा प्रेषित आदेशों में विस्तृत भिन्नता की वजह फील्ड इकाईयों द्वारा तदर्थ रूप (एडहोक) से मांग प्रेषित करना था जो कि बाद में टेण्डर को अन्तिम रूप देने तक परिवर्तित होती रहती थी। यह देखा गया कि परिवर्तकों की मांग का सही आँकलन न करने की वजह से 19.86 करोड़ रुपये के क्रय किये गये 7239 परिवर्तक 1999-2000 में एक वर्ष तक अनुपयोगी पड़े रहे।

दोषपूर्ण पद्धति के कारण मांग का गलत आँकलन हुआ जिसकी वजह से अधिक/कम अधिप्राप्ति, बारम्बार क्रय आदेशों की आपूर्ति सूची में विस्तार करना पड़ा तथा परिवर्तकों की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि आगे प्रस्तरों में वर्णित किया गया है।

2ब.5.1 वेन्डर रेटिंग पद्धति का अभाव

परिवर्तकों के निष्पादन का ठीक-ठीक मूल्यांकन करने के लिए हिस्ट्री कार्डस के रख रखाव न होने के कारण, कम्पनी वेन्डर रेटिंग पद्धति को विकसित नहीं कर सकी। फलस्वरूप, कम्पनी

29 कोष्ठक में दी गई संख्या वर्ष के प्रारम्भ में परिवर्तकों के स्टाक को दर्शाती है।

उनके निष्पादन को ध्यान दिए बिना केवल न्यूनतम एफ ओ आर मूल्य के आधार पर निविदाओं को अन्तिम रूप देने के लिए बाध्य थी।

लेखा परीक्षा में, फिर भी ऐसा पाया गया कि परिवर्तकों की डिजाईन के सम्बन्ध में, आपूर्तिकर्ता कोई भी डिजाईन अपनाने के लिए स्वतंत्र थे तथा कम्पनी ने प्रत्येक टेण्डर विशिष्टीकरण (स्पेसिफिकेशन) में परिवर्तक की आवश्यकता के लिए निर्णायक तकनीकी पैरामीटर केवल निर्धारित कर दिये थे। निविदाओं पर अन्तिम निर्णय, परिवर्तकों में प्रयुक्त मुख्य इन्पुट्स के भार एवं मूल्य को बिना ध्यान दिये हुए, तकनीकी रूप से उपयुक्त निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम एफ ओ आर मूल्य के आधार पर लिया जाता था जिसके फलस्वरूप भिन्न-भिन्न वजन के परिवर्तकों की अधिप्राप्ति, मुख्य इन्पुट्स की कम मात्रा प्रयोग करने के बावजूद, परिवर्तक के मूल्य में तदनुसार कटौती किए बिना समान मूल्य पर, ली गयी।

5 एम वी ए (33/11 के वी) के 291 परिवर्तकों की खरीद की जाँच से पता चला कि इस तथ्य के बावजूद कि मुख्य इन्पुट्स यथा कोर, एच वी/एल वी क्वायल, टैंक फिटिंग्स, परिवर्तक तेल इत्यादि की मात्रा में विभिन्नता के कारण विभिन्न फर्मों द्वारा प्रस्तावित परिवर्तकों के भार 10580 किग्रा एवं 13400 किग्रा तक भिन्न थे, विभिन्न फर्मों को परिवर्तकों की निविदित मात्रा के लिए आदेश दिये गये। इन फर्मों द्वारा प्रयुक्त कम इन्पुट्स का मूल्य 38700 रुपये और 141960 रुपये प्रति परिवर्तक के मध्य था।

परिवर्तकों की डिजाईन के मानकीकृत न होने के कारण कम इन्पुट्स के परिवर्तक स्वीकार करने पड़े।

इस प्रकार, परिवर्तकों के डिजाइन के मानकीकृत न होने के कारण, कम्पनी को फर्मों द्वारा विकसित एवं डिजाईन किये हुए कम इन्पुट्स के 5 एम वी ए के 273 परिवर्तकों को स्वीकार करना पड़ा जिससे फर्मों को 1994-95 से 1998-99 की अवधि में 2.27 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुँचा।

2ब.5.2 नये परिवर्तकों के प्रेषण पूर्व निरीक्षण एवं जाँच में अतिरिक्त व्यय

क्रय किये गये परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के अधिकारियों द्वारा निर्माता/आपूर्तिकर्ता की कार्यशाला में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित मात्रा के 10 प्रतिशत की प्रेषण पूर्व निरीक्षण एवं नियमित जाँच की जाती है। इस तरह के निरीक्षण एवं जाँच की परिवर्तनीय लागत, जैसा कि कम्पनी द्वारा गणना की गयी है, परिवर्तक की लागत का 0.31 प्रतिशत थी।

प्रेषण-पूर्व निरीक्षण वाह्य एजेन्सी को आदेशित किये जाने से 0.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ

इलेक्ट्रिसिटी स्टोर प्रोक्योरमेन्ट सर्किल-1 के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 1999) के दौरान पाया गया कि आपूर्तित नये परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और नये परिवर्तकों में लगातार बढ़ रही क्षति को रोकने के लिए, माननीय ऊर्जा मंत्री ने एक बैठक (दिसम्बर 1997) में प्रेषण पूर्व निरीक्षण एवं नियमित जाँच तीसरी पार्टी द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। तद्नुसार, कम्पनी ने 3300 परिवर्तकों के प्रेषण पूर्व निरीक्षण के लिए 66 लाख रुपये पर लायड्स एवं राइट्स, नई दिल्ली को अप्रैल 1998 में आदेश दिया।

तथापि, कम्पनी ने वाह्य एजेन्सियों के प्रदर्शन और उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध क्षतिग्रस्त नये परिवर्तकों की प्रतिशतता को विचार किये बिना, पुनर्आदेश तीन एजेन्सियों लायड्स, राइट्स और डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल (डी जी एस एण्ड डी), नई दिल्ली पर 3000 परिवर्तकों के लिए 47.22 लाख रुपये की कुल लागत पर किया (सितम्बर 1999)। वाह्य एजेन्सियों द्वारा निरीक्षण एवं नियमित जाँच की लागत, कम्पनी द्वारा निरीक्षण की परिवर्तनीय लागत 0.31 प्रतिशत के विरुद्ध 0.65 प्रतिशत थी। इस प्रकार, कम्पनी ने 1999-2000 की अवधि में 3000 परिवर्तकों की नियमित जाँच पर 24.72 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

अधीक्षण अभियन्ता ई एस पी सी-1 ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2000) कि तीसरी पार्टी द्वारा निरीक्षण कराये जाने का निर्णय माननीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक (दिसम्बर 1997) में लिया गया था। तथापि, कम्पनी के पास शुरू से ही इस तरह के निरीक्षण के लिए एक विशेष विभाग था जो कि निरीक्षण बहुत कम लागत पर करने में सक्षम था। इसके अलावा, तीसरी पार्टी द्वारा निरीक्षण से फायदों का विश्लेषण करने के लिए कम्पनी द्वारा नए परिवर्तकों के निष्पादन पर निगरानी नहीं की गयी।

2ब.5.3 टाइप जाँच की अनियमित माफी

टाईप टेस्ट की अनियमित माफी मंजूर की गयी

विशिष्टीकरण संख्या ई एस पी सी-I/282/96 के विरुद्ध छः पावर परिवर्तक 8 एम वी ए (33/11 के वी)की आपूर्ति हेतु एफ ओ आर गन्तव्य मूल्य 16.62 लाख रुपये प्रति पर करने हेतु मिर्जापुर इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को आदेश जारी किया गया था (नवम्बर 1997)। अप्रैल 1998 में, फर्म ने इस आदेश में टाईप जाँच माफ करने हेतु अनुरोध किया क्योंकि विशिष्टीकरण संख्या ई एस पी सी-1/233/93 के विरुद्ध ठीक उसी डिजाइन का 8 एम वी ए का परिवर्तक सेन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सी पी आर आई), भोपाल द्वारा पहले ही टाईप टेस्ट कराया जा चुका था। प्रत्युत्तर में, मुख्य अभियन्ता (एम एम) ने टाइप टेस्ट माफ करने की अनुमति दे दी।

टेण्डर विशिष्टीकरण सं0 233/93 की जाँच से पता चला कि इसके विरुद्ध आपूर्तित प्रत्येक 8 एम वी ए परिवर्तक में प्रयुक्त ताँबे का वजन 3190 कि ग्रा था और अधिकतम लोड लॉस तथा नो लोड लॉस क्रमशः 47 के डब्लू तथा 5 के डब्लू था, जबकि टेण्डर विशिष्टीकरण संख्या 282/96 के विरुद्ध परिवर्तक की अनुमोदित डिजाईन के अनुसार ताँबे का वजन 2500 कि.ग्रा. अर्थात 690 कि ग्रा कम तथा अधिकतम लोड लॉस तथा नो लोड लॉस क्रमशः 48 के डब्लू तथा 7 के डब्लू था। इस प्रकार टाइप टेस्ट की माफी नियमित नहीं थी क्योंकि परिवर्तकों की डिजाईन एकरूप नहीं थी। इसके कारण आपूर्तिकर्ता को 9.58[30] लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचा।

मुख्य अभियन्ता (एम एम) ने बताया (अगस्त 1999) कि पैरामीटर जैसे कि फ्लक्स डेन्सिटी तथा करैन्ट डेन्सिटी पूर्व में टाईप टेस्टेड डिजाईन के समान थे। ताँबे के वजन में कमी का कारण विशिष्टीकरण संख्या 282/96 के विरुद्ध आपूर्ति किए जाने वाले परिवर्तकों की आवश्यकता में बदलाव था, जिसमें लोड लॉस तथा नो लोड लॉस क्रमशः 48 के.डब्लू. तथा 7 के डब्लू था। यह कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिवर्तक की डिजाइनों में एकरूपता नहीं थी।

30 कम प्रयुक्त ताँबे की लागत (690X6=4140X130=538200 या 5.38 लाख रुपये) तथा टाइप जाँच प्रभार 4.20 लाख रुपये।

2 ब. 5.4 पावर परिवर्तक

2 ब. 5.4.1 आवश्यकता से अधिक परिवर्तकों की अधिप्राप्ति

बिना अपेक्षित लोड के परिवर्तक की संस्थापना की गयी जिससे ऊर्जा की क्षति हुई

400 के वी उपकेन्द्र निर्माण खण्ड, उन्नाव के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह प्रकाश में आया कि संविदा संख्या ओ ई सी एफ/6 दिनांक 25.2.94 के विरुद्ध बी एच इ एल से 315 एम वी ए (400/220/33 के वी) के दो परिवर्तक जिनकी कीमत 8.03 करोड़ रुपए थी, मार्च 1995 में प्राप्त किये गये थे तथा 400 के वी उपकेन्द्र सोनिक, जिला उन्नाव में नवम्बर/दिसम्बर 1998 में संस्थापित किये गये थे। पुनः, परिवर्तकों की भार लाग शीट की जाँच से यह पाया गया कि दोनों परिवर्तकों में कुल अधिकतम भार इनकी स्थापना से ही केवल 120 एम वी ए तथा 240 एम वी ए के मध्य रहा। यह दर्शाता है कि भार की अनुपस्थिति में 315 एम वी ए के एक परिवर्तक की संस्थापना में न केवल 4.01 करोड़ रुपए का अलाभकारी व्यय हुआ बल्कि कम्पनी ने 55.19 लाख रुपए (मार्च 2000 तक पाँच वर्षों के दौरान 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) के ब्याज का दायित्व भी वहन किया। इसके अतिरिक्त, बिना पर्याप्त लोड के परिवर्तक को ऊर्जीकृत करने के कारण, कम्पनी को गारण्टीकृत लोड लॉस तथा नो लोड लॉस पर जनवरी 1999 से मार्च 2000 तक 6.43 एम यू ऊर्जा के क्षय होने से 1.14 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

2 ब. 5.5 वितरण परिवर्तक

2 ब. 5.5.1 फैक्टरी मूल्य की गलत गणना के कारण अतिरिक्त व्यय

एफ ओ आर गंतव्य दरों का गलत आँकलन किया गया था

(अ) तुलनात्मक न्यूनतम एफ ओ आर गंतव्य दर ज्ञात करने के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त निविदादाताओं द्वारा दिये गये फैक्टरी मूल्य, उत्पादन कर, भाड़ा, बिक्री/व्यापार कर, टैस्टिंग प्रभार, लोड लॉस तथा नो लोड लॉस इत्यादि को ध्यान में रखना आवश्यक है। निविदा विशिष्टीकरण सं. 237/94 तथा 223/93 से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि 5 एम वी ए के 135 परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु न्यूनतम एफ ओ आर गंतव्य मूल्य की गणना करते समय, निविदादाताओं द्वारा दिये गये व्यापार कर को ध्यान में नहीं रखा गया था जिसके कारण नौ फर्मों को दिये गये फैक्टरी मूल्य अधिक थे। इसके फलस्वरूप, निविदा विशिष्टीकरण सं. 237/94 (52 परिवर्तक)तथा 223/93 (43 परिवर्तक) के विरुद्ध 5 एम वी ए के 95 परिवर्तकों के क्रय पर 7.35 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ब) उसी प्रकार, निविदा विशिष्टीकरण सं. 225/93 के विरुद्ध 25 के वी ए के 18000 परिवर्तकों के क्रय के लिए 24 फर्मों में से 17 ने एफ ओ आर गंतव्य दर के अतिरिक्त फर्मों ने 350 रुपये से 850 रुपये प्रति परिवर्तक के हिसाब से टेस्टिंग प्रभार की अलग से मांग की। तथापि, केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति (सी एस पी सी) ने, 24 फर्मों को उनके द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम एफ ओ आर गंतव्य मूल्य 0.20 लाख रुपये प्रति परिवर्तक पर आदेश जारी करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1993), परन्तु उन फर्मों के सम्बन्ध में फैक्ट्री मूल्य की गणना करते समय जिन्होंने टेस्टिंग प्रभार की अलग से मांग की थी, ई एस पी सी-1 ने उनके फैक्ट्री मूल्य से टेस्टिंग प्रभार की राशि को नहीं घटाया, जिससे उन्हें न्यूनतम एफ ओ आर गंतव्य मूल्य के समतुल्य रखा जा सके। इस प्रकार, टेस्टिंग प्रभार को क्रयादेश में अलग से दिखाने की बजाय फैक्ट्री मूल्य में शामिल करने से कम्पनी

को 17 फर्मों के मामलों में 25 के वी ए के 17140 परिवर्तकों की खरीद पर उत्पाद शुल्क (7.16 लाख रुपये) तथा व्यापार कर (7.48 लाख रुपये) के रूप में 14.64 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

2ब.6 परिवर्तकों का निष्पादन

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की सूची VII के अनुसार 100 के वी ए तथा ऊपर के परिवर्तक का कार्य जीवनकाल 35 वर्ष, जबकि अन्य के लिए 25 वर्ष है।

प्रत्येक परिवर्तक के लिए पूर्ण विवरण सहित 'हिस्ट्री कार्ड' का रखरखाव इसके निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए तथा इसके कार्य जीवन को निश्चित करने के लिए आवश्यक है। हिस्ट्री कार्ड में आपूर्तिकर्ता का नाम, क्षमता एवं वोल्टेज अनुपात, जारी करने की तिथि, स्थापना की तिथि, ऊर्जीकृत करने की तिथि, विफलता की तिथि, गारण्टी/वारण्टी अवधि समाप्त होने की तिथि तथा परिवर्तक के सामान्य जीवनकाल का उल्लेख होना चाहिए।

तथापि, इन हिस्ट्री कार्डों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या परिवर्तकों ने अपना सामान्य जीवन 25/35 वर्ष प्राप्त कर लिया और आयु वार विफलता के क्या प्रकरण थे। यह निश्चित नहीं किया जा सका कि क्या परिवर्तक गारण्टी अवधि में विफल हुए थे। पुनः निर्माण दोषों के कारण क्षति की बारम्बारता, स्तरहीन मरम्मत तथा अन्तर्निहित दोषों के कारण परिवर्तकों की विफलता को लेखा परीक्षा जाँच में नही देखा जा सकता था।

2ब.6.1 परिवर्तकों की गुणवत्ता का भरोसा

परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कम्पनी परिवर्तकों के क्रय के लिए विशिष्टीकरण में प्राविधान करती है कि आपूर्तिकर्ता प्रत्येक आदेश के विरुद्ध एक प्रोटोटाईप परिवर्तक का निर्माण करेगा और हानियों के सत्यापन के लिए कम्पनी के प्रतिनिधि की मौजूदगी में सी पी आर आई/बी एच इ एल/गर्वनमेन्ट टेस्ट हाऊस से सर्किट टेस्ट, इम्पल्स टेस्ट कराना होगा। नियमित टेस्ट के अतिरिक्त, प्रेषण निर्देश जारी होने से पूर्व अकस्मात नमूना के द्वारा भी निरीक्षण कराया जाता है। पुनः, कम्पनी के पास संविदा अवधि में किसी भी परिवर्तक का टाईप टेस्ट कराने का अधिकार भी सुरक्षित रहता है और ऐसी स्थिति में टाईप टेस्ट खर्चों की भरपाई आपूर्तिकर्ता को कर दी जाती है। इस सम्बन्ध में पायी गयी कमियों की चर्चा पिछले प्रस्तरों 2ब.5.1, 2ब.5.2 तथा 2ब.5.3 पर की गयी है। गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के संयुक्त निरीक्षण का प्राविधान संविदा में न होने के कारण, क्षतिग्रस्त परिवर्तक में आपूतिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये सामान का विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं था और इसलिए लेखा परीक्षा जाँच में इसको नहीं देखा जा सकता था।

2ब.6.2 परिवर्तकों का रखरखाव

कम्पनी ने परिवर्तकों की विफलता की अनुमतियोग्य सीमा, स्थापित परिवर्तकों की केवल 2 प्रतिशत निर्धारित की थी (मई 1982)। इसको प्राप्त करने के लिए कम्पनी ने आवश्यक समझा कि:

(i) क्षति के कारणों को निश्चित करने सहित विस्तृत मानीटरिंग की जाए;

(ii) प्रत्येक परिवर्तक का हिस्ट्री कार्ड रखा जाए;

(iii) 11 के वी ए रेटिंग पर ड्रापआउट फयूजों का उपयोग किया जाए; एवं

(iv) एल टी टर्मिनल्स इत्यादि पर दबाव (ओवरलोडिंग) बचाया जाए।

पुनः सेन्ट्रल कार्पोरेशन आफ इरीगेशन एण्ड पावर (सी सी आई पी) ने अपनी टेक्नीकल रिपोर्ट (जुलाई 1974) में संस्तुति की थी कि दोषपूर्ण इन्सुलेशन के कारण परिवर्तक की क्षति को रोकने के लिए, वितरण परिवर्तकों की इन्सुलेशन रेसिसटेन्स वैल्यू को अर्धवार्षिक मापा जाना चाहिए।

निवारक रखरखाव का पालन न करने से परिवर्तक मानक से अधिक विफल हुए

वितरण खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि परिवर्तकों की नियमित तथा निवारक (प्रीवेन्टिव) रखरखाव तथा सी सी आई पी द्वारा अनुमोदित अन्य कारवाई नहीं की जा रही है जिससे क्षति का प्रतिशत हमेशा मानक से अधिक रहा और वर्ष 1999-2000 तक पिछले पाँच वर्षों में 16.2 तथा 22.5 प्रतिशत के बीच रहा जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	वितरण परिवर्तक (संख्या में)				कुल विफलता की प्रतिशतता
	वर्ष के शुरू में स्थापित	कुल विफलता	मानक के अनुसार विफलता	मानक से अधिक विफलता	
1995-96	254237	41472	5085	36387	16.3
1996-97	266771	43272	5335	37937	16.2
1997-98	277783	50549	5556	44993	18.2
1998-99	288748	64844	5775	59069	22.5
1999-2000	307306	60101	6146	53955	19.6
योग		**260238**	**27897**	**232341**	

यह दर्शाता है कि नियमित तथा निवारक (प्रीवेन्टिव) रखरखाव के अभाव में परिवर्तकों की क्षति मानक से बहुत अधिक थी जिससे कम्पनी को 232341 वितरण परिवर्तकों, जो कि वर्ष 1999-2000 तक पाँच वर्षों में मानक से अधिक विफल हुए थे, की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन पर 325.28 करोड़ रुपये (औसत मरम्मत लागत 0.14 लाख रुपये प्रति परिवर्तक से गणना की गयी) का वृहत् वित्तीय भार उठाना पड़ा।

कम्पनी ने अधिक विफलता के कारणों का न तो विश्लेषण किया, न ही उनको मानक में रखने के लिए कोई उपचारिक उपाय किये। फिर भी, जैसा कि आडिट में विश्लेषित किया गया, एच वी तथा एल वी साइड पर पर्याप्त प्रोटेक्शन सिस्टम न लगाना, निवारक रखरखाव का पालन न करना तथा वितरण परिवर्तकों पर अधिक भार, परिवर्तकों की अधिक क्षति के मुख्य कारण थे।

2ब.6.3 प्रोटेक्शन उपकरण के रखरखाव न करने के कारण हानि

प्रोटेक्शन उपकरण के अनुचित रखरखाव के कारण परिवर्तक विफल हुए

विशिष्टीकरण सं. ई एस पी सी-1/205/91 के विरुद्ध 5 एम वी ए (33/11 के वी) का एक परिवर्तक (क्रम सं. टी एस 345/101142) मिर्जापुर इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मिर्जापुर द्वारा मरम्मत किया गया था और 33/11 के वी उपकेन्द्र, तेलियर गंज इलाहाबाद पर 5 सितम्बर 1996 को स्थापित किया गया था। परिवर्तक गारण्टी अवधि में 6 अगस्त 1997 को क्षतिग्रस्त हो गया था और अक्टूबर 1998 में निःशुल्क मरम्मत के लिए भेजा गया था।

फर्म ने, फिर भी, गारण्टी उपबन्ध को मानने से मना कर दिया (सितम्बर 1998) क्योंकि साइट पर भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली के कारण परिवर्तक के प्रोटेक्शन उपकरण कार्य नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप परिवर्तक विफल हुआ (अगस्त 1997)। यद्यपि केबल फट गया था पर ब्रेकर के कार्य न करने के कारण परिवर्तक को सिस्टम से अलग नहीं किया जा सका। संयुक्त निरीक्षण के अभाव में 15.20 लाख रुपये मूल्य का परिवर्तक अभी तक बिना मरम्मत के पड़ा हुआ था (मार्च 2000)।

2ब.7 परिवर्तकों की मरम्मत

क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की मरम्मत का कार्य सामान्यतः 13 विभागीय ट्राँसफार्मर रिपेयर वर्कशाप (टी आर डब्लू) जो पूर्व में वितरण खण्डों से और वर्तमान में कम्पनी की कार्यशाला खण्ड से सम्बद्ध (1987-88 से) किया जाता है। बाद में, राज्य में तेजी से बढ़ते हुए विद्युतीकरण और फलस्वरूप वितरण परिवर्तकों की संख्या में वृद्धि तथा टी आर डब्लू के समुचित सुदृढ़ीकरण न होने से भी, कम्पनी ने वाह्य एजेन्सी से भी क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया (मई 1974)। उसी समय से परिवर्तकों की मरम्मत विभागीय एवं वाह्य दोनों एजेन्सियों द्वारा करायी जा रही है।

2.ब.7.1 विभागीय कार्यशालाओं द्वारा मरम्मत

टी आर डब्लू इलाहाबाद तथा बरेली में परिवर्तक की मरम्मत लागत वाह्य मरम्मत लागत की तुलना में अधिक थी

यद्यपि टी आर डब्लू की स्थापना पूर्व में यू पी एस ई बी द्वारा प्रारम्भ से ही की गयी थी, लेकिन कम्पनी द्वारा इनके निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए, इन कार्यशालाओं की स्थापित क्षमता अथवा मरम्मत का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। बोर्ड ने कार्यशाला में परिवर्तक की मरम्मत के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी न ही मरम्मत में लगने वाले समय का अनुश्रवण किया गया। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि विभागीय कार्यशालाओं में प्राप्त 260238 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों में से केवल 57813 परिवर्तक ही (22.2 प्रतिशत) 1999-2000 तक पिछले पाँच वर्षों में विभागीय कार्यशालाओं में मरम्मत किये जा सके। पाँच कार्यशाला खण्डों की नमूना जाँच से पुनः पता चला कि दो कार्यशाला खण्डों अर्थात् इलाहाबाद एवं बरेली की मरम्मत की लागत वाह्य एजेन्सी को दी जाने वाली अधिकतम मरम्मत प्रभारों की तुलना में अधिक थी, जिसके फलस्वरूप 4908 परिवर्तकों की मरम्मत पर 1999-2000 तक पिछले पाँच वर्षों में 3.62 करोड़ रुपये की धनराशि का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.ब.7.2 वाह्य एजेन्सियों से मरम्मत

ई एस पी सी-1 द्वारा निर्णीत दर संविदा के आधार पर फील्ड इकाईयों द्वारा क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की मरम्मत करायी जा रही है। नमूना, जाँच में पाये गये मुख्य बिन्दुओं की आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है :

2ब.7.2.1 मरम्मत किये गये परिवर्तकों के तकनीकी विशिष्टीकरण में परिवर्तन से हानि

मार्च 1993 से पूर्व, मरम्मत किये गये परिवर्तकों (25 के वी ए से 1000 के वी ए) के तकनीकी विशिष्टीकरण नये अधिप्राप्त परिवर्तकों के समान थे, जिसमें अधिकतम गारण्टीकृत लोड लॉस एवं नो लोड लॉस दिया गया था। अधिकतम गारण्टीकृत लोड लॉस एवं नो लोड लॉस से अधिक प्लस टाल्रेन्स वाले परिवर्तकों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता था।

तकनीकी विशिष्टीकरण में परिवर्तन द्वारा मरम्मत किये गये परिवर्तकों की गुणवत्ता निम्न स्तरीय कर दी गयी थी

मार्च 1993 में, कम्पनी ने वाह्य एजेन्सी द्वारा मरम्मत के तकनीकी विशिष्टीकरण को परिवर्तित करने का निर्णय लिया और मरम्मत के पश्चात बड़े पैमाने पर हो रही अस्वीकृतियों को रोकने के लिए गारण्टीकृत लॉस से ऊपर नो लोड लॉस में 10 प्रतिशत तथा लोड लॉस में 5 प्रतिशत प्लस टाल्रेन्स की अनुमति दी। तकनीकी विशिष्टीकरण में परिवर्तन की वजह कुछ परिवर्तकों के कोर, उनके बहुत पुराने हो जाने के कारण खराब होना आरोपित किया गया था। कम्पनी ने, खराब/अस्वस्थ कोर के परिवर्तकों को वाहय एजेन्सियों को मरम्मत के लिए देते समय निकालने की बजाय, तकनीकी विशिष्टीकरण में परिवर्तन कर दिया और वाह्य एजेन्सियों द्वारा मरम्मत योग्य सभी परिवर्तकों में प्लस टाल्रेन्स की अनुमति दे दी।

इस प्रकार, नो लोड तथा लोड लॉस में प्लस टाल्रेन्स की अनुमति देकर कम्पनी ने न केवल घटिया किस्म के मरम्मत किये गये परिवर्तक स्वीकार किये बल्कि मरम्मत किये गये परिवर्तकों में गारण्टीकृत हानि से ऊपर दी गयी टालरेन्स की सीमा तक परिहार्य ऊर्जा हानि वहन की। वाहय एजेन्सियों द्वारा 1999-2000 तक पिछले पाँच वर्षों में 177983 परिवर्तकों (25 के वी ए से 1000 के वी ए) की मरम्मत मे कुल 130.16 मि यू ऊर्जा की हानि (मूल्य 20.96 करोड़ रुपये) आगणित हुई।

2.ब.7.2.2 उच्चतर दर पर परिवर्तकों की मरम्मत

ई एस पी सी-I द्वारा निविदा विशिष्टीकरण संख्या ई एस पी सी-I/305/98 के विरुद्ध वितरण परिवर्तकों (25 के.वी.ए. से 250 के.वी.ए.) की मरम्मत दर संविदा (रेट कान्ट्रैक्ट) पर करने का निर्णय लिया गया था (अप्रैल 99) जो अब तक लागू थी (अप्रैल 2000)। पुनः यह ज्ञात हुआ कि कार्यशाला खण्डों द्वारा भी क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों (25 के वी ए से 250 के वी ए) की मरम्मत के लिए निविदा आमंत्रित करने के पश्चात, निर्णीत दर पर विभागीय कार्यशालाओं में कार्य कराया जा रहा है।

वाह्य एजेन्सियों से परिवर्तकों की मरम्मत उच्चतर दर पर करायी गयी थी

कार्यशाला खण्ड, मेरठ के अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों (25 के वी ए से 250 के वी ए)की मरम्मत के लिए निर्णीत दर, ई एस पी सी-I द्वारा निविदा विशिष्टीकरण सं. 305/98 के विरुद्ध निर्णीत दरों से काफी कम थी जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(रुपये में)

क्रम संख्या	मद (आईटम) के नाम	कार्यशाला खण्ड, मेरठ की दरें	ई एस पी सी–I की दरें	दरों में भिन्नता
1.	एच वी बुशिंग	58.62	85	26.38
.2	एल वी बुशिंग	8.85	20	11.15
3.	एच वी बुशिंग राड	24.05	75	50.95
4.	एल वी बुशिंग राड	24.69	60	35.31
6.	लेबर चार्ज (प्रति परिवर्तक)	624.50	2000	1375.50
	योग	**740.71**	**2240**	**1499.29**

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि ई एस पी सी-I की दरें कार्यशाला खण्ड मेरठ की तुलना में उच्चतर थी। यह सूचक है कि दरों को बिना उनकी तर्कसंगता का विश्लेषण किए निर्णीत किया गया था। इस प्रकार, उच्चतर दर देने के कारण, कम्पनी ने बाहरी मरम्मतकर्ताओं से अप्रैल 1999 से मार्च 2000 की अवधि में 38134 वितरण परिवर्तकों की मरम्मत पर 5.72 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

2ब.7.2.3 संशोधित मरम्मत प्रक्रिया न अपनाना

मरम्मत में धीमी प्रगति, एच वी/एल वी क्वायल्स में मैनीपुलेशन तथा इसके वजन इत्यादि की समस्या से निपटने के लिए, मुख्य अभियन्ता, सामग्री प्रबन्धन(एम एम)ने सदस्य (वितरण)का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त चलन में पूर्व प्रक्रिया तथा पंजाब एवं पूर्ववर्ती हरियाणा विद्युत परिषद द्वारा 'कोर एण्ड टैंक टाईप मरम्मत' के सम्बन्ध में अपनायी जा रही प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया (मार्च 1995)। रिपोर्ट की प्राप्ति पर, मुख्य अभियन्ता (एम एम)ने कम्पनी की प्रबन्धन समिति के समक्ष नए टाईप की मरम्मत जिसमें पुराने क्वायल्स (एच वी/एल वी) इत्यादि को निकालकर, विभागीय कार्यशाला में मरम्मत किए जाने वाले परिवर्तक में प्रयुक्त किया जा सके या स्क्रैप की तरह बेचा जा सके, (अर्थात् केवल कोर एवं टैंक मरम्मतकर्ता को दिये जाने) का प्रस्ताव रखा (अक्टूबर 1997)। कम्पनी की प्रबन्धन समिति ने, फिर भी, बिना कोई कारण अभिलेखित किए मरम्मत प्रक्रिया में परिवर्तन को स्थगित/टालने का निर्णय लिया (मार्च 1998)।

नवम्बर 1998 में, ई एस पी सी-1 ने 25 के वी ए से 250 के वी ए क्षमता के परिवर्तकों की दोनों प्रकार की मरम्मत के लिए, विशिष्टीकरण सं. 305/98 के विरुद्ध निविदायें आमंत्रित की और उसके आधार पर पाया गया कि केवल कोर एवं टैंक देकर क्षतिग्रस्त परिवर्तक की मरम्मत परम्परागत मरम्मत की तुलना में सस्ती थी, इसके अतिरिक्त इस प्रकार की मरम्मत से परिवर्तक बिल्कुल नये जैसा हो जाता है। तथापि, नई प्रक्रिया को कम्पनी द्वारा अपनाने का निर्णय अभी तक प्रतीक्षित था (अप्रैल 2000)।

निविदाओं की छानबीन से, तथापि, ज्ञात हुआ कि दोनों प्रकार की मरम्मत में प्रभावकारी दर बराबर है सिवाय इसके कि 50 प्रतिशत परिवर्तकों की मरम्मत एल वी क्वायल्स (450 रुपये से

कोर एवं टैंक प्रकार की मरम्मत सस्ती होने पर भी कम्पनी द्वारा अपनायी नहीं गयी थी

2400 रुपये प्रति परिवर्तक) की रिकन्डीशनिंग के बाद की जाती है, उस दशा में मरम्मत की लागत नए प्रकार की मरम्मत की लागत की तुलना में कम होगी। फिर भी, नए टाईप मरम्मत में अतिरिक्त प्राप्त होने वाली एल वी क्वायल्स के स्क्रैप मूल्य को लेते हुए तथा परिवर्तक की संयुक्त निरीक्षण की चर (परिवर्तनशील) लागत (750 रुपये प्रति परिवर्तक), जो कोर एवं टैंक टाईप मरम्मत में आवश्यक नहीं है, नए टाईप की मरम्मत इसकी क्वालिटी के अतिरिक्त, परम्परागत मरम्मत की तुलना में सस्ती थी। इसके अतिरिक्त, फर्म की कार्यशाला में घोषित किये गये अमितव्ययी परिवर्तक के भाड़े पर भी व्यय नहीं करना होगा। इस प्रकार, नए टाईप की मरम्मत को न अपनाने के कारण कम्पनी ने अप्रैल 1998 से मार्च 2000 में 84468 परिवर्तकों (25 के वी ए से 250 के वी ए) की मरम्मत पर 2.05 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

2ब.7.2.4 गारण्टी अवधि में विफल परिवर्तकों की मरम्मत न होना

विफल परिवर्तक संग्रहण रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि 55 से 61 प्रतिशत क्षतिग्रस्त परिवर्तक बिना वांछित नेम प्लेट, जिसमें निर्माता/मरम्मतकर्ता का नाम जिसके द्वारा आपूर्ति/मरम्मत की गई थी, अंकित रहता है, के प्राप्त किये गये थे। इसके अभाव में, कम्पनी एक वर्ष की गारण्टी अवधि में विफल परिवर्तकों को निःशुल्क मरम्मत कराये जाने के अवसर का लाभ नहीं उठा सकी।

पुनः यह पाया गया कि क्षतिग्रस्त परिवर्तक मरम्मतकर्ता को, पिछले आवंटन के विरुद्ध मरम्मत किये गये परिवर्तकों की अनुबंधित अवधि 2 माह के अन्दर वापसी अथवा मरम्मत किये गये परिवर्तकों की वापसी न किये जाने की दशा में नए परिवर्तक के मूल्य के बराबर धनराशि की कटौती सुनिश्चित किए बिना, सौंपे गये थे। लेखा परीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को आगे के प्रस्तरों में विवेचित किया गया है :

(अ) मरम्मतकर्ताओं द्वारा परिवर्तकों की वापसी न करना

वाह्य एजेन्सी को मरम्मत हेतु सौंपे गये क्षतिग्रस्त परिवर्तक 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात वापस प्राप्त किये गये थे जो जंग लगे हुए थे

विद्युत भण्डार खण्ड, कानपुर के अभिलेखों की छानबीन से ज्ञात हुआ कि 1.26 करोड़ रुपये (नवम्बर 1992) मूल्य के 25 के वी ए से 1.5 एम वी ए क्षमता के 326 क्षतिग्रस्त परिवर्तक 11 वितरण खण्डों द्वारा मार्च 1984 से सितम्बर 1986 में ट्राँसटेल इलेक्ट्रानिक्स कानपुर को ई एस पी सी-1 द्वारा विशिष्टीकरण संख्या ई एस पी सी -I/40/83/एस पी/आर सी-242/84 के अधीन निर्णित दर संविदा (अगस्त 1984) के विरुद्ध मरम्मत हेतु सौंपे गये थे। यद्यपि ठेकेदार द्वारा, प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर मरम्मत किये गये परिवर्तकों को लौटाना था, भण्डार खण्ड ने मरम्मत किये गये परिवर्तकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए इस अवधि में अप्रैल 1987 तक अर्थात् 3 वर्षों से अधिक, कोई प्रयास नहीं किये। इस बीच मे फर्म बन्द हो गयी, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार (जुलाई 1987) परिसमापन में चली गयी थी। फिर भी, न्यायालय के हस्तक्षेप (जनवरी 1996) के बाद, भण्डार खण्ड द्वारा 2.13 लाख रुपये (खण्ड द्वारा निर्धारित) मूल्य के 259 (326 में से) परिवर्तकों को ही स्क्रैप के रूप में प्राप्त किया जा सका (मई 1998) क्योंकि सभी परिवर्तक 12 वर्ष से भी अधिक अवधि के लम्बे भण्डारण के कारण जंग युक्त/अनुपयोगी हो गये थे।

इस प्रकार, कम्पनी को 1.24 करोड़ रुपये (1.26 करोड़ रुपये-0.02 करोड़ रुपये) की सीमा तक

हानि हुई। पुनः, कम्पनी ने दोषी कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी सुनिश्चत नहीं की (अप्रैल 2000)।

(ब) गारण्टी अवधि में विफल परिवर्तकों की मरम्मत न होने से हानि

गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त परिवर्तक 11 से 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी मरम्मत नहीं किये जा सके

विद्युत कार्यशाला खण्ड, बरेली के अभिलेखों की छानबीन से पता चला कि 28.04 लाख रुपये मूल्य के 25 के वी ए से 3 एम वी ए क्षमता के 65 परिवर्तक (ई एस पी सी-1 द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध मरम्मत किये गये) जो 1984 से 1989 के दौरान गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए थे, बरेली (14) तथा पीलीभीत (51) में क्रमशः 11 से 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी बिना मरम्मत के पड़े हुए थे (अप्रैल 2000)।

कम्पनी, फिर भी, मरम्मतकर्ता से इन परिवर्तकों की निःशुल्क मरम्मत कराये जाने अथवा उनके लम्बित बिलों से परिवर्तक का मूल्य वसूलने और इन परिवर्तकों को दूसरी एजेन्सी से मरम्मत कराये जाने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रही। कम्पनी को 28.04 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी क्योंकि ये सभी परिवर्तक समय व्यतीत हो जाने के कारण जंक लगे हुए थे और मरम्मत योग्य नहीं रह गये थे।

1997-98 में, 13.19 लाख रुपये मूल्य के 34 मरम्मत किये गये परिवर्तक (25 के वी ए से 400 के वी ए) तथा 0.75 लाख रुपए मूल्य के 63 के वी ए के दो नए परिवर्तक गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हो गये थे और भण्डार खण्ड, बरेली तथा हल्द्वानी में अब तक बिना मरम्मत के पड़े हुए थे (मार्च 2000)। तथापि, भण्डार खण्ड, हल्द्वानी ने, 12.94 लाख रुपये को बकाया छोड़कर 1.00 लाख रुपये वसूल कर लिये थे। उसकी वसूली अभी तक प्रतीक्षित थी (अप्रैल 2000)।

(स) परिवर्तक की मरम्मत/वापसी न होना

चूक करने वाले ठेकेदारों से परिवर्तकों की लागत नहीं वसूली गयी

विद्युत वितरण खण्ड, मेरठ में जून 1996 से मई 1999 के दौरान 24.20 लाख रुपये मूल्य के 15 आपूर्तिकर्ताओं से सम्बन्धित 77 परिवर्तक (25 के वी ए से 400 के वी ए क्षमता), गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनको मार्च 2000 तक मरम्मत/प्रतिस्थापित नहीं किया गया था। अनुबन्ध में दिये गये प्राविधानों के बावजूद, कम्पनी ने ठेकेदारों के लम्बित बिलों से परिवर्तक की लागत को भी वसूला नहीं था। इस प्रकार कम्पनी के 24.20 लाख रुपये की राशियाँ क्षतिग्रस्त परिवर्तकों में अवरुद्ध रहीं।

2ब.7.2.5 निष्क्रिय परिवर्तक

1984 में अधिप्राप्त पावर परिवर्तक 13 वर्षों तक निष्क्रिय पड़ा रहा

कम्पनी ने 132 के वी उपकेन्द्र, सोन पम्प कैनाल, मिर्जापुर के लिए एक 20 एम वी ए, 132/6.6 के वी पावर परिवर्तक (क्रम सं. बी-25346), आदेश दिनांक 31.5.1983(विशिष्टीकरण सं. एस डी-296) के विरुद्ध जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी, इलाहाबाद से 1984 में खरीदा था। परिवर्तक, फिर भी, जून 1989 तक अनउपयोजित पड़ा रहा।

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच में (दिसम्बर 1999) यह पाया गया कि जुलाई 1989 में परिवर्तक की कमीशनिंग के समय, खण्ड अधिकारी ने पाया कि कमीशनिंग संभव नहीं थी क्योंकि ऊपरी

ढक्कन पर तीनों 132 के वी बुशिंग नहीं लगी हुई थी जिस कारण पानी परिवर्तक के अन्दर चला गया था और यह निष्क्रिय हो गया था। इस तथ्य की पुष्टि जी ई सी ने भी उसी माह में ही संयुक्त निरीक्षण के दौरान की थी।

पुनः, पाँच वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद विद्युत पारेषण खण्ड, मिर्जापुर ने 5.77 लाख रुपये में इसकी मरम्मत करवायी (अक्टूबर 1995) और 1.60 लाख रुपए उसके भाड़े एवं टैस्टिंग पर खर्च किया। परिवर्तक फरवरी 1997 में ऊर्जीकृत किया गया था।

इस प्रकार, नए परिवर्तक का 13 वर्षों तक संस्थापन/कमीशनिंग न करने के कारण, पावर परिवर्तक क्रियाशील नहीं हो पाया और कम्पनी ने इसकी मरम्मत, भाड़ा एवं टैस्टिंग पर 7.37 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया। यह परिवर्तक के प्रति असावधानी तथा अनुचित भण्डारण को भी दर्शाती थी।

2ब.8 अनुपयोगी परिवर्तक/परिवर्तक तेल की स्क्रैपिंग तथा निस्तारण

2ब.8.1 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का विघटन न किया जाना

कम्पनी के आदेश (जून 1986) के अनुसार, जले हुए, क्षतिग्रस्त तथा अमितव्ययी परिवर्तकों का स्क्रैप की तरह निस्तारण उनके विघटन के पश्चात् भण्डार खण्ड द्वारा किया जाना था।

445 अनुपयोगी परिवर्तक निस्तारण के अभाव में कार्यशाला खण्डों में 5 से 13 वर्षों से पड़े हुए थे

आठ कार्यशाला खण्डों के अभिलेखों की जाँच से प्रकाश में आया कि 0.30 एम वी ए से 7.5 एम वी ए क्षमता के 445 क्षतिग्रस्त/अमितव्ययी परिवर्तक जिनका स्क्रैप मूल्य उनकी मूल लागत के 20 प्रतिशत के हिसाब से 1.98 करोड़ रुपये था, कार्यशाला खण्डों में पिछले 5 से 13 वर्षों से पड़े हुए थे, लेकिन उनको भण्डार खण्ड में विघटित और निस्तारित करने हेतु हस्तांतरण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस प्रकार, भण्डार खण्ड में स्थानातरण हेतु कार्यशाला खण्डों के स्तर पर विफलता के कारण कम्पनी के 1.98 करोड़ रुपए की राशि उपरोक्त अवधि में अवरुद्ध रही फलस्वरूप 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 35.60 लाख रुपये की परिहार्य भण्डार (इन्वेन्ट्री) लागत की हानि हुई।

2ब.8.2 जले हुए परिवर्तक तेल का निस्तारण न किया जाना

कम्पनी के आदेश (नवम्बर 1988) तथा परवर्ती निर्देशों के अनुसार सभी क्षतिग्रस्त परिवर्तक, कार्यशाला खण्डों के अधीन डैमेज्ड ट्राँसफार्मर कलेक्शन सेन्टर (डी टी सी) को वितरण खण्डों द्वारा सौंपे जाते हैं जहाँ पर परिवर्तक तेल निकाल लिया जाता है। निकाला गया परिवर्तक तेल पुनर्शोधन (रिक्लेमेशन) के पश्चात कार्यशाला खण्डों द्वारा मरम्मत किये गये परिवर्तकों में उनके द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। राशियों की निरुद्धता को बचाने के लिए, तेल की थोड़ी-थोड़ी चोरी तथा रिसाव को रोकने के लिए, जले हुए परिवर्तक तेल को भण्डार खण्ड में इसके पुनर्शोधन/निस्तारण के लिए भेज देना चाहिए।

जला हुआ परिवर्तक तेल पुनर्शोधन/निस्तारण के अभाव में भण्डार एवं कार्यशाला खण्डों में पड़ा रहा

1999-2000 तक पिछले पाँच वर्षों में चार कार्यशाला खण्डों के अभिलेखों तथा मासिक सामग्री (इन्वेन्ट्री) विवरणी की जाँच से प्रकाश में आया कि कार्यशाला एवं भण्डार खण्डों ने सम्बन्धित

भण्डार खण्डों को परिवर्तक तेल पुनर्शोधन/निस्तारण के लिए हस्तांतरित/प्रेषित नहीं किया। इसके फलस्वरूप, परिवर्तक तेल की वृहत मात्रा 404.04 किलो लीटर से 1529.37 किलो लीटर, 1995-96 से 1999-2000 की अवधि मे बिना पुनर्शोधन/बिना निस्तारण के पड़ी रही जिसमें कम्पनी की राशियाँ 72.73 लाख रुपये से 10.72 करोड़ रुपये तक अवरुद्ध रही। इसे बचाया जा सकता था यदि कम्पनी ने, वाह्य एजेन्सी द्वारा मरम्मत किये गये परिवर्तकों में नए तेल की जगह रिक्लेम्ड तेल उपयोग करने हेतु प्रयास किये गये होते जैसा कि कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (केसा), कम्पनी की एक इकाई द्वारा परिवर्तकों के निष्पादन को प्रभावित किये बिना, किया जा रहा था (दिसम्बर 1999)।

2ब.8.3 जले हुए परिवर्तक तेल की कम वापसी

क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से जले/गन्दे परिवर्तक तेल की मानक से काफी कम वसूली हुई

कम्पनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार (सितम्बर 1995), डी टी सी केन्द्रों पर लाये गये क्षतिग्रस्त परिवर्तकों से जले एवं गन्दे परिवर्तक तेल की वसूली परिवर्तक के तेल टैंक की क्षमता का 70 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। निर्धारित मानक से कम तेल की वसूली की दशा में, कारणों को अभिलेखित एवं उनकी जाँच की जानी चाहिए जिससे कम्पनी को होने वाली हानि को रोकने के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर तथा बरेली की चार कार्यशाला खण्डों 1999-2000 तक के पिछले पाँच वर्षों के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि जले एवं गन्दे परिवर्तक तेल की वसूली मानक से काफी कम थी और यह उक्त अवधि में 26.5 से 58 प्रतिशत के बीच रही, फलस्वरूप परिशिष्ट-18 के अनुसार 55906 परिवर्तकों से 2.09 करोड़ रुपये मूल्य के (18 रुपये प्रति लीटर की दर से) 1162.34 किलो लीटर कम परिवर्तक तेल की वसूली हुई। कम वसूली के कारण तथा किये गये प्रत्युपाय अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

2ब.8.4 जले हुए परिवर्तक तेल की बिक्री से हानि

भण्डार खण्ड, कानपुर एवं लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकाश में आया कि खण्डों ने अधीक्षण अभियन्ता, स्टोर सर्किल, कानपुर द्वारा जारी (नवम्बर 1999) लेटर आफ इन्टेन्ट के विरुद्ध जे पी ल्यूब केमिकल इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली को क्रमशः 145.00 किलो लीटर तथा 21.00 किलोलीटर जला हुआ परिवर्तक तेल 9.80 रुपए प्रति लीटर की दर से विक्रय किया गया (मार्च 2000)। परिवर्तक तेल यह जानते हुए भी विक्रय कर दिया गया था कि उसे मिनरल आयल कार्पोरेशन, कानपुर से 4.25 रुपए प्रति लीटर की कुल लागत पर रिक्लेम कराया जा सकता था जैसा कि कार्यशाला खण्ड, कानपुर और केसा द्वारा किया जा रहा था। पुनर्शोधित तेल के अभाव में भण्डार खण्ड, कानपुर को जनवरी 1996 से फरवरी 1999 की अवधि में 57.68 किलो लीटर नया तेल 23.40 रुपए से 26.90 रुपये प्रति लीटर की लागत पर क्रय करना पड़ा था।

इस प्रकार, 166.00 किलो लीटर तेल की बिक्री पर कम्पनी 21.33 लाख रुपए नये तेल एवं पुनर्शोधित तेल की लागत के अन्तर को बचा सकती थी।

निष्कर्ष

कम्पनी में परिवर्तकों की अधिप्राप्ति तथा निष्पादन, रूपांतरण क्षमता में असमानता, डिजाइनों के मानकीकृत न होने फलस्वरूप कम इन्पुट वाले परिवर्तकों की स्वीकृति, मरम्मत किये गये परिवर्तकों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता, निवारक रखरखाव का पालन न करने से अत्यधिक क्षति, हिस्ट्री कार्ड के रख-रखाव न होने के कारण गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की निःशुल्क मरम्मत कराने में असमर्थता, के रूप में प्रलक्षित थी। ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशाप के लिए लक्ष्य के अभाव के कारण कार्यशालाओं का कम उपयोग हुआ एवं उच्च दर की बाहरी मरम्मत पर निर्भरता बनी रही। यह निवारक रखरखाव की प्रणाली को प्रवाह मे लाने, डिजाईनों के मानकीकरण एवं व्यापक अनुश्रवण (मानीटरिंग) एवं नियन्त्रण तन्त्र को सुदृढ़ करने पर बल देता है।

प्रकरण कम्पनी एवं सरकार को सूचित किये गये थे (मई 2000); उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2000)।

2स. उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) द्वारा ताज़ ट्रैपेजियम क्षेत्र का विद्युतीकरण

मुख्य अंश

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र (टी टी ए) की पर्यावरणीय सुरक्षा करने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) द्वारा टी टी ए में निर्बाधित ऊर्जा आपूर्ति कायम रखने हेतु 189.64 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत की एक परियोजना परिकल्पित की।

(प्रस्तर 2.स.1 एवं 2.स.4.1)

आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित प्रेषण निर्देशों के कारण कम्पनी ने सामग्री की पुनः ढुलाई पर 0.14 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया।

(प्रस्तर 2.स.5.2)

विद्युत पारेषण खण्ड, आगरा एवं अलीगढ़ ने 1.10 करोड़ रुपये का व्यय उन कार्यों पर किया जो टी टी परियोजना में आच्छादित नहीं थे।

(प्रस्तर 2स.5.3)

16 नए 33/11 के वी उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइनों के निर्माण के लिए प्राक्कलन, 2.47 करोड़ रुपये द्वारा उच्चतर दिशा में तैयार किए गए जिसके कारण कम्पनी को ऋण राशि के अधिक आहरण पर 1.25 करोड़ रुपये की ब्याज देयता वहन करनी पड़ी।

(प्रस्तर 2स.5.5)

ए सी एस आर पैन्थर कन्डक्टर (100.202 कि मी) जो कि 0.77 करोड़ रुपये की कीमत पर अधिप्राप्त (जुलाई 1999) किया गया था, अप्रयुक्त रहा।

(प्रस्तर 2स.6.1)

87 परिवर्तक जिनका मूल्य 0.82 करोड़ रुपये था, आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्त किए गए।

(प्रस्तर 2स.6.2.1)

पहले से ही पूर्ण किए जा चुके कार्यों के विरुद्ध 0.20 करोड़ रुपये की सामग्री निर्गत की गई।

(प्रस्तर 2स.7.2.1 एवं 2स.7.2.2)

पारेषण एवं वितरण शाखाओं के मैचिंग निर्माण कार्य समन्वित ढंग से न करने के कारण विलम्ब हुआ तथा कम्पनी द्वारा 3.57 करोड़ रुपये का व्यय करने के पश्चात भी उपभोक्ताओं द्वारा लाभ नही उठाये जा सके।

(प्रस्तर 2स.8.3.1 एवं 2.स.8.3.2)

2स.1 प्रस्तावना

माननीय उच्चतम् न्यायालय ने एक याचिका में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड सहित अन्य एजेन्सियों को राज्य के, आगरा के लगभग सम्पूर्ण जिले, मथुरा, हाथरस (अलीगढ़), फिरोजाबाद एवं एटा जिला के आंशिक हिस्से को सम्मिलित करते हुए ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु निर्देशित किया (अप्रैल 1996)। उपरोक्त दृष्टि से, कम्पनी को डीजल जनरेटिंग सेटों के प्रयोग से विषैले धुऐं के उत्सर्जन को कम करने के लिए ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र (टी टी ए) में निर्बाधित ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने हेतु, निर्देशित किया गया। इस उद्देश्य से, कम्पनी ने पारेषण एवं वितरण की विद्यमान प्रणाली में, नए उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण तथा विद्यमान उपकेन्द्रों एवं लाइनों की क्षमता वृद्धि द्वारा, जो अप्रैल 1999 तक पूर्ण हो जानी थी, सुधार करने का प्रस्ताव रखा।

2स.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य सरकार ने टी टी ए में किये जाने वाले कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण (मॉनीटर) करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव (ऊर्जा) तथा कम्पनी के सदस्य (पारेषण), सदस्य (वितरण), सदस्य (वित्त एवं लेखा) तथा मुख्य अभियन्ता (पारेषण) को सम्मिलित करते हुए एक समिति गठित की (दिसम्बर 1996)। इसके अलावा, मुख्य अभियन्ता (पारेषण परिकल्प) को सामग्री आवंटन एवं परिकल्प विवरणों का समन्वय सौंपा गया। क्षेत्र स्तर पर, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (मु. क्षे.अ.) आगरा तथा मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम) मेरठ को क्रमशः वितरण एवं पारेषण कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी बनाया गया। मु.क्षे.अ. आगरा को ताज ट्रैपेजियम (टी टी) कार्यों के अनुपालन समिति को देने के लिए, नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करना था।

2स.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

जनवरी 1999 से अप्रैल 1999 तथा अक्टूबर 1999 से जनवरी 2000 के बीच सम्पादित समीक्षा में वित्त, योजना, टी टी ए में नए उपकेन्द्रों/लाइनों का निष्पादन एवं संचालन और प्रणाली सुधार कार्य सम्मिलित हैं। 23 इकाईयों में से 16 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसके परिणामों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

2स.4 परियोजना अनुमान तथा वित्त पोषण

2स.4.1 परियोजना अनुमान

कम्पनी ने टी टी ए में पारेषण, रूपान्तरण, एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 189.64 करोड़

कम्पनी ने अल्प, मध्यम तथा दीर्घ कालीन उपायों के हिस्से के रूप में पारेषण रूपान्तरण तथा वितरण प्रणाली में सुधार हेतु 189.64 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत की एक परियोजना तैयार की

रुपए की प्राक्कलित लागत की एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की (1995-96)। प्रस्तावित सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए कार्यो को अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन उपायों के रूप में अलग किया गया। ये उपाय टी टी ए में निर्बाधित ऊर्जा आपूर्ति को परिकल्पित करते थे। यह संकल्पित किया गया था कि अगस्त 1996 तथा अप्रैल 1998 में अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन उपायों के पूर्ण हो जाने पर आगरा महानगर की ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति में 30 प्रतिशत का सुधार होगा तथा दीर्घकालीन उपायों की पूर्णता पर टी टी ए में निर्बाधित ऊर्जा आपूर्ति 100 प्रतिशत होगा।

2स.4.2 भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन

उपरोक्त उपायो के विरुद्ध भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन जैसा कि परिशिष्ट-19 में दिया है, निम्नवत् दर्शाये गये हैं:

1. अल्प एवं मध्यम कालीन उपाय नवम्बर 1998 तक पूर्ण हुए। मध्यम कालीन उपायों में समय वृद्धि 6 से 21 माहों तक रही।

2. मध्यमकालीन उपायों हेतु 124.61 करोड़ रुपए के प्राक्कलित व्यय के विरुद्ध वास्तविक व्यय 100.82 करोड़ रुपये था जिससे 23.79 करोड़ रुपये की बचत हुई।

3. दीर्घकालीन उपायों के विरुद्ध भौतिक उपलब्धि 60 से 100 प्रतिशत के बीच रही। 58.76 करोड़ रुपये के प्रावधानों के विरुद्ध जून 2000 तक वास्तविक व्यय 55.33 करोड़ रुपये था।

कम्पनी ने अल्प/मध्यकालीन उपायों के फलस्वरुप होने वाले ऊर्जा आपूर्ति में सुधार के अनुश्रवण हेतु कोई अभिलेख नहीं रखे थे।

तथापि, लेखा परीक्षा में विश्लेषण ने दर्शाया कि यद्यपि अल्प/मध्यमकालीन उपाय पूर्ण हो चुके थे, फिर भी आगरा महानगर में ऊर्जा आपूर्ति में सुधार, जैसा परियोजना में संकल्पित था, निम्न कारणों से नहीं हुआ:

1. अल्प/मध्यमकालीन उपायों के पूर्ण होने के पूर्व क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का प्रतिशत 16 से 18 प्रतिशत के बीच था। उपायों के पूरे होने के बाद विफलता की सीमा 16 से 20 प्रतिशत के बीच रही, जिसने ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया।

2. आगरा महानगर की लाइन हानियाँ जो उपायों के पूर्ण होने के पूर्व 37 प्रतिशत थी, बाद में 45 प्रतिशत हो गई।

3. 30 प्रतिशत के प्रक्षिप्त (प्रोजेक्टिड) सुधार के विरुद्ध 5.5 प्रतिशत की सीमान्त वृद्धि दर्शाते हुए ऊर्जा का उपभोग जो 1996-97 में 126 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह था, 1999-2000 में 133 युनिट प्रति किलोवाट प्रति माह हो गया।

4. मध्यमकालीन उपायों पर व्यय में बचत इस तथ्य को इंगित करता था कि अनुमान

वास्तविकता के आधार पर नहीं बनाया गया था जैसा अनुवर्ती प्रस्तर 2.स.5.5 में चर्चा की गई है।

5. अप्रैल 1999 से जून 2000 की अवधि में अर्थात् अल्प/मध्यम कालीन उपायों के पूरा होने के पश्चात् आगरा महानगर में प्रतिदिन औसत ऊर्जा आपूर्ति 17 और 23:30 घंटों के बीच रही जैसा कि पाँच 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया।

6. लेखा परीक्षा में नमूना जाँच ने दर्शाया कि तीन 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों अर्थात् शहीद नगर, बैरक रोड एवं होटल काम्पलेक्स अपनी क्षमता से अब भी 10.6 से 37.2 प्रतिशत तक अतिभारित थे जिसके कारण बारम्बार लोडशेडिंग, ब्रेक डाउनस तथा ट्रिपिंग्स हो रहीं थीं।

2स.4.3 परियोजना वित्तपोषण

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, 189.64 करोड़ रुपये में से 90.10 करोड़ रुपये कम्पनी द्वारा अपने निजी श्रोतों से तथा अवशेष 99.54 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय सहायता से वहन किए जाने थे। भारत सरकार ने 63 करोड़ रुपये 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज वाले ऋण के रूप में तथा 27 करोड़ रुपये राज्य सरकार को अनुदान के रूप में देने की सहमति दी जो राज्य सरकार को सहमति की शर्तो पर वितरित किए गए (नवम्बर 1996)। तथापि, राज्य सरकार ने 90.00 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण राशि कम्पनी को 14.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण के रूप में वितरित की (दिसम्बर 1996)।

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान (27 करोड़ रुपये) को ऋण में परिवर्तित कर दिए जाने के कारण कम्पनी पर 27 करोड़ रुपये के पूँजीगत दायित्व के साथ ही 3.91 करोड़ रुपये वार्षिक ब्याज दायित्व का भार पड़ा जिसकी परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पना नहीं की गयी थी। कम्पनी ने, तथापि, अनुदान को ऋण में बदले जाने के विरुद्ध राज्य सरकार तक पहुंच नहीं बनाई।

2स.5 व्यय

189.64 करोड़ रुपये के प्राक्कलित व्यय में से कम्पनी द्वारा अपने निजी श्रोतों तथा ऋण राशियों से किया गया वास्तविक व्यय जून 2000 तक 162.42 करोड़ रुपये था। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गए:

2स.5.1 टी टी व्यय में वृद्धि

टी टी व्यय को 8.36 करोड़ रुपये से बढ़ा कर दिखाया गया

टी टी कार्यों के लिए गठित समिति ने 21 फरवरी 1997 की अपनी बैठक में निर्णय लिया कि टी टी कार्यों के प्राक्कलनों में स्थापना प्रभार का कोई भी प्रतिशत नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि कम्पनी द्वारा अलग से कोई भी संस्थापना को विकसित नहीं करना था। तथापि, लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि इस तथ्य के बावजूद, कि टी टी कार्यों के प्राक्कलन/पैकेजों को बिना स्थापना प्रभार भारित किए स्वीकृत किया गया था, समिति के निर्णय के उल्लंघन में 12 खण्डों ने वर्ष

1997-98 तथा 1998-99 के वार्षिक लेखों में टी टी कार्यों के व्यय पर स्थापना प्रभार के रूप में कार्य की लागत में 31.5 प्रतिशत जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, टी टी व्यय 7.11 करोड़ रुपये से बढ़ गये।

इसी तरह, टी टी कार्यों के मामले में, परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि, कन्डक्टर एवं केबिल के बदलने के कारण कुछ पुरानी सामग्री स्थल से वापस प्राप्त की गई। तथापि, टी टी का व्यय लेखा, वापस प्राप्त किये गये पुरानी सामग्री के मूल्य से कम नहीं किया गया। 160 स्वीकृत प्राक्कलन/पैकेजों की नमूना जाँच में टी टी व्यय 1.25 करोड़ रुपये की सीमा तक बढ़ गया था।

इस प्रकार, टी टी कार्यों का व्यय, टी टी कार्यों पर स्थापना प्रभार (7.11 करोड़ रुपये) भारित करने तथा साइट से वापस प्राप्त पुरानी सामग्री के मूल्य (1.25 करोड़ रुपए) न घटाने के कारण, 8.36 करोड़ रुपये से बढ़ा दिया गया।

2स.5.2 सामग्री की ढुलाई पर परिहार्य व्यय

मु.क्षे.अ. आगरा एवं विद्युत भण्डार क्रय मंडल लखनऊ द्वारा अधिप्राप्त सामग्री की दरें उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान के लिए एफ ओ आर गंतव्य थीं। नमूना जाँच में यह देखा गया कि मथुरा तथा फिरोजाबाद में टी टी कार्यों के लिए वांछित सामग्री पहले आगरा में प्राप्त की गई और बाद में (दिसम्बर 1997 से दिसम्बर 1999) चार विद्युत वितरण खण्डों द्वारा ढुलाई पर 13.60 लाख रुपए का व्यय करके मथुरा एवं फिरोजाबाद लाई गई। यदि आपूर्तिकर्ताओं को उचित प्रेषण निर्देश विद्युत भण्डार केन्द्रों मथुरा तथा फिरोजाबाद में सामग्री की आपूर्ति हेतु दिए गए होते तो ढुलाई पर हुए 13.60 लाख रुपये के व्यय को बचाया जा सकता था।

2स.5.3 टी टी परियोजना में न शामिल कार्यों पर व्यय

1.10 करोड़ रुपए का व्यय उन कार्यों पर किया गया जो टी टी परियोजना में सम्मिलित नहीं थे

टी टी क्षेत्र में निर्बाधित ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान पुराने उपकरणों का नवीनीकरण एवं परिवर्तित किया जाना भी टी टी परियोजना में प्रस्तावित था। पारेषण शाखा में आर एन्ड आर कार्यों हेतु 2.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। विद्युत पारेषण खण्ड (वि. पारे.खं.) आगरा एवं अलीगढ़ के अभिलेखों की जाँच ने प्रकट किया कि टी टी राशि से 1.10 करोड़ रुपये का व्यय आर. एन्ड आर कार्यों (ऊपर संदर्भित) के अतिरिक्त किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

(अ) वि.पारे.खं. आगरा ने नवम्बर 1998 से दिसम्बर 1999 में 84.77 लाख रुपए का व्यय टी टी परियोजना में न सम्मिलित विविध कार्यो जैसे स्विचयार्डो की प्रकाश व्यवस्था, उपकेन्द्रों पर अग्नि शामक प्रबन्ध, स्विचयार्डों में सिविल कार्य, मल्सीफायर प्रणाली[31] उपलब्ध कराने एवं उपकरणों की रंगाई आदि पर किया गया। चूंकि ये कार्य विद्यमान उपकरणों के आर एन्ड आर से सम्बन्धित नहीं थे, अतः खण्ड द्वारा टी टी राशियों से किया गया 84.77 लाख रुपये का व्यय नियमित नहीं था।

31 यह एक बचाव उपकरण है।

(ब) वि.पारे.खं. अलीगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि खण्ड द्वारा यमुना क्रासिंग पर 132 के वी गोकुल मथुरा लाइन के विद्यमान कन्डक्टर को बदलने में 13.13 लाख रुपये का व्यय जुलाई से अगस्त 1999 के मध्य किया जो टी टी परियोजना में परिकल्पित नहीं था।

(स) टी टी कार्यों की समिति ने अपनी अगस्त 1998 की बैठक में निर्णय लिया कि ऋण धनराशियों का उपयोग टी टी कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर नहीं किया जाएगा। तथापि, चार वितरण खण्डों/मण्डलों के अभिलेखों की जाँच ने प्रकट किया कि सामान्य व्यवहार में कार्यों के परिचालन एवं रख रखाव (ओ एन्ड एम) हेतु वांछित 11.78 लाख रुपए मूल्य की सामग्री का क्रय जुलाई 1997 से अक्टूबर 1999 की अवधि में ली गई ऋण राशियों के उपयोग द्वारा किया गया।

2स.5.4 उपकरण का अनियमित प्रतिस्थापन

उपकरणों के अनावश्यक प्रतिस्थापन से 0.12 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ

टी टी परियोजना के अन्तर्गत पुराने उपकरण को बदलने के लिए मण्डल स्क्रैप समिति का अनुमोदन आवश्यक था। समिति ने 132/33 के वी उपकेन्द्र मथुरा के केवल एक मिनीमम आयल सक्रिट ब्रेकर (एम ओ सी बी) को बदलने हेतु अनुमोदित किया (अक्टूबर 1998)। तथापि, उपरोक्त परिवर्तन के अतिरिक्त वि.पारे.खं. अलीगढ़ द्वारा अप्रैल 1998 से जुलाई 1999 के दौरान 9.09 लाख रुपए मूल्य के दो 132 के वी, एम ओ सी बी तथा 2.84 लाख रुपए मूल्य के तीन 145 के वी करेन्ट ट्रासफार्मर (सी टी) 800/400/1 एम्पीयर बदले गए। इस प्रकार, उपकरण जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं थी, बदल दिए गये जिसके कारण 11.93 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

2स.5.5 व्यय का अधिक आँकलन

प्राक्कलन, कार्यों पर हुई वास्तविक लागत से 23.4 प्रतिशत तक उच्चतर थे

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI, के अनुच्छेद 317 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रावधान के अनुसार प्राक्कलन इस ढंग से तैयार किए जाने चाहिए कि सम्पूर्ण विचलन 10 प्रतिशत से अधिक(+)/(–)कम न हो। तथापि, यह देखा गया कि 16 नए 33/11 के वी उपकेन्द्रों तथा सम्बन्धित लाइनों के निर्माण हेतु 10.54 करोड़ रुपये के (सिविल कार्यों की लागत सम्मिलित करते हुए) प्राक्कलन तैयार किए गए थे। जिसके विरुद्ध कार्यों को 8.07 करोड़ रुपये व्यय करके पूर्ण कराया गया। यह इस तथ्य का द्योतक है कि उच्चतम दर पर तैयार किये जाने से प्राक्कलन 2.47 करोड़ रुपये (23.4 प्रतिशत उच्चतर) से बढ़ गये थे, जिसके कारण कम्पनी को जनवरी 1997 से जून 2000 की अवधि में ऋण राशियों के अधिक आहरण पर 14.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 1.25 करोड़ रुपये की ब्याज देयता वहन करनी पड़ी।

2स.6 सामग्री की अधिप्राप्ति

सामग्री की अधिप्राप्ति वास्तविक आवश्यकता के आँकलन के स्थान पर अनन्तिम आवश्यकता के आधार पर की गई

टी टी राशियों के अधिकतम उपयोग प्राप्त करने के लिए, मु.क्षे.अ. आगरा एवं मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम) मेरठ द्वारा अपनी सम्बन्धित शाखाओं के कार्य करवाने हेतु सामग्री की अधिप्राप्ति पर दक्ष नियंत्रण का प्रयोग करना अपेक्षित था। इसके विपरीत, मु.क्षे.अ. आगरा ने लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने हेतु सामग्री का प्रबन्ध वास्तविक आवश्यकता के आँकलन के स्थान पर अनन्तिम आवश्यकता के आधार पर किया। कम्पनी के भण्डार संगठन (स्टोर आर्गेनाइजेशन) और अधीक्षण

अभियन्ता विद्युत भण्डार क्रय मंडल (ई एस पी सी) लखनऊ द्वारा समय-2 पर निर्णीत निविदाओं के आधार पर सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु आपूर्ति आदेश जारी किये गये । खण्ड अधिकारी कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी स्तर पर विकेन्द्रीकृत मदों का प्रबन्ध करने के लिए अधिकृत थे।

प्रणाली दोषों के कारण बिना आवश्यकता के क्रय, सामग्री की अधिक प्राप्ति, दोषपूर्ण आपूर्ति, इत्यादि थे, जिसकी चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गई है :

2स.6.1 बिना आवश्यकता के क्रय

मु.क्षे.अ. आगरा ने जयपुर की एक फर्म को 100.202 किलोमीटर ए सी एस आर पैन्थर कन्डक्टर की आपूर्ति का आदेश दिया (मई 1999)। जुलाई 1999 में प्राप्त 76.64 लाख रुपए मूल्य के ए सी एस आर पैन्थर कन्डक्टर की सम्पूर्ण मात्रा अब तक अप्रयुक्त रही (दिसम्बर 1999) क्योंकि परियोजना रिपोर्ट में वितरण कार्यों हेतु ए सी एस आर पैन्थर कन्डक्टर की आवश्यकता ही नहीं थी।

पुनः, यह देखा गया कि टी टी राशियों से जुलाई 1997 में अधिप्राप्त 18.32 लाख रुपए का 22.187 कि मी ए सी एस आर पैन्थर कन्डक्टर विद्युत पारेषण खण्ड आगरा में उपरोक्त आपूर्ति आदेश निर्गत करते समय पहले से ही अप्रयुक्त पड़ा था (मई 1999)।

2स.6.2 सामग्री की अधिक अधिप्राप्ति

इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि मई 1997 और तत्पश्चात् अधिप्राप्त 3.09 करोड़ रुपये की सामग्री (वितरण शाखाः 2.75 करोड़ रुपये, पारेषण शाखा:0.34 करोड़ रुपये) टी टी कार्यों के पूरा हो जाने के बाद भी विभिन्न भण्डारों में अप्रयुक्त पड़ी थी (दिसम्बर 1999)।

इसके अलावा, अधिक अधिप्राप्ति के निम्न दो प्रकरण और भी देखे गए :

2स.6.2.1 परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, नए उपकेन्द्रों के निर्माण/विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि हेतु वस्तुतः 205 परिवर्तकों की आवश्यकता थी। इसके विरुद्ध, मु.क्षे.अ. आगरा, ने मई 1997 से दिसम्बर 1999 के दौरान 292 परिवर्तकों की अधिप्राप्ति की जो 82 लाख रुपए मूल्य के 87 परिवर्तकों की अधिक अधिप्राप्ति में परिणामित हुई। ये परिवर्तक टी टी कार्यों में अब तक अप्रयुक्त पड़े थे (दिसम्बर 1999)।

2स.6.2.2 220 के वी उपकेन्द्र, गोकुल, मथुरा, के निर्माण कार्य के लिए तीन 245 के वी करेन्ट ट्रान्सफार्मर (सी टी) की आवश्यकता के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड अलीगढ़ ने 12.79 लाख रुपए की लागत पर छः 245 के. वी., सी. टी. की अधिप्राप्ति की (मार्च 1998)। अधिक अधिप्राप्त तीन सी टी 6.39 लाख रुपए मूल्य की अप्रयुक्त पड़ी थीं (जनवरी 2000)।

2स.6.3 दोषपूर्ण स्विचगेयरों की लागत की वसूली न होना

0.08 करोड़ रुपए मूल्य के दोषपूर्ण उपकरणों के प्रतिस्थापन के प्रयास नहीं किये गये

मु.क्षे.अ. आगरा ने बीको लारी मद्रास को, वैधानिक शुल्कों को छोड़कर, 46.85 लाख रुपए की लागत पर 7 इनकमिंग तथा 21 आउटगोइंग 11 के वी स्विच गेयरों की आपूर्ति हेतु एक आदेश दिया (फरवरी 1998) जिसके विरुद्ध पूरी मात्रा प्राप्त हो गई (मार्च 1998)। उनमें से, 8.20 लाख रुपए मूल्य के एक इनकमिंग तथा तीन आउटगोइंग स्विचगेयर विद्युत नगरीय वितरण खण्ड II आगरा को 33/11 के वी उपकेन्द्र, संजय प्लेस आगरा पर स्थापित करने हेतु निर्गत किए गए। निर्माण दोषों के कारण इन स्विचगेयरों को प्रतिस्थापन के समय (अप्रैल 1999) ऊर्जीकृत नहीं किया जा सका। न तो दोषपूर्ण स्विचगेयर बदले गए न ही इनकी लागत फर्म से वसूल की गई यद्यपि गारन्टी अवधि अगस्त 1999 में समाप्त हो गई थी।

2स.7 सामग्री का निर्गमन

सामग्री को स्वीकृत प्राक्कलनों के प्रावधानों के अनुसार निर्गत नहीं किया गया

कार्यों के निष्पादन हेतु सामग्री के निर्गमन पर नियत्रंण रखने हेतु कम्पनी ने निर्धारित किया (मार्च 1986) कि सामग्री स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुरूप निर्गत की जानी चाहिए। इसके विपरीत, भण्डार अधीक्षक (टी टी) ने 2.12 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री 64 बीजकों के द्वारा मई 1997 से जुलाई 1999 की अवधि में बिना प्राक्कलन के निर्गत की।

2स.7.1 टी टी कार्यों के अलावा सामग्री का उपयोग

टी टी कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्री का उपयोग टी टी कार्य के अलावा किया गया

टी टी कार्यों की समिति ने फरवरी/जुलाई 1997 में निर्णय लिया कि टी टी कार्यों के लिए अधिप्राप्ति की गई सामग्री का उपयोग टी टी कार्यों के अतिरिक्त नहीं किया जाएगा। अभिलेखों की जाँच ने प्रकट किया कि 38.64 लाख रुपए मूल्य की सामग्री जून 1997 से अक्टूबर 1999 की अवधि में जब टी टी कार्य प्रगति पर थे, उन कार्यों के लिए निर्गत एवं उपयोजित की गई जो टी टी परियोजना में सम्मिलित नहीं थे एवं उन स्थानों के कार्यों पर की गई जो टी टी क्षेत्र से भी बाहर थे।

2स.7.2 पहले से पूर्ण कार्यों के विरुद्ध सामग्री का निर्गमन

ऋण राशि से अधिप्राप्त 0.20 करोड़ रुपए की सामग्री उन कार्यों के विरुद्ध निर्गमित की गई जो पहले से ही कम्पनी द्वारा अपने निजी श्रोतों से निष्पादित किए जा चुके थे

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, 33/11 के वी उपकेन्द्र, वाटर वर्क्स आगरा तथा शहीद नगर की क्षमता वृद्धि का कार्य टी टी के कार्य के आरम्भ होने के पूर्व ही कम्पनी के निजी श्रोतों द्वारा पूरे किए जा चुके थे। तथापि, अभिलेखों की जाँच ने निम्नवत् प्रकट किया:

2स.7.2.1 विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (वि न वि ख) III आगरा में यह देखा गया कि दिसम्बर 1999 तक टी टी राशि से अधिप्राप्त 7.42 लाख रुपए मूल्य की सामग्री 33/11 के वी उपकेन्द्र, वाटर वर्क्स आगरा की क्षमता वृद्धि के लिए निर्गत की गयी जो अगस्त 1996 में ही पूर्ण हो चुका था।

2स.7.2.2 कम्पनी के अपने निजी श्रोतों से 5 एम वी ए का एक परिवर्तक प्रतिस्थापन कर, 33/11 के.वी. उपकेन्द्र, शहीद नगर की 2x5 एम वी ए से 3x5 एम वी ए क्षमता वृद्धि प्रस्तावित

थी। तथापि, अभिलेखों की जाँच ने प्रकट किया कि उपरोक्त उपकेन्द्र के निर्माण के विरुद्ध 13 लाख रुपए मूल्य का एक 5 एम वी ए परिवर्तक निर्गत किया गया (दिसम्बर 1999) जो पहले ही पूर्ण हो चुका था (अगस्त 1996)।

पहले से ही पूर्ण हो गए कार्यों के विरुद्ध 20.42 लाख रुपए मूल्य की सामग्री के निर्गमन जैसा कि प्रस्तर 2 स.7.2.1 तथा 2स.7.2.2 में उल्लिखित है, के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

2स.7.3 कार्यों की पूर्णता आख्या

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI का अनुच्छेद 339, प्रत्येक कार्य जैसे ही पूरा हो जाए, कार्य समाप्ति प्रतिवेदन तैयार करने का प्रावधान करता है जिससे उस विशेष कार्य के विरुद्ध सामग्री का वास्तविक निर्गमन सुनिश्चित किया जा सके। वि.पारे.ख. आगरा के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि पाँच पारेषण लाइनों का कार्य, प्रथम चरण में अक्टूबर 1997 से अगस्त 1998 के दौरान पूरा हो गया था तथा 132 के वी डबल सर्किट आगरा शमसाबाद लाइन द्वितीय चरण में पूर्ण तथा अक्टूबर 1999 में ऊर्जीकृत हो चुकी थी, परन्तु उपरोक्त लाइनों के विरुद्ध सामग्री के वास्तविक उपभोग को सुनिश्चित करने हेतु लाइन वार कार्य समाप्ति प्रतिवेदन अभी तक तैयार नही किये गये थे (मार्च 2000), जिसके कारण लाइनों के पूरा हो जाने के पश्चात् ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री की मात्रा, लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। तथापि, 132 केवी, डी सी आगरा शमसाबाद लाइन (27.540 कि मी) की निर्मित लम्बाई के आधार पर, केवल 168.54 कि मी ए सी एस आर पैन्थर कंडक्टर ठेकेदार को निर्गमित किया जाना था जिसके विरुद्ध 183.186 कि मी कंडक्टर अप्रैल 1998 से अक्टूबर 1999 के दौरान निर्गमित किया गया। न तो कन्डक्टर की 12.09 लाख रुपए मूल्य की अधिक मात्रा (14.646 कि मी) ठेकेदार से वापस प्राप्त की गई और न ही अधिक निर्गमन का औचित्य अभिलेख में उपलब्ध था।

2स.8 कार्यों का निष्पादन

कार्यों के निष्पादन में पायी गई अनियमिताओं पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

2स.8.1 प्राक्कलनों का न बनाना/अनुचित प्राक्कलन

3.10 करोड़ रूपये के 40 कार्य बिना प्राक्कलनों की तैयारी के कराये गये

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI का अनुच्छेद 375 प्रावधान करता है कि कोई भी कार्य, बिना उचित प्राक्कलन तैयार किए तथा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए शुरू नहीं करना चाहिए। वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान, चार खण्डों ने प्रावधानों के उल्लंघन में 3.10 करोड़ रुपये के 40 कार्यों को प्राक्कलनों की बिना तैयारी तथा स्वीकृति के कराया गया।

निष्पादित मात्रओं में इतना बड़ा विचलन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कराया गया था

पुनः, विद्युत सिविल निर्माण खण्ड अलीगढ़ ने 400 के वी विद्युत उपकेन्द्र आगरा में सिविल कार्य कराने के लिए केवल 32.38 लाख रुपए का एक प्राक्कलन तैयार किया। तथापि, कार्य वास्तव में जुलाई 1997 से मार्च 1999 की अवधि में 72.09 लाख रुपए की लागत पर पूरा किया गया। मात्रा में इतने अधिक विचलन के कारण न तो अभिलेखों में उपलब्ध थे और न ही विचलन को सक्षम अधिकारी से अभी तक अनुमोदित कराया गया था (अक्टूबर 1999)।

2स.8.2 प्राक्कलनों से अधिक व्यय

व्यय प्राक्कलनों से अधिक बढ़ गया

विद्युत वितरण खण्ड आगरा की अक्टूबर 1998 की प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, खण्ड के सभी लक्षित कार्य 5.09 करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि के विरुद्ध 4.99 करोड़ रुपये का व्यय करके पूर्ण होना बताया गया। तथापि, अभिलेखों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि खण्ड ने 10.33 लाख रुपए की प्राक्कलित राशि के अवशेष कार्यों के विरुद्ध, मासिक लेखों के अनुसार 73.11 लाख रुपए का व्यय नवम्बर 1998 से अगस्त 1999 के दौरान किया। प्राक्कलन से अधिक 62.78 लाख रुपए के व्यय के कोई कारण अभिलेख में नहीं पाए गए।

2स.8.3 समरूप कार्यों का निष्पादन न होना

पारेषण एवं वितरण कार्य एक साथ नहीं हुए

पारेषण एवं वितरण शाखाओं से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन के लिए नियोजन इस ढंग से की जानी चाहिए थी कि प्रत्येक शाखा में सभी समरूप निर्माण कार्य सुव्यवस्थित एवं समय से पूरे हो जाए। तथापि, यह देखा गया कि समन्वित ढंग से समरूप निर्माण कार्यों की कमी के कारण 3.57 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा लाभ प्राप्त न किए जा सके जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2स.8.3.1 33 के वी बे का अप्रयुक्त रहना

वि.पारे.ख., आगरा तथा अलीगढ़ द्वारा फरवरी 1998 से अप्रैल 1999 की अवधि में 34.11 लाख रुपए की कुल लागत से 220 के वी उपकेन्द्र फिरोजाबाद, 132 के वी उपकेन्द्र कोसी कलां तथा सादाबाद पर चार 33 के वी बे निर्मित की गई। वितरण शाखा द्वारा निर्मित सम्बन्धित 33/11 के वी पोषक के निर्माण नहीं किये जाने से इन बे का उपयोग ऊर्जा हस्तांतरण हेतु नहीं किया जा सका।

2स.8.3.2 33/11 के वी उपकेन्द्र का उपयोग न होना

टी टी क्षेत्र में विद्यमान 33/11 के वी उपकेन्द्र के अतिभार को कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सेकेन्ड्री वर्क्स डिवीजन, आगरा द्वारा जून 1998 से नवम्बर 1999 की अवधि में 3.23 करोड़ रुपये की कुल लागत से सम्बन्धित लाइनों सहित छः नए 33/11 के वी उपकेन्द्र (तीन फिरोजाबाद, दो मथुरा तथा एक आगरा में) निर्मित किए गए। इन उपकेन्द्रों के उपयोग हेतु, द्वितीय चरण में सम्बन्धित वितरण खण्डों द्वारा 11 के वी फीडर निर्मित किए जाने थे। वि वि ख प्रथम मथुरा एवं वि वि ख फिरोजाबाद के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि सम्बन्धित खण्डों द्वारा केवल दो उपकेन्द्रों (माई तथा नरखी) के सम्बन्ध में सम्बन्धित 11 के वी फीडरों के निर्माण का कार्य अप्रैल 1999 में शुरू किया गया परन्तु अवशेष चार उपकेन्द्रों से सम्बद्ध 11 के वी फीडरों के निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया था (दिसम्बर 1999)। इस प्रकार, न तो कार्य निष्पादन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सका और न ही 3.23 करोड़ रुपये का व्यय करके उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा सका।

2स.8.4 संदिग्ध प्रगति की घोषणा करना

टी टी कार्य की प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, 132 के वी फाउन्ड्री नगर, सादाबाद (2x5 कि मी)

0.81 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री पहले से ही पूरे हुए कार्यों के विरुद्ध निर्गत की गई

लाइन की, लाइन इन लाइन आउट (एल आई एल ओ) का निर्माण 30 अप्रैल 1998 तक पूरा हो गया था (100 प्रतिशत) परन्तु वि.पारे.ख., आगरा के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि उपरोक्त लाइन के निर्माण के विरुद्ध 80.71 लाख रुपए मूल्य की सामग्री मई 1998 से सितम्बर 1999 के दौरान निर्गत की गई। सितम्बर 1999 तक सामग्री के निगर्मन ने दर्शाया कि अप्रैल 1998 में उपरोक्त लाइन के पूरा होने की घोषणा सही नहीं थी।

निष्कर्ष

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र (टी टी ए) की पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु पारेषण एवं वितरण प्रणाली को संवर्धित एवं सुदृढ़ करने के लिए टी टी ए में अबाधित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक परियोजना परिकल्पित की गई। इसमें अल्प/मध्यमकालीन उपायों के पूरा होने के बाद आगरा महानगर में ऊर्जा आपूर्ति में 30 प्रतिशत के सुधार की संकल्पना की गई थी। यद्यपि, यह उपाय पूरे हो चुके थे पर ऊर्जा आपूर्ति में कोई दृश्यमान सुधार नहीं था। पारेषण एवं वितरण कार्यों के एक ही समय में न होने, सामग्री की अधिप्राप्ति एवं उपयोग में कई खामियों, कार्यों के निष्पादन तथा परिचालन कमियों के कारण परियोजना अनुमानित समय में पूरी नहीं हो सकी और इस प्रकार परियोजना के संकल्पित लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके। यह तत्काल ध्यानाकर्षण चाहता है जिससे टी टी ए में निर्बाधित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

यह मामले कम्पनी तथा शासन को प्रतिवेदित किए गए (अप्रैल 2000); उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2000)।

अध्याय-III

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षा

3. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कार्य संचालन एवं सामग्री प्रबन्धन

मुख्य अंश

राज्य में पर्याप्त, कुशल व मितव्ययी सड़क परिवहन व्यवस्था प्रदान करने हेतु एवं विकास की गति में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) की स्थापना (जून 1972) की गई थी। तथापि निगम, घटिया संचालन भण्डार नियंत्रण के परिणामस्वरूप निरन्तर हानि उठा रहा था। मार्च 1999 के अन्त में संचित हानि कुल 504.63 करोड़ रूपये की थी।

(प्रस्तर 3.1, 3.4 व 3.5)

निगम की अधिकतर बसें पुरानी व अलामप्रद थीं जिससे 183.50 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.5.3.1)

कार्यशालाओं की अक्षमताओं के कारण बस बेड़ा उपयोजन लक्ष्यों की तुलना में कम था, फलतः 85.10 करोड़ रूपये का वांछित लाभ नहीं मिल पाया।

(प्रस्तर 3.5.2)

देश में निम्न बस उत्पादकता तथा नियोजित किलोमीटर की उच्चतम कटौती से, क्रमशः 97.77 करोड़ रुपये व 404.55 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.5.3)

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहन संचालकों को परमिट जारी करने व उन पर निजी वाहनों के अनाधिकृत संचालन के परिणामस्वरूप भार गुणक घटा, फलतः 183.64 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.5.4)

घाटे वाले मार्गों की हानि की भरपाई हेतु लाभकारी मार्गों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया ही नहीं थी। वर्ष 1998-99 हेतु एक विश्लेषण से यह संज्ञान में आया कि 85.93 प्रतिशत मार्ग आर्थिक रूप से घाटे वाले थे, जिनसे कार्य निष्पादन मापदण्डों में पर्याप्त कमी आ गई। पुनः, लाभकारी मार्गों पर निजी बसों को लगाने से 11.66 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.5.5 व 3.5.6)

बस कर्मचारी अनुपात अधिक होने के कारण संचालन की रखरखाव लागत अधिक थी। निगम, टायरों को समय-पूर्व रद्द हो जाने से बचाने में असफल रहा। परिणामतः, नये टायरों पर 14.92 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आयी।

(प्रस्तर 3.5.8, 3.5.10 व 3.6.1.2.5)

अधिक अथवा कम कर्मचारी/चालक दल होने के परिणामस्वरूप, कर्मचारी उत्पादकता कम थी जिससे 72.04 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.5.12)

बसों हेतु फर्श की सामग्री के रूप में कम लागत वाली एल्युमिनियम चेकर्ड शीट के स्थान पर प्लाईवुड चेकर्ड शीट के प्रयोग के निर्णय से, लागत में 2.20 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 3.6.1.2.1)

ल्यूब्रीकेन्ट की अधिप्राप्ति उच्च दरों पर करने से निगम को 0.22 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.6.1.2.5)

3.1 प्रस्तावना

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अन्तर्गत तत्कालीन राजकीय परिवहन को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम (निगम) के रूप में पुनर्गठित किया गया (जून 1972)। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य[32] जनता, व्यवसाय, उद्योगों एवं परिवहन के अन्य साधनों के लाभार्थ पर्याप्त, कुशल व सस्ती सड़क परिवहन व्यवस्था तथा इसे किसी भी क्षेत्र में इसका विस्तार/सुधार करने एवं समन्वित करने तथा विकास की गति को आगे बढ़ाना था।

32 सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3, 18 व 22 ।

3.2 संगठनात्मक ढांचा

निगम की गतिविधियों का प्रबंध, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, एवं आठ अन्य निदेशकों का एक संचालक मण्डल करता है। मुख्यालय पर प्रबन्ध निदेशक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक, तीन मुख्य महाप्रबन्धक (प्रत्येक तकनीकी, संचालन एवं नियोजन कार्यों हेतु उत्तरदायी), उनके अन्तर्गत 12 महाप्रबन्धक और एक वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में संचालन गतिविधियाँ, चार प्रशासनिक मंडलों के अन्तर्गत 18 क्षेत्रों व 113 डिपो में क्रमशः महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक और डिपो प्रबन्धकों के नियंत्रण में विस्तारित हैं। कानपुर की दो केन्द्रीय कार्यशालाओं के अतिरिक्त (प्रत्येक महाप्रबन्धक द्वारा शीर्षित), प्रत्येक क्षेत्र व डिपो में, बसों के दिन-प्रतिदिन जीर्णोद्धार हेतु क्रमशः एक सेवा प्रबन्धक और एक सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (तकनीकी) के प्रभार के अन्तर्गत एक सम्बद्ध कार्यशाला है।

3.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

1998-99 तक के पाँच वर्षो की अवधि के लिए छः क्षेत्रों[33](18 में से) एवं कानपुर स्थित एक केन्द्रीय कार्यशाला (दो कार्यशालाओं में से) की नमूना जाँच पर आधारित निगम के सामग्री प्रबंधन सहित संचालन निष्पादन की समीक्षा नवम्बर 1999 से मार्च 2000 के दौरान की गई और परिणाम अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

निगम के निधि प्रबन्धन की समीक्षा इसके पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 1995-96 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश में की गई थी। समीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त समिति द्वारा चर्चा प्रगति में थी (अगस्त 2000)।

3.4 वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणाम

1998-99[34] तक के पाँच वर्षों की निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम परिशिष्ट-20 में दर्शाये गये हैं।

परिशिष्ट-20 की समीक्षा से प्रकट होता है कि निगम का पूँजीगत व्यय मुख्यतया ऋणों द्वारा वित्त पोषित था। पूँजीगत व्यय में बस ढांचों के क्रय व बाडी निर्माण पर किया गया व्यय सम्मिलित था। निधियों का प्रयोग प्रमुखतः संचित हानियों को वहन करने में हुआ जो 1994-95 के 340.23 करोड़ रूपये से बढ़कर 1998-99 में 504.63 करोड़ रूपये हो गयी और जिसने पूँजीगत अंशदान का पूर्ण क्षरण कर दिया।

कार्यचालन परिणामों से यह भी दृष्टिगत होगा कि निगम निरन्तर हानि उठा रहा है जो कि 1998-99 तक के पिछले पाँच वर्षों के दौरान 20.40 करोड़ रूपये से 48.14 करोड़ रूपये के बीच रही। लेखा परीक्षा विश्लेषण में हानि के मुख्य कारण, रख-रखाव पर अत्यधिक लागत, बढ़ी हुई कर्मचारी लागत, अधिप्राप्ति व सामग्री प्रयोग में अधिक लागत, नियोजित किलो मीटर चाल के

33 इलाहाबाद, आगरा, देहरादून, कानपुर, लखनऊ एवं मेरठ।

34 पूरी समीक्षा में 1998-99 के आंकड़े तदर्थ हैं।

अत्यधिक निरस्तीकरण, नये टायरों का समय पूर्व रद्द होना, राष्ट्रीयकृत मार्गो पर निजी वाहनों के अवैध संचालन को रोक पाने की असमर्थता व राजस्व की चोरी रोकने हेतु चेकिंग स्टाफ के अक्षम ढांचे का होना था।

3.5 संचालन निष्पादन

1998-99 तक के पांच वर्षों के विभिन्न कार्य संचालन मानकों के अन्तर्गत निगम का संचालन निष्पादन परिशिष्ट-21 में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि परिशिष्ट-21 से देखा जा सकता है, 1998-99 तक के पाँच वर्षों के दौरान जहाँ एक ओर बसों की औसत उपलब्धता में मामूली कमी आयी वहीं दूसरी ओर बसों के सड़क पर चालन प्रतिशतता में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। वाहन उत्पादकता तथा बस कर्मचारी अनुपात में भी मामूली सुधार रहा परन्तु प्रति किलोमीटर संचालन व्यय, प्रति किलोमीटर अर्जित राजस्व से बहुत अधिक था। परिणामस्वरूप, निगम ने 1998-99 तक के पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष हानि उठाई।

दस वर्षों (1989-99) के कार्य निष्पादन की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि निगम ने 1989-90 से 1993-94 के दौरान बस बेड़ा उपयोजन 89 प्रतिशत तक प्राप्त किया। तथापि, यह 1997-98 तक घटता रहा, और 1998-99 में 90 प्रतिशत तक सुधर गया। इसी अवधि में भार गुणक जो कि 66 से 72 प्रतिशत के बीच था घटकर 64 से 69 प्रतिशत के बीच हो गया। प्रति किलोमीटर हानि (पैसे) जो 1989-90 से 1993-94 की अवधि में 13.5 पैसे से 65.9 पैसे के मध्य थी, 1994-95 से 1998-99 की अवधि में 29 पैसे से 79 पैसे के मध्य रही। निगम ने कार्य संचालन मानकों एवं प्रणालियों को इंगित करती हुई कोई संचालन नियमावली भी नहीं बनायी जो प्रक्षेत्र के कर्मचारियों के मार्ग दर्शन हेतु पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा सके।

सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सी आई आर टी), पुणे द्वारा प्रकाशित 1998-99 के आंकड़े दर्शाते हैं कि उपलब्ध बसों की संख्या में निगम की स्थिति यद्यपि चौथी थी तथापि कार्य निष्पादन मानकों में यह अपेक्षाकृत खराब थी (दो से चालीसवीं) जैसा कि परिशिष्ट-22 में प्रदर्शित है। महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर आंकलित निगम के कार्य निष्पादन की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.5.1 वाहक शक्ति व आयु संरचना

भूतल परिवहन मंत्रलय की परिवहन अन्वेषण शाखा द्वारा प्रकाशित (सितम्बर 1997) समीक्षा के अनुसार, बस को निष्प्रयोज्य घोषित करने का अपेक्षित मानक पांच लाख कि मी या संचालन के आठ वर्ष, जो भी पहले हो, होना चाहिये। उपयोगी जीवन के पश्चात् संचालित बस बेड़ा उपयोगिता घटा देगा एवं संचालन, अनुरक्षण तथा मरम्मत लागत को बढ़ा देगा। तथापि, बसों को बेड़े से हटाना इसकी सापेक्षिक दशा एवं प्रतिस्थापन हेतु निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं।

गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जी एस आर टी सी) के सामान्य प्रबन्धक (तकनीकी) द्वारा किये गये एक अध्ययन[35] (अप्रैल से सितम्बर 1991) के अनुसार, एक बस के पुरानी हो जाने के परिणामस्वरूप मूल बस की उपयोगिता तीन लाख कि मी के बाद 30 प्रतिशत तथा

35 सी आई आर टी, पुणे द्वारा प्रकाशित सितम्बर, 1993 का ट्रान्सपोर्ट मैनेजमेन्ट जर्नल के पृष्ठ 536 से 540 ।

सात लाख किमी के बाद 65 प्रतिशत तक घट जाती है। इससे संचालन, अनुरक्षण एवं मरम्मत (डीजल, लुब्रीकैन्ट, टायर, बैटरी, असेम्बली, स्पेयर पार्ट्स तथा उपभोग्य सामग्री एवं श्रम) लागत भी आठ प्रतिशत से बढ़ जाती है।

कालातीत बसों के अत्यधिक मात्रा में होने से बस उपयोजन में गिरावट एवं उच्च अनुरक्षण लागत के कारण 183.50 करोड़ रुपये की हानि हुई

1998-99 तक के पाँच वर्षों के दौरान निगम के पास कालातीत बसें अत्यधिक मात्रा में (वर्षो के संदर्भ में 26 से 41 प्रतिशत एवं चलित कि मी के संदर्भ में 62 से 72 प्रतिशत) थी (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-23 में) जैसा कि निम्न सारणी में प्रदर्शित है:

तथ्य	1994—95	1995—96	1996—97	1997—98	1998—99
वर्ष के शुरु में बसों की संख्या	8014	7757	7730	7463	7005
प्रयोगातीत घोषित की गई बसें	740	711	447	1258	838
लगाई गई नई बसें	483	684	180	800	415
अन्त में कुल बसों की संख्या	7757	7730	7463	7005	6582
बसों की औसत संख्या	7920	7753	7570	7352	6859
अंत में कालातीत बसों की संख्या	2117	2125	2831	2741	2800
कालातीत बसों का प्रतिशतः					
आठ वर्षो से अधिक आयु की	26	33	41	36	32
पाँच लाख किमी से अधिक चली हुई	62	65	72	68	69
बस बेड़े का औसत जीवनकालः					
वर्षो में	5.78	5.88	6.47	6.04	6.03
लाख किमी में	5.34	5.35	5.92	5.80	5.92

महा प्रबन्धक (तकनीकी), जी एस आर टी सी द्वारा किये गये अध्ययन व निगम के बेड़े के औसत जीवन काल के आधार पर, 1998-99 तक के पाँच वर्षों में बस उपयोजन में कमी 1801.32 लाख कि मी आगणित हुई परिणामतः, इसी अवधि में 95.63 करोड़ रूपये के सम्भावित अंशदान एवं 87.87 करोड़ रूपये के उच्च अनुरक्षण लागत की हानि हुई।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि 1998-99 तक के पाँच वर्षो के दौरान लक्ष्यों के विरुद्ध बसों का प्रतिस्थापन केवल 15 से 53 प्रतिशत की सीमा तक किया जा सका (1994-95 एवं 1997-98 को छोड़कर) जैसा कि परिशिष्ट-24 में प्रदर्शित है। इन समस्त वर्षों में बस बेड़े में कोई नई बस नहीं जोड़ी गई।

लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में असफलता के लिए मुख्य कारण निगम द्वारा स्वयं के स्रोतों से निधियों का पर्याप्त विदोहन न कर पाना अथवा इस उद्देश्य हेतु एक पृथक निधि[36] के रूप में ह्रास आरक्षित निधि को अवस्थित न कर पाना था (जुलाई 1999) जैसा कि निगम की स्थापना से पूर्व किया जाता था। मात्र लाभ वाली राज्य परिवहन इकाइयों को धनराशि उपलब्ध कराने की विद्यमान नीति के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने 1989-90 से ही कोई धनराशि नहीं दी और राज्य सरकार ने भी कुम्भ मेला, उत्तराखण्ड विकास व अन्य मदों हेतु केवल अत्यल्प धनराशि ही उपलब्ध कराई।

36 नकद आधिक्य की सीमा तक (हानि में से बसों पर ह्रास को घटाकर)।

परिणामतः, 1989-90 से 1993-94 तक निगम का लगभग 8000 बसों का बेड़ा घटकर 1998-99 में 6859 हो गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-22 में दिया गया है। इस स्थिति में सुधार हेतु निगम ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर किराये के आधार पर निजी बसों को संचालित करना आरम्भ किया। 1998-99 तक के पाँच वर्षों में, निगम ने 310 (1994-95) से 982 (1998-99) के बीच निजी बसों को शामिल कर लिया।

3.5.2 बस बेड़ा उपयोग

प्रमुखतः कार्यशालाओं की अक्षमता से बस बेड़ा उपयोग घटा जिससे 85.10 करोड़ रूपये की हानि हुई

बस बेड़ा उपयोग का तात्पर्य उस प्रतिशत से है जो उपलब्ध बसों की संख्या के समक्ष मार्ग पर प्रयुक्त बसों की संख्या का है। 1998-99[37] के एसोसियेशन आफ रोड ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिंग (ए एस आर टी यू) के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य परिवहन इकाइयों (एस टी यू) के समस्त बस बेड़ा उपयोग में मात्र एक प्रतिशत की वृद्धि उनके कुल बेड़े में 1160 बसों को जोड़े जाने के समतुल्य है। यह संज्ञान में आया कि 1998-99 में कोयम्बटूर डिवीजन-I, तमिलनाडु के सर्वश्रेष्ठ 99.6 प्रतिशत बस बेड़ा उपयोग सहित देश भर के 25 एस टी यू ने बेहतर बस बेड़ा उपयोग किया। तथापि, निगम ने 1998-99 तक के पाँच वर्षों के लिए 91 से 93 प्रतिशत तक के मध्य लक्ष्यों को निर्धारित किया और इसे प्राप्त करने में एक से सात प्रतिशत तक की कमी रही जैसा कि निम्न तालिका में निरूपित है:

वर्ष	लक्ष्य (%)	उपलब्धियाँ (%)	कमी (%)	कुल किमी उपलब्धियाँ (लाख में)	औसत बेड़ा (संख्या में)	कुल कमी (लाख किमी में) (5x4/3)	कमी के तुल्य बसों की समतुल्य संख्या (7x6/5)	अंशदान की हानि[38] (करोड़ रूपये में)
1994—95	92	87	5	6006.47	7920	345.20	455	13.98
1995—96	92	85	7	5858.80	7753	482.49	638	23.30
1996—97	92[39]	85	7	5555.08	7570	457.48	623	23.65
1997—98	93	87	6	5689.70	7352	392.39	507	20.32
1998—99	91	90	1	5879.73	6859	65.33	76	3.85
					योग	**1742.89**		**85.10**

जैसा कि उपरोक्त तालिका में इंगित किया गया, निगम 1998-99 तक के विगत पाँच वर्षों में बस बेड़ा उपयोग के लक्ष्य न प्राप्त कर सकने के कारण बिना किसी पूँजीगत लागत के अपने बस बेड़े में 76 से 638 संख्या तक बसों को सम्मिलित कर पाने में असमर्थ रहा। भार गुणक को स्थिर मानते हुए 1998-99 तक के विगत पाँच वर्षों में 1742.89 लाख कि मी की कमी पर सम्भावित अंशदान की हानि 85.10 करोड़ रूपये आंकलित की गई। कमी के मुख्य कारणों में से एक, बसों की मरम्मत में विलम्ब था। मात्र केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर (दो में से एक की) में 1998-99 एवं 1999-2000 (दिसम्बर 1999 तक) में मरम्मत में लगने से लेकर मरम्मत के उपरान्त इनकी

37 सी.आई .आर.टी द्वारा प्रकाशित प्रोफाइल एवं परफारमेंस 1998-99, पृष्ठ11।

38 प्रति कि मी अंशदान (संचालन आय घटाया परिवर्तनीय लागत) 1994-95 से 1997-98 के पाँच वर्षो में क्रमशः 4.05 रू, 4.83 रू, 5.17 रू, 5.18 रू एवं 5.90 रू होता है।

39 निर्धारित नहीं, पूर्व वर्ष का 92 लिया गया।

वापसी में लिये गये समय की नमूना जाँच से प्रगट हुआ कि कार्यशाला ने अपेक्षित ढंग से कार्य नहीं किया जिससे एक से 70 दिनों से अधिक के विलम्ब के कारण बस बेड़ा उपयोग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इन विलम्बों के कारण 71.00 लाख रूपये के सम्भावित अंशदान की हानि हुई। यह भी संज्ञान में आया कि निगम ने कार्यशाला प्रबन्धन हेतु कोई नियमावली नहीं बनाई जिसके अभाव में कार्यशाला के विभिन्न संचालन मानकों की दक्षता का विश्लेषण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

3.5.3 वाहन उत्पादकता

नियंत्रण योग्य कारकों के कारण नियोजित परिचालन कि मी के देश में सर्वाधिक निरस्तीकरण के होने से वाहन उत्पादकता घटी व 404.55 करोड़ रूपये की हानि हुई

वाहन उत्पादकता प्रति उपलब्ध बस पर अर्जित परिचालन कि मी को प्रदर्शित करती है। 27 एस टी यू ने बेहतर वाहन उत्पादकता प्राप्त की जिसमें स्टेट एक्सप्रेस ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु खण्ड-II ने 1998-99 में प्रतिदिन 595.9 कि मी प्रति उपलब्ध बस प्राप्त की। तथापि, निगम ने 235 कि मी (1994-95) से 225 कि मी (1998-99) तक की वाहन उत्पादकता के परिमित लक्ष्य निर्धारित किये तथा 14 से 25 कि मी की कमी सहित 206 कि मी (1996-97) से 243 कि मी (1998-99) के बीच की उपलब्धियाँ प्राप्त की (1998-99 में 18 कि मी की उच्च दक्षता को छोड़कर) इस न्यूनता पर निगम को 97.77 करोड़ रूपये के अंशदान की हानि हुई जैसा कि परिशिष्ट-25 में इंगित है।

वाहन उत्पादकता की न्यूनता का पुनर्विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षित सभी पाँच वर्षों में निगम द्वारा नियोजित परिचालन का निरस्तीकरण देश में सर्वाधिक था। निगम की 1998-99 तक के तीन वर्षों की तुलना चार एस टी यू (गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा केरल) से करने पर ज्ञात हुआ कि प्रायः तुलनीय प्रति बस नियोजित परिचालन के विरुद्ध (1997-98 में केरल को छोड़कर) निगम का निरस्तीकरण (कि मी में) सर्वोच्च था जैसा कि परिशिष्ट-26 में वर्णित है।

जैसा कि परिशिष्ट-27 में वर्णित है, नियोजित कि मी का अधिकांश निरस्तीकरण (65.45 से 70.33 प्रतिशत), मुख्यतया कार्यशाला से बसों की कमी थी, जो परिहार्य कारण था, और जिससे 344.60 करोड़ रूपये के सम्भावित अंशदान की हानि हुई। हानि का दूसरा तथा परिहार्य कारण चालक व परिचालक की कमी (9.64 से 14.34 प्रतिशत) था जिससे 59.95 करोड़ रूपये के अंशदान की हानि हुई। इस प्रकार निगम, नियोजित कि मी के निरस्तीकरण को कम करने के लिये कार्यशालाओं की अक्षमता को दूर करके व उपलब्ध चालकों तथा परिचालकों का सर्वोत्तम उपयोग करके सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहा।

इस संबंध में, निम्न अतिरिक्त बिन्दु भी प्रकाश में आये:

- बस सेवाओं के निरस्तीकरण की रोकथाम के लिये, निगम ने अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1996/सितम्बर 1998) जो (i) 1.00 रूपया प्रति कि मी चालक/परिचालकों तथा अन्य कर्मचारियों पर जो अनुपस्थित रहे या विलम्ब से आये तथा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया; (ii) 1.00 रूपया प्रति कि मी सम्बन्धित ग्रुपों के कनिष्ठ फोरमैन सहित कार्यशाला कर्मचारियों पर; (iii) एक पैसा प्रति कि मी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों (ए आर एम डिपो) पर तथा (iv) एक चौथाई पैसा प्रति कि मी क्षेत्रीय

प्रबन्धकों (आर एम)/सेवा प्रबन्धकों (एस एम) पर था। वसूली का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय प्रबन्धकों को सौंपा गया। ऐसी वसूली 1997-98 एवं 1998-99 हेतु 29.12 करोड़ रूपये (चालक/परिचालक: 3.36 करोड़ रुपये, ए आर एम: 3 लाख रूपये, आर एम: 0.10 लाख रुपये, कार्यशालाकर्मी: 25.67 करोड़ रुपये तथा एस एम: 6.00 लाख रुपये) आकलित हुई। प्रबन्धन द्वारा इन धनराशियों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से हुई अथवा नहीं, लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया।

- किराये की बस सेवाओं में 792.89 लाख कि मी का निरस्तीकरण किया गया जिस पर 1998-99 तक के पाँच वर्षों में 15.85 करोड़ रूपये के प्रशासनिक प्रभारों की हानि हुई। तथापि, निगम ने निजी संचालकों से ऐसी हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया।

3.5.4 भार गुणक

भार गुणक का तात्पर्य उस प्रतिशत से है जो वास्तविक यात्री अर्जन का अनुमन्य खड़े यात्री (यदि कोई) सहित पूर्ण भार पर सम्भावित यात्री अर्जन से हो। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि 1998-99 में मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, (चेन्नई खण्ड-II), तमिलनाडु के 130.722 प्रतिशत के सर्वोच्च कार्य निष्पादन सहित, देश के 39 एस टी यू के कार्य निष्पादन निगम से बेहतर रहे। तथापि, निगम ने मात्र 70 और 72 प्रतिशत के बीच के भार गुणक का लक्ष्य रखा तथा वास्तविक कार्य सम्पादन मात्र 64 तथा 69 प्रतिशत के बीच रहा। इस कारण 1998-99 तक के पाँच वर्षों में 183.64 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई जो परिशिष्ट-28 में वर्णित है।

भार गुणक में कमी, निजी बसों के अनाधिकृत संचालन व उन्हें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट प्रदान करने के कारण थी और जिससे 183.64 करोड़ रूपये की हानि हुई

निगम ने भार गुणक में कमी का श्रेय[40], निजी संचालकों द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों, मिनी बसों, टाटा 407, स्वराज माजदा, मैटाडोर, टैम्पो, जीप, कार तथा टैक्सी इत्यादि के अव्यवस्थित रूप से अनाधिकृत एवं अवैध संचालन को दिया। यह स्थिति परिवहन विभाग द्वारा परमिट स्वीकृति में अति उदारता का परिणाम थी। अपनाई गई कार्य पद्धति थी (i) बिना परमिट के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों का संचालन (ii) संविदा ढुलाई के परमिट के विरुद्ध स्थान-स्थान से ढुलाई करके संचालन (iii) राष्ट्रीय मार्गों पर टैक्सियों, टैम्पो इत्यादि द्वारा निर्दिष्ट भार से अधिक भार का वहन (iv) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बिना परमिट के बड़ी संख्या में निजी जीप/कारों का संचालन (v) ट्रकों द्वारा यात्रियों की ढुलाई तथा (vi) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर महानगर बस सेवाओं का संचालन अर्थात् अप्राधिकृत मार्गों पर आदि, तरीके अपनाकर किया गया। ये अवैध सेवायें भीड़ भाड़ के समय कम भाड़े पर निगम के भराव बिन्दुओं के आस पास संचालित होती हैं जो या तो निगम की बसों का भार गुणक कम कर देती है अथवा नगण्य यात्री भार के कारण समस्त नियोजित संचालन को निरस्त कर देती हैं।

परिवहन आयुक्त तथा शासन से इस बुराई का सामना करने में उनकी विफलता के कारणों को सूचित करने का निवेदन किया गया था (फरवरी 2000) तथापि, इन अभिकरणों से कोई प्रत्युत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2000)।

---

40 निगम के वार्षिक क्रिया-कलाप प्रतिवेदन वर्ष 1998-99, पृष्ठ 54

3.5.5 आर्थिक रूप से लाभप्रद मार्गों का आँकलन

लेखा परीक्षा विश्लेषण से यह संज्ञान में आया कि 86 प्रतिशत मार्ग, व्यय के बराबर आय अर्जित नहीं कर पा रहे थे। ऐसा, समुचित सेवा मिश्रण के नियोजन हेतु अनुकूल मार्गों का आंकलन न किये जाने के कारण हुआ

निगम के पास संचालन अनुसंधान एवं परिमाणात्मक विश्लेषण तकनीकों द्वारा अत्यधिक लाभकारी सेवाओं की समन्वयता आंकलित करने का कोई तन्त्र नहीं हैं। ऐसे आँकलनों एवं आवधिक समीक्षा तथा नकारात्मक कारणों को कम करने के लिये सुधारात्मक कदमों के आधार पर एक एस टी यू को अपनी समन्वित सेवाओं का नियोजन करना चाहिये जिससे अलाभकारी मार्गों पर होने वाली हानि की अन्य मार्गों के लाभ से भरपाई की जा सके। लेखा परीक्षा द्वारा किये गये विश्लेषण से यह प्रगट हुआ कि निगम पाँच लाख मार्ग कि मी पर लगभग 4008 सेवाओं (स्वयं की: 3570 तथा किराये की: 438) का संचालन करता है। 1998-99[41] के सीमांत लागत मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर आगणित आर्थिक लाभदायकता से यह स्पष्ट हुआ कि निगम (जो साधारणतया 54 सीट वाली बसों का संचालन करता है) प्रत्यक्ष लागत 35 प्रतिशत भार गुणक पर प्राप्त कर पाता है एवं कुल लागत 73 प्रतिशत भार गुणक पर प्राप्त करता है। परिशिष्ट-29 में इंगित, विभिन्न मार्गो के विश्लेषण से संज्ञान में आया कि 57 सेवाओं (स्वयं की: 54 व किराये की: 3) का संचालन 35 प्रतिशत से कम भार गुणक पर होता है (मात्र 8 से 18 यात्री प्रति बस ढोने पर) और जो प्रत्यक्ष लागत भी वसूल करने में असमर्थ रही हैं तथा 3387 सेवायें (स्वयं की:3058 व किराये की:329) का संचालन 35 से 72 प्रतिशत के भार गुणक (प्रति बस लगभग 19 से 39 यात्री ढोने पर) पर होता है तथा जो स्थिर लागत के कुछ अंश की वसूली ही कर पाती है। केवल 564 सेवाएं ही (स्वयं की: 458 व किराये की: 106) का संचालन 73 या अधिक के भार गुणक (प्रति बस लगभग 39 से 54 यात्री ढोने पर) पर किया गया तथा जो कुछ लाभ दे रही थीं।

इस प्रकार, 85.93 प्रतिशत मार्ग अपनी लागत के बराबर आय अर्जन करने (ब्रेक इवन) में असमर्थ रहे एवं केवल 14.07 प्रतिशत मार्ग ही निगम को कुछ अंश तक लाभ देते हुये कुल लागत की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। सुधारात्मक कदम उठाने हेतु प्रबन्धन ने आर्थिक रूप से अलाभकारी मार्गों के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया। इस कारण निगम वित्त के सामान्य वाणिज्यिक/व्यापाारिक सिद्धान्तों पर अमल करने में सक्षम नहीं था। निगम 142 लाभकारी मार्गो पर स्वयं की बसें चलाने में भी असमर्थ रहा, जिन्हें किराये पर ली गई निजी बसों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु छोड़ दिया गया था जिससे 11.66 करोड़ रूपये की सीमा तक की अपनी आय में कमी हुई जिसकी चर्चा आगे प्रस्तर 3.5.6 में की गई है।

3.5.6 लाभकारी मार्गों पर किराये की बसों को चलाना

निगम ने यात्रियो के आवागमन की आवश्यकता पूर्ति हेतु क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से 1977-78 में पहली बार अपने बेड़े में 88 किराये की बसों का समावेश किया। उसी समय यह निर्णय लिया गया कि इन बसों का संचालन केवल राष्ट्रीयकृत मार्गो पर शटल सेवा के रूप में 100 कि मी तक की दूरी तक ही किया जाये। किराये की बसों का बेड़ा जो 1989-90 में 23 था, 1998-99 में बढ़कर 982 हो गया।

---

41 पूर्व वर्षों की स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गई।

बसों को किराये पर लेने की प्रणाली में निम्न दोष पाये गये:

आर्थिक रूप से लाभदायी मार्गों पर किराये की बसें लगाने से 11.66 करोड़ रूपये की हानि हुई

- पूर्ववर्ती नीति को बिना समीक्षित एवं संशोधित किये निगम ने इस उददेश्य हेतु अधिसूचित 142 चयनित प्रमुख मार्गों पर 'एक्सप्रेस सेवा' के रूप में 3 वर्षों के लिये बसों को किराये पर लेने हेतु स्वीकृति-पत्र निर्गत किये (मार्च 1997)। बाद में, निगम ने 142 मार्गों की जगह 76 कम महत्व के मार्गों की पहचान की। तथापि, निगम को पुनरीक्षित 76 मार्गों पर बसों को लगाने से रोक दिया गया क्योंकि निगम ने बस मालिकों को पहले ही स्वीकृति पत्र निर्गत कर दिये गए थे। पुनः किराये की बसों को मुरादाबाद, बरेली, इटावा, लखनऊ तथा देहरादून क्षेत्रें (जहाँ किरायें की बसों को मुख्य रूप से लगाया गया था) के मुख्य मार्गों पर लगाने से निगम की आय प्रभावित हुई क्योंकि 1997-98 से इन क्षेत्रों में, पूर्व में प्राप्त किये गये भार गुणक की तुलना में निगम की बसों का भार गुणक सामान्यतयः गिर गया था जबकि सर्वाधिक बसें किराये पर ली गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, 1997-99 की अवधि में 11.66 करोड़ रूपये की हानि हुई। निगम, अलाभकारी मार्गों की हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु इन मार्गों पर अपने वाहन बेड़े का प्रयोग करने का निर्णय ले सकता था।

- निगम ने एक क्षेत्र में अपने बेड़े के अधिकतम 25 प्रतिशत तक बसों को किराये पर लेने का निर्णय लिया। तथापि, यह सीमा मुरादाबाद, इटावा तथा मेरठ क्षेत्रों में जहाँ यह 25. 49 प्रतिशत से 42.42 प्रतिशत के बीच विस्तारित थी, बढ़ गई। बहुत से मार्ग जहाँ पर किराये की बसें लगाई गई थीं, 100 कि मी से अधिक लम्बे थे, जो शटल के रूप में बसों को किराये पर लेने के निगम के प्रस्तावित उद्देश्य को प्रमाणित नहीं करते हैं।

- फरवरी 2000 के अन्त तक 18858 मार्ग कि मी को समाहित करते हुए 519 राष्ट्रीयकृत मार्गों में से, परिवहन विभाग ने 49 सम्पूर्ण राष्ट्रीय मार्ग सहित (मार्गों की लम्बाई उपलब्ध नहीं) 87 मार्गों को अराष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया और निजी संचालकों को परमिट निर्गत कर दिये। इसने, निगम का न केवल भार गुणक बुरी तरह प्रभावित कर दिया, अपितु मार्ग राष्ट्रीयकरण के सम्पूर्ण उददेश्य को ही विफल कर दिया।

3.5.7 दर सूची का पुनरीक्षण

यात्री बसों की संचालन लागत, अवयवों (जैसे चेसिस, टायर, डीजल, कलपुर्जे इत्यादि, कर्मियों के वेतन तथा भत्ते) की मूल्य सूची (प्राइज इन्डेक्स) में वृद्धियों सहित जिन्हें इनका बेहतर उपयोग करने को छोड़कर, नियंत्रण में नहीं किया जा सकता हैं, विभिन्न अन्तर्घटकों की लागत पर आधारित होती है। इसलिये, इन वृद्धियों को कुछ सीमा तक उचित/सामयिक किराया पुनरीक्षण द्वारा संविलीन (एबजार्ब) करने की आवश्यकता होती है। संचालन लागत जो 1989-90 में 4.68 रूपये प्रति कि मी थी, बढ़कर 1998-99 में 9.82 रूपये प्रति कि मी (209.83 प्रतिशत की वृद्धि) हो गई।

दर सूची के विलम्बित पुनरीक्षण से 223.72 करोड़ रुपये की हानि हुई

किराया पुनरीक्षण हेतु जनवरी 1989 (20 प्रतिशत) तथा मई 1989 (25 प्रतिशत) के प्रस्तावों को विलम्बित किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा अगस्त 1990 में अधिसूचित किया गया। इसी प्रकार, अक्टूबर 1990 (15 प्रतिशत) अप्रैल 1991 तथा सितम्बर 1991 के भेजे गए वृद्धि हेतु प्रस्तावों को विलम्बित किया गया तथा विज्ञप्तियाँ जून 1992 में निर्गत की गई। पुनः, जुलाई

1993 (10 प्रतिशत) व फरवरी/मार्च 1994 (17.5 प्रतिशत) से वृद्धि के प्रस्ताव की विज्ञप्ति जून 1994 से जारी की गई।

इसके अतिरिक्त, मई 1996 तक राज्य सरकार ने किराया अथवा माल ढुलाई दर के निर्धारण हेतु कोई नीति नहीं बनाई अथवा अन्तर्घटकों की लागत के आधार पर निगम द्वारा इसे समय से पुनरीक्षण किये जाने हेतु कोई सूत्र निर्धारित नहीं किया। राज्य सरकार ने अन्तर्घटकों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप यात्री किरायों में वृद्धि हेतु सूत्र निर्धारित किया (मई 1996) लेकिन इसे केवल दो तत्वों अर्थात् डीजल और महंगाई भत्ते तक सीमित रखा (डीजल तथा महंगाई भत्ते में से प्रत्येक की एक प्रतिशत मूल्य वृद्धि हेतु किराये में क्रमशः 0.20 प्रतिशत तथा 0.18 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य की गई)। निगम ने इन सूत्रों के आधार पर मई 1996 से समय-समय पर डीजल तथा महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु अधिभार जोड़ते हुये यात्री भाड़े में, वृद्धि की।

सरकार ने निगम द्वारा अगस्त 1998 तक जोड़ा गया अधिभार आत्मसात करते हुए नवम्बर 1998 में किराये को पुनः पुनरीक्षित कर दिया तथा मई 1996 के सूत्रानुसार डीजल के मूल्य तथा महंगाई भत्ता में वृद्धि पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष तक की किराये की वृद्धि अनुमन्य कर दी। निगम ने मार्च 1999 से किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी।

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि:

- निगम ने राज्य सरकार द्वारा किराया पुनरीक्षण की विज्ञप्ति के निर्गमन में लिये गये अधिक समय के कारण 1990-91 से 1998-99 के दौरान 223.72 करोड़ रूपये की हानि उठाई;

- बजाज कमेटी (रिसोर्स मोबिलाईजेशन एण्ड टैक्सेशन रिफार्म्स कमेटी) ने, मई 1996 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये सूत्र में डीजल तथा महंगाई भत्ते के अतिरिक्त टायर तथा ट्यूब्स के तत्व को भी समावेशन करने की संस्तुति दी। सरकार द्वारा इसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया (जुलाई 2000)।

- निगम ने 7 मार्च 1997 से एक्सप्रेस, सेमी-डीलक्स तथा डीलक्स बसों का किराया अत्यधिक बढ़ा दिया (एक्सप्रेस, सेमी-डीलक्स, तथा डीलक्स बसों हेतु सामान्य बसों के सरकार द्वारा अनुमोदित 1.10, 1.25 तथा 1.70 गुना के मानको के विरुद्ध यह क्रमशः 1. 39, 1.90 तथा 3.16 गुना बढ़ाया गया)। इसके परिणामस्वरूप, मार्च एवं अप्रैल, 1997 के महीनों में भार गुणक में 8.17 प्रतिशत तथा 5.83 प्रतिशत की कमी हुई तथा 10.69[42] करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई। इस वृद्धि को 28 अप्रैल 1997 से पुनर्स्थापित कर सामान्य कर दिया गया।

3.5.8 संचालन की अनुरक्षण लागत

समान संचालन परिस्थितियों एवं पर्यावरण में कार्य सम्पादन के अवस्थापन मानकों में अत्यधिक विचलन नहीं होना चाहिए। पाँच तुलनात्मक राज्य परिवहन इकाइयों यथा महाराष्ट्र एस आर टी

42 यह तुलना 1992-93 से 1998-99 तक के शेष वर्षों के इन्हीं महीनों के औसत से की गई।

सी, आन्ध्र एस आर टी सी, केरल एस आर टी सी, गुजरात एस आर टी सी तथा उत्तर प्रदेश एस आर टी सी, जिनके बस बेड़े 3750 से 18749 के बीच थे, की 1998-99 तक के 3 वर्षों की अनुरक्षण लागत (केवल अनुरक्षण कर्मियों के वेतन बिल एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत को लेते हुए) के विवरण परिशिष्ट-30 में इंगित है।

अन्य राज्य परिवहन इकाईयों की तुलना में प्रति बस प्रति वर्ष संचालन की अनुरक्षण लागत सर्वाधिक थी

परिशिष्ट-30 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम द्वारा अन्य राज्य परिवहन इकाइयों की तुलना में अनुरक्षण कार्य पर बड़ी मात्रा में धन व्यय किया गया तथा इस मद के व्यय में थोड़ी भी कमी से अच्छी खासी बचत सम्भव थी। निगम का बस कर्मचारी अनुपात, प्रति प्रभावी कि मी अनुरक्षण लागत एवं प्रति बस प्रति वर्ष अनुरक्षण व्यय विश्लेषण में लिये गये पाँचों राज्य परिवहन इकाइयों में सर्वाधिक था।

3.5.9 हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) तथा इंजन आयल का उपभोग

एच एस डी तथा इंजन आयल की लागत कुल संचालन लागत का सबसे बड़ा अवयव होता है। अतः इनका प्रयोग अति मितव्ययी रूप से तथा कुशलतापूर्वक करने की आवश्यकता होती है। सी आई आर टी[43] की मुख्य संस्तुतियों में सम्मिलित है; (i) गति एवं चालन की आदतों पर नियंत्रण, जो 10 से 15 प्रतिशत की ईंधन बचत करता है; (ii) वायुगतिज (एयरोडायनमिक) प्रकार की बस बाडी का निर्माण, जो 6 से 8 प्रतिशत ईंधन बचत करती है; (iii) पुरानी बसों का नियमित पुर्नस्थापन, जो 2 से 3 प्रतिशत ईंधन/तेल की बचत करता है; (iv) ईंधन दक्ष इंजन (जैसे हिनो) का प्रयोग, जो 20 प्रतिशत तक ईंधन की बचत करता है तथा (v) टायर-ट्यूब में हवा का उचित दाब जिससे ईंधन की बचत होती है।

पाँच तुलनीय राज्य परिवहन इकाइयों में (निगम सहित), जिनके आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया गया, निगम की तुलना में अन्य राज्य परिवहन इकाईयों में (एच एस डी हेतु केरल को छोड़कर) एच एस डी तथा इन्जिन आयल की खपत बेहतर थी, जैसा कि परिशिष्ट-31 में इंगित है।

प्रकाश में आये मुख्य दोष नीचे बताये गये हैं:

लक्ष्य की तुलना में एच एस डी की उच्च खपत के अतिरिक्त कालातीत बसों की बढ़ती संख्या के कारण ईंधन दक्षता कम हुई जिससे 10.72 करोड़ रुपये के एच एस डी की अधिक खपत हुई

- 1998-99 तक के विगत पाँच वर्षों में 4.60 कि मी प्रति लीटर (के.एम.पी.एल) से 4.65 के.एम.पी.एल तक एच.एस.डी की लक्षित खपत के विरुद्ध, निगम में वास्तविक खपत 4.51 के.एम.पी.एल से 4.60 के.एम.पी.एल के मध्य रही, जिससे 10.72 करोड़ रूपये मूल्य के एच.एस.डी की अधिक खपत हुई।
- कालातीत बसों की संख्या 2117 (1994-95) से बढ़कर 2800 (1998-99) हो गई जिससे ईंधन दक्षता बुरी तरह प्रभावित हुई।
- निगम ने वायुगतिज प्रकार की बस बाडी का निर्माण नहीं किया, यद्यपि इसने वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदनों में ऐसी बसों के निर्माण करने पर विचार किया था।

43 फ्यूल एण्ड आयल इकोनामी, 1995-96

- टायर ट्यूब में उचित हवा भरे जाने के तन्त्र की कमी से ईंधन दक्षता में गिरावट के अतिरिक्त, 1998-99 के दौरान केवल आगरा, इलाहाबाद, देहरादून और मेरठ क्षेत्रों में ही 219 टायर अर्थात् 40 प्रतिशत (540 में से) परिहार्य रूप से रद्द करने पड़े, जैसा कि प्रस्तर 3.5.10 में आगे चर्चा की गई।

3.5.10 नये टायरों का कार्य प्रदर्शन

लापरवाही के कारण नये टायरों के अत्यधिक रद्द करने के कारण 0.21 करोड़ रुपये की हानि हुई

1998-99 में नये टायरों के रद्द हो जाने के कारणों हेतु चार क्षेत्रों में किये गये एक विश्लेषण में यह संज्ञान में आया कि रद्द हुये 540 टायरों में से 32 लाख रूपये मूल्य के 530 टायरों को नियन्त्रण योग्य कारकों, जैसे कि टकराकर फटना, बिना हवा या कम हवा के चलाकर बर्बाद कर देना, रेशे अलग हो जाना इत्यादि के कारण समय से पूर्व रद्द करना पड़ा। विवरण परिशिष्ट-32 में दिये गये हैं।

उपरोक्त नये टायरों के कार्य निष्पादन के पुर्नविश्लेषण से संज्ञान में आया कि वे समय से रिट्रीडिंग के लिए नहीं उतारे गये तथा 60000 से 115107 कि मी से अधिक चलाये गये जिससे वे अधिक चलने के कारण विनष्ट हो गये। कुछ टायर अन्य लापरवाहियों के कारण जैसे टकराकर फटना, चक्के की गलत फिटिंग व बिना हवा के चलाने के कारण मात्र 5000 या 10000 कि मी ही चले। तीन बार रिट्रीडिंग किये जाने के आधार पर 5.65 करोड़ कि मी के सम्भावित चालन की कमी पर नियंत्रण योग्य कारकों से 530 नये टायरों के समय पूर्व रद्द होने से 21 लाख[44] रूपये की हानि आगणित हुई। एक वर्ष की यह हानि लेखा परीक्षा में नमूना जाँच किये गये मात्र चार क्षेत्रें से सम्बन्धित हैं। निगम के 18 क्षेत्रें की समग्र हानि कहीं अधिक होगी।

उपरोक्त निष्कर्ष इंगित करते है कि निगम ने यहाँ तक कि नये टायरों के भी समय-पूर्व विफल होने के मुख्य कारकों को हटाने के लिये कोई प्रणाली विकसित नहीं की।

3.5.11 इंजन तथा गियर बॉक्स असेम्बलियों की विफलता

निगम ने इंजन सहित मुख्य असेम्बलियों की विफलता के कारणों का विश्लेषण तथा अनुश्रवण हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की। लखनऊ क्षेत्र के जून 1999 से जनवरी 2000 की अवधि के ब्रेक डाउन विश्लेषण से (दूसरी अवधि एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये) यह संज्ञान में आया कि इस अवधि में 103 इंजन विफल हुए। इनमें से 33 इंजन (सात नए इंजनों सहित) परिहार्य कारणों जैसे (i) कूलेन्ट का प्रयोग न करना/पानी की कमी (10 इंजन), (ii) इंजन आयल की कमी (11 इंजन) तथा (iii) इंजन आयल की खराब गुणवत्ता (10 इंजन) के कारण विफल हुए। इसके अतिरिक्त, 72 अन्य इंजनों की विफलतायें इनके अत्यधिक गरम हो जाने के कारण हुई जिनका विस्तृत यांत्रिक त्रुटि विश्लेषण कार्यशाला द्वारा नहीं किया गया। कार्यशाला ने सी आइ आर टी द्वारा निर्दिष्ट नियमित 'ब्लाटर स्पाट टेस्ट'[45] भी नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप परिहार्य विफलताओं के प्रकरण हुये जो खोजे नहीं जा सके तथा जिनका निदान नहीं हुआ। निगम ने ऐसी मरम्मतों पर किये गये व्यय की सूचना नहीं दी।

---

44 नये टायरों का वांछित चालन (60000 किमी) जोड़िये तीन बार की रिट्रीडिंग (34000 किमी x 3) अर्थात एक टायर के लिए 162000 किमी या 530 टायरों के लिये 8.58 करोड़ किमी घटाइये वास्तविक चालन (2.93 करोड़ किमी) भाग दीजिये 162000 किमी से जो 21 लाख रुपये के 349 नये टायरों के बराबर होता है (6000 रूपये प्रति टायर की दर पर)।

45 विफल हुए इंजन में से तेल की एक बूँद सोखता कागज पर अनिवार्य रूप से छोड़ दी जाती है तथा विश्लेषण हेतु रखी जाती है। यह सामान्यतया तेल तथा उसके प्रयोग के लक्षणों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है (पृष्ठ 130, फ्लीट मेन्टीनेन्स मैनेजमेण्ट, 1996)।

कर्मचारी उत्पादकता कम थी और ऊपर से अधिक कर्मचारियों तथा चालकदल की अनुकूलतम तैनाती न होने के कारण 72.04 करोड़ रुपये की हानि हुई

3.5.12 कर्मचारी बल

1998-99 तक के तीन वर्षों में कर्मचारी बल, उस पर किया गया व्यय, कुल व्यय से उसका प्रतिशत तथा बस-कर्मचारी अनुपात नीचे दी गई सारणी में इंगित है:

	1996–97			1997–98			1998–99		
	कर्मी	अधिकारी	योग	कर्मी	अधिकारी	योग	कर्मी	अधिकारी	योग
1.कर्मचारी बल									
(अ) प्रशासनिक	2816	22	2838	2810	24	2834	2751	26	2777
(ब) लेखा	384	71	455	397	68	465	390	70	460
(स) तकनीकी	14204	111	14315	13822	126	13948	13362	118	13480
(द)संचालन	35786	145	35931	35137	153	35290	33686	149	33835
योग			**53539**			**52537**			**50552**
2.बस/कर्मचारी अनुपात			7.52			7.26			7.10
3. प्रतिदिन प्रति कि मी कर्मचारी उत्पादकता			31.07			34.21			37.87
4. कुल व्यय (करोड़ रुपये में)			588.75			644.72			686.02
5.कर्मचारियों पर व्यय (करोड़ रुपये में)			273.81			288.88			303.10
6.कर्मचारियों पर व्यय का प्रतिशत			46.48			44.75			44.14

विद्यमान कर्मचारी बल में पाई गईं मुख्य कमियाँ नीचे इंगित की गई हैं :

- कर्मचारी लागत कुल व्यय का लगभग 45 प्रतिशत थी जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है। जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर 3.5.8 में चर्चा की गई, ऐसा अधिक अनुरक्षण कर्मचारियों, कुछ अन्य राज्य परिवहन इकाइयों[46] की तुलना में उच्च बस/कर्मचारी अनुपात तथा अपनी पंजिका में अयोग्य[47] चालक दल के कारण था।

- परिशिष्ट-20 के अवलोकन से प्रत्यक्ष होगा कि कर्मचारियों पर व्यय जो 1994-95 में 221.14 करोड़ रूपये था, 1998-99 में 81.96 करोड़ रूपये से बढ़कर 303.10 करोड़

46 कर्नाटक एस.आर.टी.सी, राजस्थान एस.आर.टी.सी, हरियाणा राज्य परिवहन, पंजाब राज्य परिवहन, पेप्सू सड़क परिवहन निगम, हिमांचल सड़क परिवहन निगम तथा चेन्नई परिवहन उपक्रम के सम्बन्ध में 1998-99 तक के तीन वर्षों में बस कर्मचारी अनुपात 5.14 (1998-99 के दौरान हिमाचल आर टी सी) से 6.81 (1996-97 के दौरान कर्नाटक एस आर टी सी) तक विस्तीर्ण रहा।

47 ऐसे चालक दल के सदस्य जो अब शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करते।

रूपये हो गया। तथापि, यह भी देखा गया कि यद्यपि बसों एवं कर्मचारियों की संख्या में तेजी से कमी हो रही थी परन्तु कर्मचारी लागत बढ़ गई थी। निगम द्वारा वहन किये जा रहे लगातार घाटे में कर्मचारी लागत की उत्तरोत्तर वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण था।

- प्रतिदिन प्रति बस प्रति कर्मचारी 33.30 कि मी से 37.87 कि मी तक विस्तारित कर्मचारी उत्पादकता के लक्ष्यों के विरुद्ध, यह 1998-99 तक के पाँच वर्षों में प्रतिदिन प्रति बस प्रति कर्मचारी 31.07 तथा 34.35 कि मी के मध्य रही, परिणामस्वरूप उत्पादकता में गिरावट के कारण 72.04 करोड़ रुपये की हानि हुई।

- चालक दल (चालक एवं परिचालक) परिवहन उद्योग की रीढ़ है। 1998-99 तक के तीन वर्षों के दौरान बस/कर्मचारी अनुपात चालकों के मामले में क्रमशः 2.17, 2.13 एवं 2.10 तथा परिचालकों के मामले में 2.13, 2.10 एवं 2.10 था। मार्च 1999 के अन्त में निगम के पास 12965 परिचालक (161 असमर्थों सहित) तथा 12904 चालक (582 असमर्थों सहित) थे।

- कर्मचारियों का स्वीकृत बल 1994-95 के पश्चात् पुनरीक्षित नहीं किया गया स्वीकृत पदों की तुलना में, तकनीकी विभाग में किसी श्रेणी में कर्मचारी कम तथा किसी में अधिक थे। तकनीकी संवर्ग (वर्ग घ) के आधिक्य (1771) को उपयुक्त प्रशिक्षण के बाद चालकों/परिचालकों के रूप में संविलीन करने का निर्णय लिया गया (दिसम्बर 1997) लेकिन यह तरीका गैर तकनीकी संवर्ग (वर्ग घ) हेतु नहीं अपनाया गया। दिसम्बर 1997 के निदेशक मण्डल के निर्णय पर अभी तक (मार्च 1999) पूरी तरह लागू नहीं किया गया क्योंकि तकनीकी संवर्ग (वर्ग घ) के 1000 अधिक कर्मचारी चालक/परिचालक के रूप में संविलीन नहीं किये गये थे। संचालन लागत पर अनुत्पादक बोझ को कम करने के लिये निगम के पास गैर तकनीकी वर्ग घ के आधिक्य (31 मार्च 1999 को 1698) को उत्पादक कार्यों में लगाने हेतु कोई योजना नहीं हैं।

- चूंकि निवारक अनुरक्षण के मानक मानव घण्टे निर्दिष्ट नहीं थे, निगम अनुरक्षण में परिहार्य विलम्ब को रोकने के दृष्टिकोण से निष्क्रिय मानव बल की सीमा को चिन्हित करने में असमर्थ रहा। तथापि, यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि पाँच तुलनात्मक राज्य परिवहन इकाईयों के बीच निगम का अनुरक्षण हेतु मानव बल सर्वाधिक था, जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर 3.5.8 में विवेचित है।

3.5.13 दुर्घटना दावों का भुगतान

जैसा कि परिशिष्ट-21 में देखा जा सकता है, 1994-95 से 1998-99 के दौरान प्रति लाख कि मी पर दुर्घटनाओं की संख्या 0.20 और 0.22 के मध्य विस्तारित रही परिणामस्वरूप, निगम को उक्त अवधि में दुर्घटना दावों के रूप में 39.69 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। रोकथाम अनुरक्षण उपायों के सुझाव हेतु निगम ने अपने सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों से राज्य परिवहन अनुसंधान एवं नियोजन संस्थान (आर पी ए एन एस) को जाँच आख्या प्रस्तुत करने को कहा (1998-99)। तथापि, लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में क्षेत्रीय प्रबन्धकों तथा आर.पी.ए.एन. एस द्वारा मामले में कोई कार्यवाही किया जाना उल्लिखित नहीं था।

निगम ने दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु अपनाये गये नियंत्रक साधनों एवं उपायों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इसने दुर्घटनाओं का कारण सहित विश्लेषण तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की मरम्मत व अनुरक्षण पर किया गया व्यय भी सूचित नहीं किया।

3.5.14 विशिष्ट श्रेणी के नागरिकों को रियायत/निःशुल्क परिवहन सुविधा

निगम, कतिपय श्रेणी के नागरिकों जैसे संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, एक सहयोगी सहित विधान परिषद सदस्यों, विकलांगों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, एक सहयोगी सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आदि को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करता है जिनसे सम्बन्धित परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं पाँच से बारह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों तथा विद्यार्थियों को रियायती परिवहन सुविधा दी जाती है, जिसकी लागत निगम द्वारा स्वयं वहन की जाती है।

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि निगम को इस मद में हानि उठानी पड़ी, जिसका विवरण निम्न है:

- 1996-97 से 1998-99 के दौरान सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु मासिक बिलों के स्थान पर वार्षिक बिलों के निर्गमन के कारण 24 लाख रुपये (लगभग) के ब्याज की हानि हुई जबकि निगम यह व्यय दिन-प्रतिदिन के आधार पर करता है;

निःशुल्क यात्राओं को अभिलेखित या पहचान करने की प्रणाली न होने के कारण 5.19 करोड़ रुपये के दावे की वसूली नहीं हो सकी

- निगम के पास किसी भी मामले में की गई यात्रा को अभिलेखित या पहचान करने (कूपन या कोई अन्य तरीका) की कोई प्रणाली नहीं थी। इसके कारण फरवरी 1995 से जनवरी 1997 तक की अवधि के विशिष्ट परीक्षाओं/साक्षात्कारों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को अनुमन्य निःशुल्क यात्राओं हेतु किये गये 5.19 करोड़ रुपये (5.91 करोड़ रुपये में से) के दावों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की गयी।

3.6 सामग्री प्रबन्धन एवं भण्डार नियंत्रण

3.6.1 सामग्री प्रबन्धन

निगम के सामग्री प्रबन्ध शाखा के अनुसार 1998-99 तक के पाँच वर्षों के प्रारम्भिक अवशेष, क्रय, खपत, अन्तिम अवशेष तथा अन्तिम अवशेष की सीमा का विवरण (ईंधन, लुब्रिकेन्ट्स, अतिरिक्त पुर्जे, टायर एवं टयूब, बैट्री, वर्दी तथा अन्य सामान्य मदें) नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

मदें	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99
प्रारम्भिक अवशेष	12.22	13.50	11.89	14.09	14.99
प्राप्तियाँ/अन्तरण	196.90	174.74	217.85	261.61	234.05
निर्गम/उपभोग	195.61	176.35	215.65	260.79	234.09
अंतिम अवशेष	13.50	11.89	14.09	14.91	14.95
उपभोग के दिनों के आधार पर अंतिम अवशेष (दिनों की सीमा)	4 से 84	4 से 82	5 से 70	5 से 47	5 से 80

यह पाया गया कि लेखों के अनुसार अंतिम भण्डार के आँकड़े 1998-99 तक के पाँच वर्षों के अन्त में क्रमशः 15.01 करोड़ रुपये, 14.36 करोड़ रुपये, 17.25 करोड़ रुपये, 15.73 करोड़ रुपये तथा 16.36 करोड़ रुपये थे। यह, सामग्री प्रबन्ध शाखा द्वारा प्रदत्त उपरोक्त आँकड़ों से मेल नहीं खाते थे। प्रबन्धन ने मिलान किये गये आँकड़ें प्रस्तुत करने का वायदा (मई 2000) किया था जो प्रतीक्षित थे (जून 2000)।

3.6.1.1 क्रय प्रक्रिया

निगम में क्रय व भण्डार नियंत्रण मैनुअल नहीं है। क्रय, ए.एस.आर.टी.यू की दर संविदाओं (68 प्रतिशत), चुनिन्दा फर्मों से सीमित पूछताछ (टायर व टायर रिट्रीडिंग सामग्री, 30 प्रतिशत) एवं दो प्रतिशत मामलों में स्थानीय क्रय के आधार पर किये गये थे। यहाँ पर दो क्रय समितियाँ (पीसी) I एवं II हैं। सहायक प्रबन्ध निदेशक द्वारा शीर्षित पीसी-I को सभी मदों की बिना किसी वित्तीय सीमा के क्रय संस्तुतियाँ करने का अधिकार है। मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी) द्वारा शीर्षित पीसी-II को 15 लाख रुपये प्रति मास एवं बस बॉडी सामग्री के सम्बन्ध में दो लाख रुपये एवं एक क्रयादेश में 50 लाख रूपये तक की सीमा तक के क्रय की संस्तुति का अधिकार है। इन समितियों द्वारा क्रय प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के बाद किये जाते हैं। क्रय समितियों की स्थापना, एक निर्धारित सीमा तक सामग्री के क्रय हेतु कार्यशाला, क्षेत्र एवं डिपो स्तर पर भी की गई है।

3.6.1.2 सामग्री प्रबन्धन में कमियाँ

3.6.1.2.1 फर्श सामग्री में परिवर्तन से बस बॉडी की नवीनीकरण लागत में वृद्धि

कठिन वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, निगम ने अल्प कालीन व्यवस्था के रूप में, नई तथा नवीनीकृत बस बॉडी दोनों के फर्श में एल्यूमिनियम चेकर्ड शीट के स्थान पर प्लाईवुड चेकर्ड शीट का प्रयोग करने का निर्णय लिया (अगस्त 1995)। परन्तु, न तो निर्णय के समय और न ही सामग्री के नमूना प्रयोग के पश्चात्, समग्र तुलनात्मक तकनीकी-आर्थिक लाभप्रदता पर विचार किये बिना, निगम ने जुलाई 1998 तक प्लाईवुड चैकर्ड शीट का प्रयोग जारी रखा।

फर्श सामग्री के विकल्पों पर लागत लाभ विश्लेषण करने में विफलता के कारण 2.20 करोड़ रुपये की हानि हुई

लेखा परीक्षा द्वारा किये गये (मई 1998) दोनों विकल्पों के अर्थशास्त्र के विश्लेषण से प्रकट हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-33 में विवरण दिया गया कि स्थायित्व एवं उच्च स्क्रैप कीमत के कारण एल्यूमिनियम चैकर्ड शीट्स के प्रयोग से फर्श की लागत कम होती है। इसकी तुलना में प्लाईबोर्ड के प्रयोग से 1996-97 एवं 1997-98 में 2.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। निगम ने लागत अन्तर के परिप्रेक्ष्य में एल्यूमिनियम शीट्स को पुनः प्रयोग करने का निर्णय किया, लेकिन इसके आदेश अगस्त 1998 में ही निर्गत किये गये।

प्रबन्धन का यह उत्तर कि प्लाईवुड शीट्स द्वारा फर्श बनाना महंगा नहीं था, तर्क संगत नहीं है, क्योंकि प्रबन्धन द्वारा एल्यूमिनियम शीट्स के अपेक्षाकृत दीर्घ जीवन काल एवं इसके स्क्रैप मूल्य पर विचार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा का मत इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि प्रबन्धन ने अगस्त 1995 के अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट कर एल्यूमिनियम शीट्स के प्रयोग की संस्तुति की (अगस्त 1998) क्योंकि वह सस्ती पड़ती थीं।

3.6.1.2.2 ल्यूब्रीकेटिंग तेल का पुनर्शोधन न करने से हानि

पुनर्शोध .0 करोड़ हुई

मूलभूत सिद्धान्त[48] कि ल्यूब्रीकेंट तेल कभी समाप्त नहीं होता तथा इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ पेट्रोलियम (आई आई पी), देहरादून द्वारा नेशनल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से प्रदत्त पुनर्शोधन तकनीक के आधार पर चोलन ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, तमिलनाडु[49] द्वारा क्रैन्क केस ल्यूब्रीकेटिंग तेल के 200 टन रिक्लेम करने की क्षमता वाला देश में पहला संयंत्र मेथ्यूपलायम में लगाया एवं संचालित किया गया। उच्च प्रचलित मूल्यों, समय समय पर आवश्यक गुणवत्ता वाले ल्युब्रिकेन्ट की कमी, उच्च विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाले मूलभूत भण्डार और योज्यों के आयतित भाग की अधिक लागत, प्रयुक्त ल्युब्रिकेन्ट के निस्तारण में प्रदूषण तथा धोखेबाज व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त तेल के सम्भावित दुरूपयोग तथा मिलावट के कारण पुनर्शोधन की आवश्यकता पड़ी। पुनः, आई आई पी देहरादून के वैज्ञानिक जाँच व परीक्षण से यह बात भलीभाँति स्थापित हुई कि इस तेल की थर्मल व आक्सीडेशन स्थिरता का गुण मूल भण्डार से भी बेहतर है और यह कि उसकी भौतिक-रसायनिक या इंजन परिचालन गुणवत्ता में कोई मूलभूत अन्तर खोजा नहीं जा सका। संयंत्र के स्थापन पर लगने वाले पूँजीगत व्यय सहित मूल व पुनर्शोधित तेल की लागत के मध्य 14 रूपये प्रति लीटर की बचत की तुलना में 1998-99 तक के तीन वर्षों में 36 लाख लीटर पुनर्शोध्य तेल पर, 7.20 करोड़ रूपये की हानि आंकलित हुई।

प्रबन्धन ने वार्ता के दौरान बताया (मई 2000) कि पुनर्शोधित तेल की साख स्थापित न होने के कारण उन्होंने यह विकल्प नहीं अपनाया और यह भी कि अन्य राज्य परिवहन इकाईयों से सूचना मांगी जा रही है।

3.6.1.2.3 टायर रिट्रीडिंग सामग्री की अधिप्राप्ति में हानि

(अ) रबड़ के मूल्य में कमी पर विचार न करने से हानि

कच्चे माल के मूल्य में कमी का लाभ लेने में विफलता से 0.26 करोड़ रुपये की हानि हुई

गिरते हुए बाजार मूल्य को देखते हुए ए एस आर टी यू दर संविदाओं की फर्मो की दरों में एल्जी के प्रकरण में 1 अक्टूबर 1996 से चार प्रतिशत एवं जनवरी 1998 से आठ प्रतिशत तथा सुन्दरम के प्रकरण में जनवरी 1998 से चार प्रतिशत की कमी हो गई, जिसका लाभ इन फर्मो द्वारा निगम को दे दिया गया। परन्तु, ए एस आर टी यू से इतर आपूर्तिकर्त्ताओं के सम्बन्ध में, मूल्य परिवर्तन का उपयुक्त उपबन्ध क्रयादेशों में न कर सकने के कारण अक्टूबर 1996 से अगस्त 1998 के बीच टायर रिट्रीडिंग सामग्री (टी आर एम) के 417.54 टन की आपूर्ति पर 26.00 लाख रूपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1999) कि इसने कच्चे माल की लागत में परिवर्तन के कारण क्रयादेशों में मूल्य परिवर्तन उपबन्ध को सम्मिलित न करके अधिक बचत की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ए एस आर टी यू में पंजीकृत फर्मों ने अपनी दरों को घटा दिया था।

---

48 स्रोत: सी आई आर टी द्वारा प्रकाशित फ्यूल एण्ड आयल इकोनामी 1995-96 के अंक में 'आयल रिक्लेमेशन प्लाण्ट' शीर्षक के अंतर्गत चोलन परिवहन निगम, तमिलनाडु के महाप्रबन्धक (अभियंत्रण) का योगदान।

49 गुजरात एस आर टी सी द्वारा रिक्लेम्ड तेल एयर क्लीनरों में तथा आन्ध्र प्रदेश एस.आर.टी.सी. द्वारा एयर क्लीनरों व टापिंग में प्रयुक्त होता है। कर्नाटक एस आर टी सी की क्रय समिति ने भी यह पाया कि मूल तेल से व टापिंग अप दोनों के लिये पुनर्शोधित तेल सस्ता व उपयुक्त है।

(ब) बेहतर प्रदर्शन करने वाली फर्मों को क्रयादेश न देना

आर्थिक दृष्टि से सस्ते आपूर्ति के स्रोत से टी आर एम की अधिप्राप्ति में असफलता से 0. 43 करोड़ रुपये की हानि हुई

गुणवत्ता को सुनिश्चित करने व टी आर एम आपूर्तिकर्ताओं के 'अ' स्रोतों (इन्डाग, एल्जी तथा सुन्दरम) एवं 'ब' (अन्य) के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आरम्भ करने हेतु, निगम ने इसकी अधिप्राप्ति के लिये क्रमशः 50:50 प्रतिशत के आधार पर क्रयादेश जारी करने का निर्णय लिया (सितम्बर 1994)। इस प्रणाली का प्रारम्भ इसलिये किया गया कि आपूर्ति के 'ब' स्रोतों के नये होने के कारण उनके प्रदर्शन के आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन प्रभाव से सभी स्रोतों के प्रदर्शन आंकड़ों के अवस्थापन का निर्णय भी लिया गया जो आगे चलकर सस्ती आपूर्तियाँ उपलब्ध होने के लिए मानक के रूप में अपनाये जा सकें। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि अप्रैल 1995 से मार्च 1996 की अवधि के दौरान 'अ' स्रोतों के टी आर एम से बने रिट्रीडेड टायरों की प्रति कि मी चाल लागत 2.693 पैसे से 2.900 पैसे के बीच थी जबकि 'ब' स्रोतों के मामले में 2.982 पैसे से 4.324 पैसे प्रति कि मी थी। तथापि, 'अ' स्रोतों के टी आर एम से बने रिट्रीडेड टायरों के सस्ते निष्पादन के बावजूद, निगम ने बाद के क्रयानुपात को पुनरीक्षित नहीं किया एवं 6.05 करोड़ रूपये के मूल्य के 'अ' स्रोत (405 टन) व 'ब' स्रोत के (385 टन) का, लगभग 50:50 प्रतिशत के आधार पर ही क्रयादेश निर्गत किया। यदि प्रबन्धन ने 75:25[50] का आपूर्ति मिश्रण ('अ': 580 टन तथा 'ब': 210 टन) प्रयुक्त किया होता तो 'ब' स्रोतों से रिट्रेडेड टायरों के प्रति कि मी चाल की उच्च लागत वाले 175 टन (एल्जी प्रोसेस: 105 टन तथा इन्डाग प्रोसेस: 70 टन) टी आर एम की अधिप्राप्ति पर 43 लाख रुपये की राशि की अतिरिक्त लागत को बचाया जा सकता था।

निगम को लागत अर्थशास्त्र की दृष्टि से आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्ति मिश्रण की संभावना तलाश करनी चाहिए।

3.6.1.2.4 नये टायरों की अधिक खपत से अतिरिक्त लागत

नये टायरों के क्रय पर भारी व्यय होने के दृष्टिगत निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया (मार्च 1993) कि नये टायरों का उपयोग केवल आगे के पहियों में तथा रिट्रीडेड टायरों का पिछले पहियों में किया जायेगा। छः करोड़ प्रतिमाह के अनुमानित चालन तथा रिट्रीडेड टायरों के 34000 कि मी औसत जीवन काल को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतिमाह 7050 रिट्रीडेड टायर की मांग पूरी करने हेतु, यह निर्णय लिया गया कि टायर रिट्रीडिंग (कोल्ड प्रणाली) की स्वयं की क्षमता को बढ़ाना होगा। तदनुसार, 1993-94 में तीन टायर रिट्रीडिंग संयंत्रों (कानपुर, गाजियाबाद व गोरखपुर) की 31800 टायर प्रतिवर्ष की रिट्रीडिंग क्षमता को 1995-96 में बढ़ाकर 84000 टायरों तक 25.00[52] लाख रूपये मूल्य के बरेली, इलाहाबाद तथा सहारनपुर में तीन नये संयंत्र लगाकर, कर दिया गया।

50 वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये।

51 एलजी प्रोसेस हेतु 105 टन को एलजी (60 टन) व सुन्दरम (45 टन) के मध्य (अतिरिक्त लागत 22 लाख रूपये) तथा इन्डाग प्रोसेस हेतु 70 टन इन्डाग एवं सुन्दरम के मध्य (अतिरिक्त लागत 22 लाख रूपये) बाँट कर आगणित किया गया। अतिरिक्त लागत की गणना प्राप्त कि मी तथा प्रति टायर खपत के सन्दर्भ में 'अ' तथा 'ब' स्रोतों की दरों पर आधारित है।

52 बरेली कार्यशाला की लागत उपलब्ध नहीं थी।

समय-पूर्व रद्द होने के परिणामस्वरूप, नये टायरों का उपभोग अधिक हुआ, परिणामतः 14.92 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई

टायर रिट्रीडिंग संयंत्रों की प्रयुक्ति से नये टायरों की खपत घट जानी चाहिये थी। तथापि नये टायरों की वास्तविक खपत अपेक्षित खपत से अधिक थी, जैसा कि परिशिष्ट-34 के विवरणों से देखा जा सकता है। इससे 1998-99 तक के पाँच वर्षों में 14.92 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

चार टायर शालाओं (इलाहाबाद, आगरा, देहरादून तथा मेरठ) की नमूना जाँच से यह संज्ञान में आया कि 1998-99 में, 530 नये टायर नियंत्रण योग्य कारकों के कारण समय-पूर्व रद्द करने पड़े जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर 3.5.10 में विवेचित है।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1999) कि मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है।

3.6.1.2.5 ए एस आर टी यू फर्मों की कम दरों की तुलना में अधिक भुगतान

ल्यूब्रीकेन्ट की अधिप्राप्ति हेतु 16 जनवरी 1997 से तीन वर्षों की अवधि के इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई ओ सी) के साथ किये गये जुलाई 1997 के अनुबन्ध में निर्दिष्ट था कि आपूर्ति के दिन विद्यमान दरें, वैधानिक शुल्कों, आबकारी शुल्क या मूलभूत तेल अथवा योज्यों की लागत में परिवर्तन के आधारित थीं और आपूर्तियाँ ऐसी पुनरीक्षित दरों पर होनी थीं। तदनुसार निगम अन्य प्रस्तावित मूल्यों में कमी की पहचान हेतु अन्य आपूर्तिकर्ताओं के ल्यूब्रीकेन्ट के मूल्यांक एवं दरों की समीक्षा करना आवश्यक था।

ल्यूब्रीकेन्ट के मूल्य में कमी का लाभ उठाने में विफल होने से 0.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि दो ए एस आर टी यू फर्मो यथा कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड (कैस्ट्रोल) तथा गल्फ आयल इंडिया लिमिटेड (गल्फ) द्वारा जबकि दरों को क्रमशः 1 जनवरी 1998 से 4.34 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 1998 से 3 प्रतिशत घटा दिया गया, निगम आई ओ सी की घटी दरों का लाभ लेने में असमर्थ रहा। इन दरों की तुलना में निगम को जनवरी से नवम्बर 1998 के बीच की आपूर्तियों पर 22 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा द्वारा एकत्रित सूचना से यह संज्ञान में आया कि उपरोक्त अनुबन्ध में प्राविधानित 16 जनवरी से 25 जुलाई 1997 की अवधि की 37 लाख रुपये की छूट, लेखा परीक्षा के इंगित करने पर ही मुख्यतया जुलाई 1999 में 24 माह के विलम्ब से वसूल की जा सकी। तथापि, प्रबन्धन द्वारा वसूली में विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया।

3.6.1.2.6 अतिरिक्त कल पुर्जों की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय

निगम ने प्राप्त प्रस्तावों के लागत लाभ के मूल्यांकन के पश्चात पात्रतायुक्त फर्मों में से मदों की आवश्यक मात्रा के बँटवारे की सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं की। दिसम्बर 1997 से नवम्बर 1998 तक की अवधि में 7.06 करोड़ रुपये मूल्य के 232 क्रयादेशों की समीक्षा से यह संज्ञान में आया कि बहुत से मामलों में निगम ने बिना पर्याप्त कारण अंकित किये, न्यूनतम दरों का लाभ लेने हेतु न्यूनतम दरों का आग्रह किये बिना और/अथवा उसे कम फर्मों तक सीमित रख कर अपनी आवश्यकता को 3 या 4 फर्मों के बीच उनकी प्रस्तावित दरों पर बाँट दिया। परिणामतः, 23 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1999) कि अपेक्षाकृत उच्च दरों पर क्रय गुणवत्ता, उत्पादन तथा संचालन सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु किया गया अन्यथा संचालन हानियाँ, लागत अन्तर से कहीं अधिक होती। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम ने न तो विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के प्रदर्शन को इंगित करते हुये स्रोत सहित डाटा-बैंक बनाया है और न ही अभिलेख यह इंगित करते थे कि न्यूनतम उपेक्षित फर्म का निष्पादन निम्नस्तरीय था।

3.6.1.2.7 पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण प्रणाली का अभाव

निगम के पास भण्डार मदों तथा कलपुर्जों की गुणवत्ता मापने हेतु कोई निर्धारित पद्धति नहीं थी, जैसा कि महाराष्ट्र एस आर टी सी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जुलाई 1995 के टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज़ की संस्तुतियों (मई 1991) के अनुसार दो कार्यशालाओं में परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना के प्रबन्ध निदेशक के जुलाई 1995 के सुझावों के बाद भी ऐसा कोई प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया गया (जुलाई 2000)। निगम सी आई आर टी से आपूर्तियों की नमूना जाँच में विफलता की जानकारी के बाद भी आपूर्तियों को स्वीकार करता रहा जिससे निम्नस्तरीय सामग्री प्राप्ति की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। कुछ मामले नीचे दिये गये हैं।

निगम में पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण प्रणाली का अभाव था

(i) प्रथम प्रेषण (2.00 लाख रुपये) के नमूनों के परीक्षण परिणामों से यह संज्ञान में आया (मई 1998) कि मयूर ग्लॉस इण्डस्ट्रीज़, नई दिल्ली से प्राप्त आपूर्तियाँ निम्नस्तरीय थीं। तथापि, निगम ने बिना किसी अतिरिक्त परीक्षण के ही बाद की आपूर्तियों को स्वीकार करना जारी रखा। केन्द्रीय कार्यशाला के अनुसार विशिष्ट पद्धति के अभाव में प्रत्येक प्रेषण से परीक्षण हेतु नमूना नहीं भेजा गया। प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1999) कि प्रतिकूल परीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर आपूर्तियाँ अगस्त 1998 से रोक दी गई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि फर्म को विलम्ब से आपूर्ति रोकने को कहा गया जबकि मई 1998 में ही परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था।

(ii) इसी प्रकार, राडो इण्डस्ट्रीज एवं राडो रेक्सीन लिमिटेड, फरीदाबाद से पी वी सी चर्म वस्त्र के तीन प्रेषणों (1.00 लाख रुपये) से लिए गए नमूने मानकों के अनुरूप नहीं थे (जून 1995)। तथापि, आगे की आपूर्तियाँ (10 लाख रुपये) अक्टूबर 1996 और फरवरी 1997 के मध्य बिना किसी परीक्षण के स्वीकार की गयीं।

(iii) एक अन्य मामले में, डोर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर से प्लाईवुड चेकर्ड शीट्स की आपूर्ति से लिए गए नमूनों के प्रतिकूल प्रतिवेदन (दिसम्बर 1996) की जानकारी होने के बावजूद निगम ने जुलाई 1998 तक सामग्री (66 लाख रुपये) की अधिप्राप्ति करना जारी रखा।

3.6.1.2.8 मूल उपकरण निर्माताओं पर अधिक निर्भरता

प्रणाली की कमियों को इंगित करते हुए टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज़ ने मूल उपकरण निर्माताओं (ओ इ एम) पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता तथा अधिप्राप्ति की लागत को कम करके लाभ लेने हेतु आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करने का सुझाव दिया (मई 1991)। तथापि, ऐसे स्रोतों की

पहचान हेतु निगम ने प्रयत्न नहीं किये क्योंकि इसने परीक्षण क्रयादेशों के विरुद्ध फर्मो के कार्य सम्पादन के आंकड़े विकसित नहीं किये।

प्रणाली में कमी के कुछ मामले नीचे विवेचित हैं:

- निगम ने फरवरी 1997 से अक्टूबर 1998 के बीच अशोक लेलैण्ड तथा टेल्को को 100 प्रतिशत तक की अति उच्च दरों पर कल पुर्जों के भारी क्रयादेश निर्गत किए, जिससे 22.00 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

- अन्य मामलों में, वैकल्पिक स्रोतों पर 70 व 80 प्रतिशत के मध्य भारी क्रयादेश जहाँ यह इंगित करते थे कि उनसे प्राप्त आपूर्तियाँ संचालन आवश्यकताओं को पूर्ण कर रही थीं, इन दो मूल निर्माताओं को बिना वार्ता किये अपेक्षाकृत अधिक दरों पर मई 1997 से अगस्त 1998 के दौरान 20 से 30 प्रतिशत के मध्य की आपूर्तियों के लिये 11 क्रयादेश निर्गत किये गये जिससे 10.00 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

- जनवरी 1995 और अक्टूबर 1998 के मध्य निर्गत टेल्को के 37 क्रयादेशों तथा अशोक लेलैण्ड के 18 क्रयादेशों की वैधता 3 से 34 माह[53] तक कई बार बढ़ाई गयी। परिणामतः, क्रैन्कशैफ्ट्स की अनुपलब्धता के कारण इंजनों की पर्याप्त संख्या का पुनर्नवीनीकरण, निगम की कार्यशालाओं में उपलब्ध सुविधा से नहीं किया जा सका। इससे 1994-95 से 1996-97 के बीच 12.30 करोड़ रुपये मूल्य के नए इंजन क्रय करने पड़े। पुनर्नवीनीकरण पर 0.50 लाख रुपये प्रति इंजन लागत की तुलना में, 845 नए इंजनों के क्रय पर 6.34 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आगणित हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1999) कि मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है।

3.6.2 भण्डार नियंत्रण

निगम ने केन्द्रीय भण्डार को छोड़कर (जिसे सितम्बर 1998 में बन्द कर दिया गया था), क्षेत्रीय इकाइयों के लिए, विभिन्न श्रेणियों के भण्डार के सम्बंध में नियंत्रण मापदण्डों के आधार जैसे अधिकतम एवं न्यूनतम भण्डारण, पुनः आदेश सीमा आदि के द्वारा बेहतर भण्डार नियंत्रण हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किये। सम्प्रेक्षण में नमूना जाँच के दौरान निम्नस्तरीय भण्डार नियंत्रण को दर्शाते हुए कुछ प्रकरण नीचे वर्णित हैं:

3.6.2.1 केन्द्रीय भण्डार में भण्डार नियंत्रण का अभाव

पर्याप्त भण्डार नियंत्रण प्रणाली न होने से अधिकतर मदें न्यूनतम स्तर से कम अथवा अधिकतम स्तर से अधिक थीं

केन्द्रीय भण्डार के सम्बन्ध में, जहाँ भण्डार नियंत्रण हेतु मानक अत्यावश्यक (वी), आवश्यक (ई) तथा इच्छित (डी) श्रेणी में चिन्हित किए गए थे, यह संज्ञान में आया कि 1997-98 में 1197 मदें, 1836 मदें और 19 मदें न्यूनतम स्तर से कम थी। इसमें वी श्रेणी के 323, ई श्रेणी के 507 तथा डी श्रेणी के 15 मद सम्मिलित थे, जहाँ कोई भी मद एक से 365 दिनों तक भण्डार में नहीं था। तात्पर्य

53 आपूर्तियों की अद्यतन स्थिति उपलब्ध नहीं।

यह कि न्यूनतम स्तर का भण्डार भी नहीं रखा गया। पुनर्विश्लेषण से संज्ञान में आया कि न्यूनतम स्तर से कम भण्डार स्तर के कारण, 20 क्षेत्रीय इकाइयों को 20.03 करोड़ रुपये मूल्य के 7328 मदों का मासिक आवश्यकताओं (एम सी एफ या मासिक खपत कारक) से अधिक का निर्गम था।

दूसरी तरफ, वी श्रेणी के 384, ई श्रेणी के 520 तथा डी श्रेणी के 19 मदों को अधिकतम स्तर से अधिक खरीदा गया, परिणामतः 1 से 365 दिनों तक भण्डार (मूल्य सूचित नही किया गया) अवरुद्ध रहा। इसमें वी श्रेणी के 21, ई श्रेणी के 16 तथा डी श्रेणी के 2 मद सम्मिलित थे जो कि लगभग पूरे वर्ष अधिकतम स्तर से भी 175 प्रतिशत अधिक रहे।

अतैव, सामग्री प्रबन्धन शाखा केन्द्रीय भण्डार पद्धति में उचित स्तर के भण्डारण द्वारा, सामग्री लागत को कम कर पाने अथवा आय के उपयोजन के अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1999) कि भण्डार नियंत्रण प्रणाली अभी विकास की प्रक्रिया में थी तथा संगणक कार्यक्रम में कुछ और विवरण को एकत्र व क्रियान्वित करना शेष था। इसके अतिरिक्त, भण्डारण नियंत्रण प्रणाली अच्छी थी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप सड़क पर बसों का प्रतिशत बढ़ा था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिप्राप्ति के निर्णयों के पूर्व संगणक के भण्डारण पैकेज में उपलब्ध आंकड़ों को एकत्र नहीं किया गया। प्रबन्ध निदेशक ने जुलाई 1995 में ही भण्डारण पैकेज की रूपरेखा तैयार करने हेतु निर्देश दिये थे जिन पर चार वर्षो से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई।

3.6.2.2 अनिस्तारण के कारण खाली ड्रमों का एकत्र होना

इंजन आयल, अन्य ल्यूब्रीकेन्ट, ग्रीस इत्यादि के भण्डारण में प्रयुक्त 210 लीटर के लगभग 10000 खाली ड्रम प्रतिवर्ष एकत्र होते हैं। इन ड्रमों का निस्तारण नीलामी द्वारा किया जाता है। इन ड्रमों को सरकारी विभागों व अन्य पार्टियों को बिक्री करने हेतु निगम ने 396 रुपये प्रति ड्रम का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया (सितम्बर 1996)। चूंकि इस दर पर लेने वाले बहुत कम लोग थे इसलिये निस्तारण की गति अत्यन्त धीमी थी। लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये दो वर्षों (1998-99 तथा 1999-2000) के अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि क्रमशः 2050 तथा 3630 ड्रम का ही निस्तारण किया जा सका जिससे 18310 ड्रम (मूल्यः 66.00 लाख रुपये) जनवरी 2000 के अन्त तक एकत्र हो गये थे।

समय बीतने तथा खुले में भण्डारण के फलस्वरूप प्राकृतिक विसंगतियों से इन ड्रमों की दशा जंग लगने से खराब हो गई थी जिसने इनकी बिक्री क्षमता को प्रभावित किया। प्रतिवर्ष तुलनात्मक बाजार मूल्यों पर त्वरित निस्तारण की नीति अपनाकर, निगम अनिस्तारित भण्डार पर निधि को अवरुद्ध होने से बचा सकता था।

3.6.2.3 स्क्रैप की अधिक निकासी से हानि

निगम ने कार्यशालाओं में उत्पन्न स्क्रैप के आवधिक एकत्रीकरण तथा लेखांकन हेतु कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की। इसलिये, स्क्रैप की प्राप्तियों, निर्गम एवं अंतिम अवशेषों की भैातिक मात्रायें सत्यापित करना सम्भव नहीं था।

स्क्रैप की ढुलाई हेतु प्रयुक्त खाली ट्रकों के भार को वास्तविक भार से अधिक अंकन किये जाने से निगम को केन्द्रीय कार्यशाला पर फरवरी 1996 से अप्रैल 1998 के बीच स्क्रैप के निस्तारण में 10.00 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1999) कि जून 1998 से एल्युमिनियम स्क्रैप की वजन लेने की प्रणाली में सुधार किया गया था। उसने यह भी बताया कि विभिन्न प्रकार के भण्डार के परिवहन में प्रयुक्त ट्रक में पटरे, तसले तथा बेलचे आदि लदे रहते थे जिससे अपेक्षाकृत अधिक वजन अंकित होता था और यह भी कि उसमें गड़बड़ करने का उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लदे हुये स्क्रैप के सही वजन के लिये ट्रक का वजन इन मदों के बिना ही लेना चाहिये था।

निष्कर्ष

निगम का कार्य संचालन, इसके द्वारा लगातार होती हानि तथा निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन से परिलक्षित होता है जो कालातीत बसों के कारण व्यय में वृद्धि, दुर्घटना दावों पर भारी व्यय, इंजन तथा गेयरबक्सों की समयपूर्व विफलताओं, संचालन की उच्च अवस्थापन लागत, इंजन ऑयल तथा एच एस डी की अधिक खपत तथा उच्च कर्मचारी लागत से न्यून कर्मचारी उत्पादकता के कारण था। हानि, बेड़े के निम्न उपयोजन, निम्न वाहन उत्पादकता, निम्न भार कारक, लाभकारी मार्गों के आंकलन की कमी, दर-सूची संशोधन में विलम्ब, लाभकारी मार्गों पर किराये की बसें लगाने तथा विशिष्ट श्रेणी के नागरिकों को रियायती/निःशुल्क परिवहन सुविधा की पूरी लागत के वसूल न कर पाने के कारण और भी बढ़ गई थी। निगम ने भण्डार की अधिप्राप्ति व प्रयोग पर अतिरिक्त व्यय किया तथा घटिया सामग्री प्रबन्धन व भण्डार नियंत्रण के कारण भी हानि उठाई। जब तक संचालन, सामग्री तथा भण्डार नियंत्रण हेतु समुचित प्रणाली विकसित कर उनका सघन अनुसरण नहीं किया जाता, निगम की हानियाँ बढ़ती रहेंगी।

उपरोक्त प्रकरण निगम तथा सरकार को मई 2000 में सूचित किये गये थे; उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2000)।

अध्याय-IV

4. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बंधित विविध रोचक विषय

4अ. सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

4अ.1 निष्फल व्यय

एक रंगाई गृह पर किया गया 0.43 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल हो गया क्योंकि यह एक दिन भी उपयोग में नही लाया जा सका।

कम्पनी ने रसड़ा (बलिया) इकाई के रंगाई गृह के निर्माण पर 0.43 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया

रुग्ण औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष प्राविधान) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत कम्पनी को 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद (बी आई एफ आर) को सन्दर्भित किया गया था। कम्पनी ने 1992 में बी आई एफ आर को एक पैकेज प्रस्तुत किया जिसमें रंगाई गृह की स्थापना हेतु प्राविधान सम्मिलित नहीं था। फिर भी कम्पनी ने एसोसियेटेड टेक्सटाइल इन्जीनियर्स, नई दिल्ली को 23.80 लाख रुपये मूल्य के एक दलाल मार्का एच टी एच पी उर्ध्वाधर रंगाई संयन्त्र की आपूर्ति का आदेश प्रेषित (जनवरी 1998) कर दिया। यह संयन्त्र मूलतः बान्दा इकाई के लिये था परन्तु प्रबन्धन ने इसे कम्पनी की रसड़ा (बलिया) इकाई में अधिष्ठापित करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1997)। फर्म द्वारा संयन्त्र की आपूर्ति मार्च 1998 में की गई। फर्म द्वारा संयन्त्र के संचालन हेतु आवश्यक ब्वायलर का क्रय 11.44 लाख रुपये पर किया गया और उसके अधिष्ठापन, निबन्धन, प्रचालन एवं निदेशक ब्वायलर, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से उसके अनुमोदन के पश्चात 7.80 लाख रुपये का व्यय किया गया। अतैव, कम्पनी द्वारा रसड़ा (बलिया) इकाई के रंगाई गृह पर 43.04 लाख रुपये का कुल व्यय किया गया।

बीआईएफआर ने रंगाई संयन्त्र को क्रय करने की अनुमति नहीं प्रदान की

यह देखा गया (जनवरी 2000) कि कम्पनी ने जनवरी 1998 में रंगाई संयन्त्र और ब्वायलर का क्रय आदेश देने के पश्चात बी आई एफ आर को, रंगाई संयन्त्र के क्रय की अनुमति दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र दिया। बी आई एफ आर ने अब तक (अप्रैल 2000) अनुमति नहीं प्रदान की। कम्पनी, रसड़ा के रंगाई गृह का उपयोग एक दिन के लिये भी नहीं कर पाई क्योंकि यह इकाई वित्तीय संकट के कारण अपनी क्षमता से काफी कम क्षमता पर चल रही थी और मार्च 1999 से बन्द हो चुकी थी। अतः रंगाई गृह पर हुआ व्यय निष्फल हो गया।

उत्तर में प्रबन्धन ने बताया (जून 2000) कि रंगाई गृह कार्यशील पूँजी की कमी के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका और तत्पश्चात इकाई बन्द हो गई।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (मई 2000); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2000)।

4अ.2 निजी रूप से जारी बाण्डों पर हानि

कम्पनी ने अपनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु निजी रूप से जारी बाण्डों द्वारा प्राप्त की गई निधि को कम ब्याज दर के सावधि जमा में निवेशित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 0.64 करोड़ रुपये की हानि हुई।

कम्पनी ने अपनी विभिन्न मिलों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य लेकर, शासन के अनुमोदन से अप्रैल 1999 से नवम्बर 1999 की अवधि के दौरान 14.90 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर वाले निजी रूप से जारी बाण्डों के माध्यम से 35.08 करोड़ रुपये की राशि की निधि प्राप्त की।

आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी तथा निधियों को बैंक में सावधि जमा खातों पर निम्न दरों पर निवेशित किया गया था

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 2000) कि यद्यपि निजी रूप से जारी बाण्डों के माध्यम से प्राप्त निधि, कम्पनी की मिलों के आधुनिकीकरण हेतु प्राप्त की गयी थी परन्तु आधुनिकीकरण योजना हेतु शासन से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। तत्पश्चात्, शासन ने आधुनिकीकरण योजना का अनुमोदन नहीं किया (अक्टूबर 1999) क्योंकि कम्पनी की चार में से तीन मिलें नवम्बर 1998 से मार्च 1999 के दौरान पहले ही बन्द पड़ी थीं। शासन द्वारा आधुनिकीकरण योजना के अनुमोदन न किये जाने के कारण, प्राप्त की गई राशियों का निर्धारित लक्ष्य हेतु उपयोग नहीं किया जा सका। 35.08 करोड़ रुपये में से, कम्पनी ने 26.15 करोड़ रुपये का निवेश 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत ब्याज दर वाले सावधि जमा में 8.85 करोड़ रुपये का उपयोग, बकाया देयताओं को कम करने में तथा 8.00 लाख रुपये निवेशकों को वापस करने में किया। अतः, अप्रैल 2000 तक 26.15 करोड़ रुपये कम्पनी द्वारा निवेशकों को देय ब्याज दर से कम पर सावधि जमा में पड़े रहे। इससे दिसम्बर 1999 से अप्रैल 2000 के दौरान 64.00 लाख रुपये के ब्याज की हानि हो चुकी थी।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2000) कि हानियों को कम करने के लिये निधि को सावधि जमा के रूप में रखने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। तथापि, सत्य यही था कि निर्धारित लक्ष्य जिसके लिए निधि अर्जित की गई थी, प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (मई 2000); उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2000)।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

4अ.3 प्रबन्धन द्वारा अनुचित वित्तीय नियोजन

ऊँचे ब्याज वाले नकद उधार खाते से निम्न ब्याज वाले ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिये निधि का आहरण करने की अविवेकी कार्यवाही के फलस्वरूप देयताओं में 1.33 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

कम्पनी के पास भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) में नकद उधार सीमा (10.01.1993 तक 5.95 करोड़ रुपये तथा 11.01.1993 से 8.00 करोड़ रुपये) अवस्थित थी।

कम्पनी के अभिलेखों के नमूना परीक्षण ने प्रगट किया (अगस्त 1999) कि 1968-69 से 1985-86

कम्पनी ने सरकार को ऋण की वापसी, बैंक में अवस्थित नकद उधार खाते से निधि का आहरण करके की

के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त 3.28 करोड़ रुपये के एक ऋण में से कम्पनी ने नवम्बर 1990 से मार्च 1991 के मध्य, बैंक से इसे उपलब्ध नकद उधार सीमा से निधि का आहरण करके 5.27 करोड़ रुपये (मूलधन के 2.42 करोड़ रुपये तथा वापसी की तिथि तक ब्याज के रूप में 2.85 करोड़ रुपये) वापस किये। जबकि राज्य सरकार का ऋण 10 से 13.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर था, बैंक के प्रकरण में वह उसी अवधि में 17.85 प्रतिशत प्रति वर्ष से 22.25 प्रतिशत प्रति वर्ष के मध्य था।

कम्पनी को बैंक के ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिये उच्च ब्याज दरों पर सरकार से ही ऋण गृहीत करना पड़ा।

नकद उधार सीमा से राज्य सरकार के ऋण की वापसी के परिणामस्वरूप नकद उधार खाते में अत्यधिक डेबिट अवशेष हो गया जिसे समाप्त नहीं किया जा सका तथा वह मार्च 1996 के अन्त में 7.08 करोड़ रुपये हो गया। बैंक ने अगस्त 1997 के दौरान बारम्बार पत्राचार के पश्चात 11.71 करोड़ रुपये की वसूली हेतु (4.63 करोड़ रुपये के अद्यतन ब्याज सहित) एक कानूनी नोटिस जारी की। साथ ही बैंक ने राज्य सरकार द्वारा दी गई बैंक प्रत्याभूति का भी हरण कर लिया। मामला, एक मुश्त समाधान योजना (ओ टी एस) के अन्तर्गत 7.60 करोड़ रुपये में निपटाया गया। जबकि 6.00 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया गया, अवशेष 1.60 करोड़ रुपये का भुगतान कम्पनी द्वारा स्वयं के स्रोतों से किया गया (मार्च 1999)। राज्य सरकार ने, कम्पनी को भुगतान की गई राशि (6.00 करोड़ रुपये) को 19.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के ऋण (समय से भुगतान किये जाने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट सहित) में परिवर्तित कर दिया (मार्च 1999)।

अतः, निदेशक मण्डल के उचित प्राधिकार के बिना, उच्च ब्याज वाले नकद उधार खाते से निधि का आहरण करके निम्न ब्याज वाले ऋण का पुनर्भुगतान किये जाने की अविवेकपूर्ण कार्यवाही के परिणामस्वरूप, बैंक से नकद उधार सुविधा का उपयोग करके पुराने ऋण का पुनर्भुगतान करने तथा राज्य सरकार के ऋण पर जून 2000 तक 1.33 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज का भार वहन करने के कारण अतिरिक्त देयता पैदा हो गई। कम्पनी द्वारा कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया (अगस्त 1999)।

प्रकरण, प्रबन्धन और शासन को मार्च 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.4 इस्पात का अधिक निर्गमन

कम्पनी ने 0.25 करोड़ रुपये की जमा के विरुद्ध 0.50 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात निर्गत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 0.25 करोड़ रुपये तक की सीमा की कम्पनी की निधियाँ अवरुद्ध होने के साथ-साथ 0.18 करोड़ रुपये के परिणामी ब्याज की हानि हुई।

कम्पनी अपने सभी क्षेत्रों हेतु अपने डिपो से विभिन्न लघु उद्योग (एस एस आई) इकाइयों तक लोहा और इस्पात को पहुंचाने की व्यवस्था के लिये समन्वयकों को नियुक्त करती है। कम्पनी ने जनवरी 1996 से मार्च 1996 की अवधि हेतु गाजियाबाद और आगरा क्षेत्रों/डिपो के कार्य को

देखने के लिये डी.वी.स्टील, गाजियाबाद नामक एक समन्वयक के साथ एक सहमति पत्र (एम ओ यू) निष्पादित किया।

कम्पनी ने केवल 0.25 करोड़ रुपये की जमा के विरुद्ध 0.50 करोड़ रुपये का इस्पात निर्गत किया

लेखा परीक्षा में नमूना परीक्षण के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 2000) कि डिपो प्रबन्धक, गाजियाबाद ने क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा द्वारा दी गई इस सूचना कि इस आपूर्ति हेतु समन्वयक द्वारा 25 लाख रुपये जमा के रूप में दिये जा चुके थे, के आधार पर उपरोक्त समन्वयक की एक पार्टी (हीरा मोती उद्योग संस्थान) को 31 मार्च 1996 को 95.92 लाख रुपये के मूल्य का इस्पात निर्गत करते समय 25 लाख रुपये का क्रेडिट अनुमन्य कर दिया। यह भी देखा गया कि डिपो प्रबन्धक,गाजियाबाद इस लेन देन का संयोजन करने में विफल रहे और उसी दिन उसी सूचना पर समन्वयक की एक अन्य पार्टी (जनता ग्रामोद्योग संस्थान) को 50.94 लाख रुपये के मूल्य की सामग्री के निर्गमन पर 25 लाख रुपये के क्रेडिट को पुनः अनुमत कर दिया।

अतः, गाजियाबाद डिपो ने 25 लाख रुपये के जमा के विरुद्ध 50.00 लाख रुपये के मूल्य का इस्पात क्रेडिट पर निर्गत कर दिया। यह भी देखा गया कि समन्वयक/एस एस आई इकाइयों से 25 लाख रुपये का भुगतान अब तक प्राप्त नहीं किया गया (अप्रैल 2000)। उपरोक्त भुगतान की वसूली न किये जाने के कारण 25 लाख रुपये की राशि अवरुद्ध होने के साथ-साथ 01 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2000 तक की चार वर्षों की अवधि में 18 प्रतिशत प्रति वर्ष पर आगणित 18 लाख रुपये के ब्याज की परिणामी हानि भी हुई।

क्षेत्रीय प्रबन्धक ने बताया (अप्रैल 2000)कि यह विसंगति संप्रेषण की कमी के कारण हुई और आगे की कार्यवाही उनके मुख्यालय द्वारा की जानी थी।

प्रकरण, प्रबन्धन और शासन को सूचित किया गया(मई 2000); उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.5 भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल)को भुगतान किये गये व्यापार कर को विक्रय मूल्य में सम्मिलित न किये जाने से हानि

कम्पनी ने, अपने ग्राहकों से व्यापार कर की वसूली न किये जाने के कारण 1.53 करोड़ रुपये की हानि के अतिरिक्त, व्यापार कर की वापसी के रूप में 0.96 करोड़ रुपये की देयता भी उठाई।

कम्पनी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) से लोहा और इस्पात सामग्री सीधे अधिप्राप्त कर इसे राज्य में स्थित लघु उद्योगों को विक्रय करती है। सरकारी अधिसूचना (सितम्बर 1981) के अनुसार, लोहा और इस्पात के प्रकरण में, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत बिक्री कर,निर्माणकर्ता द्वारा अपने बिक्री केन्द्र पर ही प्रभारित किया जाना था। तथापि, सरकार द्वारा इस प्राविधान के अपवाद हेतु अधिसूचना (जून 1982) जारी कर दी गयी थी जिसके अनुसार जब निर्माणकर्ता द्वारा कम्पनी को विक्रय किया जाता था तब बिक्री कर कम्पनी द्वारा विक्रय किये जाने के केन्द्र पर अधिभारित किया जाना था, न कि निर्माणकर्ता द्वारा कम्पनी को बिक्री के स्थान पर। यद्यपि, मई 1994 की अधिसूचना में जिसमें बिक्री कर को व्यापार कर से प्रतिस्थापित कर

दिया गया था, जून 1982 की पहली वाली अधिसूचना में प्राविधानित अपवाद को वापस ले लिया गया था और उसे सरकार द्वारा जारी की गई 21 अप्रैल 1995 की अधिसूचना में पूर्ववत स्थिति में ला दिया गया था। अतः, कम्पनी 01 जून 1994 से 20 अप्रैल 1995 के दौरान अपने द्वारा लोहा और इस्पात के विक्रय पर व्यापार कर अधिभारित करने के लिये अधिकृत नहीं थी।

लेखा परीक्षा में देखा गया (अप्रैल 2000) कि कम्पनी ने मई 1994 की अधिसूचना के अनुसार 01 जून 1994 से 20 अप्रैल 1995 की उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण (निर्माणकर्ता) से लोहा और इस्पात के क्रय पर 1.53 करोड़ रुपये की राशि के व्यापार कर का भुगतान किया। चूंकि कम्पनी लोहा और इस्पात की अधिप्राप्ति पर यह व्यय कर चुकी थी, उसे अपने विक्रय मूल्य में वृद्धि कर इसे अपने ग्राहकों से वसूल करना था। तथापि, यह देखा गया कि कम्पनी ने अपने विक्रय मूल्य में वृद्धि करने के स्थान पर अपने ग्राहकों से उपरोक्त अवधि के दौरान मनमाने ढ़ंग से व्यापार कर अधिभारित करना जारी रखा और 96.35 लाख रुपये की राशि का व्यापार कर एकत्र कर लिया। इस धनराशि में से कम्पनी ने व्यापार कर विभाग के पास 37.98 लाख रुपये जमा कर दिये तथा 58.37 लाख रुपये की अवशेष धनराशि अपने पास रख ली। कम्पनी द्वारा मई 1994 से व्यापार कर के अधिभारण में छूट की बहाली के लिये सरकार से कम्पनी के अनुरोध (जनवरी 1998) पर सरकार ने स्पष्ट किया कि पूर्व स्थिति को बहाल किया जाना संभव नहीं था और पुनः निर्देश दिया कि कम्पनी को अपने ग्राहकों, जिन पर उपरोक्त अवधि के दौरान व्यापार कर अधिभारित किया गया था, को व्यापार कर लौटा देना चाहिए। कम्पनी ने न तो व्यापार कर विभाग के पास जमा 37.98 लाख रुपये को वापस प्राप्त किया और न ही अब तक (जुलाई 2000) सम्बन्धित ग्राहकों को व्यापार कर की धनराशि ही लौटाई।

अतः, एक ओर तो कम्पनी अपने ग्राहकों को 96.35 लाख रुपये लौटाने के लिये उत्तरदायी हो गई तथा दूसरी ओर विक्रय मूल्य में वृद्धि कर अपने ग्राहकों से इसकी वसूली न किये जाने के कारण इसने 1.53 करोड़ रुपये खो दिये।

प्रकरण, प्रबन्धन और शासन को सूचित किया गया (मई 2000); उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.6 त्रुटिपूर्ण समझौते के कारण आय की हानि

ग्राहक के साथ निष्पादित किये गये त्रुटिपूर्ण समझौते के परिणामस्वरूप, कम्पनी ने 0.09 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

कम्पनी सितम्बर 1994 से अपने नोएडा डिपो से औद्योगिक/लघु उद्योगों की इकाइयों को अलौह पदार्थो जैसे ताँबे की सिल्ली एवं ताँबे के तार आदि के वितरण के लिये हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एच सी एल) के पारेषण अभिकर्ता के रूप में काम करती है।

कम्पनी ने ग्राहक के साथ त्रुटिपूर्ण समझौता निष्पादित किया

कम्पनी के अभिलेखों की समीक्षा ने प्रगट किया (अप्रैल 2000) कि कम्पनी ने अलौह ताँबे के पदार्थों के वितरण के लिये एच सी एल के साथ एक वर्ष की अवधि हेतु समझौता निष्पादित किया (26 जुलाई 1994) जिसे आपसी सहमति के आधार पर नई शर्तों पर नवीकृत किया जा सकता

था। समझौते की धारा 7 के अनुसार, एच सी एल को 5918 वर्ग फीट के लिये 5.10 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से गोदाम किराये के अतिरिक्त सेवा प्रभारों के रूप में 20 प्रतिशत का भुगतान करना था। गोदाम किराया, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम(यू पी एस डब्ल्यू सी) की जनवरी 1992 की दर सूची पर आधारित था। तथापि, समझौते में यू पी एस डब्ल्यू सी द्वारा समय-समय पर दर सूची के पुनरीक्षण के फलस्वरूप गोदाम किराये को संशोधित करने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया था। समझौते को विद्यमान दरों और शर्तों सहित 25 अक्टूबर 1997 तक समय-समय पर बढ़ाया गया। यद्यपि, यू पी एस डब्ल्यू सी ने किराये की दरें 11 दिसम्बर 1994 से 8.20 रुपये प्रति वर्ग फीट तथा 16 मई 1997 से 10.66 रुपये प्रति वर्ग फीट तक संशोधित कर दीं परन्तु यू पी एस डब्ल्यू सी द्वारा किये गये पुनरीक्षण के अनुरूप गोदाम किराये में संशोधन हेतु किसी प्राविधान के अभाव में,कम्पनी इस पुनरीक्षण का लाभ नहीं ले सकी। अतः, त्रुटिपूर्ण समझौते के कारण 16 दिसम्बर 1994 से 25 अक्टूबर 1997 के दौरान सेवा प्रभारों सहित 8.51 लाख रुपये की आय की हानि हुई।

प्रकरण, प्रबन्धन और शासन को सूचित किया गया (मई 2000); उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

4अ.7 निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क(ई पी आई पी)का विकास

परियोजना की मन्द प्रगति तथा विकसित भूखण्डों एवं परिवासीय फैक्ट्रियों की अविवेकपूर्ण उच्च दर नियत किये जाने के कारण कम्पनी, योजना के मुख्य उद्देश्य को निष्फल करते हुये ई पी आई पी में निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने में विफल रही।

भारत सरकार (जी ओ आई) ने उच्च-स्तरीय आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं जैसे विद्युत, जल, सड़कें, सीवर, नालियाँ और दूरसंचार आदि के निर्माण करते हुये, निर्यात के उद्यम में राज्य सरकारों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से निर्यात मूलक इकाइयों की स्थापना हेतु निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) के विकास हेतु एक योजना प्रायोजित की (मार्च 1993)। केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता पूँजीगत व्यय के 75 प्रतिशत अथवा 10 करोड़ रुपये की सीमा तक (भूमि की लागत को छोड़कर) उपलब्ध थी तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को इस अभिप्राय से क्रियान्वयक संस्था के रूप में नियुक्त किया गया (दिसम्बर 1994) जिन्होंने सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला गौतमबुद्ध नगर में ई पी आई पी का विकास कार्य, उन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु, जो मूल्य के संदर्भ में अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत (तत्पश्चात 33 प्रतिशत तक वृद्धिगत) निर्यात करती थीं, की स्थापना के उद्देश्य से, प्रारम्भ किया।

कम्पनी ने भारत सरकार को ई पी आई पी के विकास हेतु 20.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (जनवरी 1994) जिसे अनुमोदित कर दिया गया (दिसम्बर 1994) और जिसे तत्पश्चात् 28.22 करोड़ रुपये में संशोधित कर दिया गया

(दिसम्बर 1995) परन्तु संशोधित आंकलन अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया। ई पी आई पी की स्थापना, कम्पनी के ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत सूरजपुर स्थल की 193 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित थी। परियोजना की अनुमानित लागत में 1.69 करोड़ रुपये की भूमि की अनुमानित लागत सम्मिलित थी जबकि इसे राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना था। निर्यातोन्मुख औद्योगिक उपक्रमों हेतु भूखण्डों के विकास के अतिरिक्त, कम्पनी ने लघु औद्योगिक इकाइयों को आवासित करने के लिये परिवासीय[54] फैक्ट्रियों के निर्माण की भी योजना बनाई। ई पी आई के विकास पर 20.56 करोड़ रुपये का व्यय (नवम्बर 1999 तक परिवासीय फैक्ट्रियों पर 6.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के विरुद्ध 2.67 करोड़ रुपये के व्यय सहित) किया गया। इसके विरुद्ध, भारत सरकार से 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। परियोजना की लागत में वृद्धि और पूर्ण होने में विलम्ब का मुख्य कारण, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को 10 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान के निर्मुक्त किये जाने में विलम्ब (6 से 12 माह) था जिसके कारण सीमेन्ट कंक्रीट सड़क (सी सी रोड), प्रशासनिक भवन एवं परिवासीय फैक्ट्रियों के निर्माण हेतु निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ।

कम्पनी ने विकास व्यय के विरुद्ध 10 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान का समायोजन किये बिना ही अविवेकपूर्ण उच्च दरें नियत कर दीं, परिणामस्वरूप भूखण्ड बेचे नहीं जा सकें

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर 1999) कि परियोजना में उद्यमियों को विकसित भूखण्डों और परिवासीय फैक्ट्रियों का आवंटन, वार्षिक लीज किराया आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गई थी परन्तु कम्पनी ने भूखण्डों आदि का आवंटन पूर्णतया विक्रय आधार पर किये जाने का निर्णय लिया। कम्पनी ने अगस्त 1996 से, विकसित भूखण्डों का विपणन 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आरम्भ कर दिया जिसे बाद में 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया (दिसम्बर 1996)। इसी प्रकार, अगस्त 1996 में परिवासीय फैक्ट्रियों में उपलब्ध स्थान की दर 7000 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर नियत की गई थी जिसे बाद में 12000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया (दिसम्बर 1996)। इन दरों को, ई पी आई पी पर हुये विकास व्यय के विरुद्ध 10 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान का समायोजन किये बिना ही नियत किया गया था। 10 करोड़ रुपये के अनुदान और कम्पनी द्वारा निवेशित अनुदान पर अर्जित ब्याज 5.33 करोड़ रुपये के क्रेडिट को लेखे में सम्मिलित करने के पश्चात् शुद्ध विकास व्यय (परिवासीय फैक्ट्रियों की लागत को छोड़ कर) 391831 वर्ग मीटर विकसित भूखण्डों के क्षेत्र पर 13.22 करोड़ रुपये अर्थात् 337 रुपये प्रति वर्ग मीटर आगणित किया गया। इस प्रकार, कम्पनी ने उद्यमियों को केन्द्रीय अनुदान का लाभ नहीं दिया और भूखण्डों की दरों को अविवेकपूर्ण उच्च मूल्य पर नियत किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी उद्यमियों को आकर्षित नहीं कर पाई और विकसित भूखण्डों (391831 वर्ग मीटर) में से जुलाई 2000 तक (अगस्त 1996 से मार्च 1997 के दौरान 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर 63300 वर्ग मीटर माप के 30 भूखण्ड तथा अप्रैल 1997 से जुलाई 2000 के दौरान 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर 17000 वर्ग मीटर माप के 23 भूखण्ड) मात्र 53 भूखण्डों (80300वर्ग मीटर) का आवंटन ही कर सकी। कम्पनी एक भी परिवासीय फैक्ट्री का आवंटन नहीं कर सकी क्योंकि स्थान के आवंटन हेतु कोई भी उद्यमी आगे नहीं आया। इस प्रकार, भूखण्डों को उचित दरों पर उपलब्ध कराने की योजना का मुख्य लक्ष्य ही निष्फल करते

54 परिवासीय फैक्ट्रियाँ, तीन मंजिल के खण्ड प्रत्येक में लघु औद्योगिक इकाइयों को आवासित करने हेतु 400 वर्ग मीटर की 4 इकाइयाँ सम्मिलित हैं।

हुए, 53 उद्यमियों से 3.76 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई। शेष भूखण्ड भी मांग के अभाव में आवंटित नही किये जा सके। इसी प्रकार बिना किसी मांग के परिवासीय फैक्ट्रियों के निर्माण में निवेश का प्रबन्धन का निर्णय 2.67 करोड़ रुपये के निष्फल व्यय में परिणामित हुआ।

लेखा परीक्षा में आगे देखा गया कि:

(i) आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं पर किया गया कुल पूँजीगत व्यय (भूमि की लागत को छोड़कर) 8.40 करोड़ रुपये आगणित किया गया जिसे लागत के 75 प्रतिशत अर्थात् 6.30 करोड़ रुपये तक अनुदान के उपयोजन द्वारा उपदानित किया जाना चाहिये था जबकि कम्पनी ने उपयोजन प्रमाण-पत्र 10 करोड़ रुपये का भेजा जिससे केन्द्रीय सहायता का वास्तविक उपयोजन 3.70 करोड़ रुपये की सीमा तक अधिक बताया गया; एवं

(ii) कम्पनी ने पार्क में सी सी रोड के निर्माण पर 2.61 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त व्यय किया जिसे न तो प्रारम्भिक/संशोधित आंकलन में सम्मिलित किया गया था और न ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था (जुलाई 2000)।

अतः, परियोजना की मन्द प्रगति एवं विकसित भूखण्डों और फैक्ट्रियों की अविवेकपूर्ण उच्च दर नियत किये जाने के कारण, राज्य सरकार/कम्पनी, भारत सरकार से 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पश्चात भी, ई पी आई पी में निर्यातोन्मुख इकाइयों को स्थापित करने में विफल रही। वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ भूखण्डों और परिवासीय फैक्ट्रियों में स्थान का उच्च मूल्य नियत करने के प्रबन्धन के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ई पी आई पी के विकास पर 20.56 करोड़ रुपये का विशाल व्यय करने के पश्चात भी योजना के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (अगस्त 2000) में बताया कि चूंकि ई पी आई पी का विकास प्रगति में था, भूखण्डों और परिवासीय फैक्ट्रियों की दरें अनन्तिम रूप से नियत की गई थीं और इन्हें अब अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर नियत किया जा सकता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने विकसित भूखण्डों की आरम्भिक दरों को अब तक (अगस्त 2000) संशोधित नहीं किया।

प्रकरण, शासन को जून 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2000)।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

4अ.8 चीनी के अनुचित भण्डारण के कारण हानि

अनुचित भण्डारण के कारण कम्पनी ने नम हुई चीनी के विक्रय पर 0.51 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

निर्धारित मानकों के अनुसार, बोरों में बन्द चीनी के भण्डारण हेतु चीनी के बोरों को गोदाम के फर्श पर पालीथीन की चादरों से ढके गन्ने के पुआल की चटाईदार पर्त पर रखना चाहिए।

कम्पनी ने चीनी के भण्डारण में पालीथीन की चादर के नीचे गन्ने के पुआल की चटाईदार पर्त का प्रयोग नहीं किया

कम्पनी की चांदपुर इकाई के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, यह देखा गया (अगस्त 1999) कि चीनी के बोरों के भण्डारण में इकाई ने पालीथीन की चादर के नीचे गन्ने की पुआल की चटाईदार पर्त का प्रयोग नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, 1996-97 और 1997-98 से सम्बन्धित 89855 चीनी के बोरे नम हो गये और कम दरों पर बेचने पड़े। 89855 चीनी के बोरों में से केवल 81446 चीनी के बोरे कम दरों पर बेचे जा सके और चीनी के बोरों की शेष मात्रा पुनः प्रक्रम हेतु भण्डार में पड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप, नम हुई चीनी के 81446 बोरों के विक्रय पर 50.62 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

लेखा परीक्षा की आरम्भिक पूँछताछ के उत्तर में प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2000) कि चीनी के बोरे भारी वर्षा के कारण नम हो गये थे। तथापि, तथ्य विद्यमान था कि चीनी, बोरों के अनुपयुक्त भण्डारण के कारण सील गई थी और जिसे बचाया जा सकता था, यदि निर्धारित मानकों के अनुसार चीनी के भण्डारण में उचित सावधानी बरती गई होती। प्रबन्धन ने न तो गोदाम प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही इस हानि हेतु कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया।

प्रकरण, प्रबन्धन और सरकार को अप्रैल 2000 में सूचित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ. 9 निधि की अवरुद्धता

बैंक के साथ नकद उधार खाते के विलम्बित मिलान के कारण 0.06 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज को अधिक प्रभारित किया जाना पकड़ा नहीं जा सका जिससे 0.07 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

कम्पनी की लक्ष्मीगंज इकाई ने कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिये चीनी के रेहन के विरुद्ध सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया (पडरौना शाखा)से नकद उधार सुविधा प्राप्त की।समझौते की शर्तों के अुनसार, बैंक को समय-समय पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के निर्देशों के अनुसार ब्याज का प्रभारण करना था। अतः, बैंक के साथ किये गये समझौते के अनुसार इकाई को बैंक द्वारा प्रभारित किये ब्याज की दर की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये, सत्यापित किया जाना अपेक्षित था।

बैंक खातों का विलम्बित मिलान ब्याज के अधिक भुगतान में परिणामित हुआ

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच (जुलाई 1999) के दौरान यह देखा गया कि बैंक ने इकाई के नकद उधार खाते में ब्याज का प्रभारण करते समय जुलाई 1991 से जून 1993 की अवधि के दौरान ब्याज की गलत दरें लगा दीं। इकाई ने खाते के विलम्बित मिलान के कारण बैंक को प्रारम्भ में ही अपने खाते में ब्याज की विसंगति को इंगित नही किया। इससे 6.03 लाख रुपये की राशि के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इकाई, बैंक से 6.03 लाख रुपये की वापसी, छः वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी (मार्च 2000) बैंक के साथ लेखे के निपटारे में विवाद के कारण प्राप्त नहीं कर सकी। अतः, 6.03 लाख रुपये की कम्पनी की निधि बैंक के पास अवरुद्ध रही। कम्पनी ने जुलाई 1993 से मार्च 2000 तक नकद उधार खाते पर देय 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर पर 7.33 लाख रुपये के ब्याज की हानि भी उठाई।

प्रकरण, प्रबन्धन और शासन को अप्रैल 2000 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

4अ. 10 विदेशी बैंक में पड़े धन के अनुपयोजन के कारण हानि

विदेशी बैंक में पड़े धन के अनुपयोजन के परिणामस्वरूप 0.96 करोड़ रुपये की सीमा तक हानि हुई।

कम्पनी की स्थापना, भारत के अन्दर और बाहर संविदा प्राप्त करके अपनी गतिविधियों को विस्तृत करते एवं विविधता लाते हुये मुख्यतः सेतुओं और अन्य सिविल संरचनाओं का निर्माण करने के लिये की गई थी। कम्पनी पिछले दशक (1981-90) में हाथ में ली हुई ईराकी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु बगदाद में अपनी शाखा संचालित कर रही थी। कम्पनी द्वारा बगदाद शाखा 1991 में खाड़ी युद्ध के कारण बन्द कर दी गई और समस्त कर्मचारी एवं कार्यरत श्रमिक भारत लौट आये।

अभिलेखों की समीक्षा ने प्रगट किया (अप्रैल 1999) कि अल रशीद बैंक द्वारा जारी अवशेष पुष्टीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार, 31 मार्च 1992 को 96.04 लाख रुपये के समतुल्य ईराकी दीनार (आई डी) 117,135.302 फिल्स का स्वदेश वापसी न किया जाने वाला अवशेष था।

कम्पनी, एक वाह्य देश में, बैंक में पड़ी धनराशि को वापस लाने में विफल रही

यह देखा गया कि कम्पनी ने इस खाते में न तो कोई लेन-देन किया था और न ही मार्च 1992 से बैंक से अवशेष की पुष्टि ही कराई थी। कम्पनी ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से इस धनराशि को भारत वापस लाने तथा अन्य कार्यों में इसका उपयोग करने के लिये कोई प्रयत्न नही किये। इससे विदेशी बैंकों में पड़े धन का पिछले आठ वर्षों से उपयोजन नहीं हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2000) कि अल रशीद बैंक से पुष्टि प्राप्त कर ली गई थी (अप्रैल 2000) और स्वीकार्यता की शर्तों में ईराकी दीनार का व्यवहारिक मूल्य नकारात्मक था क्योंकि ईराकी दीनार से कोई व्यापार नहीं किया जाता था, अतः बैलेन्स शीट में 96.04 लाख रुपये की अनूदित धनराशि का वास्तव में कोई आधार नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कम्पनी प्रकरण को समय से विदेश मंत्रालय के साथ उठाने में विफल रहीं जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को 96.04 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (मई 2000); उत्तर प्राप्त नही हुआ (जुलाई 2000)।

4अ. 11 सेन्टेज प्रभारों का कम आरोपण

कम्पनी ने, कार्य की पूर्ण धनराशि पर सेन्टेज प्रभारित करने के बजाय इसे वापस प्राप्त होने वाली उखाड़ी गई सामग्रियों के मूल्य को घटाने के पश्चात प्राप्त लागत पर आरोपित किया, परिणामतः 0.27 करोड़ रुपये की राशि के सेन्टेज प्रभार का कम आरोपण हुआ।

राज्य सरकार के आदेशों (फरवरी 1997) के अनुसार, निर्माण कार्यों में रत सरकारी कम्पनी/निगम,

सरकारी अभिकरण द्वारा सौंपे गये निक्षेप कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की कटौती के पश्चात कुल लागत पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभारों को अरोपित करने के लिये अधिकृत होगी।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (सितम्बर 1999) कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (कम्पनी) की हरिद्वार इकाई ने कुम्भ मेला 1998 के दौरान हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौंपे गये 7 सेतुओं के निर्माण हेतु आंकलन तैयार करते समय सेन्टेज प्रभारों का आरोपण,फरवरी 1997 के सरकारी आदेश के अनुसार 5 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त कार्य की कुल लागत पर करने के स्थान पर उखाड़ कर वापस ली जाने वाली सामग्री के मूल्य के 50 प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात प्राप्त मूल्य पर 12.5 प्रतिशत की दर पर किया। इससे 26.77 लाख रुपये की राशि के सेन्टेज प्रभारों का कम आरोपण और वसूली हुई।

उत्तर में, प्रबन्धन ने बताया (जून 2000) कि सेन्टेज प्रभार, कम्पनी द्वारा किये गये वास्तविक व्यय पर आरोपित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेन्टेज प्रभार, प्रारम्भिक रूप से किये गये सम्पूर्ण कार्य के निरीक्षण प्रभारों की प्रकृति के होते हैं और न कि कार्य में विखण्डित और सामग्री को वापस प्राप्त करने के पश्चात निकाली गई लागत पर।

प्रकरण, सरकार को सूचित किया गया (मई 2000), उत्तर प्राप्त नही हुआ (जुलाई 2000)।

उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड

4अ. 12 सुरक्षा सेवायें उपलब्ध कराने में कम्पनी की विफलता से हानि

कम्पनी ने सुरक्षा सेवायें उपलब्ध कराने में कुप्रबन्धन के कारण 0.18 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

कम्पनी ने भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई ओ सी) के साथ इन्डेन बाटलिंग प्लांट, कानुपर में सेवायें उपलब्ध कराने हेतु एक समझौता निष्पादित किया (नवम्बर 1996)। समझौते की धारा 4(सी) के प्राविधानों के अनुसार,कम्पनी आई ओ सी की सम्पत्ति/सिलिन्डरों की किसी भी चोरी/हानि के लिये क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की उत्तरदायी थी । संविदा को मार्च 2001 तक बढ़ा दिया गया था।

कम्पनी चौकीदारों/ अधिकारियों के विरुद्ध समय से कार्यवाही करने में विफल रही

आई ओ सी, कम्पनी को, हुई चोरियों की सूचना देती रही थी और 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान बाटलिंग प्लांट से सिलिन्डरों की चोरी के कारण हुई हानियों के लिये कम्पनी के बिलों से कटौती भी करती रही थी। उपरोक्त तीन वर्षों में क्षतिपूर्ति की कटौती कुल 18.09 लाख रुपये की हो गई थी। लेखा परीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर 1999) कि कम्पनी ने आई ओ सी द्वारा सूचित चोरियों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया और चोरियाँ रोकने के लिये उत्तरदायी चौकीदारों/अधिकारियों के विरुद्ध समय से कार्यवाही करने में विफल रही।

प्रभावी एवं सामयिक कदम उठाने में हुये विलम्ब के कारण हानि हुई

प्रकरण में विलम्ब से की गई एक जाँच में (जनवरी से मार्च 1999), कम्पनी द्वारा प्लांट पर तैनात कुछ रक्षकों के चोरी में लिप्त होने की शंका की गई परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर वे फरार हो गये। अतः, चोरियों की रोकथाम करने में प्रभावी और सामयिक कार्यवाही किये जाने में

ढिलाई के कारण कम्पनी को 18.09 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2000) कि आई ओ सी में हुई हानियों को उनके द्वारा गम्भीरता से लिया गया था। उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं था कि बार-बार होने वाली चोरियों को रोकने के लिये न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही समय से कार्यवाही किये जाने में सुस्ती के लिये कोई उत्तरदायित्व ही निर्धारित किया गया।

प्रकरण, सरकार को मई 2000 में सूचित किया गया;उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2000)।

उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड
पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद(यू पी एस ई बी)

4अ.13 राजस्व का अवनिर्धारण

उपभोक्ताओं को एम सी जी का विचार किये बिना ही विद्युत के निर्धारित किये गये उपभोग के बिलों को जारी करने के परिणामस्वरूप 22.80 लाख रुपये की राशि के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।

(क) कम्पनी ने सार्वजनिक जल कार्य उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची एल एम वी-7 में संशोधन किया (जून 1999)। जिसके अनुसार प्रभार की दर, प्रति माह 450 रुपये प्रति के डब्ल्यू अथवा उसके अंश की दर पर न्यूनतम उपभोग गारण्टी (एम सी जी) प्रभारों सहित 2.60 रुपये प्रति के डब्ल्यू एच नियत की गई।

एम सी जी का विचार किये बिना विद्युत के निर्धारित किये उपभोग पर बिल जारी करने से राजस्व का अवनिर्धारण हुआ

विद्युत वितरण खण्ड, आगरा के अभिलेखों की जाँच ने प्रगट किया (नवम्बर 1999) कि उत्तर प्रदेश जल निगम के 171 उपभोक्ता जिनका संयोजित भार 2088 बी एच पी (1567 के डब्ल्यू)था, को दर सूची एल एम वी-7 के अन्तर्गत जुलाई 1999 से नवम्बर 1999 की अवधि के दौरान एम सी जी का ध्यान न रखते हुये 116956 इकाई प्रति माह की दर से निर्धारण किये उपभोग के बिल जारी कर दिये गये। इसके परिणामस्वरूप, जुलाई से नवम्बर 1999 की अवधि के दौरान एम सी जी प्रभारों और निर्धारण किये गये विद्युत प्रभारों की अन्तर राशि पर आगणित 17.63 लाख रुपये की सीमा तक के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ। जून 2000 में, खण्ड अधिकारी ने आगरा स्थित महाप्रबन्धक को एक उत्तर प्रस्तुत किया कि जुलाई 1999 से फरवरी 2000 की अवधि के एम सी जी का अन्तर, जैसा कि लेखा परीक्षा ने इंगित किया था, उपभोक्ताओं पर माह अप्रैल 2000 में प्रभारित किया जा चुका था जिसकी वसूली प्रतीक्षित थी (जुलाई 2000)।

(ख) विद्युत आपूर्ति(उपभोक्ता)विनियम, 1984 की धारा 21(iii) (अ) एवं (ब) में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि यदि किसी समय मीटर त्रुटिपूर्ण हो जाता है अथवा सही उपभोग का लेखन बन्द कर देता है तथा किसी चोरी अथवा गड़बड़ी किये जाने की शंका नहीं होती है, तो मीटर के त्रुटिपूर्ण अथवा बन्द रहने की अवधि के दौरान उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत शक्ति का निर्धारण पूर्व के तीन क्रमिक महीनों के औसत उपभोग के आधार पर किया जाता है ।

मीटर के क्षतिग्रस्त होने से पूर्व के तीन महीनों में अभिलेखित औसत उपभोग के आधार पर निर्धारण किये जाने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 0.05 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण हुआ

विद्युत वितरण खण्ड (ई डी डी), बलरामपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा (सितम्बर 1999) के दौरान यह देखा गया कि आवासीय कालोनी हेतु 2000 के वी ए के संविदागत भार वाली इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मनकापुर (गोण्डा) को दर सूची एल एम वी-1 के अन्तर्गत बिल जारी किये गये। दिनांक 30.09.1997 की मीटर रीडिंग पर्ची के अनुसार, मीटर के पी टी फ्यूज का एक फेज उस माह में क्षतिग्रस्त हो गया और मीटर में विद्युत का उपभोग शुद्धता से अभिलेखित नहीं हुआ। तथापि, खण्ड द्वारा, पूर्ववर्ती तीन महीनों (जून 1997 से अगस्त 1997), जब मीटर ठीक था, में अभिलेखित 636192 इकाइयों के औसत उपभोग के आधार पर निर्धारित करने के बजाय सितम्बर में 400000 यूनिटों पर निर्धारण कर दिया गया। अतः उपभोक्ता का 5.17 लाख रुपये के मूल्य की 236192 इकाइयों से कम निर्धारण किया गया।

प्रकरण, कम्पनी और सरकार को मई 2000 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.14 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाना

उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने के कारण बकायों की राशि 11.45 करोड़ रुपये की सीमा तक बढ़ गई थी।

(क) विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 की धारा 19 के अनुसार, यदि एक उपभोक्ता निर्धारित तिथि पर विद्युत प्रभारों को जमा करने में विफल रहता है, तो उसका संयोजन मासिक बिल में उल्लेख की गई निर्धारित तिथि के बीत जाने के पश्चात विसंयोजित कर दिया जाएगा और देयों की वसूली उत्तर प्रदेश सरकार उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1948 की धारा-3 व धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस जारी करके भूराजस्व के बकाये के रूप में की जा सकती है।

देयों की अतिवृद्धि के बावजूद उपभोक्ता के विरुद्ध कोई वसूली कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई

ई डी डी, हमीरपुर के बड़े एवं वृहत विद्युत उपभोक्ताओं के खातों की एक समीक्षा (दिसम्बर 1999) ने प्रगट किया कि रिमझिम इस्पात, हमीरपुर को मार्च 1996 में 2500 के वी ए के एक संविदागत भार पर जिसे अप्रैल 1997 में 6000 के वी ए तक बढ़ा दिया गया था, संयोजन दिया गया। यद्यपि, उपभोक्ता आरम्भ से मासिक बिलों के भुगतान में दोषी था, खण्ड ने उनकी आपूर्ति का विसंयोजन और वसूली की नोटिस जारी करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता के विरुद्ध देयों की राशि जून 1996 में 3.03 लाख रुपये से बढ़कर मार्च 2000 में 9.16 करोड़ रुपये हो गई। यद्यपि, उपभोक्ता को अप्रैल, मई और जून 2000 के मासिक विद्युत उपभोग के बिल जारी कर दिये गये परन्तु बकायों को बिलों में सम्मिलित नहीं किया गया।

अतः, उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के कारण, उसके विरुद्ध देय 9.16 करोड़ रुपये तक बढ़ गये जिसके लिये कोई वसूली कार्यवाही, इस तथ्य के बावजूद भी कि कम्पनी वित्तीय संस्थाओं से नकद उधार पर 18 से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष के मध्य आरेखित ब्याज दर पर निधियां उधार लेती है, आरम्भ नहीं की गई।

(ख) विश्व इन्गाट प्राइवेट लिमिटेड, हरिद्वार को जून 1994 में उनकी प्रेरण भट्ठी (इंडक्शन फर्नेस) हेतु 2125 के वी ए का एक भार स्वीकृत किया गया। विद्युत वितरण खण्ड, हरिद्वार ने शर्तें

(टी सी) प्रस्तुत की (सितम्बर 1994) और उपभोक्ता से सर्विस लाइन प्रभारों (6.88 लाख रुपये), सिस्टम लोडिंग प्रभारों (13.81 लाख रुपये) एवं सेवा प्रभारों (6.38 लाख रुपये) के लिये 27.07 लाख रुपये जमा करने को कहा।

कम्पनी के उच्चाधिकारियों ने उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान (अप्रैल 1999) यह देखा गया कि उपभोक्ताओं ने 27.07 लाख रुपये की राशि जमा नहीं की। तथापि, सदस्य (वितरण) ने प्रथम किश्त के रूप में उपभोक्ता को केवल सर्विस लाइन प्रभारों का 6.88 लाख रुपये का एवं अवशेष राशि को 12 किश्तों में भुगतान किये जाने की अनुमति दे दी (फरवरी 1995)। भार 30 अक्टूबर 1995 को निर्मुक्त कर दिया गया। उपभोक्ता आरम्भ से ही विद्युत देयों का भुगतान करने में विफल रहा। खण्ड द्वारा उपभोक्ता का संयोजन छः बार विसंयोजित किया गया परन्तु कम्पनी के उच्च प्राधिकारियों जैसे मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक), मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, सचिव और सदस्य (वितरण)की पहल पर पुनः संयोजित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, विद्युत देय जनवरी 1996 में 21.74 लाख रुपये से जुलाई 1997 में 117.36 लाख रुपये तक बढ़ गये जैसा नीचे वर्णित है:

क्रम संख्या	विद्युत देय (लाख रूपये में)	विसंयोजन की तिथि	पुनः संयोजन की तिथि	पुनःसंयोजन का आदेश देने वाले प्राधिकारी का नाम
1	21.74	27.01.96	29.01.96	श्री बी.पी. मित्तल मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
2	47.01	20.02.96	06.03.96	श्री बी.पी. मित्तल मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
3	56.71	25.04.96	12.06.96	श्री आर.डी. गर्ग मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता
4	52.01	03.09.96	13.10.96	श्री के.एस. शर्मा संयुक्त सचिव
5	113.06	24.05.97	29.06.97	श्री एन.सी. रस्तोगी मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक)
6	117.36	26.07.97	04.01.98	श्री बी.पी. कुरील सदस्य (वितरण)

चूंकि उपभोक्ता ने विद्युत देयों का भुगतान नहीं किया, 1.32 करोड़ रुपये के देयों के भुगतान हेतु क्रमशः अगस्त 1997 और अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा-3 के अन्तर्गत एक नोटिस और उसके बाद एक वसूली प्रमाण-पत्र (आर सी) जारी किया गया। फिर भी, उपभोक्ता ने देयों का भुगतान नही किया जिसके परिणामस्वरूप लाइन को पुनः 6 मार्च 1998 को 2.22 करोड़ रुपये (जनवरी 1998 तक) के देयों के विरुद्ध विसंयोजित कर दिया गया। उपभोक्ता ने बी आई एफ आर, नई दिल्ली से उनके द्वारा प्रकरण के निपटाये जाने तक, 26.03.98 को वसूली के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। उपरोक्त के दृष्टिगत, जिलाधीश, हरिद्वार द्वारा आर सी 23 जुलाई 1999 को वापस कर दी गई। तथापि, बी आई एफ आर ने उपभोक्ता के प्रकरण को निरस्त कर दिया (अगस्त 1999)। परिणामस्वरूप उपभोक्ता के विरुद्ध 2.29 करोड़ रुपये की वसूली हेतु आर सी पुनः जारी की गई (अगस्त 1999), जिसके विरुद्ध वसूली लम्बित थी (जुलाई 2000)।

अतः, प्रारम्भिक धनराशि जमा कराये जाने और विद्युत देयों को जमा कराये बिना आपूर्ति को बारम्बार पुर्नसंयोजित करके उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के कारण अगस्त 1999 तक 2.29 करोड़ रुपये तक के देय संचित हो गये जिनकी वसूली के अवसर क्षीण थे।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ. 15 मांग प्रभारों का कम प्रभारण

कम्पनी, अपने ही निर्देशों के उल्लंघन में, उपभोक्ताओं से 0.44 करोड़ रुपये की राशि के मांग प्रभारों को संशोधित करने एवं वसूल करने में विफल रही।

(क) कर्षण भारों के लिये रेलवे पर लागू दर-सूची एच वी-3 के अनुसार, उस प्रकरण में जहां वास्तविक मांग संविदागत मांग से अधिक हो गई थी, 185 रुपये प्रति के वी ए की दर पर अतिरिक्त मांग प्रभार प्रभारणीय था।

संविदागत मांग से अधिक पर अतिरिक्त मांग प्रभारों की वसूली में कम्पनी की असफलता के फलस्वरूप 0. 34 करोड़ रुपये की राशि के मांग प्रभारों का कम निर्धारण हुआ

डिवीजनल मैनेजर, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद ने मुगलसराय-कानपुर खण्ड के मध्य अपनी रेलवे लाइन हेतु, विद्युत वितरण खण्ड के साथ 132 के वी पर 73000 के वी ए भार की निर्मुक्ति हेतु एक समझौता निष्पादित किया (मार्च 1997)। लेखा परीक्षा में नमूना परीक्षण के दौरान (दिसम्बर 1999) यह देखा गया कि जून 1998 से अगस्त 1998 और जुलाई 1999 के दौरान, वास्तविक मांग संविदागत मांग से अधिक हो गई थी परन्तु 34.10 लाख रुपये के अतिरिक्त मांग प्रभारों की वसूली रेलवे से नहीं की गई जैसा नीचे दिया गया है :

माह	संविदागत मांग (के वी ए में)	वास्तविक मांग (के वी ए में)	अतिरिक्त मांग (के वी ए में)	अतिरिक्त मांग प्रभार 185 रू0 प्रति के वी ए (लाख रू0 में)
जून 1998	73000	73736.476	736.476	1.36
जुलाई 1998	73000	82936.294	9936.294	18.38
अगस्त 1998	73000	75736.476	2736.476	5.06
जुलाई 1999	73000	78022.648	5022.648	9.29
योग		**310431.894**	**18431.894**	**34.09**

खण्डीय अधिकारी ने बताया (अप्रैल 2000) कि किसी उपकेन्द्र पर विद्युत बाधित होने के प्रकरण में, समझौते की धारा 8 के अनुसार, रेलवे पास के अन्य उपकेन्द्र से आपूर्ति लेने का हकदार है और ऐसी स्थिति में अधिकतम संविदागत मांग में वृद्धि किसी अर्थदण्ड का विषय नहीं होगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उल्लिखित धारा में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कुल मांग 73000 के वी ए की संविदागत मांग से बढ़ जाती थी, तो दर सूची में प्राविधानित अर्थदण्ड का कराधान किया जाएगा।

अतः, अतिरिक्त मांग प्रभारों की वसूली न होने के कारण, कम्पनी ने 34.09 लाख रुपये की हानि उठाई।

(ख) बड़े और भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू कम्पनी की दर-सूची एच वी-2 के अनुसार,बिल योग्य मांग, वास्तविक अधिकतम मांग अथवा संविदागत मांग के 75 प्रतिशत दोनों में से जो अधिक हो, होगी।

कम्पनी अपने ही निर्देशों के उल्लंघन में 11 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में संविदागत मांग के न्यूनतम 75 प्रतिशत के लिये 0.10 करोड़ रुपये के मांग प्रभारों को संशोधित और वसूल करने में असफल रही

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान (नवम्बर 1999) यह देखा गया कि विद्युत वितरण खण्ड-II, इलाहाबाद ने 129 से 350 के वी ए के संविदागत भार वाले 11 बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरण में नवम्बर 1997 से फरवरी 1999 के दौरान कुल 4415 के वी ए की वास्तविक मांग हेतु मांग प्रभारों के बिल जारी कर दिये। जारी किये गये बिलों में मांग प्रभार उनके कुल 11287 के वी ए के संविदागत भारों के 75 प्रतिशत से कम थे। इसके परिणामस्वरूप, 6872 के वी ए के मांग प्रभारों पर 10.31 लाख रुपये (150 रुपये प्रति के वी ए)की राशि के बिल कम जारी किये गये जैसा कि नीचे वर्णित है :

उपभोक्ता का नाम	संविदागत भार (के वी ए)	अवधि	अवधि के दौरान बिल में ली गई कुल वास्तविक मांग(के वी ए)	अवधि के दौरान बिल योग्य मांग (संविदागत भार का 75 प्रतिशत) (के वी ए)	अल्प मांग (के वी ए)	जारी किये गये अल्प बिल (लाख रूपये में)
1. सोरांव कोल्ड स्टोरेज	260	12/97 से 2/98, 11/98 एवं 1/99 (5 माह)	524	975	451	0.68
2. पंचम कोल्ड स्टोरेज	176	12/97 से 3/98 एवं 11/98 (5 माह)	352	660	308	0.46
3. संगम कोल्ड स्टोरेज	132	11/97 से 2/98 (4 माह)	300	396	96	0.14
4. केसरवानी कोल्ड स्टोरेज	300	12/97 से 3/98 एवं 12/98 से 2/99 (7 माह)	710	1050	340	0.51
5. शीतालय कोल्ड स्टोरेज	300	11/97 से 2/98 एवं 10/98 से 2/99 (9 माह)	633	2025	1392	2.09
6. गंगा कोल्ड स्टोरेज	129	3/98	66	97	31	0.05
7. हिमालयन कोल्ड स्टोरेज	211	11/97 से 2/98 एवं 10/98 से 2/99 (9 माह)	343	1422	1079	1.62
8. मुद्रित रेफ्रीजरेशन कोल्ड स्टोरेज	150	12/97 से 3/98 (4 माह)	154	452	298	0.45
9. बी जे इण्डस्ट्रीज कोल्ड स्टोरेज	200	11/97 से 2/98 एवं 12/98 से 2/99 (7 माह)	370	1050	680	1.02
10. केसरवानी कोल्ड स्टोरेज	350	11/97 से 2/98 एवं 11/98 से 2/99 (8 माह)	762	2104	1342	2.01
11. शरद शीतालय	176	11/97 से 2/98 एवं 11/98 से 2/99 (8 माह)	201	1056	855	1.28
योग	**2384**		**4415**	**11287**	**6872**	**10.31**

खण्ड ने संविदागत मांग के 75 प्रतिशत से कम के मांग प्रभारों को इस आधार पर बिल में ले लिया कि उपभोक्ताओं के बिल,वार्षिक न्यूनतम उपभोग गारण्टी से अधिक के जारी किये गये थे। इससे न केवल दर-सूची के प्राविधानों का बल्कि कम्पनी के 09.07.80 के परिपत्र का भी उल्लंघन हुआ

जिसमें न्यूनतम उपभोग गारण्टी से कम होने वाली धनराशि के अतिरिक्त संविदागत मांग के न्यूनतम 75 प्रतिशत हेतु मांग प्रभार का प्रभारण अपेक्षित था।

प्रकरण, कम्पनी और सरकार को मार्च/मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.16 चोरी की गई विद्युत के अल्प निर्धारण के कारण उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाना

अपने ही निर्देशों के उल्लंघन में कम्पनी, विद्युत की चोरी में लिप्त पाये गये उपभोक्ताओं के आठ प्रकरणों में 3.42 करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण करने में असफल रही।

कम्पनी की वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली के अनुच्छेद VII के प्रस्तर 7.2 के अनुसार, विद्युत की चोरी और कदाचार के प्रकरण में उपभोक्ता पर लागू दर-सूची के प्रति इकाई तीन गुने दर पर एल एफ एच डी सूत्र[55] के अनुसार आगणित होने वाली यूनिटों पर निर्धारण किये जाने की आवश्यकता होती है।

खण्ड ने इलेक्ट्रानिक मीटर की संस्थापना की तिथि से निर्धारण करने के स्थान पर कम अवधि के लिये निर्धारण किया

लेखा परीक्षा में विद्युत वितरण खण्ड, उरई की नमूना जाँच के दौरान (सितम्बर 1999) यह देखा गया कि मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय क्षेत्र, लखनऊ के एक दल ने अप्रैल से जून 1998 की अवधि के दौरान एच वी-1 श्रेणी के आठ उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण किया और उन्हें, उनके मीटर के, सी टी में शार्ट सर्किट द्वारा विद्युत की चोरी में लिप्त पाया। दल ने अपनी रिपोर्ट में कम्पनी के आदेश के आधार पर अर्थात् सिक्योर मार्का इलेक्ट्रानिक मीटर की संस्थापना की तिथि से निर्धारण किये जाने की संस्तुति की। तथापि, खण्ड ने वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली के प्राविधानों के अनुसार जनवरी से अप्रैल 1998 के दौरान इलेक्ट्रानिक मीटर की संस्थापना की तिथि से निरीक्षण की तिथि तक का निर्धारण करने के स्थान पर मनमाने रूप से कम अवधि का निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप, 3.42 करोड़ रुपये के मूल्य (तीन गुनी दर पर)की 3691940 यूनिटों के अल्प बिल जारी किये गये तथा 105.75 लाख रुपये की राशि के ईंधन एवं स्थापना प्रभार तथा विद्युत शुल्क का अल्प निर्धारण हुआ जैसा कि नीचे दिया गया :

क्रम सं0	उपभोक्ता का नाम	भार	किया जाने वाला निर्धारण	किया गया निर्धारण	जारी किये गये अल्प बिल	विद्युत प्रभार	ईंधन/ स्थापना/ विद्युत कर
		(के वी ए)	(ईकाइयों के डब्ल्यू एच में)			(लाख रुपये में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	राम श्री स्टील (प्रा)लिमिटेड	3200	367200	238270	128930	11.91	3.68
2.	गणपति स्टील ऐण्ड इण्डस्ट्रीज (प्रा) लिमिटेड	1110	598650	213211	385439	35.61	6.71

55 संयोजित भार के डब्ल्यू में X उपभोक्ता पर लागू कारक X विद्युत आपूर्ति के घण्टों की औसत संख्या X दिनों की संख्या जिनमें चोरी हुई ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	राम चरन स्टील(प्रा)लिमिटेड	1600	1468800	816510	652290	60.27	18.69
4.	विजय इस्पात लिमिटेड	4200	2602530	1833758	768772	71.03	33.07
5.	रियल सीमेन्ट (प्रा)लिमिटेड	1800	1280610	840750	439960	40.65	8.15
6.	शिवांशी फेरस (प्रा) लिमिटेड	1600	1762560	944641	817919	75.58	19.05
7.	बुंदेलखण्ड एलायज(प्रा) लिमिटेड	1900	1002915	612733	390182	36.05	14.19
8.	दक्ष स्टील लिमिटेड	1700	156060	42612	113448	10.48	2.21
	योग				**3696948**	**341.58**	**105.75**

प्रकरण, कम्पनी और शासन को अप्रैल 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.17 राजस्व की हानि

उपभोक्ताओं से देयों की वसूली में कम्पनी द्वारा कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप बकाये में वृद्धि हुई एवं 1.95 करोड़ रुपये की राशि के परिणामी ब्याज की हानि हुई।

(क) आपूर्ति की शर्तों के प्रस्तर 19(IX) सपठित कम्पनी के परिपत्र (सितम्बर 1997) में प्रावधानित है कि विद्युत बिल का चेक द्वारा भुगतान उन उपभोक्ताओं से स्वीकार नहीं किया जाना है जिनके पहले के चेकों का अनादर हो चुका था।

उपभोक्ता से देयों की वसूली में कम्पनी द्वारा कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप बकाये में वृद्धि तथा 0.18 करोड़ रुपये की राशि के परिणामी ब्याज की हानि हुई

विद्युत वितरण खण्ड, फतेहपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान (अगस्त 1999) यह देखा गया कि 4500 के वी ए के संविदागत भार वाले फ्रन्टियर एलाय स्टील्स को अपनी प्रेरण भट्ठी (इंडक्शन फर्नेस) के लिये मार्च 1995 से अप्रैल 1999 की अवधि के दौरान 4.37 करोड़ रुपये की राशि के 91 चेकों के बारम्बार अनादरण के बावजूद विद्युत बिलों को चेक से जमा किये जाने की अनुमति दी गई। परिणामस्वरूप, जून 1999 के अन्त पर उपभोक्ता के विरुद्ध बकाये, 1.68 करोड़ रुपये तक बढ़ गये। तथापि, उपभोक्ता ने 1 जून 1999 से स्थायी विच्छेदन के लिये अनुरोध किया परंतु विच्छेदन 4 जून 1999 को किया गया। प्रतिभूति जमा (43.98 लाख रुपये) के समायोजन के पश्चात बकाये की राशि 1.24 करोड़ रुपये आगणित की गई जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत 10 जून 1999 को नोटिस जारी की गई जिसे हस्तगत नही कराया जा सका क्योंकि उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया (जून 1999)। न्यायालय ने दावे की राशि घटा कर 90 लाख रुपये कर दी एवं आदेश दिया कि उपभोक्ता, देयों का चार त्रैमासिक किश्तों में भुगतान करेगा जिसमें से 25 लाख रुपये की पहली किश्त एक सप्ताह के अन्दर जमा की जाएगी और पुनः किसी त्रुटि के होने पर कम्पनी, उपभोक्ता के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही आरम्भ कर सकती थी। उपभोक्ता ने केवल पहली किश्त 21 से 25 जून 1999 के मध्य जमा की और 65 लाख रुपये का अवशेष जमा नहीं किया गया परंतु खण्ड द्वारा वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

तथापि, अक्टूबर 1999 में खण्ड ने 99.36 लाख रुपये के अवशेष देयों के लिये, जो उपभोक्ता द्वारा प्रतिवादित नही किये गये थे, 1956 के उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रिकांसट्रक्शन (बी आई एफ आर), नई दिल्ली को उपभोक्ता के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही आरम्भ करने की अनुमति देने हेतु आग्रह किया जहां पर उपभोक्ता ने वसूली के स्थगन हेतु केस दायर किया परंतु बी आई एफ आर का निर्णय प्रतीक्षित था (जुलाई 2000)।

अतैव, चेकों के बारम्बार अनादरण के बावजूद कम्पनी के आदेश के उल्लंघन में, उपभोक्ता से चेकों को बार-बार स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बकायों में वृद्धि हुई और 18.13 लाख रुपये के परिणामी ब्याज की (जनवरी 1999 से जून 2000 की अवधि हेतु आगणित) हानि हुई।

(ख) आर्क/प्रेरण भट्ठी उपभोक्ताओं पर लागू दर अनुसूची एच वी-1 की धारा 6 के अनुसार, एम सी जी दिसम्बर 1996 तक 400 रुपये प्रति के वी ए प्रति माह की तथा जनवरी 1997 से 440 रुपये प्रति के वी ए प्रति माह की दर पर प्रभारणीय होगी।

कम्पनी उपभोक्ता के संविदागत भार को भट्ठी की क्षमता के अनुसार बकाये में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 1.77 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई

लेखा परीक्षा में मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (सी जेड ई) इलाहाबाद के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान (अगस्त 1999) यह देखा गया कि कम्पनी के मुख्य अभियन्ता (छापे) ने सी जेड ई, इलाहाबाद को सूचित किया कि छापामार दल ने विद्युत वितरण खण्ड, फतेहपुर के एक आर्क/प्रेरण भट्ठी उपभोक्ता, फ्रन्टियर एलायज लिमिटेड, मालवां के परिसर की जाँच की और पाया कि चार टन और आठ टन की दो भट्ठियां (कुल बारह टन) संस्थापित थी और उपभोक्ता का संविदागत भार, 7570 के वी ए के अपेक्षित भार के विरुद्ध, 4500 के वी ए था। उक्त पत्र में ऐसा निर्देश दिया गया था कि अपेक्षित से कम संविदागत भार निर्मुक्त किये जाने के कारण एम सी जी की हानि उपभोक्ता से वसूल की जानी चाहिये और भार को उनकी भट्ठियों की क्षमता के अनुरूप बढ़ा दिया जाना चाहिये। तथापि, दिसम्बर 1997 से उपभोक्ता ने अपनी भट्ठी की क्षमता को घटा कर छः टन कर लिया और अपने भार को 2250 के वी ए तक कम करवा लिया परन्तु उसे जून 1998 के कम्पनी के आदेश के अनुपालन में पुनः 3600 के वी ए (600के वी ए प्रति टन)तक बढ़ा दिया गया(जुलाई 1998)।परन्तु, जून 1998 के कम्पनी के आदेश को ध्यान में रखते हुये अपेक्षित भार पर आगणित, दिसम्बर 1996 से मई 1998 तक की अवधि के 177.12 लाख रुपये के एम सी जी के अन्तर का कोई निर्धारण नहीं किया गया जैसा नीचे वर्णित है :

माह	भट्ठी की क्षमता (टन में)	अपेक्षित भार (के वी ए में)	संविदागत भार (के वी ए में)	अन्तर (के वी ए में)	प्रति माह प्रति के वी ए, एम सी जी की दर	धनराशि (लाख रुपये में)
दिसम्बर, 1996	12	7200	4500	2700	400	10.80
जनवरी, 1997 से नवम्बर, 1997 (11 माह)	12	7200	4500	2700	440	130.68
दिसम्बर, 1997 से मई, 1998 (6 माह)	6	3600	2250	1350	440	35.64
योग						**177.12**

अतः कम्पनी को न्यूनतम उपभोग गारण्टी प्रभारों की वसूली न किये जाने के कारण, 1.77 करोड़ रुपये की सीमा तक के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

प्रकरण, कम्पनी और सरकार को मई 2000 मे सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.18 दर-सूची के गलत लागू किये जाने से राजस्व का अवप्रभारण

दर सूची के गलत लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 1.60 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।

(क) जुलाई 1994 और जनवरी 1997 से संशोधित किए गए घरेलू बिजली और पंखा उपभोक्ताओं पर लागू दर-अनुसूची एल एम वी-1 और वाणिज्यिक बिजली और पंखा उपभोक्ताओं पर लागू एल एम वी-2 के अनुसार, 1991 की जनगणना के आधार पर 15000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों और कस्बों के उपभोक्ताओं पर विद्युत प्रभार की समान दर लागू होती थी। इस सीमा को, जनवरी 1999 में संशोधित दर-अनुसूची मे 1991 की जनगणना पर आधारित 10000 तक पुनः घटा दिया गया एवं 15000 और 10000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों/कस्बों के उपभोक्ताओं के बिल क्रमशः 16 जुलाई 1994 और 25 जनवरी 1999 से इकाई दर पर मीटर में आलेखित उपभोग पर जारी किये जाने थे।

कम्पनी 0.88 करोड़ रुपये की न्यूनतम उपभोग गारण्टी की वसूली करने में विफल रही

विद्युत वितरण खण्ड (वि वि ख)-I एवं II, इलाहाबाद तथा विद्युत वितरण खण्ड-I, बलिया के अभिलेखों की नमूना जाँच ने प्रगट किया (अगस्त एवं दिसम्बर 1999) कि 1991 की जनगणना के अनुसार 15000 एवं 10000 से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों/ग्रामों के उपभोक्ताओं के बिल, अक्टूबर 1996 से अक्टूबर 1999 के दौरान 1.25 रुपये से 1.80 रुपये (एल एम वी-1) और 2.40 रुपये से 4.25 रुपये (एल एम वी-2) की इकाई दरों के स्थान पर 37 रुपये से 52 रुपये (एल एम वी -1) और 42 रुपये से 80 रुपये (एल एम वी-2) प्रति माह की समान दरों पर जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, चूंकि कम्पनी द्वारा इन उपभोक्ताओं के संदर्भ में मीटरों की संस्थापना नहीं की गई थी, वे कम से कम न्यूनतम उपभोग गारण्टी (एम सी जी) के प्रभारणीय थे। तथापि, कम्पनी ने उन पर एम सी जी प्रभारित नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप 87.73 लाख रुपये के राजस्व का अवप्रभारण हुआ जैसा नीचे वर्णित है :

खण्ड का नाम	कस्बों/ग्रामों का नाम	अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	श्रेणी	अवप्रभारण की राशि (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वि वि ख I, बलिया	बंसदिह,सहतवार,रेवती, सिकन्दरपुर,मनिअर	अक्टूबर, 1996 से जुलाई, 1999	5770 से 7043	एल एम वी–1	53.98
वि वि ख I, इलाहाबाद	चर्वा,अजुहा सराय अकिल	अक्टूबर, 1996 से अक्टूबर, 1999	1853 से 2993	एल एम वी–1 एवं एल एम वी–2	24.80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वि वि ख -II, इलाहाबाद	सेवइथ, लाल गोपाल गंज	अक्टूबर, 1996 से सितम्बर, 1999	800	एल एल वी –1 एवं एल एम वी–2	8.95
योग					87.73

(ख) कम्पनी की दर-सूची की अनुसूची एल एम वी-5, सिंचाई के प्रयोजन हेतु निजी नलकूपों/पंपिंग सेटों के लिये ग्रामीण आपूर्ति पाने वाले सभी विद्युत उपभोक्ताओं पर 16 जुलाई 1994 से लागू होती है। मीटर विहीन विद्युत आपूर्ति के प्रकरण में ऐसे उपभोक्ताओं के विद्युत प्रभार 16 जुलाई 1994 से 50 रुपये प्रति बी एच पी प्रति माह और 1 अगस्त 1996 से 40 रुपये प्रति बी एच पी प्रति माह थे।ग्रामीण अनुसूची के अतिरिक्त मीटर विहीन आपूर्ति प्राप्त करने वाले निजी नलकूप और पम्पिंग सेट के उपभोक्ताओं के बिल 16 जुलाई 1994 से 95 रुपये प्रति बी एच पी प्रति माह, 25 जनवरी 1999 से 105 रुपये प्रति बी एच पी प्रति माह तथा 23 जून 1999 से 65 रुपये प्रति बी एच पी प्रति माह की दर पर दर अनुसूची एल एम वी-6, जो नलकूपों और पम्पिंग सेटों सहित 100 बी एच पी तक के संविदागत भार वाले छोटे और मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू थी, के अन्तर्गत जारी किये जाने थे।

दर-सूची के गलत लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 0.15 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व का अवप्रभारण हुआ

विद्युत वितरण खण्ड, बांदा के अभिलेखों की नमूना जाँच ने प्रगट किया (मार्च 2000) कि ग्रामीण फीडर के अतिरिक्त से मीटर विहीन आपूर्ति प्राप्त करते हुये 376 बी एच पी भार वाले 83 निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं के बिल एल एम वी-6 के स्थान पर एल एम वी -5 के अन्तर्गत जारी किये गये जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 1994 से फरवरी 2000 की अवधि हेतु 15.17 लाख रुपये की राशि के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।

उत्तर में (मार्च 2000)खण्डीय अधिकारी ने बताया कि सही दर-अनुसूची के अन्तर्गत बिल, उपभोक्ताओं के मीटरों की संस्थापना के पश्चात जारी किये जायेंगे।

(ग) कम्पनी ने रूंगटा स्टील लिमिटेड, जगदीशपुर को उनकी प्रेरण भट्टी (इंडक्शन फर्नेस) के लिये 11 के वी स्वतंत्र फीडर पर दो चरणों में निर्मुक्त किया जाने वाला 1085 के वी ए का भार स्वीकृत किया (दिसम्बर 1996)। तदनुसार, तत्काल 600 के वी ए का और अगस्त 1997 में 485 के वी ए का भार निर्मुक्त किये जाने के लिये एक समझौता निष्पादित किया गया(मार्च 1997)। 600 के वी ए का भार मई 1997 में निर्मुक्त किया गया और 485 के वी ए में से 50 के वी ए भार नवम्बर 1998 में निर्मुक्त किया गया। 435 के वी ए का अवशेष भार उपभोक्ता द्वारा समर्पित कर दिया गया (नवम्बर 1998)।

कम्पनी, दर-सूची के गलत लागू किये जाने से एक उपभोक्ता से 0.22 करोड़ रुपये वसूल करने में विफल रही

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1999) कि भार निर्मुक्त किये जाने के समय से मई 1997 से अक्टूबर 1998 तक उपभोक्ता के बिल दर-अनुसूची एच वी-2 के अन्तर्गत और उसके पश्चात इस आधार पर कि उपभोक्ता द्वारा प्रेरण भट्ठी (इंडक्शन फर्नेस) नवम्बर 1998 से आरम्भ की गई थी, आर्क/प्रेरण भट्ठी उपभोक्ताओं पर लागू एच वी-1 के अन्तर्गत जारी किये गये। तथापि, समझौते की धारा 7(बी) के अनुसार, आपूर्ति निरन्तर निर्माण

प्रक्रिया के लिये थी और भार प्रपत्र के अनुसार उपभोक्ता का भार (600 के वी ए) भट्ठी के प्रयोजन हेतु था। अतः, उपभोक्ता का बिल भार निर्मुक्त किये जाने के समय से ही दर-अनुसूची एच वी-2 के अंतर्गत ही जारी किया जाना चाहिए था। अतैव मई 1997 से अक्टूबर 1998 के दौरान एच वी-2 के स्थान पर एच वी-1 के अन्तर्गत बिल जारी किये जाने के परिणामस्वरूप 21. 66 लाख रुपये की सीमा तक के बिल कम जारी किये गये।

(घ) 25 जनवरी 1999 से प्रभावी कम्पनी की दर-अनुसूची के अनुसार, कुटीर ज्योति और जनता सेवा उपभोक्ताओं के बिल दर-अनुसूची एल एम वी-1 के अन्तर्गत 52 रुपये प्रति संयोजन प्रति माह की निर्धारित दर पर जारी किये जाने थे। पूर्व में, इन उपभोक्ताओं के बिल दर-अनुसूची एल एम वी-4 के अन्तर्गत 10 रुपये प्रति संयोजन प्रति माह की दर पर जारी किये गये थे।

यथोचित दर-सूची के लागू न किये जाने के फलस्वरूप 0.35 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व का अवप्रभारण हुआ

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1999 एवं दिसम्बर 1999) कि विद्युत वितरण खण्ड (वि वि ख), बलिया ने जून 1998 से 24 जनवरी 1999 तक उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं से न तो एल एम वी-1 के अन्तर्गत और न ही 25 जनवरी 1999 से जुलाई 1999 तक एल एम वी-4 के अन्तर्गत मासिक प्रभारों की वसूली की। वि वि ख, बहराइच, बलरामपुर और खलीलाबाद ने भी फरवरी 1999 से सितम्बर 1999 के दौरान कुटीर ज्योति और जनता सेवा उपभोक्ताओं से मासिक प्रभारों की वसूली नहीं की। इसके परिणामस्वरूप, इन उपभोक्ताओं के विरुद्ध 35.35 लाख रुपये के कम बिल जारी किये गये जैसा कि नीचे वर्णित है :

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	संयोजन की संख्या	अवधि	अल्प बिलों की धनराशि (लाख रुपये में)
1.	वि वि ख II, बलिया	1903	जून 1998 से जुलाई 1999	10.17
2.	वि वि ख, बहराइच	3070	फरवरी 1999 से जून 1999	8.47
3.	वि वि ख, बलरामपुर	1949	फरवरी 1999 से अगस्त 1999	6.88
4.	वि वि ख, खलीलाबाद	2342	फरवरी 1999 से सितम्बर 1999	9.83
	योग	**9264**		**35.35**

प्रकरण, कम्पनी और शासन को अप्रैल/मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.19 राजस्व का विलम्बित निर्धारण

कम्पनी ने लेखा परीक्षा की पहल पर 1.94 करोड़ रुपये की राशि का निर्धारण किया जिसकी वसूली लम्बित थी।

कम्पनी, 18 से 23 प्रतिशत प्रति वर्ष तक आरेखित विभिन्न ब्याज दरों पर बैंक के नकद उधार खाते से निधियों के आहरण सहित, उधार ली गयी निधियों से कार्य कर रही थी। उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत उपभोग के लिये निर्धारण किये जाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप, वसूली विलम्बित

रही जिसका प्रभाव कम्पनी के आर्थिक स्रोतों की स्थिति पर भी पड़ा।

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच (मार्च 1999 से दिसम्बर 1999) के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी के सात वितरण खण्डों ने बिल जारी करने की निर्धारित अनुसूची के अनुसार 2.02 करोड़ रुपये का निर्धारण नहीं किया जिसे लेखा परीक्षा की पहल पर बाद में किया गया, जैसा कि परिशिष्ट -35 में वर्णित है।

खण्ड ने अगस्त 1999 से मार्च 2000 की अवधि के दौरान 2.02 करोड़ रुपये के निर्धारण, जैसा लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किया गया, के विरुद्ध केवल 1.94 करोड़ रुपये के बिल जारी किये और अवशेष धनराशि के लिये जो वि वि ख-I, इलाहाबाद (1.56 लाख रुपये) एवं वि वि ख, खलीलाबाद (7.03 लाख रुपये) से संबंधित थी, खण्ड द्वारा कोई बिल अब तक (जुलाई 2000) जारी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, न तो वसूली हेतु कोई कार्यवाही ही आरम्भ की गई और न ही धनराशि अब तक (जुलाई 2000) वसूली जा सकी।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.20 ट्रंक लाइन की टैपिंग द्वारा भार निर्मुक्त किये जाने से उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाना

कम्पनी ने अपने ही निर्देशों के उल्लंघन में 133/33/11 के वी उपकेन्द्र से आने वाली ट्रंक लाइन की टैपिंग द्वारा संयोजन निर्मुक्त करने की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप एक उपभोक्ता को 0.81 करोड़ रुपये की राशि का अनुचित लाभ हुआ।

मई 1994 में कम्पनी के आदेश के अनुसार, उपभोक्ता को संयोजन दिये जाने के लिये अपनी 33 के वी ट्रंक लाइन की टैपिंग किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है। कम्पनी ने सिंभोली शुगर मिल्स, चिल्वारिया, बहराइच को एक एम वी ए का भार स्वीकृत किया (जनवरी 1995) जिसे 33 के वी स्वतंत्र फीडर पर निर्मुक्त किया जाना था। तदनुसार, 132/33/11 के वी उपकेन्द्र, बहराइच से 33 के वी स्वतंत्र फीडर के निर्माण की लागत को प्राप्त करने के लिये 87.75 लाख रुपये का एक आंकलन तैयार किया गया।

वि वि ख, बहराइच के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1999) कि उपभोक्ता उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं था और उसने अपने प्रकरण को विभिन्न स्तरों पर प्रतिवादित किया। अन्ततोगत्वा, कम्पनी ने उपभोक्ता के अनुरोध को अभिलेख पर कोई कारण अभिलेखित किये बिना स्वीकार (सितम्बर 1995) कर लिया और 132/33/11 के वी उपकेन्द्र, बहराइच से आने वाली ट्रंक लाइन की टैपिंग द्वारा संयोजन निर्मुक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी। तदनुसार, शर्तें (टी सी)जारी कर दी गई और उपभोक्ता से 18.17 लाख रुपये (लाइन प्रभार 6.67 लाख रुपये, सिस्टम लोडिंग प्रभार 6.50 लाख रुपये, प्रतिभूति जमा 5 लाख रुपये) जमा करने को कहा गया। उपभोक्ता द्वारा धनराशि दिसम्बर 1995 से जनवरी 1997 के दौरान जमा की गई। तत्पश्चात्, समझौता निष्पादित किया गया और जनवरी 1998 में भार निर्मुक्त कर दिया गया।

अतः, कम्पनी ने 33 के वी ट्रंक लाइन की किसी भी दशा में टैपिंग को प्रतिबन्धित करने वाले मई 1994 के अपने ही आदेश की शर्तों को शिथिल कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को 81.08 लाख रुपये (87.75 लाख रुपये - 6.67 लाख रुपये)का अनुचित लाभ हुआ ।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ. 21 अर्थदण्ड का कम आरोपण

अपने ही निर्देशों के उल्लंघन में अर्थदण्ड की धनराशि के अनियमित संशोधन के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा 1.30 करोड़ रुपये की राशि के अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ।

राज्य सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 1994) के अनुसार, अनिरन्तर प्रक्रम उपभोक्ताओं द्वारा शीर्ष समय के प्रतिबन्धों तथा साप्ताहिक बन्दी के उल्लंघन, उनके 100 के वी ए तक के, 100 के वी ए से अधिक एवं 500 के वी ए तक तथा 500 के वी ए से अधिक के संविदागत भार पर प्रत्येक उल्लंघन के लिये क्रमशः 50 रुपये, 30 रुपये एवं 20 रुपये प्रति के वी ए के अर्थदण्ड के साथ, दण्डनीय थे। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 1991 एवं अक्टूबर 1998 के स्पष्टीकरण सहित कम्पनी के आदेश में पुनः उपभोक्ता के परिसर की जाँच एवं अर्थदण्ड के आरोपण पर जोर दिया गया था जिसके अनुसार उपभोक्ताओं के विद्युत मीटरों के प्रकरण में उपलब्ध एम आर आई (मेमोरी रिकार्डिंग इन्स्ट्रूमेंन्ट) प्रिंट में अभिलेखित उल्लंघन की प्रत्येक प्रविष्टि को पृथक उल्लंघन के रूप में देखा जायेगा ।

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1999)कि विद्युत शहरी वितरण खण्ड (वि श वि ख)-I, गाजियाबाद एवं वि श वि ख- IV, आगरा में यद्यपि 12 उपभोक्ताओं पर अप्रैल 1998 से फरवरी 1999 की अवधि के दौरान एम आर आई प्रिन्टों में अभिलेखित शीर्ष समय प्रतिबन्ध के प्रत्येक उल्लंघन हेतु 1.51 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड आरोपित करके बिल जारी किये गये, तथापि उसे मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक)के निर्देशों (अप्रैल 1999)के अनुसार, प्रथम एम आर आई रिपोर्ट को पूरे माह में अकेला उल्लंघन प्रकरण मानते हुए 20.82लाख रुपये में संशोधित कर दिये गये (जुलाई 1999)। यह निर्देश सरकारी अधिसूचना के उपरोक्त प्राविधानों के विरुद्ध थे और मुख्य अभियन्ता उनको शिथिल करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे ।अतः, अर्थदण्ड की राशि का अनियमित संशोधन 1.30 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के अल्प आरोपण में परिणामित हुआ, जैसा नीचे वर्णित है ।

खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	संविदागत भार (के वी ए)	अवधि	शीर्ष समय का उल्लंघन (संख्या घंटे में)	निर्धारित/ आरोपित किया जाने वाला अर्थदण्ड	संशोधित /बिल में लिया गया अर्थदण्ड	जारी किये गये अल्प बिल
वि श वि ख–I, गाजियाबाद	6	950–1100	अप्रैल 1998से फरवरी 1999	8 से 76	129.66	19.86	109.80
वि श वि ख– IV, आगरा	6	250–1700	अक्टूबर 1998 से नवम्बर 1998	6 से 38	20.89	0.96	19.93
योग	**12**				**150.55**	**20.82**	**129.73**

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ. 22 निधियों की निरुद्धता

लाईन की लम्बाई कम करने के निर्णय में विलम्ब के परिणामस्वरूप, 0.96 करोड़ रुपये के परिणामी ब्याज की हानि सहित 0.60 करोड़ रुपये की निधियाँ निरुद्ध रहीं।

कम्पनी आवश्यकतानुसार भण्डार सामग्री का क्रय करने में विफल रही

विद्युत पारेषण खण्ड-II, गोरखपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1998) कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) ने 4960.58 लाख रुपये की लागत पर मार्च 1992 में पूर्ण होने वाले, 400 के वी वाराणसी-मऊ-गोरखपुर एकल धारा लाइन (लम्बाई 260 कि मी)एवं 200 के वी आजमगढ़ उपकेन्द्र पर मऊ-गोरखपुर लाइन की एल आई एल ओ के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की (मार्च 1988 एवं मई 1989)। कम्पनी ने अक्टूबर 1990 में लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ किया और जून से अगस्त 1991 के दौरान, 260 कि मी हेतु सभी लाइन सामग्रियों की अधिप्राप्ति कर ली। तथापि, विद्युत राज्य मंत्री के सलाहकार द्वारा 132 के वी उपकेन्द्र, सेमरिया-जमालपुर, मऊ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु बुलाई गई एक समन्वय बैठक (अक्टूबर 1991)में, उपरोक्त लाइन को 400 के वी उपकेन्द्र, कसरा से 400 के वी उपकेन्द्र, गोरखपुर तक 400 के वी उपकेन्द्र, आजमगढ़ के रास्ते से घुमाकर ले जाने का निर्णय लिया गया । इस विचलन ने लाइन की लम्बाई को 260 कि मी से 160 कि मी तक कम कर दिया। लाइन की लम्बाई को 260 कि मी से 160 कि मी तक कम करने हेतु लिये गये निर्णय में विलम्ब के परिणामस्वरूप कम्पनी सामग्रियों की अधिप्राप्ति का लाभ नहीं उठा सकी क्योंकि वह 260 कि मी लाइन की लम्बाई की आवश्यकता पर आधारित सभी सामग्रियों की अधिप्राप्ति पहले ही कर चुकी थी। लाइन, दिसम्बर 1995 में पूर्ण हो गई थी और 80.04 लाख रुपये के मूल्य की लाइन सामग्रियां जैसे सुपर स्ट्रक्चर्स, टेम्पलेट्स और मूज़ कण्डक्टर्स आदि फालतू हो गए। इन फालतू सामग्रियों के विरुद्ध, केवल 22.22 लाख रुपये के मूल्य की सामग्रियों का स्थानान्तरण, जून 1994 से जुलाई 2000 के दौरान अन्य इकाइयों को किया जा सका एवं 59.82 लाख रुपये मूल्य की अवशेष सामग्री अब तक (जुलाई 2000) अनुपयोजित पड़ी रही।

अतः, लाइन की लम्बाई को घटाये जाने के निर्णय में विलम्ब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त सामग्री की अधिप्राप्ति हुई, जिससे 59.82 लाख रुपये की कम्पनी की निधियाँ निरुद्ध हो गईं जिस पर कम्पनी ने सितम्बर 1991 से जुलाई 2000 की अवधि में 96.01 लाख रुपये की राशि के ब्याज की हानि उठाई ।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.23 राजस्व की हानि

जाँच मीटरों की संस्थापना में कम्पनी की विफलता और नये मीटर में अभिलेखित उपभोग के बिल जारी न किये जाने के परिणामस्वरूप 0.30 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व की हानि हुई।

कम्पनी की वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली के प्रस्तर 7.1(सी)के अनुसार, उपभोक्ता के परिसर में त्रुटियुक्त मीटर की शुद्धता की जाँच करने के लिये एक जाँच मीटर संस्थापित किये जाने की आवश्यकता होती है और जाँच परिणामों के अनुरूप पूर्ववर्ती छः माह का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया(सितम्बर 1999)कि विद्युत वितरण खण्ड- II, बलिया ने रेलवे स्टेशन,बलिया का विद्युत उपभोग (संविदागत भार 60 के डब्ल्यू)अभिलेखित करते समय पाया कि बिजली व पंखा मीटर धीमा चल रहा था तथा पावर मीटर कार्य नहीं कर रहा था। इसके बावजूद, कोई जाँच मीटर संस्थापित नहीं किया गया और उपभोक्ता को जुलाई से सितम्बर 1998 के दौरान, अप्रैल से जून 1998 के पूर्ववर्ती तीन महीनों के दौरान अभिलेखित 28582 इकाईयों के औसत मासिक उपभोग के आधार पर बिल जारी किये गये। 20 सितम्बर 1998 को संस्थापित नये मीटर ने, अक्टूबर 1998 से जनवरी 1999 के दौरान 427560 इकाईयों का उपभोग अभिलेखित किया जिसके विरुद्ध उपभोक्ता को 70680 इकाई प्रति माह पर, जो फरवरी 1999 में अभिलेखित हुआ था, 282720 इकाइयों के बिल जारी किये गये। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता को अक्टूबर 1998 से जनवरी 1999 के दौरान 144840 इकाइयों के कम बिल जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, मार्च से सितम्बर 1998 के पूर्व की अवधि के लिये कोई निर्धारण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप भी 527277 इकाइयों के कम बिल जारी किये गये।

अतः, पुराने मीटर की शुद्धता की जाँच करने के लिए सितम्बर 1998 में जाँच मीटर के संस्थापन में खण्ड की विफलता और नये मीटर में अभिलेखित उपभोग के बिल न जारी किये जाने के परिणामस्वरूप 30.16 लाख रुपये की 672117 इकाइयों के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नही हुये (जुलाई 2000)।

4अ.24 विद्युत कर के बिल जारी न किये जाना

उपभोक्ताओं से 0.30 करोड़ रुपये की राशि के विद्युत कर की वसूली नहीं की गई।

जनवरी 1997 की उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार, निश्चित विद्युत प्रभारों पर मीटर विहीन उपभोक्ताओं को जारी किये गये बिलों पर विद्युत कर (ई डी) 20 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था । जनवरी 1997 से पूर्व ई डी, विद्युत प्रभारों पर 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाता था ।

खण्ड, 0.30 करोड़ रुपये की राशि का विद्युत कर आरोपित करने में विफल रहे

जुलाई 1999 से दिसम्बर 1999 के दौरान लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि विद्युत शहरी वितरण खण्ड (वि श वि ख), चौक, लखनऊ, विद्युत वितरण खण्ड (वि वि ख), पीलीभीत और विद्युत शहरी वितरण खण्ड (वि श वि ख)-IV, आगरा ने मार्ग प्रकाश उपभोक्ताओं (टाउन एरिया कमेटियों, नगर निगमों एवं महापालिकाओं आदि)जिनको अप्रैल 1996 से सितम्बर 1999 के मध्य बिना मीटर की आपूर्ति की जाती थी, के विरुद्ध विद्युत प्रभारों पर 29.69 लाख रुपये की राशि का विद्युत कर (ई डी)आरोपित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप विद्युत कर का अवप्रभारण हुआ जैसा नीचे वर्णित है :

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अवधि	बिल में जारी नहीं की गई ई डी की राशि (लाख रूपये में)
1	वि श वि ख, चौक लखनऊ	अप्रैल 1996 से जून 1999	15.38
2	वि वि ख, पीलीभीत	अप्रैल 1998 से अगस्त 1999	5.77
3	वि श वि ख –IV, आगरा	नवम्बर 1998 से सितम्बर 1999	8.54
		योग	**29.69**

29.69 लाख रुपये की ई डी के अल्प बिलों के विरुद्ध, वि श वि ख, चौक, लखनऊ एवं वि श वि ख - IV, आगरा द्वारा फरवरी से जून 2000 के दौरान कुल 23.92 लाख रुपये के ही बिल जारी किये गये, परन्तु अब तक (जुलाई 2000) कोई वसूली न हो सकी ।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मार्च 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2000) ।

4अ. 25 निष्फल व्यय

मीटरों के संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित किये बिना उनके क्रय हेतु भुगतान निर्मुक्त किये जाने के फलस्वरूप 0.15 करोड़ रुपये की राशि का निष्फल व्यय हुआ।

कम्पनी के इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट एण्ड कमीशनिंग डिवीजन, गाजियाबाद ने डाटा प्रो इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पुणे से अधीक्षण अभियन्ता, इलेक्ट्रिसिटी उपकेन्द्र डिजाइन सर्किल, लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों (जून 1996) के विरुद्ध, ग्रिड उपकेन्द्रों तथा उपकेन्द्रों के अन्तर-राज्यीय विद्युत लेन-देन बिन्दुओं पर प्रयोग किये जाने हेतु 49 तीन फेज सौलिड स्टेट माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रानिक ट्राइवेक्टर विद्युत मीटर प्राप्त किये (फरवरी 1997) । आदेश की शर्तों के अनुसार, खण्ड ने अप्रैल 1997 में फर्म को मीटर के मूल्य के 90 प्रतिशत के रूप में 14.88 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया ।

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1999)कि जब इन मीटरों को उपकेन्द्रों पर संस्थापित किया गया, उनका निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि यह मीटर 2.88 से 13 प्रतिशत तक धीमे चल रहे थे और मीटरों में कम्पोनेन्ट विफलता बारम्बार थी। खण्डीय अधिकारियों और अधीक्षण अभियन्ता ने मीटरों की त्रुटियों को दूर किये जाने हेतु फर्म से

संपर्क किया(जुलाई से दिसम्बर 1997)परन्तु फर्म त्रुटियों के निराकरण में विफल रही। इन त्रुटिपूर्ण मीटरों को, पाँच लाख रुपये के मूल्य पर सीवरेस मीटर्स लिमिटेड, उदयपुर से क्रय किये गये सिक्योर मीटरों से प्रतिस्थापित कर दिया गया (दिसम्बर 1997)।

अतः, बिना उचित जाँच एवं संतोषजनक निष्पादन के मीटरों के क्रय पर किये गये भुगतान के फलस्वरूप 14.88 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ ।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को अप्रैल 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4अ.26 विद्युत भार की अनियमित कमी

कम्पनी, 0.10 करोड़ रुपये की राशि की न्यूनतम उपभोग गारण्टी की वसूली करने में विफल रही जिससे उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचा।

कम्पनी के आदेश (दिसम्बर 1998)के अनुसार, रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को कम्पनी द्वारा गठित समिति के सचिव के अनुमोदन के पश्चात एक वर्ष या दो वर्षों की अस्थाई अवधि के लिये अपने विद्युत भार का समर्पण करने की अनुमति थी। समर्पित भार के साथ जुड़े उपस्करों को विद्युत लाइन से पृथक किया जाना था और समर्पण अवधि की न्यूनतम उपभोग गारण्टी का 15 प्रतिशत उपभोक्ता द्वारा अग्रिम रूप से जमा किया जाना था। भार में कमी, उपभोक्ता द्वारा भार में कमी किये जाने की प्रार्थना के अनुवर्ती माह के प्रथम दिवस से प्रभावी की जानी थी।

विद्युत वितरण खण्ड-II, मथुरा के अभिलेखों की जाँच ने प्रगट किया (दिसम्बर 1999) कि ए टी वी प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड ने अपने 1050 के वी ए के विद्यमान भार को 400 के वी ए तक 18 महीनों के लिये कम किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया (नवम्बर 1998)। कम्पनी के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिया (सितम्बर 1999)कि संयोजन 33 के वी पर निर्मुक्त किया जाय और भार पहली दिसम्बर 1998 से घटा हुआ माना जाय। उपभोक्ता का भार तद्नुसार उपरोक्त आवश्यक शर्तों को पूरा किये बिना ही घटा दिया गया।

तथापि, यह देखा गया कि 18 महीनों की समर्पण अवधि की न्यूनतम उपभोग गारण्टी के 15 प्रतिशत की राशि, 10.27 लाख रुपये उपभोक्ता से नहीं वसूली गई ।अतः, उपभोक्ता को 10.27 लाख रुपये की सीमा तक का लाभ पहुँचाया गया जो कम्पनी की हानि में भी परिणामित हुआ।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (अप्रैल 2000); उत्तर प्राप्त नही हुये (जुलाई 2000)।

4अ. 27 बैंक द्वारा निधियों के प्रेषण में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि

कम्पनी ने बैंक द्वारा निधियों के अन्तरण में विलम्ब के कारण 0.10 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उठाई।

कम्पनी के आदेश (मई 1979) के अनुसार, विद्युत उपभोग प्रभारों, प्रतिभूति जमा के रूप में उपभोक्ताओं से सभी प्राप्तियाँ तथा खण्ड द्वारा बैंक के शाखा प्राप्ति खाते में जमा की गई अन्य

विविध प्राप्तियों को लखनऊ स्थित कम्पनी के मुख्य प्राप्ति खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए। कम्पनी और बैंक के मध्य मेमोरैंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग (एम ओ यू)में प्राविधान था कि शाखा प्राप्ति खाते से मुख्य प्राप्ति खाते में प्रेषण सात दिनों के अन्दर हो जाना चाहिए। विफलता की दशा में, कम्पनी को बैंक पर सात दिनों के बाद नकद उधार (सी सी) दरों पर ब्याज का प्रभारण करना चाहिए ।

खण्ड, बैंक द्वारा निधि के सामयिक प्रेषण को सुनिश्चित करनें में विफल रहा

विद्युत शहरी वितरण खण्ड-II, वाराणसी अपने शाखा प्राप्ति खाते को पंजाब नैशनल बैंक में संचालित करता रहा था जिसमें उपभोक्ताओं से प्राप्त सभी राजस्व प्राप्तियाँ जमा की जा रही थीं। लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1999) कि खण्ड, बैंक द्वारा अपने शाखा प्राप्ति खाते से कम्पनी की निधियों का समय से लखनऊ स्थित मुख्य प्राप्ति खाते में प्रेषण सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, बैंक द्वारा अप्रैल 1996 से जून 1999 के दौरान पूरे महीने में रखा गया न्यूतनम अवशेष 0.77 लाख रुपये से 54.32 लाख रुपये तक आरेखित रहा। इसके परिणामस्वरूप, उपरोक्त अवधि के दौरान बैंक द्वारा रखे गये न्यूनतम मासिक अवशेषों पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर आगणित 10.49 लाख रुपये की राशि के ब्याज की हानि हुई और जिसके लिए बैंक से कोई दावा दायर नहीं किया गया था।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को सूचित किया गया (मई 2000); उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2000)।

4अ. 28 चालकों को समयोपरि भत्ते का अमान्य भुगतान

कम्पनी ने चालकों को 0.81 करोड़ रुपये की राशि के समयोपरि भत्ते (ओ टी ए) का अमान्य भुगतान किया।

कारखाना अधिनियम, 1948 के प्राविधानों के अनुसार, एक कर्मी को अनुमत समयोपरि के कुल घण्टे, एक तिमाही में 50 घण्टों से अधिक नहीं होने चाहिए । राज्य सरकार द्वारा 50 घण्टों की सीमा को एक तिमाही में अधिकतम 75 घण्टों तक, अधिनियम की धारा 64 एवं 65 के अन्तर्गत तत्काल, असाधारण एवं आवश्यक प्रकृति का कार्य होने के आधार पर शिथिल किया जा सकता था ।

कर्मचारियों को ओ टी ए के भुगतान के सम्बंध में 50 घण्टों की सांविधिक अधिकतम सीमा का पालन नहीं किया गया

चालकों को समयोपरि भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में एक तिमाही में 50 घण्टों की सांविधिक सीमा का आनपारा एवं टांडा ताप विद्युत केन्द्रों (टी पी एस) जैसी कम्पनी की विभिन्न इकाइयों द्वारा सख्ती से पालन किया जाता था परन्तु ओबरा टी पी एस में महाप्रबन्धक ने, राज्य सरकार से 50 घण्टों की उपरोक्त सांविधिक सीमा की छूट का आग्रह किये बिना ही, स्वयं मुख्य अभियंताओं को एक तिमाही में 90 घण्टों तक का ओ टी ए अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया (दिसम्बर 1994) और तद्नुसार चालकों को संबंधित मुख्य अभियंताओं द्वारा प्रति तिमाही 90 घण्टे का ओ टी ए लगातार अनुमत किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप, 1998-99 तक के पिछले पाँच वर्षों के दौरान चालकों को 80.99 लाख रुपये की सीमा तक के समयोपरि भत्ते का अमान्य भुगतान हुआ।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को फरवरी 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2000)।

4अ. 29 लुब्रिकेन्ट्स की अधिप्राप्ति पर रियायत/छूट प्राप्त न करने के कारण हानि

कम्पनी लुब्रिकेन्ट्स के क्रय पर 0.16 करोड़ रुपये की राशि की छूट प्राप्त करने में विफल रही।

कम्पनी के विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा अपने विद्युत संयंत्रों में उपयोजन हेतु लुब्रिकेन्ट्स की अधिप्राप्ति भारतीय तेल निगम(आई ओ सी)से की जाती है । यह जानकर कि आई ओ सी द्वारा लुब्रिकेन्ट्स की अधिप्राप्ति पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को छूट अनुमत की जा रही थी, पनकी टी पी एस ने भी आई ओ सी से उनको उसी प्रकार की छूट अनुमत करने की प्रार्थना की (अगस्त 1997 एवं सितम्बर 1997)। प्रत्युत्तर में आई ओ सी ने प्रति लीटर 1.50 रुपये की विशेष छूट, आई ओ सी से लुब्रिकेन्टस की सभी आपूर्तियों पर अनुमत किये जाने हेतु सहमति दी (दिसंबर 1997)।

कम्पनी के पास आपसी इकाइयों के मध्य पारस्परिक हित के मामले को सूचित करने की कोई पद्धति नहीं थी

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि अन्य टी पी एस द्वारा ऐसी छूट प्राप्त नहीं की गई क्योंकि कम्पनी में पारस्परिक हित के मामलों को आपसी इकाइयों को सूचित किये जाने की न तो कोई पद्धति थी और न ही अन्य टी पी एस ने ऐसी छूट को प्राप्त करने के लिये अपने स्वयं के ही प्रयास किये।

छूट प्राप्त न किये जाने के कारण, कम्पनी ने दिसम्बर 1997 से मार्च 1999 की अवधि के दौरान चार ताप विद्युत केन्द्रों जैसे आनपारा, टांडा, पारीक्षा एवं ओबरा में 10.86 लाख लीटर लुब्रिकेन्ट्स की अधिप्राप्ति पर 16.29 लाख रुपये की सीमा तक की हानि उठाई।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को फरवरी 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नही हुए (जुलाई 2000)।

4अ. 30 चालकों की नियुक्ति पर परिहार्य व्यय

अन्य इकाइयों के फालतू चालकों की सेवाओं का उपयोजन करने के स्थान पर चालकों की नियुक्ति किये जाने के कारण, कम्पनी को मई 2000 तक 0.10 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय उठाना पड़ा।

नियुक्ति पर कम्पनी की रोक (मई 1990)के बावजूद, अवस्थापन इकाई, लखनऊ ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ के साथ सितम्बर 1998 से 7 सितम्बर 2000 तक की अवधि में अध्यक्ष के अनुमोदन के अन्तर्गत प्रत्येक माह 10 से 11 चालकों की नियुक्ति के लिये समझौते निष्पादित किये और मई 2000 तक उनके पारिश्रमिक पर 9.53 लाख रुपये का व्यय किया गया ।

कम्पनी, अन्य इकाइयों के फालतू चालकों की तैनाती की सम्भावना तलाश करने में विफल रही

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने (जुलाई 1999)पर, अवस्थापन इकाई, लखनऊ ने अन्य इकाइयों के फालतू चालकों की तैनाती की संभावना तलाशने का आश्वासन दिया परन्तु ऐसा

कोई प्रयास नहीं किया गया, यद्यपि केवल छः इकाइयों में ही 9 फालतू चालक थे और कम्पनी ने मार्च 1999 तक इन फालतू चालकों के वेतन पर 26.33 लाख रुपये का व्यय किया ।

अतः, अन्य इकाइयों के फालतू चालकों की सेवाओं का उपयोजन करने के स्थान पर चालकों की नियुक्ति किये जाने के कारण, कम्पनी को मई 2000 तक 9.53 लाख रुपये का परिहार्य व्यय उठाना पड़ा ।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को फरवरी 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

सामान्य

4अ.31 विदेश दौरे के दौरान दैनिक भत्ते का अतिरिक्त भुगतान

विदेश दौरे पर दैनिक भत्ते के भुगतान के लिये राज्य सरकार के निर्देशों से विचलन करते हुये, छः कम्पनियों ने 0.24 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त दैनिक भत्ते का भुगतान किया।

भारत सरकार ने अपने आदेश(नवम्बर 1996) में विदेश दौरे पर यात्रा के लिये दैनिक भत्ते की दरें नियत की थीं ।आदेश के अनुसार, लम्बे दौरों/ अस्थाई तैनाती के प्रकरण में, 14 दिनों तक पूरा दैनिक भत्ता (डी ए), अगले 14 दिनों तक पूरे दैनिक भत्ते का 75 प्रतिशत तथा तत्पश्चात 60 प्रतिशत अनुमन्य था ।अलग- अलग स्तरों के लिये डी ए की विभिन्न दरें नियत थीं । निवास प्रभारों के सम्बन्ध में, अनुमोदित होटल का वास्तविक किराया प्रतिपूर्ति योग्य था और गैर प्रतिनिधिक भ्रमण जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन गोष्ठी पर विदेश जाने वाले अधिकारियों की होटल हकदारी उनकी सामान्य हकदारी से एक स्तर नीचे थी। पुनः, यदि किसी अधिकारी को सरकारी अतिथि के रूप में मान्यता दी गई और मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया हो तो केवल 25 प्रतिशत डी ए ही अनुमन्य था और यदि होटल प्रभारों में सुबह का अल्पाहार भी सम्मिलित था, तो डी ए को 10 प्रतिशत घटा दिया जाना था।

समय-समय पर संशोधित राज्य सरकार के आदेश(जनवरी 1989)के अनुसार,राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू)/निगमों के कर्मचारियों को विदेश दौरों के दौरान डी ए की दरें वहीं होंगी जैसी केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए नियत की गई थीं ।

सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में, छः कम्पनियों ने विदेश दौरों पर अतिरिक्त दैनिक भत्ते का भुगतान किया

राज्य सरकार ने संज्ञान लिया कि कुछ निगमों / पी एस यू के प्रकरण में, कर्मचारियों/ अधिकारियों ने केन्द्र सरकार द्वारा विदेश दौरों के लिये नियत किये गये डी ए से अधिक का आहरण किया । तद्नुसार, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने सभी पी एस यू/ निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये (दिसम्बर 1998)कि राज्य पी एस यू /निगमों के कर्मचारियों को विदेश दौरों के दौरान डी ए की दरें वही होगीं जैसा कि विदेश विभाग,भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु उनके विदेश दौरों के लिये समय-समय पर नियत की गई थीं ।यदि किसी भी प्रकरण में भारत सरकार द्वारा नियत दरों से अधिक डी ए आहरित किया गया हो तो

अतिरिक्त राशि सम्बन्धित अधिकारियों /कर्मचारियों से 31 जनवरी 1999 तक वसूल की जानी थी ।

छः कम्पनियों के अभिलेखों की जाँच ने प्रगट किया(1999-2000)कि निम्न कम्पनियों के 33 अधिकारियों ने (विवरण नीचे दिये गये हैं)नवम्बर 1996 से मार्च 1998 के दौरान विभिन्न देशों का भ्रमण किया। उनके द्वारा दावा एवं आहरित किये गये दैनिक भत्ते राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, भारत सरकार द्वारा नियत की गई दर से बहुत अधिक थे ।

क्रम संख्या	कम्पनी/निगम का नाम	अधिकारियों की संख्या जिन्होंने विदेश भ्रमण किया	अवधि	आहरित अतिरिक्त डी ए (लाख रुपये में)
1	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	5	जनवरी 1997 से जनवरी 1998	1.66
2	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	4	जनवरी 1997 से अक्टूबर 1997	3.62
3	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	9	नवम्बर 1996से अगस्त 1998	8.73
4	दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड(पिकप)	1	जुलाई 1997	1.10
5	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	8	नवम्बर 1996 से मार्च 1998	6.70
6	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	6	7 जनवरी 1997से 15 नवम्बर 1997	2.18
	योग	**33**		**23.99**

इसके परिणामस्वरूप, 23.99 लाख रुपये की सीमा तक के दैनिक भत्ते का अतिरिक्त भुगतान हुआ । इस राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से अब तक (जुलाई 2000)नहीं की गई ।

I. दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ यू पी (पिकप)के प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा द्वारा इंगित की गई (अगस्त 2000)वसूली को स्वीकार कर लिया और तद्नुसार शासन को सूचित कर दिया । तथापि, प्रबन्धन द्वारा अब तक (अगस्त 2000)कोई वसूली आरम्भ नही की गई ।

II. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्धन ने बताया(जुलाई 2000)कि शासनादेश दिनांक 11.11.1996 जिसके द्वारा विदेश दौरे की डी ए की दरें जारी की गई थीं, में होटल का किराया, स्थानीय यात्रा भत्ता आदि सम्मिलित नहीं था । इस विसंगति को दूर करने के लिए निगम ने विदेश भ्रमण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दैनिक दरों को संशोधित कर दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिकारी से, अनुमोदित सूची के किसी होटल में आवास की व्यवस्था और कमरे के वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति का दावा करने की अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार, सरकारी कार्य पर यात्रा

के लिए किराये की टैक्सी अथवा वाहन का वास्तविक खर्च जिसे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा आवश्यक और उचित समझा गया हो, की प्रतिपूर्ति अधिकारियों को, स्वीकृति आदेश में निधियों के विशिष्ट प्राविधान के अन्तर्गत की जानी चाहिए। अतः, अधिकारियों को संपुटित दरों की अनुमति देना उचित नही था ।

III. सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों (उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड)के प्रकरण में उनके प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2000) कि विदेश दौरे के दौरान डी ए के अतिरिक्त आहरण की वसूली के आदेश जारी किए जा चुके थे। तथापि, डी ए की अतिरिक्त राशि की वसूली प्रतिक्षित थी (जुलाई 2000)।

IV. उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड के प्रबन्धन ने कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया (जुलाई 2000)।

V. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अभिलेखों से यह देखा गया कि श्री एस.पी. सिंह, विशेष सचिव,राज्य सरकार को उनके विदेश दौरे के लिए दिया गया (जून 1997) 1.32 लाख रुपये का एक अग्रिम अनिस्तारित पड़ा था (जुलाई 2000)।

प्रकरण, उपरोक्त कम्पनियों एवं शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2000)।

4ब. सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

4ब.1 बैंक की व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करने में डिपो प्रबन्धकों की विफलता

बैंकों द्वारा निगम के मुख्य खाते में निधियों के अन्तरण के अनुश्रवण में प्रबन्धन की विफलता के परिणामस्वरूप 0.19 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज की हानि हुई ।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ तय की गई (फरवरी 1997) बैंकिंग व्यवस्थाओं की शर्तों में,डिपो के संचय खातों में 5000 रुपये से अधिक के सभी अवशेषों को क्षेत्रीय संचय खाते में और अन्त में ब्याज की हानि को बचाने के लिये सप्ताह में दो बार निगम के मुख्यालय खाते में अन्तरित करना होता था। निधियों के अन्तरण की पद्धति के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि बैंकों द्वारा ड्राफ्टों का वितरण निगम/डिपो के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किया जाएगा और मेल अन्तरण वाहक/पंजीकृत डाक के द्वारा भेजा जाएगा। डिपो प्रबन्धकों का यह कर्तव्य था कि वह न्यूनतम अवशेष छोड़ते हुए सम्पूर्ण धनराशि का संचय खाते से नियमित रूप से अन्तरण सुनिश्चित करें।

निगम, डिपो से मुख्यालय को निधियों के प्रेषण का अनुश्रवण करने में विफल रहा

निगम के तीन क्षेत्रों (इलाहाबाद,गाजियाबाद एवं मेरठ)के नौ डिपों के अभिलेखों की नमूना जाँच ने प्रगट किया (1998-99) कि बैंक प्रत्येक सप्ताह के नियत किये दिन पर क्षेत्र के संचय खाते में 5000 रुपये से अधिक के अवशेषों को अन्तरित करने में विफल रहा। डिपो प्रबन्धक भी तय की गई व्यवस्था का अनुश्रवण करने मे विफल रहे। परिणामस्वरूप, बैंक द्वारा चालू खाते में भारी अवशेष अनुमत दिनों से अधिक दिनों तक रोके रखा गया जिससे 18.91 लाख रुपये की राशि के ब्याज की हानि हुई।

उत्तर में, प्रबन्धन ने बताया (जून 2000) कि निगम के सभी क्षेत्रों को समझौते के प्रावधानों के अनुसार निधियों के अन्तरण पर दृष्टि रखने के निर्देश दिये जा चुके थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन उनके द्वारा ही दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करनें में विफल रहा।

प्रकरण, शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

4ब.2 अलाभकारी इकाई के वित्त पोषण के कारण हानि

लाभप्रदता सुनिश्चित किए बिना परियोजना के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 1.30 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली नहीं हो सकी।

निगम ने के.डी. मेटलाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड को फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में बैंगल

मेटलाइजिंग संयंत्र को संस्थापित करने हेतु मई 1991 में एक सावधिक ऋण तथा जून 1992 में एक अतिरिक्त ऋण को मिला कर कुल 25.14 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जिसके विरुद्ध जुलाई 1992 तक 24.15 लाख रुपये का वितरण किया गया ।

परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदन(पी ए आर)के अनुसार इकाई की संस्थापना, बैंगल मेटलाइजिंग हेतु तरल स्वर्ण का प्रयोग करने वाली मूल्यवान सुनहरी पालिश के स्थान पर, जाब कार्य के आधार पर रसायनों का प्रयोग करते हुये, की जानी थी। आर्थिक और वाणिज्यिक कारकों का मूल्यांकन इस आधार पर किया गया कि जाब कार्य शिकोहाबाद में सुगमता से उपलब्ध होंगे जो फिरोजाबाद शहर से मात्र 20 किलोमीटर दूर था जहाँ काफी संख्या में चूड़ी बनाने के उद्योग, ग्रामीण एवं लघु क्षेत्रों में पहले से ही स्थापित थे। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित इकाई, फिरोजाबाद की छः पार्टियों से जाब कार्य के आधार पर 17300 गुरूस चूड़ियों पर मेटलाइजिंग हेतु आश्वासन-पत्र पहले ही अभिप्राप्त कर चुकी थी । परियोजना, 300 कार्य दिवसों की तीन पालियों पर 189000 गुरूस प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत उपयोजन से 31.84 प्रतिशत के ब्रेक इवेन प्वाइंट(बी ई पी) पर व्यवहारिक होने के लिए संकल्पित थी ।

इकाई, प्रारम्भ से ही देयों के पुनर्भुगतान में विफल रही । परिणामस्वरूप, निगम ने राज्य वित्तीय निगम (एस एफ सी)अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत, इकाई के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी (जून 1993)। निगम के संज्ञान में यह भी आया कि फैक्टरी एक तीसरी पार्टी को किराये में दे दी गई थी । अधिसूचना के जारी होने पर प्रवर्तकों ने न्यायालय में एक प्रतिवाद दायर किया जिसे नवम्बर 1993 में खारिज कर दिया गया। इकाई, फरवरी 1994 में अधिग्रहीत कर ली गई और 0.22 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के संयंत्र एवं मशीनरी फैक्टरी से गायब पाये गये जिसके लिये मार्च 1994 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शेष संयंत्र एवं मशीनरी को दिसम्बर 1994 में 6.75 लाख रुपये में बेच दिया गया। भूमि और भवन जिनका मूल्य 6.15 लाख रुपये था (मई 1998)को अब तक (अप्रैल 2000) बेचा नहीं जा सका।

निगम ने ऋण की स्वीकृति से पूर्व परियोजना की जीव्यता सुनिश्चित नहीं की

ऐसी परियोजना को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जो संस्थापित क्षमता के 9.15 प्रतिशत के समकक्ष उपलब्ध जाब आदेशों (17300 गुरूस) द्वारा लाभप्रद हुई परियोजित की गई थी, जबकि इकाई, 70 प्रतिशत क्षमता उपयोजन के 31.84 प्रतिशत पर ब्रेक ईवेन करती,गलत था। श्रमिक एवं कच्चे माल की समस्या के कारण, इकाई न तो भली-भांति चल सकी और न ही बेची जा सकी। परिणामस्वरूप, 1.36 करोड़ रुपये (संयंत्र और मशीनरी की बिक्री के समायोजन के उपरान्त)के बकायों (20 जून 2000 तक)की वसूली अब तक (जुलाई 2000)नहीं की जा सकी जिससे भूमि और भवन का मूल्य घटाने के पश्चात 1.30 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2000)कि परियोजना के मूल्यांकन के समय परिकल्पना की गई थी कि जाब कार्य फिरोजाबाद से उपलब्ध हो जाएगा। तथापि, भविष्य में वे अधिक सावधान रहेंगे। एक ओर लेखा परीक्षा का दृष्टिकोण स्वीकार करते हुए, उन्होंने पुनः बताया (मई 2000) कि प्रवर्तकों की व्यक्तिगत जमानत का हरण अप्रैल 2000 में किया गया था और ऋणी के भूमि और भवन का विक्रय करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे थे।

प्रकरण, शासन को सूचित किया गया (मई 2000); उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4ब.3 देयों की वसूली में प्रबन्धन की विफलता

इकाई पर कब्जा करने में विलम्ब के साथ-साथ वसूली प्रमाण-पत्र के समय से जारी किये जाने में निगम की विफलता के परिणामस्वरूप 0.86 करोड़ रुपये की राशि के देयों की वसूली नहीं हुई।

निगम ने इन्डो अमेरिकन ट्रेड्स,अलीगढ़ (एक साझेदारी फर्म)को शीतल एवं उष्ण दोनों रिट्रीडिंग प्रक्रमों वाले एक टायर रिट्रीडिंग संयंत्र की संस्थापना हेतु मार्च 1991 में एक सावधिक ऋण तथा अक्टूबर 1991 में एक अतिरिक्त ऋण मिलाकर कुल 26.40 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। चूंकि फर्म, केवल शीतल रिट्रीडिंग प्रक्रम के संयंत्र की संस्थापना ही कर सकी, निगम ने स्वीकृत ऋण के विरुद्ध केवल 21.52 लाख रुपये का वितरण किया ।

निगम, ऋणी द्वारा देयों के भुगतान न किये जाने के बावजूद भी इकाई का कब्जा लेने में विफल रहा

फर्म पुनर्भुगतान में आरम्भ से ही दोषी हो गई। निगम ने अक्टूबर 1993 में अनुस्मरण नोटिस जारी कर दी। चूंकि, फर्म ने अनुस्मरण नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लोक धन बकाया वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाणपत्र (आर सी) जारी किया गया (फरवरी 1994) जिसे राजस्व प्राधिकारियों द्वारा 'कुछ समय के उपरान्त पुनः भेजा जाए' की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। यद्यपि, निगम द्वारा स्वयं इस प्रकार की सम्भावना व्यक्त की गई थी कि फर्म देयों के पुनर्अनुसूचन के पश्चात भी देयों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगी तो भी पुनर्अनुसूचन की सुविधा दिसम्बर 1994 से प्रदान की गई थी। फर्म, पुनर्अनुसूचन के अनुसार देयों का भुगतान करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, जुलाई 1995 में एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत इकाई के अधिग्रहण हेतु एक नोटिस जारी की गई जिसके विरुद्ध फर्म न्यायालय में गई जिसने एक आदेश पारित किया (अगस्त 1996) कि फर्म, पुनर्अनुसूचन के अनुसार नियमित भुगतान के अतिरिक्त निगम को 2.71 लाख रुपये की एक धनराशि का तीन किश्तों में भुगतान करेगी अन्यथा निगम एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत वसूली हेतु कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। फर्म ने न्यायालय के आदेशों के अनुसार भुगतान करने के स्थान पर निगम के साथ एक मुश्त समाधान (ओ टी एस) हेतु सम्पर्क किया जिसे जनवरी 1997 में अनुमोदित कर दिया गया परन्तु

फर्म द्वारा उसका पालन नहीं किया गया। ओ टी एस को निरस्त कर दिया गया और दिसम्बर 1997 में धारा 29 के अन्तर्गत पुनः नोटिस जारी कर दी गई। नोटिस के जारी होने पर, प्रवर्तकों ने ओ टी एस के पालन हेतु इकाई को स्वयं के द्वारा बेचे जाने की अनुमति मांगते हुए निगम से पुनः सम्पर्क किया। तब तक (मार्च 1998), इकाई को राजस्व प्राधिकारियों द्वारा यू पी एस ई बी के बकायों के विरुद्ध कुर्क कर लिया गया और निगम कुछ अनभिलेखित पेचीदगियों के कारण इकाई का अधिग्रहण नहीं कर सका। तथापि, अगस्त 1999 तक आर सी पुनः जारी नही की गई।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 1999) कि निगम वसूली प्रमाण पत्र को समय से पुनः जारी करने में विफल रहा, पुनर्अनुसूचन की पक्षपातपूर्ण ढंग से अनुमति दी एवं न्यायालय के आदेशों के बावजूद एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत कार्यवाही करने में विलम्ब किया। परिणामस्वरूप, इकाई का अधिग्रहण नहीं किया जा सका और निगम 86.31 लाख रुपये के अपने देयों की वसूली अब तक (जुलाई 2000) नहीं कर सका। व्यक्तिगत गारण्टी का हरण अब तक नहीं किया गया था (जुलाई 2000)।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (जुलाई 2000)में लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों पर स्वीकार्य करने योग्य कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण, शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नही हुआ (जुलाई 2000)।

4ब. 4 अग्रिम आयकर का गलत निर्धारण

आयकर देयता के अशुद्ध आंकलन के परिणामस्वरूप अग्रिम आयकर का अतिरिक्त भुगतान हुआ जिस पर 0.63 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज की हानि हुई।

आयकर अधिनियम की धारा 211 के अनुसार, अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत संगणित वर्तमान आय पर अग्रिम आयकर वित्तीय वर्ष में 15 जून, सितम्बर,दिसम्बर एवं मार्च को या उससे पूर्व क्रमशः 15,30,30 एवं 25 प्रतिशत की चार किश्तों में देय होता है ।

आयकर देयता के अशुद्ध आंकलन के परिणामस्वरूप अग्रिम आयकर का अतिरिक्त भुगतान हुआ

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 1999) कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान, निगम ने अग्रिम कर की पहली किश्त का भुगतान नहीं किया । द्वितीय किश्त से पूर्व, निगम ने 5.00 करोड़ रुपये के लाभ का आंकलन किया । अग्रिम कर का भुगतान करते समय, निगम ने संपूर्ण लाभ को वर्ष की आयकर देयता के रूप में मान लिया और तद्नुसार आयकर विभाग को 2.25 करोड़ रुपये (45 प्रतिशत) का भुगतान कर दिया जबकि उस समय पर 2.00 करोड़ रुपये की कुल आयकर देयता पर (लाभ का 40 प्रतिशत) आधारित अग्रिम कर देयता, केवल 90लाख रुपये ही होती थी।

इसके परिणामस्वरूप, सितम्बर 1996 में 1.35 करोड़ रुपये के अग्रिम कर का अधिक भुगतान हुआ। निगम ने अग्रिम कर की तीसरी और चौथी किश्त का भुगतान नहीं किया।

आवश्यकता से अधिक अग्रिम कर के भुगतान के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई

आयकर विभाग में जमा की गई आयकर विवरणी के अनुसार, निगम ने 12.81 करोड़ रुपये की हानि उठाई। इसलिए 2.25 करोड़ रुपये के अग्रिम कर की सम्पूर्ण राशि वापसी योग्य थी। अतः लाभ की स्थिति व अग्रिम कर देयता की उचित रूप से छानबीन किये बिना अग्रिम आय कर का भुगतान किये जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप अग्रिम कर का परिहार्य भुगतान हुआ। फलस्वरूप, इस राशि का ऋण के वितरण में उपयोजन नहीं किया जा सका जिससे जुलाई 2000 तक 17.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत ऋण दर पर, इसका विचार करते हुये कि आयकर विभाग अप्रैल 1997 से वापसी योग्य धनराशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज प्रदान करेगा, 62.57 लाख रुपये के ब्याज की आय की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2000) कि 2.25 करोड़ रुपये का अग्रिम कर 5.00 करोड़ रुपये की कर देयता पर आगणित किया गया था और साथ ही स्वीकार किया कि यह निर्णय की एक त्रुटि थी। तथापि, कोई दुराशय सन्निहित नहीं थे क्योंकि धनराशि एक अन्य सरकारी विभाग को भुगतान की गई थी। उत्तर अपवंचनीय था क्योंकि अभिलेखीय साक्ष्य ने प्रगट किया कि लाभ 500 लाख रुपये मान लिया गया था और न कि कर देयता।

प्रकरण, शासन को मार्च 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2000)।

4ब.5 ऋण का अनियमित वितरण

औषधि लाइसेन्स, विद्युत और बैंक द्वारा कार्यशील पूँजी ऋण की स्वीकृति को सुनिश्चित किये बिना ऋण के वितरण के परिणामस्वरूप 0.40 करोड़ रुपये की हानि हुई।

निगम ने विसोवेल रेमेडीज (प्रा.)लिमिटेड, इलाहाबाद को नेत्र ड्राप्स, नेत्र मलहम, सीरप आदि के निर्माण हेतु एक इकाई की संस्थापना के लिए 8.12 लाख रुपये का एक सावधिक ऋण स्वीकृत किया (सितम्बर 1990)और संयंत्र एवं मशीनरी की मुख्य प्रतिभूति तथा प्रवर्तकों के आवासीय भवन की सहायक प्रतिभूति के विरुद्ध 8.03 लाख रुपये वितरित कर दिये (जून 1991)।

ऋणी ने विद्युत संयोजन, औषधि लाइसेन्स और बैंक से कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त नहीं किया

प्रवर्तकों ने सभी संयंत्र एवं मशीनरी की संस्थापना कर ली परन्तु विद्युत संयोजन, औषधि लाइसेन्स एवं बैंक से कार्यशील पूँजी की अनुपलब्धता के कारण फैक्टरी आरम्भ नहीं कर सके। पार्टी द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इकाई को सुविधा देने के लिए जून 1993 में 6.60 लाख रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण (डब्ल्यू सी टी एल) स्वीकृत कर दिया गया जिसके विरुद्ध 5.61 लाख रुपये का वितरण किया गया। तथापि, 5.61 लाख रुपये में से 2.00 लाख रुपये अतिदेयों के विरुद्ध

समायोजित कर लिये गये, अतैव कार्यशील पूँजी की समस्या का निदान नहीं किया जा सका और इकाई ठीक से नहीं चल सकी तथा निगम के देयों का पुनर्भुगतान करने में विफल रही।

निगम ने एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी की (मार्च 1995)परन्तु इकाई का पाँच वर्षों के बीत जाने के बाद भी अधिग्रहण नहीं किया (जुलाई 2000)। जब जनवरी 1999 में इकाई के विक्रय हेतु विज्ञापन दिया गया, प्रवर्तकों ने निगम से एक मुश्त समाधान (ओ टी एस) के लिये सम्पर्क किया (फरवरी 1999)जिसे ब्याज (20 दिसम्बर 1998 तक) सहित 43.55 लाख रुपये के कुल देयों के विरुद्ध 20 लाख रुपये पर अनुमोदित कर दिया गया। तथापि, प्रवर्तकों ने ओ टी एस का पालन नहीं किया। इसलिए ओ टी एस को निरस्त कर दिया गया और मार्च 2000 में व्यक्तिगत गारण्टी का आवाहन् किया गया।

निगम, ऋण के अंतिम वितरण किये जाने से पूर्व वितरण-पूर्व शर्तों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहा

प्रवर्तक, औषधि लाइसेन्स हेतु आवेदन करने के अपेक्षित थे और विद्युत का संयोजन 50 प्रतिशत डब्ल्यू सी टी एल के वितरण के पूर्व कराया जाना था। लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर 1999)कि निगम द्वारा उपरोक्त वितरण-पूर्व शर्तों के पालन को सुनिश्चित नहीं किया गया था और विद्युत संयोजन, औषधि लाइसेन्स एवं बैंक से डब्ल्यू सी टी एल की अनुपलब्धता की ओर ध्यान नहीं दिया गया यद्यपि यह वितरण के चरण में सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 29 के अन्तर्गत कार्यवाही करने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप मुख्य एवं सहायक प्रतिभूति की परिसम्पत्तियों में ह्रास हुआ और देयों में 58.04 लाख रुपये (जून 2000)की सीमा तक वृद्धि हुई। अतः, ऋण का अनियमित वितरण, निगम के पास उपलब्ध 17.65 लाख रुपये की सहायक प्रतिभूति के मूल्य को छोड़कर 40.39 लाख रुपये की हानि में परिणामित हो चुका था।

प्रबन्धन ने अप्रैल 2000 के अपने उत्तर में कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया।

प्रकरण, शासन को मार्च 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2000)।

4ब.6 अनियमित विधिक प्रलेखन के कारण देयों की वसूली न होना

निगम, मूल अधिकार पत्रक का सत्यापन न किये जाने के कारण 0.56 करोड़ रुपये की राशि के देयों की वसूली करने में विफल रहा।

निगम ने श्री अलंकार फार्मेसी, कानपुर को स्वरूप नगर, कानपुर स्थित प्रवर्तकों के आवासीय गृह युक्त फैक्ट्री भवन (1834 वर्ग गज भूमि) के साम्यिक बंधक के विरुद्ध 25 लाख रुपये के कार्यशील पूँजी सावधि ऋण (डब्ल्यू सी टी एल) का वितरण किया (जून 1995)।

ऋणी प्रारम्भ से ही पुनर्भुगतान करने में विफल रहा और उनके द्वारा दिये गये अधिकतर चेक

निगम द्वारा, ऋणी के विभिन्न चेकों के अनादरण के बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्यवही नहीं की गई

लौटा दिये गये। यद्यपि, चेकों का लौटाया जाना निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है, निगम, कार्यवाही करने के स्थान पर ऋणी द्वारा किये गये वायदों के अनुसार देयों के निस्तारण हेतु प्रयत्न करता रहा। जब उनके द्वारा दिये गये चेक पुनः लौटा दिये गये, निगम ने स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत इकाई के अधिग्रहण की नोटिस जारी कर दी (अगस्त 1996) परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में मार्च 1997 में इकाई का अधिग्रहण कर लिया गया। जब निगम के पास बंधक रखी गई परिसम्पत्तियों के विक्रय हेतु एक विज्ञापन दिया गया (जुलाई 1997), सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, मेस्टन रोड, कानपुर ने सूचित किया कि विक्रय हेतु विज्ञापित संपत्ति वर्ष 1973 के देयों के विरुद्ध पहले से ही उनके पास बंधक थी।

निगम ऋण वितरण के पूर्व बन्धक सम्पत्ति के मूल अधिकार प्रपत्रों को सत्यापित करने में विफल रहा

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 1999) कि निगम ने बंधक रखी हुई सम्पत्ति की प्रतिभूति को निबन्धित वसीयत और शपथ-पत्रों के आधार पर स्वीकार कर लिया जबकि निगम को डब्ल्यू सी टी एल की निर्मुक्ति से पूर्व बंधक रखी जाने वाली सम्पत्ति के मूल अधिकार प्रपत्रों को सत्यापित करना चाहिए था। तथापि, निगम ने मूल अधिकार प्रपत्रों का सत्यापन नहीं किया और भूमि को तत्पश्चात उनके ऋण के विरुद्ध सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, मेस्टन रोड, कानपुर के पास बंधक पाया गया। इसके अतिरिक्त, बंधक रखी गई 1834 वर्ग गज भूमि में से 320 वर्ग गज माप का सामने का हिस्सा मार्च 1993 में पहले ही एक पार्टी को बेचा जा चुका था। अतः निगम, ऋणी द्वारा प्रस्तुत की गई असत्य सूचना को पकड़ पाने/सत्यापित कर पाने में न केवल विफल रहा अपितु उसने इकाई के निरीक्षण के समय सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक कब्जे का सत्यापन भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, 15 जुलाई 2000 तक के 55.72 लाख रुपये के देयों (मूलधनः 25.00 लाख रुपये, ब्याजः29.67 लाख रुपये एवं व्ययः 1.05 लाख रुपये) की वसूली नहीं की जा सकी। प्रबन्धन द्वारा ऐसी भूल के लिए कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया (मार्च 2000)।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2000) कि ऐसी धोखेबाजी की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिये, जारी करने वाले प्राधिकारी से अभिलेखों का सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश/परिपत्र जारी किये जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, निगम 1514 वर्ग गज माप की भूमि के मूल्य (80 लाख रुपये) में से 50 लाख रुपये (लगभग) के अपने देय की वसूली करेगा क्योंकि सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, निगम के पक्ष में अधिकारों का स्थानापन्न करने के लिये सहमत हो गया। उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योंकि 1514 वर्ग गज माप की भूमि की बिक्री हेतु प्राप्त 52 लाख रुपये का एक प्रस्ताव निगम द्वारा ठुकरा दिया गया था और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से स्थानापन्न प्राप्त नहीं किया जा सका (जुलाई 2000)।

प्रकरण, शासन को मार्च 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (जुलाई 2000)।

4ब.7 परियोजना के दोषपूर्ण मूल्यांकन एवं इकाई के अधिग्रहण में असाधारण विलम्ब के कारण हानि

परियोजना के गलत मूल्यांकन एवं इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप, देय 1.39 करोड़ रुपये तक बढ़ गये जिनकी वसूली संदिग्ध थी।

निगम ने रोशन आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज (प्रा.) लिमिटेड को एक दोषी इकाई की भूमि एवं भवन 6.01 लाख रुपये में बेचा (मार्च 1986)जिसमें 1.51 लाख रुपये का तत्काल तथा शेष का भुगतान किश्तों में किया जाना था ।

परियोजना के मूल्यांकन के चरण में बिक्री कर में छूट की अनुपलब्धता एवं जल की निम्न गुणवत्ता पर विचार नहीं किया गया

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 1999) कि निगम ने फरवरी से अक्टूबर 1987 के दौरान भवन के नवीनीकरण एवं हिम संयंत्र हेतु संयंत्र एवं मशीनरी के क्रय के लिये 13.09 लाख रुपये वितरित किये। स्वीकृति और वितरण के समय नोएडा में हिम संयंत्र की संस्थापना प्रतिबन्धित थी। इसके अतिरिक्त, नोएडा में उपलब्ध जल की गुणवत्ता स्तरीय नहीं थी और एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत निगम से इकाई के क्रय के प्रकरण में बिक्री कर की छूट भी अनुमन्य नहीं थी। निगम द्वारा परियोजना के मूल्यांकन (अगस्त 1986)के चरण में इन तथ्यों पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया था।

इकाई के विलम्बित कब्जे के परिणामस्वरूप देयों में बढ़ोत्तरी हो गई

इकाई, मुख्यतः बिक्री कर में छूट की अनुमति न होने एवं खराब गुणवत्ता की बर्फ के उत्पादन के कारण रुग्ण हो गई और पुनर्भुगतान में प्रारम्भ से ही दोषी हो गई। निगम ने इकाई का कब्जा प्राप्त करने के लिए एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस (फरवरी 1988) जारी कर दी। तथापि, इकाई के कब्जे में लेने की कार्यवाही अगस्त 1995 में ही की गई जब इसे राजस्व विभाग द्वारा व्यापार कर और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के देयों के विरुद्ध पहले ही जब्त कर दिया गया था। इकाई की परिसम्पत्तियों पर प्रथम धारणाधिकार रखते हुए भी, निगम आगे की वसूली कार्यवाही आरम्भ नहीं कर सका और जुलाई 2000 तक के 1.39 करोड़ रुपये के कुल देयों (स्थगित देयताओं, ऋण, ब्याज और व्यय सहित) की वसूली नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत गारण्टी का विलम्ब से मई 2000 में आह्वान किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2000) कि निगम की सम्बन्धित समिति के समक्ष प्रस्ताव, यह उल्लेख करते हुये कि मद नोएडा में प्रतिबन्धित था, और इस पर विशेष प्रकरण के रूप में विचार किया जा सकता था, प्रस्तुत किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रतिबन्धित मदों के प्रस्ताव की स्वीकृति मूलतः गलत थी।

प्रकरण, शासन को मार्च 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2000)।

4ब.8 एक फर्म को कार्यशील पूँजी सावधि ऋण की निर्मुक्ति में अनुचित लाभ पहुंचाना

पूर्ववर्ती ऋण के विरुद्ध प्राप्त चेक को भुनाये बिना तथा सहायक प्रतिभूति के अभिलेखों के सत्यापन के बिना डब्ल्यू सी टी एल के वितरण के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये की हानि हुई।

निगम ने इस्पात उद्योग, नैनी, इलाहाबाद को एल्यूमिनियम चैनेल और स्ट्रिप्स के निर्माण हेतु एक रोलिंग मिल की स्थापना के लिये 28.38 लाख रुपये वितरित किये। इसने 48 लाख रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण (डब्ल्यू सी टी एल) भी पूर्ववर्ती ऋण के विरुद्ध 16.30 लाख रुपये के बकायों के भुगतान तथा वितरण से पूर्व सहायक प्रतिभूति प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर स्वीकृत किया (अक्टूबर 1996)।

सहायक प्रतिभूति के स्वामित्व अभिलेख सत्यापन पर जाली सिद्ध हुए

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 1999)कि प्रवर्तकों द्वारा देयों के विरुद्ध जमा किया गया 16.30 लाख रुपये का चेक बैंक द्वारा लौटा दिया गया। तथापि, निगम ने निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के बजाय पूर्ववर्ती सावधि ऋण के अतिदेयों का समायोजन करते हुये डब्ल्यू सी टी एल का वितरण कर दिया और चार भूखण्डों (मोइनुद्दीन, करछना-इलाहाबाद) की सहायक प्रतिभूति प्राप्त कर ली। डब्ल्यू सी टी एल प्राप्त करने के पश्चात, प्रवर्तक किसी अन्य जाली बैंक ड्राफ्ट प्रकरण में लिप्त पाये जाने के कारण गायब हो गये। निगम ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत इकाई को कब्जे में ले लिया (जुलाई 1997)। जब भूखण्डों की बिक्री हेतु विज्ञापन दिया गया (दिसम्बर 1998), निगम के संज्ञान में आया कि सहायक प्रतिभूति भी जाली थी। इकाई 27 लाख रुपये में बेच दी गई (फरवरी 1999)।

अतः, अतिदेयों के विरुद्ध चेक को भुनाये बिना डब्ल्यू सी टी एल का वितरण एवं सहायक प्रतिभूति के प्रपत्रों के सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरूप 100.48 लाख रुपये (जुलाई 2000 तक मूलधन: 22.00 लाख रुपये, ब्याज: 76.46 लाख रुपये एवं अन्य व्यय: 2.02 लाख रुपये) की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (मई 2000) कि निगम द्वारा प्रकरण में छानबीन की गई और यह पाया गया कि मूल ऋणी ने निगम को सहायक प्रतिभूति के जाली विधिक प्रपत्र/अभिलेख प्रस्तुत किये थे। निगम द्वारा एक जाँच सम्पन्न की गई और ऋणी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योंकि निगम डब्ल्यू सी टी एल के वितरण से पूर्व, ऋणी द्वारा प्रस्तुत की गई सहायक प्रतिभूति के जाली प्रपत्र/अभिलेखों का सत्यापन करने में विफल रहा।

प्रकरण, शासन को मार्च 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2000)।

उत्तर प्रदेश जल निगम

4ब.9 जलाशयों के निर्माण पर निधियों का अवरोधन

वन अधिनियम के संहिता प्राविधानों का पालन न करने के कारण तीन जलाशयों के निर्माण पर किया गया 0.64 करोड़ रुपये का व्यय अवरुद्ध रहा।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार, वनेत्तर अभिप्रायों हेतु वन भूमि के प्रयोग के लिये केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक है। इन प्राविधानों के उल्लंघन में, निगम की देहरादून इकाई ने मसूरी में पेय जल उपलब्ध कराने हेतु मसूरी-देहरादून पेय जल योजना के एक अंश के रूप में विन्सेट हिल, मसूरी में विभिन्न अन्तरालों पर 4000 किलो लीटर क्षमता प्रत्येक के तीन जलाशयों (डब्ल्यू आर)के निर्माण का कार्य लिया (1992)।

वनभूमि में निर्माण गतिविधियों हेतु सांविधिक प्राविधानों का पालन नहीं किया गया

अभिलेखों की नमूना जाँच ने प्रगट किया कि निगम की देहरादून इकाई ने विन्सेट हिल, मसूरी में वन भूमि (1.24 एकड़) पर दो जलाशयों (डब्ल्यू आर) का निर्माण किया। निगम ने कार्यारम्भ से पूर्व न तो वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और न ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया। जबकि तीसरे डब्ल्यू आर पर निर्माण कार्य चल रहा था (जनवरी 1997), वन विभाग ने निगम से कार्य बन्द करने (सितम्बर 1998) एवं केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कहा। तथापि, निगम ने खण्डीय वनाधिकारी, मसूरी को वन भूमि की अनापत्ति हेतु प्रस्ताव काफी विलम्ब से जनवरी 1998 में प्रस्तुत किया । उस समय तक निगम, तीन जलाशयों के निर्माण पर 64 लाख रुपये का व्यय पहले ही कर चुका था जिनमें से दो डब्ल्यू आर पूर्ण थे और तीसरा डब्ल्यू आर तब तक पूर्ण नहीं था । अतः, मसूरी में पेय जल की आपूर्ति का मुख्य लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और 64 लाख रुपये का व्यय अवरुद्ध रहा तथा नागरिकों को सुविधा नहीं दे पाया (सितम्बर 2000)।

0.64 करोड़ रुपये अपूर्ण योजना में अवरुद्ध रहे

प्रकरण, शासन को जून 2000 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2000)।

4ब.10 वर्क चार्ज कर्मचारियों पर परिहार्य व्यय

निगम, नगर निगम से पम्प प्रचालकों के वेतन एवं भत्तों के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये एक समझौता निष्पादित करने में विफल रहा जिससे 0.36 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 0.36 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ

निगम की गोरखपुर इकाई ने नगर निगम, गोरखपुर को दस जल पम्पिंग संयंत्र (1992 में 7 और 1999 में 3) हस्तांतरित किये। तथापि, यह संयंत्र निगम के 20 वर्क चार्ज प्रचालकों द्वारा प्रचालित किये जाते रहे। यद्यपि, वेतन एवं भत्तों की प्रतिपूर्ति के लिये पारस्परिक सहमति थी, निगम ने

प्रचालकों के वेतन एवं भत्तों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में नगर निगम से कोई समझौता निष्पादित नहीं किया। इसने 1992-93 से नवम्बर 1999 तक उन्हें हटाने से पूर्व उनके वेतन एवं भत्तों पर 36.14 लाख रुपये का व्यय किया। जब अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर द्वारा मामला नगर निगम से उठाया गया (अप्रैल 1999), नगर निगम ने उनके साथ किसी समझौते के विद्यमान न होने के कारण प्रभारों की प्रतिपूर्ति से इन्कार कर दिया (मई 1999)।

अतः, नगर निगम के साथ एक समझौता निष्पादित करने में अपनी विफलता के कारण, निगम को 36.14 लाख रुपये का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

प्रकरण, शासन को मई 2000 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नही हुआ (जुलाई 2000)।

रमा मुरली

लखनऊ,
30-अप्रैल-2001

(रमा मुरली)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - II
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली,
04 मई 200.

(वी. के. शुंगलू)
भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक

परिशिष्ट – 1

(प्रस्तर संख्या 1.2.1 व 1.4 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2000 को पूँजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूँजी, अन्य ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम	चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोष्ठक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धनराशि को इंगित करते हैं)					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण[56]	1999–2000 की समाप्ति पर बकाया ऋण[57]			1999–2000 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(य)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनियाँ	अन्य	योग	अंशपूँजी	ऋण		सरकारी	अन्य	योग	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
अ.	सरकारी कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	3667.17	332.83	–	–	4000.00	–	–	–	1000.00	–	1000.00	0.25:1 (–)
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	44.00 (243.50)	6.00	–	–	50.00 (243.50)	–	–	–	109.75	–	109.75	0.37:1 (0:37:1)
3.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	146.85 (126.00)	–	–	–	146.85 (126.00)	–	–	–	217.33	–	217.33	0.80:1 (0.22:1)
4.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25	–	–	33.05 (0.19)	71.30 (0.19)	–	–	–	–	–	–	– (–)

56 बाण्ड, डिबेंचर, अन्तर निगम जमा को शामिल करके।

57 1999–2000 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
5.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50	–	–	10.82 (0.27)	61.32 (0.27)	–	–	–	–	–	–	– (–)
6.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73	–	–	8.11 (0.44)	30.84 (0.44)	–	–	–	–	–	–	– (–)
7.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30	–	–	8.00	23.30	–	–	–	–	118.00	118.00	5.06:1 (4.69:1)
8.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल कार्पोरेशन लिमिटेड	540.00 (447.00)	100.00	–	–	640.00 (447.00)	–	–	–	–	–	–	– (–)
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	640.68	–	–	64.25	704.93	–	–	–	122.48	–	122.48	0.17:1 (0.17:1)
10.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	150.00	–	–	–	150.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
11.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00	–	–	–	107.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
	क्षेत्रवार योग	**5422.48 (816.50)**	**438.83 (–)**	– (–)	**124.23 (0.90)**	**5985.54 (817.40)**	–	–	–	**1449.56**	**118.00**	**1567.56**	**0.26:1 (0.06:1)**
उद्योग													
12.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	596.05	–	–	–	596.05	–	–	–	631.41	–	631.41	1.06:1 (1.06:1)
13.	महमूदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	3.06	–	–	2.55	5.61	–	–	–	–	–	–	– (–)
14.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	1.63	–	1.63	–	–	–	–	3.00	3.00	1.84:1 (1.84:1)
15.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	562.59	–	–	187.41	750.00	–	–	–	37.50	–	37.50	0.05:1 (0.05:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
16.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	177.72	15.50 (9.00)	193.22 (9.00)	–	1213.57	–	–	1157.40	1157.40	5.72:1 (5.72:1)
17.	ट्रॉंस केबिल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	–	–	162.80	0.44	163.24	25.00	–	–	–	250.00	250.00	1.53:1 (1.81:1)
18	नार्दन इलेक्ट्रिक इक्यूपमेन्ट इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	–	–	0.07	–	0.07	–	–	–	–	–	–	– (–)
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	573.94	–	–	–	573.94	–	–	–	191.40	–	191.40	0.33:1 (0.33:1)
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	527.86	10.00	–	–	537.86	–	–	–	194.23	–	194.23	0.36:1 (0.36:1)
21.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	76.25	–	76.25	–	–	–	82.50	40.00	122.50	1.60:1 (–)
22.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	35.20	–	35.20	–	–	–	–	467.66	467.66	13.29:1 (13.29:1)
23.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	2922.00	1702.00	4624.00	–	–	–	–	13820.00	13820.00	2.99:1 (2.99:1)
24.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेण्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	–	–	15.56	–	15.56	–	–	–	–	–	–	– (–)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
25.	इण्डियन बौबिन कम्पनी लिमिटेड	2.74	–	–	–	2.74	–	–	–	–	–	–	– (–)
26.	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	4.85	–	4.85	–	–	–	–	–	–	– (–)
27.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	183.16	–	183.16	–	–	–	–	–	–	– (–)
28.	यू पी ए आई लिमिटेड	15.00	–	–	2.01	17.01	–	–	–	–	–	–	– (–)
	क्षेत्रवार योग	**2281.24** (–)	**10.00** (–)	**3579.24** (–)	**1909.91** **(9.00)**	**7780.39** **(9.00)**	**25.00**	**1213.57**	–	**1137.04**	**15738.06**	**16875.10**	**2.17:1** **(2.16:1)**
इलेक्ट्रानिक्स													
29.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	7751.31 (143.20)	–	–	–	7751.31 (143.20)	143.20	–	–	3544.00	–	3544.00	0.45:1 (0.46:1)
30.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	117.00	–	117.00	–	–	–	–	20.00	20.00	0.17:1 (0.17:1)
31.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	124.08	50.63	174.71	–	–	–	–	324.00	324.00	1.85:1 (1.85:1)
32.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	5315.59	–	5315.59	–	–	–	–	8507.96	8507.96	1.60:1 (1.60:1)
33.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	894.53	–	–	–	894.53	–	–	–	–	–	–	– (–)
34.	कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	9.34	8.97	18.31	–	16.50	–	16.50	–	16.50	0.90:1 (–)
35	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	1.67	1.60	3.27	–	–	–	–	–	–	– (–)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
36	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	0.79	–	0.79	–	–	–	–	–	–	– (–)
37.	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	–	–	110.00	64.71	174.71	–	–	–	–	–	–	– (–)
38.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	2.55	–	2.55	–	–	–	–	2.77	2.77	1.09:1 (1.09:1)
39.	कुमाँऊ टेलीविजन लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	–	–	52.00	47.75	99.75	–	–	–	–	–	–	– (–)
40.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	5.25	–	5.25	–	–	–	–	–	–	– (–)
	क्षेत्रवार योग	**8645.84** **(143.20)**	**–** **(–)**	**5738.27** **(–)**	**173.66** **(–)**	**14557.77** **(143.20)**	**143.20**	**16.50**	**–**	**3560.50**	**8854.73**	**12415.23**	**0.84:1** **(0.85:1)**
वस्त्र													
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	20732.37	–	–	–	20732.37	–	530.00	–	–	28.56	28.56	– (–)
42.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	– (2176.00)	–	3190.52	–	3190.52 (2176.00)	–	–	3500.00	–	3724.15	3724.15	0.69:1 (0.98:1)
43.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	7842.83 (1022.78)	0.01	7842.84 (1022.78)	–	–	–	–	1758.00	1758.00	0.20:1 (0.38:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
44.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	16.20	–	26.00	–	42.20	–	–	–	–	–	–	– (–)
45.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	375.54	–	375.54	–	–	–	–	–	–	– (–)
	क्षेत्रवार योग	**20748.57 (2176.00)**	– (–)	**11434.89 (1022.78)**	**0.01** (–)	**32183.47 (3198.78)**	–	**530.00**	**3500.00**	–	**5510.71**	**5510.71**	**0.16:1 (0.20:1)**
हैण्डलूम एण्ड हैन्डी क्राफ्टस्													
46.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	3644.49	1062.95	–	–	4707.44	–	490.00	–	1865.71	–	1865.71	0.40:1 (0.29:1)
47.	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन (गोरखपुर व बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	3.00	–	3.00	–	–	–	19.06	41.34	60.40	20.13:1 (20.13:1)
48.	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	2.00	–	2.00	–	–	–	208.67	–	208.67	104.33:1 (104.33:1)
	क्षेत्रवार योग	**3644.49** (–)	**1062.95** (–)	**5.00** (–)	– (–)	**4712.44** (–)	–	**490.00**	–	**2093.44**	**41.34**	**2134.78**	**0.45:1 (0.35:1)**
खनन													
49.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5943.48	–	–	–	5943.48	–	–	–	1949.61	–	1949.61	0.33:1 (0.33:1)
50.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	3.73	3.87	7.60	–	–	–	–	84.42	84.42	11.11:1 (11.11:1)
	क्षेत्रवार योग	**5943.48** (–)	– (–)	**3.73** (–)	**3.87** (–)	**5951.08** (–)	–	–	–	**1949.61**	**84.42**	**2034.03**	**0.34:1 (0.32:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
निर्माण													
51.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	1000.00	–	–	–	1000.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
52.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00	–	–	–	100.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
53.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00	–	–	–	300.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
	क्षेत्रवार योग	**1400.00** (–)	– (–)	– (–)	– (–)	**1400.00** (–)	–	–	–	–	–	–	– (–)
क्षेत्र विकास													
54.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1341.88	–	–	–	1341.88	–	–	–	292.50	–	292.50	0.22:1 (–)
55.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30	–	–	–	123.30	–	–	–	5.00	–	5.00	0.04:1 (0.04:1)
56.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80	–	–	–	129.80	–	–	–	–	–	–	– (–)
57.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	–	–	1.22	–	1.22	–	–	–	–	–	–	– (–)
58.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00	–	–	–	67.00	–	–	–	65.93	–	65.93	0.98:1 (0.98:1)
59.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	125.00	–	–	–	125.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
60.	लखनऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00	–	–	–	70.00	–	–	–	85.79	–	85.79	1.22:1 (1.22:1)
61.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	–	–	–	100.00	–	–	–	5.00	–	5.00	0.05:1 (0.05:1)
62.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56	–	–	32.47	126.03	–	–	–	91.60	–	91.60	0.73:1 (0.73:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
63.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	646.00	–	–	–	646.00	–	–	–	957.42	–	957.42	1.48:1 (1.48:1)
64.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	–	–	–	100.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
65.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00	–	–	–	70.00	–	–	–	30.00	–	30.00	0.43:1 (0.43:1)
66.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00	–	–	–	25.00	–	–	–	64.60	–	64.60	2.58:1 (2.58:1)
67.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	46.00	–	–	–	46.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
	क्षेत्रवार योग	**2937.54** (–)	**–** (–)	**1.22** (–)	**32.47** (–)	**2971.23** (–)	–	–	–	**1597.84**	–	**1597.84**	**0.54:1** **(0.44:1)**
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास													
68.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5989.31 (700.00)	5626.22 (85.72)	–	–	11615.53 (785.72)	–	1746.51	–	1746.51	1615.30	3361.81	0.27:1 (–)
69.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	20.00	–	30.00	–	50.00	–	–	–	17.48	–	17.48	0.35:1 (0.35:1)
70.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	22.00	–	28.00	–	50.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
71.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00	–	–	–	45.00	–	–	–	125.00	–	125.00	2.78:1 (2.78:1)
72	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	15.00	–	–	–	15.00	–	–	–	–	37.83	37.83	2.52:1 (12.52:1)
73.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	910.00 (87.82)	–	–	–	910.00 (87.82)	87.82	–	230.00	312.03	1007.02	1319.05	1.32:1 (0.62:1)
	क्षेत्रवार योग	**7001.31** **(787.82)**	**5626.22** **(85.72)**	**58.00** (–)	**–** (–)	**12685.53** **(873.54)**	**87.82**	**1746.51**	**230.00**	**2201.02**	**2660.15**	**4861.17**	**0.36:1** **(0.08:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
सार्वजनिक वितरण													
74	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	500.00 (50.39)	– (–)	– (–)	– (–)	500.00 (50.39)	–	110.60	–	1607.10	–	1607.10	2.92:1 (2.72:1)
	क्षेत्रवार योग	**500.00 (50.39)**	– (–)	– (–)	– (–)	**500.00 (50.39)**	–	**110.60**	–	**1607.10**	–	**1607.10**	**2.92:1 (2.72:1)**
चीनी													
75.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	47616.12	–	–	–	47616.12	–	7521.53	–	–	18358.02	18358.02	0.38:1 (0.24:1)
76.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	32.59	–	1641.79	45.46	1719.84	–	–	–	–	–	–	– (–)
77.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	2407.29	–	2407.29	–	–	–	–	421.14	421.14	0.17:1 (0.41:1)
78.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	3404.05	–	3404.05	–	–	–	–	763.57	763.57	0.22:1 (0.22:1)
79.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	879.85	15.00	894.85	–	225.00	–	–	194.50	194.50	0.22:1 (2.05:1)
	क्षेत्रवार योग	**47648.71** (–)	– (–)	**8332.98** (–)	**60.46** (–)	**56042.15** (–)	–	**7746.53**	–	–	**19737.23**	**19737.23**	**0.35:1 (0.27:1)**
सीमेन्ट													
80.	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	6828.00	–	–	–	6828.00	–	–	–	12476.52	–	12476.52	1.83:1 (1.83:1)
	क्षेत्रवार योग	**6828.00** (–)	– (–)	– (–)	– (–)	**6828.00** (–)	–	–	–	**12476.52**	–	**12476.52**	**1.83:1 (1.83:1)**
पर्यटन													
81.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1512.53	–	–	–	1512.53	–	–	–	48.33	–	48.33	0.03:1 (0.03:1)
	क्षेत्रवार योग	**1512.53** (–)	– (–)	– (–)	– (–)	**1512.53** (–)	–	–	–	**48.33**	–	**48.33**	**0.03:1 (0.03:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
दवा, रसायन एवं दवा निर्माण													
82.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	18.75	–	–	3.27	22.02	–	238.00	–	283.00	–	283.00	12.85:1 (2.04:1)
83.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	1.27	–	1.27	–	–	–	–	–	–	– (–)
84.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	658.73	–	658.73	–	–	–	–	–	–	– (–)
	क्षेत्रवार योग	**18.75** (–)	– (–)	**660.00** (–)	**3.27** (–)	**682.02** (–)	–	**238.00**	–	**283.00**	–	**283.00**	**0.41:1** **(0.07:1)**
विद्युत													
85.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	105471.00[58] (25180.50)	–	–	–	105471.00[58] (25180.50)	–	7100.00	–	7100.00	265239.00	272339.00[59]	2.58:1
86.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	18329.00[60]	–	–	–	18329.00[60]	–	855.00	–	3615.00	86604.00[61]	90219.00[61]	4.92:1 (39.43:1)
87.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	140294.00[62]				140294.00[62]	–	–	–	–	528045.00[62]	528045.00[62]	3.76:1 (–)
	क्षेत्रवार योग	**264094.00** **(25180.50)**	– (–)	– (–)	– (–)	**264094.00** **(25180.50)**	–	**7955.00**	–	**10715.00**	**879888.00**	**890603.00**	**3.08:1** **(0.11:1)**

58 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अनन्तिम आधार पर हस्तांतरित 105371.00 लाख रुपये को सम्मिलित करके।

59 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अनन्तिम आधार पर हस्तांतरित 265239.00 लाख रुपये को सम्मिलित करके।

60 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अनन्तिम आधार पर हस्तांतरित 18259.00 लाख रुपये को सम्मिलित करके।

61 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अनन्तिम आधार पर हस्तांतरित 86604.00 लाख रुपये को सम्मिलित करके।

62 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अनन्तिम आधार पर हस्तांतरित।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	वित्त												
88.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2407.51	–	–	–	2407.51	–	537.65	–	4387.04	–	4387.04	1.82:1 (3.08:1)
89.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50	–	–	2500.00	13557.50	–	1000.00	8724.40	1000.00	71736.98	72736.98	5.37:1 (4.61:1)
90.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77	–	–	70.02	147.79	–	–	–	–	–	–	– (–)
91.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2352 50	–	–	–	2352.50	–	–	–	1010.42	4441.18	5451.60	2.32:1 (2.32:1)
92.	अपलीज़ फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	100.00	5.87	105.87	–	–	–	–	–	–	– (–)
	क्षेत्रवार योग	**15895.28** (–)	– (–)	**100.00** (–)	**2575.89** (–)	**18571.17** (–)	–	**1537.65**	**8724.40**	**6397.46**	**76178.16**	**82575.62**	**4.45:1** **(3.97:1)**
विविध													
93.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	634.27	–	–	70.00	704.27	–	–	–	351.88	–	351.88	0.50:1 (0.23:1)
94	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.20	–	—	0.22	818.42	–	–	–	798.00	–	798.00	0.97:1 (0.85:1)
95.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	100.00	–	–	–	100.00	–	–	–	–	–	–	– (–)
96.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	350.00 (50.00)	–	–	–	350.00 (50.00)	50.00	–	–	–	–	–	– (–)
97.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	25.00 (36.00)	– (48.03)	–	–	109.03	–	–	–	–	–	–	– (–)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
98.	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	42.54	–	–	–	42.54	–	–	–	–	–	–	– (–)
	क्षेत्रवार योग	**1970.01** **(86.00)**	– **(48.03)**	– (–)	**70.22** (–)	**2040.23** **(134.03)**	**50.00**	–	–	**1149.88**	–	**1149.88**	**0.53:1** **(0.40:1)**
	योग–अ (सभी क्षेत्रवार सरकारी कम्पनियाँ)	**396492.23** **(29240.41)**	**7138.00** **(133.75)**	**29913.33** **(1022.78)**	**4953.99** **(9.90)**	**438497.55** **(30406.84)**	**306.02**	**21584.36**	**12454.40**	**46666.30**	**1008810.80**	**1055477.10**	**2.25:1** **(0.70:1)**
ब	सांविधिक निगम												
परिवहन													
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	25231.95	6925.29	–	–	32157.24	–	–	1999.97	995.70	7845.72	8841.42	0.27:1 (0.33:1)
	क्षेत्रवार योग	**25231.95**	**6925.29**	–	–	**32157.24**	–	–	**1999.97**	**995.70**	**7845.72**	**8841.42**	**0.27:1** **(0.33:1)**
वित्त													
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	6345.00 (4605.78)	–	–	3655.00 (2880.18)	10000.00 (7485.96)	3625.60	–	6035.00	–	128348.62	128348.62	7.34:1 (14.23:1)
	क्षेत्रवार योग	**6345.00** **(4605.78)**	–	–	**3655.00** **(2880.18)**	**10000.00** **(7485.96)**	**3625.60**	–	**6035.00**	–	**128348.62**	**128348.62**	**7.34:1** **(14.23:1)**
कृषि एवं समवर्गीय													
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	558.25 (220.70)	558.25	–	–	1116.50 (220.70)	20.00	–	–	–	108.13	108.13	0.08:1 (0.11:1)
	क्षेत्रवार योग	**558.25** **(220.70)**	**558.25**	–	–	**1116.50** **(220.70)**	**20.00**	–	–	–	**108.13**	**108.13**	**0.08:1** **(0.11:1)**
वन													
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	–	–	–	–	–	–	–	7098.10	–	3257.93	3257.93	–
	क्षेत्रवार योग	–	–	–	–	–	–	–	**7098.10**	–	**3257.93**	**3257.93**	–

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
विविध													
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	–	–	–	–	–	–	50.00	459.31	1963.88	–	1963.88	–
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	–	–	–	–	–	–	66.50	–	12231.07	870.74	13101.81	–
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	120.05	200.00	320.05	–
	क्षेत्रवार योग												
	योग–ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	**32135.20** (4826.48)	**7483.54** (–)	**–** (–)	**3655.00** (2880.18)	**43273.74** (7706.66)	**3645.60**	**116.50**	**15592.38**	**15310.70**	**140631.14**	**155941.84**	**3.06:1** (39.25:1)
	कुल योग	**428627.43** (34066.89)	**14621.54** (133.75)	**29913.33** (1022.78)	**8608.99** (2890.08)	**481771.29** (38113.50)	**3951.62**	**21700.86**	**28046.78**	**61977.00**	**1149441.94**	**1211418.94**	**2.33:1** (7.74:1)

टिप्पणी : उन कम्पनियों और निगमों, जिन्होंने 1999–2000 तक लेखों को अन्तिम रूप दे दिया था (क्रम संख्या 30, 31 और ब–3), को छोड़कर आंकड़े अनान्तिम हैं और कम्पनियों/निगमों द्वारा दिए गये हैं।

परिशिष्ट – 2

(प्रस्तर संख्या 1.2.1, 1.2.2, 1.5.1, 1.6, 1.6.1, 1.6.2.1 व 1.7 में सन्दर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 7 से 12 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं०	क्षेत्र एवं कम्पनियों/निगमों के नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (–)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (–)	नियोजित पूँजी(अ)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	वर्षों के अनुसार लेखों का बकाया	कम्पनी/निगम की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
अ सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गीय														
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	1997–98	1998–99	(+) 324.24	–	2732.00	(–)5314.11	294.31	531.86	180.71	2	कार्यरत कम्पनी
2.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड	पशुधन एवं मत्स्य	07.12.1974	1995–96	1999–2000	(–)10.57	–	50.00	(–)21.83	220.94	(–)10.57	–	4	कार्यरत कम्पनी
3.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुधन एवं मत्स्य	05.03.1975	1992–93	1999–2000	(–)36.08	(–) 3.16	146.85	(–)204.81	341.20	(–)26.61	–	7	अकार्यरत – अन्य
4.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1998–99	1999–2000	(–)28.31	–	70.92	(–)57.50	1675.56	(–)28.31	–	1	कार्यरत कम्पनी
5.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1998–99	1999–2000	(+)7.16	–	61.32	(+)39.34	967.59	146.80	15.17	1	कार्यरत कम्पनी
6.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1998–99	1999–2000	(–)18.36	–	30.40	(–)16.37	321.12	18.07	5.63	1	कार्यरत कम्पनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1997–98	1998–99	(+) 8.18	–	25.00	(+) 1.00	749.31	55.02	7.34	2	कार्यरत कम्पनी
8	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल कार्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	26.05.1976	1998–99	1999–2000	(–)404.16	(+)35.06	640.00	(–)1125.39	(–)60.72	(–)404.16	–	1	कार्यरत कम्पनी
9	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	06.04.1977	1984–85	1994–95	(–) 66.57	–	190.76	(–) 255.33	80.72	(–) 51.97	–	15	अकार्यरत–अन्य
10	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	1998–99	1999–2000	(+)39.06	–	150.00	(–)15.07	14162.42	39.06	0.28	1	कार्यरत कम्पनी
11	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुधन एवं मत्स्य	27.10.1979	1991–92	1999–2000	(–)62.45	(–) 15.72	100.00	(–)216.05	437.29	(–)47.77	–	8	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**(+)378.64 (–)626.50**	**(+) 35.06 (–) 18.88**	**4197.25**	**40.34 (–) 7226.46**	**19250.46 (–) 60.72**	**790.81 (–) 569.39**	**4.11**		
उद्योग														
12.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	ग्रामीण व लघु उद्योग	01.06.1958	1993–94	1999–2000	(–)196.38	–	596.05	(–)644.99	1477.08	30.22	2.05	6	कार्यरत कम्पनी
13.	महमूदाबाद पीपुल्स टेन्नरी लिमिटेड	नियोजन	21.12.1964	1976–77	1992–93	(–) 0.01	–	5.61	(–) 4.26	1.35	(–) 0.01	–	23	अकार्यरत – अन्य
14.	उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्सन अप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	28.06.1972	1974–75	1984–85	(–) 0.81	–	0.92	(–) 0.81	6.79	(–) 0.81	–	25	अकार्यरत – अन्य
15.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	28.12.1972	1991–92	1995–96	(+) 10.71	–	750.00	(–) 6482.96	1114.18	36.32	3.26	8	अकार्यरत – अन्य
16.	उत्तर प्रदेश इन्सट्रूमेण्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	1.01.1975	1997–98	1999–2000	(–)529.06	–	193.22	(–) 3436.21	(–) 2163.30	(–) 193.13	–	2	कार्यरत कम्पनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
17.	ट्रांस केबिल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	29.11.1973	1995–96	1999–2000	(–)52.29	–	63.24	(–)322.95	97.11	(–)25.27	–	4	कार्यरत कम्पनी
18.	नार्दन इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेण्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	29.01.1974	1989–90	1997–98	(–) 0.01	–	0.07	(–)0.55	0.07	(–) 0.01	–	10	अकार्यरत – अन्य
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	1998–99	1999–2000	(–) 54.18	–	573.94	(–) 685.90	435.90	(–) 40.58	–	1	कार्यरत कम्पनी
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	1991–92	1995–96	(–) 45.29	–	537.86	(–) 648.86	793.04	(–) 34.96	–	8	अकार्यरत – अन्य
21.	यू पी एस आई सी पोट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	27.04.1976	1990–91	1998–99	(–) 47.05	–	76.26	(–) 272.71	(–) 54.51	(–) 28.61	–	9	कार्यरत कम्पनी
22.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	08.03.1978	1996–97	1997–98	(–) 118.66	–	35.20	(–) 694.54	35.26	(–) 57.60	–	3	कार्यरत कम्पनी
23.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	12.04.1985	1995–96	1996–97	–	–	4599.95	–	11818.42	–	–	4	अकार्यरत – अन्य
24.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेन्टाईन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	11.07.1939	1977–78	–	(–)1.91	–	15.56	–	11.64	(–)0.47	–	शून्य	01.04.1978 से समापन के अन्तर्गत
25.	इण्डियन बोबिन कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	22.02.1964	1973–74	–	(+)0.03	–	2.74	–	3.67	0.03	0.82	शून्य	10.09.1973 से समापन के अन्तर्गत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
26.	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	28.06.1972	1975–76	–	(–)1.55	–	4.85	–	12.39	(–)0.41	–	10	19.04.1986 से समापन के अन्तर्गत
27.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	14.01.1976	1992–93	–	(–) 217.08	–	183.16	(–) 996.09	(–) 405.96	209.53	–	3	09.01.1996 से समापन के अन्तर्गत
28.	यू पी ए आई लिमिटेड	कृषि	20.04.1977	1988–89	1999–2000	(–) 0.48	–	17.01	(–)5.25	10.30	(–)0.48	–	3	31.03.1991 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग					**10.74** **(–)1264.76**	**–** **(–)**	**7655.64** **(–)**	**–** **(–) 14196.08**	**15817.20** **(–) 2623.77**	**276.10** **(382.34)**	**1.74**		
इलेक्ट्रानिक्स														
29.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स	20.03.1974	1998–99	1999–2000	(–)14.23	–	7030.07	(+)24.59	4839.13	(–)14.21	–	1	कार्यरत कम्पनी
30.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	10.04.1977	अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999	1999–2000	(–)92.72	–	117.00	(–)150.64	576.70	(–)34.57	–	शून्य	कार्यरत कम्पनी
31.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	01.02.1979	1999–2000	1999–2000	(+)1.56	–	174.71	(–)259.22	1084.30	66.01	6.09	शून्य	कार्यरत कम्पनी
32.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	18.10.1979	1995–96	1997–98	(–)3212.23	–	5315.59	(–) 19693.43	5206.05	(–) 406.07	–	4	कार्यरत कम्पनी
33.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्वतीय विकास	26.06.1985	1993–94	1997–98	(–) 21.41	–	794.03	(–) 68.10	447.27	(–) 21.41	–	6	कार्यरत कम्पनी
34.	कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	27.04.1987	1989–90	1990–91	(–) 1.61	–	18.31	(–) 1.61	12.35	(–) 1.61	–	10	अकार्यरत –अन्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
35.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	पर्वतीय विकास	10.08.1987[63]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	अकार्यरत – अन्य
36.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	18.07.1989[64]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	अकार्यरत – अन्य
37.	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	27.01.1973	1992–93	1998–99	(–) 79.09	(+) 1.59	174.71	(–) 230.11	211.37	(–) 73.29	–	4	30.11.1996 से समापन के अन्तर्गत
38.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	23.05.1977	1979–80	1983–84	(–) 0.78	–	2.55	(–) 3.37	1.86	(–) 0.36	–	16	10.06.1996 से समापन के अन्तर्गत
39.	कुमाँऊ टेलीविजन लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	24.08.1977	1995–96	1998–99	(–) 43.48	(+) 0.98	99.75	(–) 276.91	101.72	(–) 3.71	–	1	30.11.1996 से समापन के अन्तर्गत
40.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	31.03.1978[65]		–	–	–	5.25	–	–	–	–	18	10.06.1996 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग					**(+)1.56 (–)3465.55**	**(+) 2.57 –**	**13731.97**	**24.59 (–) 20683.39**	**12480.75**	**66.01 (–) 555.23**	**0.53**		

63 प्रारम्भ से ही लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ।

64 प्रारम्भ से ही लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ।

65 प्रारम्भ से ही लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
वस्त्र														
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	वस्त्र	02.12.1969	1997–98	1998–99	(+) 280.63	–	16079.37	(–) 18056.07	3844.60	1700.60	44.23	2	कार्यरत कम्पनी
42.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	20.08.1974	1998–99	1999–2000	(–)1236.36	(+) 93.92	3190.52	(–) 6872.84	575.38	(–) 999.43	–	1	कार्यरत कम्पनी
43.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	20.08.1976	1998–99	1999–2000	(+)103.62	(–) 4.72	7842.84	(–) 7937.59	3863.83	391.92	10.14	1	कार्यरत कम्पनी
44.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	05.12.1975	1989–90	1999–2000	(–)5.17	–	26.00	(–)16.72	65.69	(–) 4.67	–	1	01.04.1991 से विलय के अन्तर्गत
45.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	14.06.1976	1994–95	–	(–) 165.77	–	375.54	(–) 1195.91	(–) 49.09	85.35	–	1	20.02.1996 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग					**(+)384.25 (–)1407.30**	**(+) 93.92 (–) 4.72**	**27514.27**	**– (–) 34079.13**	**8349.50 (–) 49.09**	**2177.87 (–) 1004.10**	**26.08**		
हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स														
46.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा	09.01.1973	1989–90	1999–2000	(–)122.14	–	1325.49	(–)1245.41	5885.57	5.80	0.10	10	कार्यरत कम्पनी
47.	हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन (गोरखपुर व बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा	26.05.1976	1989–90	1998–99	(+)4.55	(–) 4.24	3.00	(+) 2.71	88.41	103.21	116.74	1	01.04.1991 से विलय के अन्तर्गत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
48.	हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा	13.09.1976	1987–88	1999–2000	(+)29.32	–	2.00	(+) 101.04	321.28	46.76	14.55	3	01.04.1991 से विलय के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग					**(+) 33.87** **(–)122.14**	**–** **(–) 4.24**	**1330.49**	**103.75** **(–) 1245.41**	**6295.26**	**155.77**	**2.47**		
	खनन													
49.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिलरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	23.03.1974	1995–96	1999–2000	(–) 296.26	–	5640.48	(–) 189.93	3296.94	(–) 91.23	–	4	कार्यरत कम्पनी
50.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	05.12.1985	1987–88	1995–96	(–) 11.78	–	270.00	(–) 76.93	0.79	(–) 10.86	–	12	अकार्यरत – अन्य
	क्षेत्रवार योग					**–** **(–) 308.04**	**–** **(–)**	**5910.48** **(–)**	**–** **(–) 266.86**	**3297.73** **(–)**	**–** **(–) 102.09**			
	निर्माण													
51.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18.10.1972	1997–98	1998–99	(+) 264.21	–	1000.00	(+) 744.24	2191.20	264.21	12.05	2	कार्यरत कम्पनी
52.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	01.05.1975	1998–99	1999–2000	(–)191.06	–	100.00	(+) 941.30	1321.37	(–) 190.04	–	1	कार्यरत कम्पनी
53.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	1998–99	1999–2000	(+)19.47	–	300.00	(+) 410.07	710.07	19.47	2.74	1	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**(+)283.68** **(–)191.06**	**–** **–**	**1400.00** **–**	**2095.61** **–**	**4222.64** **–**	**283.68** **(–) 190.04**	**6.72**		
	क्षेत्र विकास													
54.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30.03.1971	1996–97	1999–2000	(+) 48.68	–	836.61	(–) 209.00	1438.54	112.18	7.80	3	कार्यरत कम्पनी
55.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1971	1991–92	1997–98	(–) 8.72	–	123.30	(–) 134.50	(–) 0.98	(–) 8.71		8	अकार्यरत [illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
56.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1971	1987–88	1994–95	(–) 13.64	–	114.80	(–) 107.90	19.02	(–) 13.64	–	12	अकार्यरत – अन्य
57.	बुन्देलखण्ड कन्क्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	क्षेत्रीय विकास	02.03.1974	1986–87	1993–94	(–) 0.01	–	2.40	(–) 0.65	4.45	(–) 0.01	–	13	अकार्यरत – अन्य
58.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1983–84	1992–93	(–) 11.42	–	67.00	(–) 11.42	39.52	(–) 3.97	–	16	अकार्यरत – अन्य
59.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1984–85	1994–95	(–) 69.26	–	125.00	(–) 90.00	449.13	(–) 56.84	–	15	अकार्यरत – अन्य
60.	लखनऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1981–82	1992–93	(+) 0.44	–	50.00	(+) 1.49	60.57	0.52	0.86	18	अकार्यरत – अन्य
61.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1986–87	1989–90	(+) 11.24	(+) 2.51	100.00	(–) 33.13	132.02	12.48	9.45	13	अकार्यरत – अन्य
62.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1985–86	1995–96	(+) 2.36	–	122.03	(–) 118.16	61.31	2.36	3.85	14	अकार्यरत – अन्य
63.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	1.03.1976	1993–94	1999–2000	(+)87.61	–	441.50	(+) 1541.56	2977.80	87.61	2.94	6	कार्यरत कम्पनी
64.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1993–94	1996–97	(–)10.48	–	100.00	(–)76.95	29.25	(–) 10.48	–	6	कार्यरत कम्पनी
65.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1987–88	1993–94	(–) 2.71	–	70.00	(–) 26.38	88.29	(–) 2.71	–	12	अकार्यरत – अन्य
66.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1978	1988–89	1999–2000	(–)11.23	–	25.00	(–)21.80	68.73	(–)0.57	–	11	अकार्यरत – अन्य
67.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	15.03.1975	1976–77	–	(+)0.28	–	46.00	–	46.27	0.28	0.61	–	07.06.1977 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग					**(+) 150.61 (–) 127.47**	**(+) 2.51 (–)**	**2223.64 (–)**	**1543.05 (–) 829.89**	**5414.90 –**	**215.43 (96.93)**	**3.98**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास													
68.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.03.1975	1993–94	1999–2000	(+)138.18	–	3663.88	(+)743.96	5536.09	164.19	2.97	6	कार्यरत कम्पनी
69.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	30.06.1975	1987–88	1992–93	(–) 9.19	–	50.00	(–) 41.94	20.48	(–) 8.93	–	12	कार्यरत कम्पनी
70.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	30.06.1975	1985–86	1998–99	(–) 2.01	–	36.00	(–) 2.85	34.64	(–) 2.01	–	14	कार्यरत कम्पनी
71.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	02.08.1975	1982–83	1990–91	(–) 4.00	–	45.00	(+) 0.45	70.44	(–) 4.00	–	17	अकार्यरत – अन्य
72.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.06.1976	1998–99	1999–2000	(–)0.40	–	15.00	(+) 549.95	760.26	(–)0.40	–		कार्यरत कम्पनी
73.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	हरिजन एवं समाज कल्याण	26.04.91	1995–96	1999–2000	(+)49.35	–	100.00	(+)28.45	1628.62	55.13	3.39	4	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**(+)187.53** **(–)15.60**	**–** **–**	**3909.88** **–**	**1322.81** **(–) 44.79**	**8050.53** **–**	**219.32** **(–) 15.34**	**2.72**		
	सर्वजनिक वितरण													
74.	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेंशियल कोमोडिटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	22.10.1974	1986–87	1999–2000	(–) 47.79	–	55.00	(+) 47.32	399.42	(–) 2.34	–	13	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**(–) 47.79**	**–**	**55.00**	**(+) 47.32**	**399.42**	**(–) 2.34**	**–**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	चीनी													
75.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	26.03.1971	1995–96	1999–2000	(–) 12036.63	–	47575.92	(–) 68303.57	53369.11	(–) 3868.11	–	4	कार्यरत कम्पनी
76.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	17.02.1972	1998–99	1999–2000	(+)119.17	–	1698.64	(–)629.85	4158.02	474.55	11.41	1	कार्यरत कम्पनी
77.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1997–98	1999–2000	(–)221.05	–	1224.52	(–)3263.41	1824.84	177.99	9.75	2	कार्यरत कम्पनी
78.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1996–97	1999–2000	(–)830.09	–	3404.05	(–)7585.58	(–)177.57	(–)452.35	–	3	कार्यरत कम्पनी
79.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	30.05.1986	1997–98	1999–2000	(–)404.09	(–)17.68	894.86	(–)3247.24	(–)228.31	(–)31.57	–	2	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**119.17** **(–)13491.86**	**–** **(–) 17.68**	**54797.99** **–**	**–** **(–) 83029.65**	**59351.97** **(–) 405.88**	**652.54** **(–) 4352.03**	–		
	सीमेन्ट													
80.	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1972	1995–96	1996–97	(–)4775.52	–	6828.00	(–) 42599.38	(–) 23980.30	(–) 2291.33	–	4	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**(–)4775.52**	–	**6828.00**	**(–) 42599.38**	**(–) 23980.30**	**(–) 2291.33**	–		
	पर्यटन													
81.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	1998–99	1999–2000	(+)12.33	–	1512.53	(–)153.28	1409.06	14.02	0.99	1	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**12.33** –	– –	**1512.53** –	– **(–)153.28**	**1409.06** –	**14.02**	**0.99**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स													
82.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	22.02.1924	1999–2000	1999–2000	(–) 525.94	–	22.02	(–) 2665.21	(–) 2215.22	(–) 515.41	–	–	कार्यरत कम्पनी
83.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	12.01.1982	1996–97	1999–2000	(–)0.08	–	1.27	(–)0.10	1.76	(–)0.08	–	3	अकार्यरत–अन्य
84.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	23.04.1979	1992–93	–	(–) 617.54	–	658.73	(–) 3531.51	(–) 1844.86	(–) 50.57	–	1	19.02.1994 से समापन के अन्तर्गत
	क्षेत्रवार योग					– **(–)1143.56**	– –	**682.02** –	– **(–) 6196.82**	**1.76** **(–) 4060.08**	– **(–) 566.06**	**14.02**		
	विद्युत													
85.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	1998–99	1999–2000	(–)39.50	–	100.00	(–) 10941.27	14343.58	(–) 39.50	–	1	कार्यरत कम्पनी
86.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	1998–99	1999–2000	(+)405.67	–	70.00	(+) 923.82	10541.60	405.67	3.85	1	कार्यरत कम्पनी
87.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	30.11.1999	66										कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**(+) 405.67** **(–) 39.50**	– –	**170.00** –	**923.82** **(–) 10941.27**	**24885.18** –	**405.67** **(–) 39.50**	**1.63**		
	वित्त													
88.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1961	1998–99	1999–2000	(+)684.33	–	2407.51	(+)1134.70	10072.66	1438.17	14.28	1	कार्यरत कम्पनी

66 प्रथम वर्ष के खाते बनाये जाना शेष था।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
89.	दि प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1972	1998–99	1999–2000	(–) 5322.83	(+)385.25	11057.50	(–)11253.96	79532.22	4409.05	5.54	1	कार्यरत कम्पनी
90.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	1989–90	1996–97	(–) 3.42	–	132.46	(+) 3.06	143.07	(–) 3.42	–	10	कार्यरत कम्पनी
91.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	17.11.1984	1990–91	1999–200	(+)4.55	–	327.50	(+)0.23	676.99	17.32	2.56	9	कार्यरत कम्पनी
92.	अपलीज फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	05.01.1988	1997–98	1998–99	(–) 39.55	–	105.87	(–) 39.53	534.08	14.43	2.70	2	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**(+) 688.88** **(–) 5365.80**	**(+) 385.25** –	**14030.84** –	**1137.99** **(–) 11293.49**	**90959.02** –	**5878.97** **(–) 3.42**	**6.46**		
	विविध													
93.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	20.01.1966	1996–97	1999–2000	(–)68.41	(+)6.94	674.27	(–)755.77	662.08	(–)16.28	–	3	कार्यरत कम्पनी
94.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	संस्थागत वित्त	10.09.1975	1997–98	1999–2000	(–) 8.86	–	818.42	(–) 881.08	248.77	41.59	16.71	2	अकार्यरत – अन्य
95.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	15.03.1977	1997–98	1999–2000	(–)32.14	–	100.00	(–)66.59	33.41	(–)32.14	–	2	कार्यरत कम्पनी
96.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	वक्फ	27.04.1987	1992–93	1999–2000	0.002[67]	–	100.00	(+)0.55	104.02	0.10	0.10	7	कार्यरत कम्पनी

67 मात्र 252 रुपये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
97.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	17.03.1988	1996–97	1998–99	(–) 14.51	(+) 3.00	25.00	(–) 32.97	188.05	(–) 14.51	–	3	कार्यरत कम्पनी
98.	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	23.05.1989	1995–96	1998–99	(+) 144.68	(+) 0.46	42.54	174.42	216.26	144.68	66.90	4	कार्यरत कम्पनी
	क्षेत्रवार योग					**(+) 144.68** **(–) 123.92**	**(+) 10.40** **–**	**1760.23** **–**	**174.97** **(–) 1736.41**	**1452.59** **–**	**186.27** **(–) 62.93**	**12.82**		
	योग (अ सरकारी कम्पनियाँ)					**2801.61** **(32516.37)**	**529.71** **(45.52)**	**147710.23** **–**	**7414.25** **(234522.31)**	**261637.97** **(31179.84)**	**11322.46** **(10233.07)**	**4.37**		
ब	**सांविधिक निगम**													
	परिवहन													
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	1998–99[68]	1999–2000	(–)2039.66	–	31369.02	(–) 50462.51	(–) 9249.00	(–) 941.00	10.17	1	कार्यरत
	क्षेत्रवार योग					**–** **(–)2039.66**	**–**	**31369.02**	**–** **(–) 50462.51**	**–** **(–) 9249.00**	**–** **(–) 941.00**	**10.17**		
	वित्त													
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	1998–99	1999–2000	(–)12601.72	–	10000.00	(–)39452.65	152779.00	6474.05	1.59	1	कार्यरत
	क्षेत्रवार योग					**(–)12601.72**	**–**	**10000.00** **–**	**–** **(–) 39452.65**	**152779.00** **–**	**6474.05** **–**	**1.59**		
	कृषि एवं समवर्गीय													
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	19.03.1958	1999–2000	1999–2000	(+)1302.97	–	1116.50	3764.05	5490.00	1322.00	24.08	–	कार्यरत
	क्षेत्रवार योग					**(+)1302.97**	**–**	**1116.50**	**3764.05**	**5490.00**	**1322.00**	**24.08**		
	वन													
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	1998–99	1999–2000	(+) 2930.30	–	–	35245.27	35756.00	2930.00	8.19	1	कार्यरत
	क्षेत्रवार योग					**(+) 2930.30**	**–**	**–**	**35245.27** **–**	**35756.00**	**2930.00**	**8.19**		

68 लेखे सम्प्रेक्षण के आधीन।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	विविध													
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	03.04.1966	1994–95[69]	1999–2000	(+)84.00	–	–	2728.54	28619.00	2512.00	8.78	5	कार्यरत
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नगर विकास	06.06.1975	1997–98	1999–2000	(–) 110.95	–	–	(–) 16021.87	333252.00	1957.00	0.59	2	कार्यरत
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम[70]	खाद्य एवं रसद	05.05.1965											
	क्षेत्रवार योग					**(+) 84.00 (–) 110.95**	–	–	**2728.54 (–) 16021.87**	**361871.00 –**	**4469.00 –**	**1.23**		
	योग – ब (सांविधिक निगम)					**(+) 4317.27 (–) 14752.33**	–	**42485.52**	**41737.86 (–) 105937.03**	**555896.00 (–) 9249.00**	**15195.05 (–) 941.00**	**2.00**		
	कुल योग (अ+ब)					**(+) 7118.88 (–) 42269.53**	**(+)529.71 (–) 45.52**	**190195.75**	**49152.11 (–) 340459.36**	**817533.97 (–) 40428.84**	**22465.46 (–) 11174.07**	**2.75**		

टिप्पणी : नियोजित पूँजी, कार्यशील पूँजी और निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत पृगतिगत कार्यसहित) के योग का प्रतिनिधित्व करती है, उन प्रकरणों को छोड़कर जहाँ वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों–क्रम संख्या 68, 73, 88, 89, 90, 91, 92 एवं ब–2 में नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी के कुल आरम्भिक शेषों और अन्तिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाँड्स, जमा तथा वित्त पुनर्पोषण सहित ऋणों के रूप में आगणित की जाती है।

69 लेखे सम्प्रेक्षण के आधीन।

70 लेखा परीक्षण 1997–98 में सौंपा गया। लेखे अब तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

परिशिष्ट–3

(प्रस्तर संख्या 1.4 में संदर्भित)

प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन और प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को मार्च 2000 को समाप्ति पर दर्शाती हुई विवरणी

(स्तम्भ 3(अ) से 7 के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान[71]				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में बकाया[72]					वर्ष के दौरान देयों की माफी				ऋण जिन पर विलम्ब अनुमन्य किया गया	वर्ष के दौरान ऋण जिन्हें अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंकों से नकद/उधार	अन्य स्रोतों से ऋण	निर्यातों के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा खोले गये लेटर आफ क्रेडिट	विदेशी सलाहकारों/ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान देयता	योग	अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	ब्याज माफी	दण्ड ब्याज माफी	योग		
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
अ. सरकारी कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड		–	–	–	1000.00 (शून्य)	–	–	–	1000.00 (शून्य)	–	–	–	–	1000.00	1268.00
2.	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	–	–	–	–	2000.00 (1476.88)	–	–	–	2000.00 (1476.88)	–	–	–	–	–	–
3.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1143.14
4.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन	–	14.47 (शून्य)	–	14.47 (शून्य)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2176.00

71 वर्ष के समाप्ति पर प्राप्त उपदान को कोष्ठकों में दिखाया है।

72 कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े वर्ष की समाप्ति पर बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	–	–	1380.00 (303.59)	–	–	–	1380.00 (303.59)	–	–	–	–	–	1022.00
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	–	298.20 (शून्य)	–	298.20 (शून्य)	1000.00 (608.49)	–	–	–	1000.00 (608.49)	–	–	–	–	–	–
8.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	–	6245.78 (शून्य)	–	6245.78 (शून्य)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	–	10.05 (10.05)	–	10.05 (10.05)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	उत्तर प्रदेश फूड एण्ड ऐसेन्सियल कामोडीटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	–	110.60 (शून्य)	–	110.60 (शून्य)	1500.00 (806.00)	750.00 (750.00)	–	–	2250.00 (1556.00)	–	1692.38	–	1692.38	–	–
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	–	–	–	–	40225.66 (40225.66)	–	–	–	40225.66 (40225.66)	–	–	–	–	–	–
12.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	–	–	4760.00 (3730.28)	–	–	–	4760.00 (3730.28)	–	–	–	–	–	–
13.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	–	–	2415.00 (1573.16)	–	–	–	2415.00 (1573.16)	–	–	–	–	–	1134.20
14.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	–	–	–	–	1000.00 (504.91)	–	–	–	1000.00 (504.91)	–	–	–	–	–	–
15.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.33
16.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	–	1042.22 (शून्य)	–	1042.22 (शून्य)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
17.	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	–	59.19 (शून्य)	–	59.19 (शून्य)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	–	105.00 (शून्य)	–	105.00 (शून्य)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	–	–	–	–	–	188.00	–	–	188.00	–	–	–	–	–	–
20.	दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	–	–	–	–	–	20009.00 (43771.00)	–	–	20009.00 (43771.00)	–	–	–	–	–	–
21.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	–	172.24	–	172.24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग – अ	–	**8057.75** **(10.05)**	– (–)	**8057.75** **(10.05)**	**55280.66** **(49228.97)**	**20947.00** **(44521.00)**	– (–)	–	**76227.66** **(93749.97)**	–	**1692.38**	–	**1692.38**	**1000.00**	**6791.67**
ब. सांविधिक निगम																
1.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	–	–	–	–	–	6035.00 (62522.00)	–	–	6035.00 (62522.00)	–	–	–	–	–	1125.60
2.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1963.88	–
3.	उत्तर प्रदेश जल निगम	–	40455.30	–	40455.30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13101.81	–
4.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	–	173.10	–	173.10	200.00 (200.00)	–	–	–	200.00 (200.00)	–	–	–	–	–	–
	योग ब	–	**40628.40**	–	**40628.40**	**200.00** **(200.00)**	**6035.00** **(62522.00)**	–	–	**6235.00** **(62722.00)**	–	–	–	–	**15065.69**	**1125.60**
	कुल योग (अ+ब)	–	**48686.15** **(10.05)**	– –	**48686.15** **(10.05)**	**55480.66** **(49428.97)**	**26982.00** **(107043.00)**	–	–	**82462.66** **(156471.97)**	–	**1692.38**	–	**1692.38**	**16065.69**	**7917.27**

परिशिष्ट–4

(प्रस्तर संख्या 1.2.2 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)	1998-99 (अनन्तिम)
(अ) देयतायें			
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	314.69	315.83	321.57
ऋण			
सरकारी	10.54	17.61	11.71
अन्य	112.83	79.55	79.38
निधियाँ[73]	0.30	0.31	0.35
व्यापारिक देय और अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित)	241.68	338.97	392.11
योग (अ)	**680.04**	**752.27**	**805.12**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	510.75	557.34	558.49
घटाया : ह्रास	347.91	369.72	378.21
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	162.84	187.62	180.28
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	2.57	2.82	2.58
निवेश	0.74	0.87	0.87
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	76.56	78.56	116.76
आस्थगित लागत	–	–	–
संचित हानि	437.33	482.40	504.63
योग (ब)	**680.04**	**752.27**	**805.12**
(स) नियोजित पूँजी[74]	**0.29**	**(–) 69.97**	**(–) 92.49**

73 ह्रास निधियों को छोड़कर।

74 नियोजित पूँजी, निबल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
(अ) देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	100.00	100.00	100.00
अंश आवेदन राशि	–	–	–
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	20.85	20.72	20.60
ऋण			
(i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	694.71	777.53	817.83
(ii) स्थायी जमा	–	–	–
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	500.65	536.99	511.85
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	17.25	17.35	–
(v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण			
(अ) राज्य सरकार	9.80	9.80	9.80
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	8.80	8.80	8.80
(vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	54.76	40.76	74.76
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	157.50	249.08	300.22
योग (अ)	**1564.32**	**1761.03**	**1843.86**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक अवशेष	73.67	66.20	83.28
निवेश	2.73	24.24	35.85
ऋण एवं अग्रिम	1254.38	1310.81	1251.48
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	41.05	61.83	41.68
अन्य परिसम्पत्तियाँ	39.18	29.44	37.03
विविध व्यय	–	–	–
लाभ एवं हानि खाता	153.31	268.51	394.53
योग (ब)	**1564.32**	**1761.03**	**1843.86**
(स) नियोजित पूँजी[75]	**1297.24**	**1459.38**	**1527.79**

75 नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (उनको छोड़कर जिन्हें बाहर के निवेशों द्वारा स्पष्ट रूप से निधि प्रदान एवं समर्थन किया गया), बाण्ड, जमा एवं ऋण (पुनः वित्तीय पोषण को शामिल करके) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
(अ) देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	11.37	12.77	13.37
आरक्षण एवं आधिक्य	21.65	28.34	40.07
उपदान	–	0.30	0.30
ऋण :			
सरकारी	0.14	0.23	–
अन्य	1.90	1.50	1.16
व्यापार देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	13.96	16.62	27.05
योग (अ)	**49.02**	**59.76**	**81.95**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	39.56	41.82	47.26
घटाया : ह्रास	9.76	10.22	11.80
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	29.80	31.60	35.46
पूँजीगत प्रगगित कार्य	1.38	0.77	1.48
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	17.84	27.39	45.01
संचित हानि	–	–	–
योग (ब)	**49.02**	**59.76**	**81.95**
नियोजित पूँजी [76]	**34.86**	**43.14**	**54.90**

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) देयतायें			
आरक्षण एवं आधिक्य	287.35	323.15	352.45
ऋण :	0.16	0.16	0.16
चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	73.52	103.87	147.54

76 नियोजित पूँजी निबल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)
अन्य देयतायें	7.00	7.00	7.00
योग (अ)	**368.03**	**434.18**	**507.15**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10.92	10.31	11.16
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	354.64	421.45	493.94
संचित हानि	–	–	–
विविध योग	2.47	2.42	2.05
योग (ब)	**368.03**	**434.18**	**507.15**
(स) नियोजित पूँजी[77]	**292.04**	**327.89**	**357.56**

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)	1995-96 (अनन्तिम)
(अ) देयतायें			
आधिक्य	26.45	27.29	28.21
ऋण	248.32	249.78	195.48
जमा	32.35	38.90	39.38
चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	221.19	218.13	245.47
देयताओं पर सम्पत्ति का आधिक्य	–	–	1.18
योग (अ)	**528.31**	**534.10**	**509.72**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1.04	1.06	1.15
निवेश	7.66	29.78	35.37
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	519.61	503.26	473.20
योग (ब)	**528.31**	**534.10**	**509.72**
(स) नियोजित पूँजी[77]	**299.46**	**286.19**	**228.88**

77 नियोजित पूँजी निबल चल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
(अ) देयतायें			
ऋण	255.52	273.24	286.96
सरकार से उपदान	1807.42	2127.72	2495.85
जमा	755.48	808.55	878.29
चालू देयतायें	125.80	148.53	158.22
अनुपभोग की गई सामग्री पर सेन्टेज	21.42	23.88	29.08
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	6.00	6.00	6.00
अवर्गीकृत आरक्षण	20.51	20.51	20.48
योग (अ)	**2992.15**	**3408.43**	**3874.88**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	370.16	450.17	591.28
घटाया : ह्रास	4.32	4.67	5.04
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	365.84	445.50	586.24
निवेश	172.30	166.06	223.93
चालू परिसम्पत्तियाँ	2146.36	2436.87	2904.50
खण्डीय आधिक्य	267.51	307.64	159.10
घाटा	40.14	52.36	1.11
योग (ब)	**2992.15**	**3408.43**	**3874.88**
(स) नियोजित पूँजी	**2386.40**	**2733.84**	**3332.52**

परिशिष्ट–5

(प्रस्तर संख्या 1.2.2 व 1.6 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)	1998-99 (अनन्तिम)
परिचालन			
(अ) राजस्व	526.67	584.17	650.21
(ब) व्यय	564.85	629.56	675.04
(स) आधिक्य(+)/कमी (–)	(-) 38.18	(-) 45.39	(-) 24.83
अपरिचालन			
(अ) राजस्व	13.94	15.58	15.42
(ब) व्यय (+)	23.90	15.16	10.98
(स) आधिक्य(+)/हानि(–)	(-) 9.96	(+) 0.42	(+) 4.44
योग			
(अ) राजस्व	540.61	599.75	665.63
(ब) व्यय	588.75	644.72	686.02
(स) शुद्ध लाभ(+)/हानि(–)	(-) 48.14	(-) 44.97	(-) 20.39
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	23.90	15.16	10.98
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 24.24	(-) 29.81	(-) 9.41
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	–	–	–

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
(1)	(2)	(3)	(4)
1 आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	163.30	151.42	142.35
(ब) अन्य आय	16.55	23.65	12.68
योग 1	**179.85**	**175.07**	**155.03**

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)
2 व्यय			
(अ) दीर्घावधि एवं अल्पावधि ऋण पर ब्याज	151.21	178.72	190.76
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	–	142.02	49.99
(स) अन्य व्यय	42.90	21.04	40.30
योग 2	**194.11**	**341.78**	**321.57**
3. कर से पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2)	(–) 14.26	(–) 166.71	(–) 126.02
4. पूर्व अवधि के समायोजन	–	–	–
5. कर के लिए प्रावधान	–	–	–
6. कर पश्चात् लाभ (+)/हानि (–)	(–) 14.26	(–) 166.71	(–) 126.02
7. अन्य विनियोजन	–	–	–
8. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	–	–	–
9. लाभांश दत्त/देय	–	–	–
10. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	136.95	12.01	64.74
11. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	10.56	0.82	4.24

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
(1)	(2)	(3)	(4)
1 आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	24.02	61.35	98.82
(ब) अन्य आय	0.14	0.28	0.77
योग 1	**24.16**	**61.63**	**99.59**
2 व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	12.17	12.76	16.39
(ब) ब्याज	0.28	0.26	0.19
(स) अन्य व्यय	9.46	39.74	66.45
योग 2	**21.91**	**52.76**	**83.03**

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)
योग 2	**21.91**	**52.76**	**83.03**
3. कर से पूर्व लाभ (+)/हानि(–)	(+) 2.25	(+) 8.87	(+) 16.56
4. कर का प्रावधान	–	–	–
5. पूर्व अवधि के समायोजन	(+) 1.49	(–) 1.61	(–) 3.53
6. अन्य विनियोग	–	–	–
7. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	3.74	7.26	13.03
8. लाभांश दत्त/देय	0.21	0.52	1.12
9. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	4.02	7.52	13.22
10. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	11.53	17.43	24.08

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. आय			
विक्रय	178.37	128.12	162.84
अन्य राजस्व	29.86	27.84	35.43
अन्तिम रहतिया	67.92	106.77	147.67
योग 1	**276.15**	**262.73**	**345.94**
2 व्यय			
क्रय	39.07	74.06	124.25
अन्य व्यय	75.25	84.95	85.62
प्रारम्भिक रहतिया	117.19	67.92	106.77
योग 2	**231.51**	**226.93**	**316.64**
शुद्ध लाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.29	10.92	8.19

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
		(अनन्तिम)	
1 आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	59.03	47.71	50.93
(ब) अन्य आय	12.38	10.57	11.28
योग 1	**71.41**	**58.28**	**62.21**
2 व्यय			
(अ) स्थापना	16.95	19.14	22.51
(ब) ब्याज	28.28	24.28	21.75
(स) अन्य व्यय	25.58	14.02	17.03
योग 2	**70.81**	**57.44**	**61.29**
3. आय का व्यय पर आधिक्य	0.60	0.84	0.92
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रति लाभ	28.88	25.12	22.67
5. नियोजित पूँजी पर प्रति लाभ का प्रतिशत	9.64	8.78	9.90

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
(1)	(2)	(3)	(4)
1 आय			
सेन्टेज	37.75	38.31	56.50
सर्वे एवं परियोजना शुल्क	7.60	11.38	15.36
ब्याज	20.80	16.43	21.33
अनुदान	20.02	42.10	36.42
अन्य	9.76	10.89	51.01
योग 1	**95.93**	**119.11**	**180.62**

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)
2 व्यय			
स्थापना प्रभार	62.00	68.50	81.43
रख रखाव पर व्यय	39.48	62.16	66.46
ब्याज	20.91	26.15	20.68
अन्य व्यय	13.28	14.30	12.80
ह्रास	0.39	0.36	0.36
योग 2	**136.06**	**171.47**	**181.73**
घाटा	(–) 40.13	(–) 52.36	(–) 1.11
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(–) 19.22	(–) 26.21	19.57
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	–	–	0.59

परिशिष्ट–6

(प्रस्तर संख्या 1.6.2.3 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की परिचालनात्मक कार्यसम्पादन को दर्शाती विवरणी

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या			
(अ) अपनी बसें	7352	6859	6531
(ब) किराये की बसें	846	982	1367
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	6432	6177	5804
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत	87	90	89
कर्मचारियों की संख्या	52537	50552	48909
कर्मचारी वाहन अनुपात	7.26	7.10	6.74
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की संख्या	2305	2234	2135
मार्ग किलोमीटर	503160	492505	465320
परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
(अ) सकल	6726	7160	7282
(ब) प्रभावी	6560	6988	7102
(स) मृत एवं ह्रासित	166	172	180
मृत किलोमीटर का सकल किलोमीटर पर प्रतिशत	2.47	2.40	2.47
प्राप्त औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	218	243	245
प्रति किलोमीटर औसत परिचालन राजस्व (पैसे)	914	949	1000
प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	983	974	1082
प्रति किलोमीटर लाभ (+)/हानि (–) (पैसे)	(–) 69	(–) 25	(–) 82
परिचालित डिपों की संख्या	114	114	114
प्रति लाख किलोमीटर पर खराब होने की औसत संख्या	5.50	4.55	4.30
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.20	0.22	0.19
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	67.26	71.60	72.82
धारित अनुपात	64	65	61
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटर :			
(अ) डीजल	4.56	4.60	4.69
(ब) इंजन तेल	823	870	894

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97		1997-98		1998-99	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	261	110.46	175	68.43	111	28.79
प्राप्त आवेदन पत्र	2982	994.11	2077	581.87	1078	302.80
योग	**3243**	**1104.57**	**2252**	**650.30**	**1189**	**331.59**
स्वीकृत आवेदन पत्र	2687	707.45	1741	360.26	560	106.18
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन पत्र	381	328.70	400	261.25	290	145.44
वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र	175	6843	111	28.78	339	79.97
वितरित ऋण	1491	423.14	1300	268.89	637	129.39
वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	20669	1254.38	21452	1310.81	–	–
वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि						
(अ) मूल	–	137.65	–	164.60	–	238.22
(ब) ब्याज	–	370.52	–	377.04	–	498.89
योग	–	**508.17**	–	**541.64**	–	**737.11**
वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि	–	146.18	–	280.03	–	–
योग	–	**146.18**	–	**280.03**	–	–
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत	–	**4051**	–	**41.32**	–	–

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
(1)	(2)	(3)	(4)
आवृत केन्द्रों की संख्या	101	118	133
वर्ष की समाप्ति तक बनाई गई भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(अ) स्वामित्व में	11.80	11.81	11.94
(ब) किराये पर	1.09	1.72	5.97
योग	**12.89**	**13.53**	**17.91**

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में)	10.58	11.91	15.25
उपयोग का प्रतिशत	82.08	88.03	94.00
औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	227.06	517.38	633.05
औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	207.09	443.16	544.33
लाभ (+)/हानि (–) प्रति टन (रुपये)	(+) 19.97	(+) 74.22	(+) 88.72

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1 लकड़ी, चिराई लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	3.92	6.70	7.53
(ब) विक्रय	1.87	3.19	4.35
(स) हानियाँ/कमियाँ	–	–	–
(द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन	0.02	0.01	–
(इ) अन्तिम शेष	2.03	3.50	3.18
2 तेन्दू पत्ता (मानक बोरे लाख में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	4.41	4.40	5.61
(ब) विक्रय	4.19	3.97	5.23
(स) हानियाँ/कमियाँ	–	–	–
(द) अन्तिम शेष	0.22	0.43	0.38
3. बाँस (लाख बण्डल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[78]	2.51	3.44	2.07
(ब) विक्रय	0.90	2.63	1.47
(स) हानियाँ/कमियाँ	–	–	–
(द) अन्तिम शेष	1.61	0.81	0.60
4. कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	0.38	0.22	0.22
(ब) विक्रय	0.33	0.20	0.21
(स) हानियाँ/कमियाँ	–	0.01	–
(द) अन्तिम शेष	0.05	0.01	0.01

78 प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान उत्पादन को सम्मिलित करता है।

(1)	(2)	(3)	(4)
5. बैली घास (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[79]	0.30	0.42	0.36
(ब) विक्रय	0.15	0.19	0.22
(स) हानियाँ/कमियाँ	–	0.01	–
(द) अन्तिम शेष	0.15	0.22	0.14
6. जड़ी बूटी (लाख किग्रा में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	3.41	6.67	9.29
(ब) विक्रय	0.28	1.12	4.43
(स) हानियाँ/कमियाँ	0.01	0.03	0.34
(द) अन्तिम शेष	3.12	5.52	4.52

79 प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान उत्पादन को सम्मिलित करता है।

परिशिष्ट – 7

(प्रस्तर संख्या 1.8 द में संदर्भित)

उन कम्पनियों जिनके व्यवसाय विगत 5 वर्षों से 5 करोड़ रुपये से कम था तथा जिनके लेखे प्रमाणित थे, को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	कम्पनी का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे	व्यवसाय (लाख रुपयों में)				
			अद्यतन वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	1995-96	65.07	163.86	120.48	49.18	42.96
2.	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1998-99	171.84	198.60	296.67	280.15	192.26
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1998-99	206.37	264.97	301.96	231.27	127.34
4.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1998-99	36.18	46.16	60.96	57.10	51.32
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1997-98	74.25	76.43	63.70	25.31	23.85
6.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1991-92	201.21	183.59	147.59	119.94	93.31
7.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड	1997-98	348.39	133.72	64.31	168.18	161.69
8.	ट्रांस केबिल्स लिमिटेड	1995-96	4.79	4.03	2.43	2.88	1.39
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1998-99	165.94	193.19	157.90	159.04	54.91
10.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड	1990-91	16.50	19.59	15.80	9.86	57.21
11.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड	1996-97	28.55	19.78	19.87	19.69	35.58
12.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1998-99	87.34	93.41	99.69	107.17	88.43
13.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1993-94	175.01	124.40	63.60	30.20	10.66
14.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1993-94	435.71	444.40	290.01	253.38	212.49
15.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1987-88	28.63	60.66	52.68	20.09	13.58
16.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1985-86	11.74	7.05	6.16	2.77	2.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड[80]	1997-98	71.00	67.90	70.20	40.84	60.35
18.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1989-90	33.79	33.67	20.42	30.60	27.91
19.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1990-91	36.11	24.57	28.62	11.31	5.73
20.	अपलीज़ फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड	1997-98	128.63	71.61	50.04	55.26	67.88
21.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	1997-98	165.11	171.39	192.77	169.82	158.31
22.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1992-93	16.80	15.39	11.59	9.17	6.02
23.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1996-97	17.79	19.46	25.20	20.98	22.29

80 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की पुनर्संरचना के फलस्वरूप कम्पनी को 14.01.2000 से तापीय उत्पादन का कार्य सौंपा गया है।

परिशिष्ट – 8

(प्रस्तर संख्या 1.8 द में संदर्भित)

पिछले पाँच वर्षों में जिनके लेखें प्रमाणित हो गये थे उन कम्पनियों की चुकता पूँजी एवं संचित हानि को दर्शाने वाली विवरणी

क्र0 सं0	कम्पनी का नाम	चुकता पूँजी एवं एकत्रित हानि की राशि (रुपये लाख में)										
		प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		पंचम वर्ष	
		अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे	चुकता पूँजी	एकत्रित हानि	चुकता पूँजी	एकत्रित हानि	चुकता पूँजी	एकत्रित हानि	चुकता पूँजी	एकत्रित हानि	चुकता पूँजी	एकत्रित हानि
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	1997-98	2732.00	5309.36	2732.00	5638.35	2732.00	5250.50	1904.05	4865.26	1904.05	4972.89
2.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1998-99	640.00	1125.39	590.00	721.23	590.00	438.18	590.00	453.86	540.00	336.77
3.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड	1999-2000	174.71	259.22	174.71	260.79	174.71	270.88	174.71	277.84	174.71	283.35
4.	अप्ट्रान इण्डिया लिमिटेड	1995-96	5315.59	19693.43	5315.59	16481.00	5249.15	13362.06	4664.15	10317.24	3464.15	7678.58
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	1997-98	16079.37	18056.07	16079.37	18336.70	16079.37	24841.57	15579.37	19655.38	15579.37	17769.73
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	1998-99	3190.52	6872.84	3190.52	5635.61	3190.52	5090.56	3190.52	6569.32	3190.52	5138.14
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	1998-99	7842.84	7937.59	7842.84	8041.21	7842.84	9901.63	7842.84	11525.19	7842.84	10980.31
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	1995-96	47575.92	68302.57	46740.12	56265.94	46740.12	52076.40	44851.12	46047.53	36714.12	37159.99
9.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	1997-98	1224.52	3263.41	1224.52	3042.36	1224.52	2403.44	600.81	1987.10	600.81	1986.31
10.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	1996-97	3404.05	7585.58	3404.05	6659.56	2457.72	5899.85	2457.72	5335.88	2457.72	5032.14
11.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	1997-98	894.86	3247.23	894.86	2843.15	894.85	2301.48	794.08	1768.97	794.08	1527.21
12.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	1999-2000	22.02	2665.21	22.02	2139.28	22.02	1721.84	22.02	1232.65	22.02	1000.12
13.	यू. पी. स्टेट एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1996-97	674.27	755.77	674.27	687.35	620.27	618.66	514.27	546.15	510.27	361.00

परिशिष्ट–9

(प्रस्तर संख्या 2अ.5.1 में संदर्भित)

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	दायित्व					
अ	चुकता पूँजी	11057.50	11057.50	11057.50	11057.50	11057.50
ब	निधियाँ एवं संचय	1037.11	129.92	124.24	124.24	124.24
स	ऋण	40349.11	42724.39	52191.05	65838.22	70862.74
द	चालू दायित्व एवं प्रावधान	11870.01	15286.73	13665.26	11933.97	13444.30
	योग	**64313.73**	**69198.54**	**77038.05**	**88953.93**	**95488.78**
2.	**सम्पत्तियाँ**					
इ	सकल मूल्य	3038.00	3263.85	3463.91	3451.06	3394.05
ई	घटाया ह्रास	1658.76	1861.77	1837.56	1983.63	2099.63
उ	शुद्ध सम्पत्तियाँ	1379.24	1402.08	1626.35	1467.43	1294.42
ऊ	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	1.24	3.04	3.04	3.56	3.56
ए	विनियोग	6926.19	7681.75	8657.71	8881.96	10524.44
ऐ	चालू सम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	56007.06	60111.67	64614.00	72669.85	72412.40
ओ	लाभ–हानि खाता	–	–	**2136.95**	**5931.13**	**11253.96**
	योग	**64313.73**	**69198.54**	**77038.05**	**88953.93**	**95488.78**
3.	नियोजित पूँजी[81]	52421.28	53177.77	58642.30	70196.37	79532.22
4.	शुद्ध आस्ति[82]	12094.61	11187.42	9044.79	5250.61	(–) 72.22

81 नियोजित पूँजी (अ) चुकता पूँजी (ब) निधियाँ एवं संचय (स) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र तथा ऋण (पुनर्वित्त को लेकर) के पूर्व और अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाती है।

82 शुद्ध आस्ति, चुकता पूँजी एवं निधियाँ एवं आधिक्य को जोड़कर अमूर्त सम्पत्तियों एवं हानियों को घटाने के बाद अवशेष को दर्शाती है।

परिशिष्ट – 10

(प्रस्तर संख्या 2अ.5.2 में संदर्भित)

कम्पनी के कार्यचालन परिणाम

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आय	7423.02	7879.70	8997.07	8454.90	7304.03
2.	वेतन तथा अन्य पर व्यय	1096.72	1125.70	1578.25	1864.31	1494.26
3.	ऋण पर ब्याज	5357.60	6257.48	7262.54	9115.34	9764.67
4.(अ)	कर पूर्व लाभ/हानि	(+) 968.70	(+) 496.52	(+) 156.28	(–) 2524.75	(–) 3954.90
(ब)	आस्ति वर्गीकरण (लीज किराया को लेकर) हेतु प्राविधान	–	–	2293.17	1269.43	1367.93
(स)	अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण के लिए प्राविधान	38.13	22.87	5.74	–	–
(द)	विशेष संचय	289.79	154.11	–	–	–
(इ)	कर प्राविधान	87.11	32.94	–	–	–
(ई)	**कर पश्चात् लाभ (+)/हानि (–)**	**(+) 553.67**	**(+) 286.60**	**(–) 2142.63**	**(–) 3794.18**	**(–) 5322.83**
5.	कर पश्चात् लाभ का प्रतिशत					
(अ)	नियोजित पूँजी	1.06	0.54	–	–	–
(ब)	शुद्ध आस्ति	4.58	2.56	–	–	–
(स)	अंश पूँजी	5.01	2.59	–	–	–
6.	आय से प्रशासनिक व्ययों का प्रतिशत (ब्याज एवं अन्य व्यापारिक प्राप्तियों से वेतन एवं अन्य व्ययों का)	14.77	14.29	17.54	22.05	20.45
7.	**ब्याज आय के प्रतिशत के रूप में**	**72.18**	**79.41**	**80.72**	**107.81**	**133.69**

परिशिष्ट–11

(प्रस्तर संख्या 2अ.7.1 में संदर्भित)

सावधिक ऋण योजना के अंतर्गत बकायों के न वसूले जाने की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	कम्पनियों के नाम	वितरण माह	वितरण किये गये सावधि ऋण की राशि	मूलधन	ब्याज	योग	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	जी.एस. प्रोडक्ट्स (प्रा0) लिमिटेड	अप्रैल 1990 से नवम्बर 1991	90.00	79.00	77.05	156.05	निगम परियोजना की लाभदायकता की समीक्षा करने, पुराने प्रवर्तकों की व्यक्तिगत जमानत का हरण करने, एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत नोटिस जारी करने तथा भुगतान में विफलता के बाद इकाई को पुनः सम्बद्ध करने में विफल रही। जिसके कारण 1.56 करोड़ रुपये की हानि हुई। **(प्रस्तर 2.अ.7.1.1)**
2.	हण्टर फूड्स	अगस्त 1987	90.00	90.00	280.27	370.37	प्रवर्तकों के नाम पर किसी सम्पत्ति की अनुपलब्धता, अव्यापारित अंशको जिनकी कोई कीमत नहीं थी को छोड़कर, के कारण 3.70 करोड़ रुपये के बकायों की वसूली की सम्भावना नगण्य थी। **(प्रस्तर 2.अ.7.1.2)**
3.	रेणुका रिसोर्ट्स (प्रा0) लिमिटेड	सितम्बर 1997	300.00	300.00	129.72	439.72	निगम द्वारा जारी किया गया 3.99 करोड़ रुपये का वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारी की टिप्पणी कि "चल/अचल सम्पत्ति उपलब्ध नही" के साथ बिना वसूली के लौट आया। दूसरे प्रमाण पत्रों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नही हुई थी। **(प्रस्तर 2.अ.7.1.3)**
4.	गंगा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मार्च 1991	112.50	112.50	224.47	336.97	मुख्यतः असत्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन लगाये जाने के कारण निगम को 3.37 करोड़ रुपये की हानि हुई। **(प्रस्तर 2.अ.7.1.4)**

(लाख रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	एल.आर. ब्रदर्स	सितम्बर 1996	225.00	225.00	186.15	411.15	परियोजना की लाभदायकता के अशुद्ध आँकलन, उत्पादन क्षमता के आंशिक क्रियान्वयन, 3 बार वसूली प्रमाण पत्रों को जारी किये जाने के बावजूद तथा वसूली प्रमाण पत्रों को वसूली हेतु गलत पते पर भेजे जाने के कारण, बकाये की वसूली की संभावना नगण्य थी। **(प्रस्तर 2.अ.7.1.5)**
6. से 12.	मनु ग्रुप आफ कम्पनीज (सात कम्पनीज)	मई 1988 से जुलाई 1991	568.95	568.95	1613.19	2182.14	सात इकाईयों के विरुद्ध बकाया राशि 21.82 करोड़ रुपये की वसूली की संभावना नगण्य थी। **(प्रस्तर 2.अ.7.1.6)**
13.	हिन्दुस्तान टेक्नीक	सितम्बर 1997	200.00	200.00	88.54	288.54	ब्रिज ऋण का वितरण, वितरण पूर्व शर्तों यथा भूमि की अधिप्राप्ति, भवन योजना का अनुमोदन तथा प्रवर्तकों का पूँजी अंशदान आदि को शिथिल करते हुये किया गया। कम्पनी द्वारा, धनराशियों को अंतर कम्पनी जमा (410 लाख रुपये) तथा निर्माण कार्यो के लिये अग्रिम (118 लाख रुपये) के रूप में दर्शा कर जबकि कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था, वित्तीय अनियमितायें की गईं जिनको भी सनदि लेखाकारों द्वारा व्ययों के रूप में सत्यापित किया जाना अनुचित था।
14.	खटौली मशीन फेब्रीकेटर्स	मार्च 1990	77.40	77.40	126.78	204.18	वितरण पूर्व की विभिन्न शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये बिना ऋणों का वितरण किया जाना। भुगतान में विफल रहीं इकाईयों को सम्बद्ध करने हेतु विलम्बित प्रयास जिसके कारण सम्पत्तियों को स्थल से हटाने में सहायता मिली।
15.	काशीपुर एडबिल आयल लिमिटेड	जुलाई 1989	39.55	39.55	534.38	573.93	परियोजना की लाभदायकता एवं प्रवर्तकों की क्षमता को सुनिश्चित किये बिना ऋण वितरण किया गया। पुनः प्रबंधन के अविवेकपूर्ण निर्णय, जिसके अंतर्गत सम्पत्तियों को जून 1991 में 60 लाख रुपयों में विक्रय नहीं किया गया था जिसे बाद में दिसम्बर 1998 में 26.10 लाख रुपये में बिक्री किया गया, के कारण बकायों की वसूली नही हो सकी।
16.	एम. एम. पोलीटेक्स लिमिटेड	नवम्बर 1987	88.00	49.52	489.34	538.86	परियोजना की लाभदायकता को निर्धारित करने में विफलता। परियोजना की स्थिति तथा जमानतदारों के नाम पर व्यक्तिगत सम्पत्ति की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना ऋण का वितरण।

(लाख रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	मोहन एग्रो राइस मिल	अक्टूबर 1991	77.50	77.50	227.96	305.46	जमानतदारों के शपथ पत्र में उल्लिखित सम्पत्तियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना ऋण का वितरण। इकाई को सम्बद्ध करने तथा सम्पत्तियों का निस्तारण करने में विलम्ब के कारण सम्पत्तियों को स्थल से हटा दिया गया।
18.	विम्पी फूड्स (1) (प्रा0) लिमिटेड	मार्च 1984	54.00	40.65	582.09	622.74	अनिवासी भारतीय द्वारा प्रवर्तित एक कम्पनी जिन्होंने निगम को गिरवी रखे गये भूखण्ड पर इकाई को स्थापित नहीं किया तथा अप्रवासी भारतीय निदेशकों की चल/अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा प्राप्त किये बिना ऋण वितरण किया जो कि देश छोड़ चुके थे।
19.	लारी होटल्स (प्रा0) लिमिटेड	जून 1988 एवं दिसम्बर 1990	150.00	150.00	357.00	507.00	परियोजना की लाभदायकता न होने तथा नैनीताल जिले के तराई क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की गिरती स्थिति तथा आतंकवादी गतिविधियों की उपेक्षा करते हुए ऋण वितरित किया। विगत 5 वर्षो मे आठवीं बार एक मुश्त भुगतान प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना तथा वसूली हेतु कोई सख्त प्रयास नहीं करना। आठवीं बार बढ़ोत्तरी राज्य सरकार के निर्देश पर की गई थी।
20.	फारच्यून पोलीमर्स इण्डस्ट्रीज (प्रा0) लिमिटेड	मार्च 1990	90.00	90.00	262.12	352.12	प्रवर्तकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति से वसूली हेतु कोई प्रयास न करके एक "मुश्त भुगतान प्रस्ताव" के अंतर्गत केवल मूलधन पर बकायों का निपटारा।
21.	नेत राम रोलर एण्ड फ्लोर मिल (प्रा0) लिमिटेड	सितम्बर 1988	50.00	29.40	206.48	235.88	बकायों की वसूली हेतु किसी सख्त कार्यवाही की बजाय एक मुश्त भुगतान प्रस्ताव के अंतर्गत बकायों का निपटारा। बकाया ब्याज देयों 2.07 करोड़ रुपये को छोड़ देना।
	योग					**7525.01**	

परिशिष्ट–12

(प्रस्तर संख्या 2अ.7.2 में संदर्भित)

अल्पकालिक ऋण योजना के अंतर्गत बकायों के न वसूले जाने की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	वितरण राशि	मूलधन	ब्याज एवं अन्य	योग	टिप्पणियाँ
1.	आनन्द एग्रोकेम इण्डिया (प्रा0) लिमिटेड	500.00	500.00	790.27	1290.27	इकाई को सम्बद्ध करने हेतु विलम्ब से किये गये प्रयास के कारण ऋणी इकाई को स्थगनादेश प्राप्त करने न्यायालय जाने हेतु पर्याप्त समय मिल गया जिसके कारण निगम को 12.90 करोड़ रुपये की हानि हो सकती है। (प्रस्तर 2.अ.7.2.1)
2.	योगी फार्मेसी लिमिटेड	150.00	150.00	115.37	265.37	2.65 करोड़ रुपये की वसूली की सम्भावना नगण्य थी जिसके कारण निगम को इस सीमा तक हानि हुई। (प्रस्तर 2.अ.7.2.3)
3.	एच.लोन होजरी लिमिटेड	150.00	150.00	109.64	259.64	इकाई समापन के प्रक्रिया में थी तथा जमानतदारों के पास बकायों की वसूली हेतु कोई सम्पत्ति शेष नहीं थी। (प्रस्तर 2.अ.7.2.3)
4.	लुनार डायमण्ड लिमिटेड	150.00	150.00	58.87	208.87	निगम द्वारा एक अयोग्य इकाई को, फर्जी वित्तीय प्रपत्रों पर तथा अल्पकालीन ऋण सम्बंधी शर्तो को पालन सुनिश्चित किये बिना ऋण वितरित किया गया। (प्रस्तर 2.अ.7.2.4)
5.	ए.टीवी प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड	150.00	150.00	193.96	343.96	प्रबंधन द्वारा न तो 7 लाख गिरवी अंशकों को निस्तारित किया और न ही प्रवर्तकों की व्यक्तिगत जमानत का हरण किया। प्रबंधन द्वारा बीआइएफआर में इसके 5 दिसम्बर 1998 को पंजीकृत होने के पाँच दिनों बाद 10 दिसम्बर 1998 को समापन सूचना जारी करने का निर्णय दोनों कार्यों में केवल पाँच दिनों का अंतर होने के कारण संदेहास्पद तथा ऋणी इकाई को मदद करता प्रतीत होता है।
6.	प्रीमियम इण्टरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड	134.22	90.68	137.56	228.24	एक वित्तीय कम्पनी जो अल्पकालिक ऋणों हेतु अनुमन्य नहीं थी को ऋणों का वितरण। दो कम्पनियों के गिरवी रखे गये अंशकों के निस्तारण में विफलता तथा जमानतदार के नाम से चल/अचल सम्पत्ति की अनुपलब्धता के कारण हानि हुई।
7.	डीजिफलेक्स इण्डिया लिमिटेड	74.63	69.63	143.39	213.02	गिरवी रखे गये अंशको को भुगतान में विफलता के बाद भी नहीं निस्तारित किया जाना तथा प्रवर्तकों की जमानत का भी हरण न किये जाने के कारण हानि हुई।
	योग				2809.37	

परिशिष्ट–13

(प्रस्तर संख्या 2अ.7.5 में संदर्भित)

लीज़ सहायता की स्थिति

(लाख रुपये में)

वर्ष	स्वीकृति लीज़	वितरण	संचयी वितरण	लीज़ किराया देय			लीज़ किराये की वसूली	अदत्त लीज़ किराया	वसूली का प्रतिशत
				प्रारम्भिक शेष	वर्तमान	योग			
31.3.1994 तक	2157.46	1867.54	1867.54	–	–	–	–	–	–
1994-95	–	9.88	1877.42	314.88	294.22	609.10	267.63	341.47	43.94
1995-96	784.00	292.24	2169.66	341.47	231.37	572.84	170.23	402.61	29.72
1996-97	175.86	501.21	2670.87	402.61	258.70	661.31	131.99	529.32	19.96
1997-98	575.20	548.32	3219.19	529.32	299.72	829.04	165.87	663.17	20.00
1998-99	–	–	3219.19	663.17	289.61	952.78	102.37	850.41	10.74

परिशिष्ट – 14

(प्रस्तर संख्या 2अ.7.6 में संदर्भित)

निवेश की स्थिति

क्रम सं0	प्रतिभूति का नाम	मात्रा (संख्या)	अधिगृहीत मूल्य प्रति अंश (रुपये में)	धनराशि (लाख रुपये में)	विनिवेशित मात्रा (संख्या)	31.3.1999 को मूल्य (रुपये प्रति अंश)	31.3.1991 को अंशकों का कुल मूल्य (लाख रुपये में)
1.	दीवान स्टील्स लिमिटेड			21.63	पूर्ण (21.63)		
2.	सिध इंडस्ट्रीज	200000	15	30.00	शून्य	5.95	11.90
3.	एमको विनायल लिमिटेड	100000	20	20.00	शून्य	18.00	18.00
4.	पाम फार्मा लिमिटेड	40000	55	22.00	शून्य	2.45	0.98
	पाम फार्मा लिमिटेड	40000	65	26.00	शून्य	2.45	0.98
5.	महान फूडस् लिमिटेड	62500	15	9.38	शून्य	2.75	1.09
6.	किटप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड	100000	50	50.00	शून्य	10.00	10.60
7.	रूंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड	50000	60	30.00	शून्य	15.85	7.63
8.	टिन्ना ओवरसीज लिमिटेड	28200	95	26.79	शून्य	20.00	5.64
9.	दीवान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	100000	90	90.00	47500 (42.75)	2.50	1.84
	दीवान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	300000	75	225.00	शून्य	3.50	10.50
10.	आई डी बी आई	68600	130	89.18	शून्य	29.70	20.37
11.	रेम्ड लैब्स लिमिटेड	50000	10	5.00	11200 (1.12)	6.50	2.52
12.	कानन स्टील्स लिमिटेड	297100	15	44.57	शून्य	7.50	22.28
13.	मालविका स्टील्स लिमिटेड	46600	40	18.64	शून्य	20.00	9.32
14.	केशलता कैंसर हास्पिटल लिमिटेड	63000	15	9.45	2300 (0.35)	1.10	0.67
15.	पशुपति फैब्रिक्स लिमिटेड	499300	10	49.93	शून्य	कोई कोटेशन नही	49.93
16.	पारस रामपुरिया सिंथेटिक्स लिमिटेड	99600	10 (आंशिक भुगतान)	11.95	शून्य	कोई कोटेशन नहीं	शून्य
				713.67			**174.25**

परिशिष्ट – 15

(प्रस्तर संख्या 2अ.8.2 में संदर्भित)

गैर निष्पादक सम्पत्तियों की स्थिति

(लाख रुपये में)

श्रेणी	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(अ) निष्पादक सम्पत्तियाँ					
मानक	30169.31 (64.08)	28520.56 (60.04)	29605.12 (54.23)	30854.85 (50.77)	25595.30 (41.46)
(ब) गैर निष्पादक सम्पत्तियाँ					
गैर मानक	5502.59	8108.29	13326.87	16947.47	20183.68
संदेहास्पद (डी1)	8530.88	7799.08	6912.03	5670.27	7511.81
संदेहास्पद (डी2)	1710.74	2241.44	3917.96	6594.72	7718.10
हानि	1165.30	830.49	826.45	705.87	728.11
योग गैर निष्पादक सम्पत्तियाँ	16909.51	18979.30	24983.31	29918.33	36141.70
योग ऋण सम्पत्तियाँ	47078.82	47499.86	54588.43	60773.18	61737.02
कुल ऋण सम्पत्तियों से गैर निष्पादक सम्पत्तियों का प्रतिशत	35.92	39.96	45.77	49.23	58.54

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आँकड़े मानक सम्पत्तियों का कुल ऋण सम्पत्तियों से प्रतिशत को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट – 16

(प्रस्तर संख्या 2अ.8.3 में संदर्भित)

वसूली प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(लाख रुपये में)

विवरण	प्रकरणों की संख्या	मूलधन	ब्याज	कमिटमेंट व्यय	ब्याज कर	योग
01–04–1994 को बकाया वसूली प्रमाण पत्र	29	1191.40	866.66	0.41	7.05	2065.52
5 वर्षों में जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र	95	7805.21	7688.88	2.00	201.17	15697.26
वापस हुए या लौटे हुए प्रमाण पत्र	7	293.77	189.50	–	5.27	488.54
वसूली की गई/अपलिखित की गई	–	–	2.06	–	0.06	2.12
31 मार्च 1999 को वसूली के लिए बकाया प्रमाण पत्रों की स्थिति	117	8702.84	8363.98	2.41	202.89	17272.12

परिशिष्ट–17

(प्रस्तर संख्या 2अ.9 में संदर्भित)

एकमुश्त समाधानों की स्थिति

(लाख रुपये में)

वर्ष	पूर्ण सम्मानित			आंशिक सम्मानित			निरस्त एक मुश्त समाधान			माफ की गई धनराशि	
	निपटाये गये प्रकरणों की संख्या	एक मुश्त निपटारों की राशि	भुगतान की गई धनराशि	निपटाये गये प्रकरणों की संख्या	एक मुश्त निपटारों की राशि	भुगतान की गई धनराशि	निपटाये गये प्रकरणों की संख्या	एक मुश्त निपटारों की राशि	भुगतान की गई धनराशि	दण्ड एवं चक्रवृद्धि ब्याज	साधारण ब्याज
31.3.94 तक	03	93.98	93.98	–	–	–	–	–	–	62.70	–
1994-95	17	840.09	840.09	01	60.40	56.79	–	–	–	447.50	19.50
1995-96	21	916.11	916.11	07	373.69	257.00	04	363.35	20.00	722.16	169.60
1996-97	05	328.93	328.93	02	128.00	88.80	03	286.05	36.00	598.06	252.53
1997-98	07	463.82	463.82	06	466.58	307.18	–	–	–	594.14	115.06
1998-99	04	269.78	269.78	07	614.88	366.79	05	436.39	28.12	720.61	252.71
योग	**57**	**2912.71**	**2912.71**	**23**	**1643.55**	**1076.56**	**12**	**1085.79**	**84.12**	**3145.17**	**809.40**

परिशिष्ट – 18

(प्रस्तर संख्या 2ब.8.3 में संदर्भित)

वर्ष–वार एवं कार्यशाला–वार गंदे एवं जले हुए ट्रांसफार्मर आयल की कम प्राप्ति का विवरण

वर्ष	वाराणसी कार्यशाला				इलाहाबाद कार्यशाला				कानपुर कार्यशाला				बरेली कार्यशाला				कुल योग			
	कार्यशाला में प्राप्त ट्रांसफार्मर (संख्या)	मानकों के अनुसार 70% वापसी योग्य ट्रांसफार्मर आयल की मात्रा (लीटर)	ट्रांसफार्मर आयल की प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)	कम प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)	कार्यशाला में प्राप्त ट्रांसफार्मर (संख्या)	मानकों के अनुसार 70% वापसी योग्य ट्रांसफार्मर आयल की मात्रा (लीटर)	ट्रांसफार्मर आयल की प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)	कम प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)	कार्यशाला में प्राप्त ट्रांसफार्मर (संख्या)	मानकों के अनुसार 70% वापसी योग्य ट्रांसफार्मर आयल की मात्रा (लीटर)	ट्रांसफार्मर आयल की प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)	कम प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)	कार्यशाला में प्राप्त ट्रांसफार्मर (संख्या)	मानकों के अनुसार 70% वापसी योग्य ट्रांसफार्मर आयल की मात्रा (लीटर)	ट्रांसफार्मर आयल की प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)	कम प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)	कार्यशाला में प्राप्त ट्रांसफार्मर (संख्या)	मानकों के अनुसार 70% वापसी योग्य ट्रांसफार्मर आयल की मात्रा (लीटर)	ट्रांसफार्मर आयल की प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)	कम प्राप्ति लीटर/(प्रतिशत)
1995-96	1870	123371	84597 (48)	38774 (22)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2296	175647	145301 (58)	30346 (12)	1257	121831	60915 (35)	60916 (35)	5423	420849	290813	130036
1996-97	3140	210748	156555 (52)	54193 (18)	3142	262657	180107 (48)	82550 (22)	3496	258496	176674 (48)	81822 (22)	2000	152999	76499 (35)	76500 (35)	11778	884900	589385	295065
1997-98	4056	260424	193458 (52)	66966 (18)	2769	173869	129160 (52)	44709 (18)	2818	190102	173850 (64)	16252 (06)	1750	108328	51820 (33.5)	56508 (36.5)	11393	732723	548288	184435
1998-99	4179	259227	207318 (56)	51846 (14)	3886	239813	178146 (52)	61667 (18)	2492	166513	134157 (56)	32356 (14)	2133	129741	57267 (31)	72474 (39)	12690	795294	576951	218343
1999-2000	5986	406766	337034 (58)	69732 (12)	3264	229763	180528 (55)	49235 (15)	3181	244836	123875 (36)	120961 (34)	2191	152079	57547 (26.5)	94532 (43.5)	14622	1033444	698984	334460
योग	19231	1260536	979025	281511	13061	906102	667941	238161	14283	1035594	753857	281737	9331	664978	304048	360930	55906	3867210	2704871	1162339
कुल कम प्राप्त हुए ट्रांसफमार्मर आयल की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर की दर से																				20922102

परिशिष्ट–19

(प्रस्तर संख्या 2स.4.2 में संदर्भित)

ताज ट्रैपेजियम के कार्यों के सम्बंध में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों एवं प्राप्तियों को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कार्यो के नाम	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य		वास्तविक समाप्ति		परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कमी (-)/बचत (+)	समय बढ़ोत्तरी (माह में)
		माह	धनराशि	माह	धनराशि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ)	**अल्पकालीन उपाय**						
1.	132 के वी उपकेन्द्र शमसाबाद तथा एसोसियेट लाइनो का निर्माण						
2.	33/11 के वी उपकेन्द्र शाह टाकीज, आगरा का निर्माण	अगस्त 1996	6.27	अगस्त 1996	6.27	–	शून्य
3.	4,33/11 के वी उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि						
योग (अ)			**6.27**		**6.27**		
(ब)	**मध्यकालीन उपाय**						
1.	220 के वी उपकेन्द्र गोकुल, मथुरा तथा एसोसियेट लाइनों का निर्माण	जून 1997	23.83	मार्च 1999	16.60	(+) 7.23	21
2.	400 के वी उपकेन्द्र आगरा का निर्माण	जून 1997	60.00	नवम्बर 1998	49.36	(+) 10.64	17
3.	निर्माण :						
	(i) 132/33 के वी उपकेन्द्र आगरा कैन्ट तथा एसोसियेट लाइनों का निर्माण	अप्रैल 1998	7.00	अक्टूबर 1998	5.68	(+) 1.32	6
	(ii) 132/33 के वी उपकेन्द्र एत्मादपुर तथा एसोसियेट लाइनों का निर्माण	---तदैव---	9.00	अक्टूबर 1998	6.58	(+) 2.42	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	वर्तमान 132/33 के वी उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि						
	(i) आगरा, फाउंड्रीनगर	अप्रैल 1998	1.35	नवम्बर 1997	1.29	(+) 0.06	शून्य
	(ii) हाथरस	---तदैव---	1.35	फरवरी 1998	1.33	(+) 0.02	शून्य
	(iii) 400 के0वी0 उपकेन्द्र आगरा, की कार्यप्रणाली 132 के0वी0 के अतिरिक्त सिस्टम को लगाकर, की वृद्धि	---तदैव---	12.73	अप्रैल 1999	10.51	(+) 2.22	12
5.	33/11/0,4 के वी उपकेन्द्र का निर्माण	---तदैव---	8.51	अप्रैल 1998	7.28	(+) 1.23	शून्य
6.	वर्तमान 33/11 के वी उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि	---तदैव---	0.59	अप्रैल 1998	0.58	(+) 0.01	शून्य
7.	कार्यप्रणाली कार्य में सुधार हेतु अन्य कार्य (कैपिसीटर बैंक)	---तदैव---	0.25	दिसम्बर 1998	1.61	(–) 1.36	8
	योग (ब)		**124.61**		**100.82**	**(+) 23.79**	
स	**दीर्घकालीन प्रयास**						
1.	शेष प्रेषण एवं वितरण कार्यों का निर्माण	अप्रैल1999	58.76	कार्य प्रगति पर	55.33	(+) 3.43	भौतिक प्राप्तियाँ 60 से 100 प्रतिशत के मध्य रही।
	योग स		**58.76**		**55.33**		
	कुल योग (अ+ब+स)		**189.64**[83]		**162.42**	**(+) 27.22**	

83 189.64 करोड़ रुपये में से 99.54 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मदद से पूरा किया जाना था जिसके विरुद्ध राज्य सरकार से केवल 90 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे।

परिशिष्ट – 20

(प्रस्तर संख्या 3.4 में संदर्भित)

वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

(अ) वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ. पूँजी एवं देयतायें					
राज्य सरकार अंशदान	244.26	244.76	245.44	246.58	252.32
केन्द्र सरकार अंशदान	69.25	69.25	69.25	69.25	69.25
सामान्य एवं अन्य संचय	318.96	329.94	348.21	370.03	378.55
राज्य सरकार से ऋण	4.15	15.45	10.54	17.61	11.71
आई डी बी आई से ऋण	79.11	87.70	68.36	35.18	35.01
अन्य बैकों से ऋण	4.97	–	–	–	–
एल आई सी से ऋण	39.11	44.27	44.27	44.27	44.27
जन निक्षेप	3.64	4.54	5.06	6.41	7.18
अन्य	–	0.20	0.20	0.11	0.11
चालू दायित्व (अल्पकालीन ऋण एवं प्रावधानों सहित)	126.98	166.99	244.52	339.96	390.45
कुल दायित्व	**890.43**	**963.10**	**1035.85**	**1129.40**	**1188.85**
ब. सम्पत्तियाँ					
(क) निवल स्थायी सम्पत्तियाँ (ह्रास को घटाकर)					
भूमि	6.00	5.86	5.81	6.21	6.23
भवन	29.85	32.62	33.78	34.06	35.34
यात्री बसे एवं चेसिसें	438.50	450.83	461.11	506.93	506.59
कल एवं औजार	4.76	5.07	5.27	5.28	5.31
यंत्र एवं संयंत्र	0.91	0.91	1.03	1.05	1.14
फर्नीचर एवं अन्य	3.42	3.66	3.76	3.80	3.86
योग (क)	**483.44**	**498.95**	**510.76**	**557.33**	**558.47**

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख) कार्य प्रगति पर	4.88	3.30	2.58	2.82	2.59
(ग) निवेश	0.80	1.30	0.74	0.88	0.88
(घ) चालू सम्पत्तियाँ					
भण्डार	16.26	15.49	17.94	17.45	16.21
विविध देनदार	15.71	17.21	9.13	13.92	16.10
अग्रिम एवं जमा	10.56	13.06	11.22	12.56	18.78
नकद	9.16	16.39	37.18	33.66	64.60
अन्य, अंतर्कार्यालय समायोजन सहित	9.39	9.10	8.97	8.38	6.60
योग (घ)	**61.08**	**71.25**	**84.44**	**85.97**	**122.29**
संचित हानि	340.23	388.30	437.33	482.40	504.62
कुल सम्पत्तियाँ	**890.43**	**963.10**	**1035.85**	**1129.40**	**1188.85**

(ब) कार्यचालन परिणाम

(करोड़ रुपये में)

		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अ	राजस्व					(अनन्तिम)
	(i) परिचालन	439.95 (6.93)	484.44 (7.60)	513.84 (8.46)	565.19 (8.62)	638.46 (9.14)
	(ii)अपरिचालन	16.07 (0.25)	20.75 (0.25)	26.78 (0.44)	34.56 (0.53)	27.16 (0.39)
	कुल राजस्व (i) एवं (ii)	456.02 (7.18)	505.19 (7.92)	540.62 (8.90)	599.75 (9.14)	665.62 (9.53)
ब	व्यय					
	1. कार्मिक लागत					
	(क) चालक एवं परिचालक	97.28 (1.53)	109.63 (1.72)	121.02 (1.99)	127.25 (1.94)	135.95 (2.07)
	(ख) अन्य	95.85 (1.51)	104.95 (1.65)	113.93 (1.88)	118.38 (1.80)	125.40 (1.91)
	(ग) पी एफ/कल्याण आदि	28.01 (0.44)	39.55 (0.62)	38.86 (0.64)	43.25 (0.66)	41.75 (0.64)
	योग (क) से (ग)	**221.14 (3.49)**	**254.13 (3.99)**	**273.81 (4.51)**	**288.88 (4.40)**	**303.10 (4.62)**

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. सामग्री लागत					
	(क) ईंधन	104.26 (1.64)	102.46 (1.61)	107.01 (1.76)	129.28 (1.97)	140.80 (2.15)
	(ख) लुब्रीकेन्ट्स	9.90 (0.16)	8.75 (0.14)	9.41 (0.15)	9.34 (0.14)	9.18 (0.14)
	(ग) अतिरिक्त पुर्जे	27.24 (0.43)	25.81 (0.40)	31.07 (0.51)	37.45 (0.57)	31.99 (0.49)
	(घ) टायर एवं ट्यूब्स	25.23 (0.40)	25.17 (0.39)	32.75 (0.54)	26.43 (0.40)	26.25 (0.40)
	(च) बैट्रीज	1.52 (0.02)	1.28 (0.02)	1.95 (0.03)	1.57 (0.02)	1.70 (0.03)
	(छ) अन्य[84]	28.01 (0.44)	37.90 (0.59)	44.33 (0.73)	66.04 (1.01)	82.17 (1.25)
	योग (क) से (छ)	**196.16 (3.10)**	**201.37 (3.16)**	**226.52 (3.73)**	**270.11 (4.12)**	**292.09 (4.45)**
	3. कर					
	(क) मोटर वाहन कर	5.42 (0.09)	5.28 (0.08)	5.05	5.35	5.35
	(ख) अन्य	0.27 (0.004)	0.26 (0.004)	0.21 (0.004)	0.27 (0.004)	0.28 (0.004)
	योग (क) एवं (ख)	**5.69 (0.094)**	**5.54 (0.09)**	**5.26 (0.09)**	**5.62 (0.09)**	**5.63 (0.08)**
	4. ब्याज	20.17 (0.32)	22.64 (0.36)	23.90 (0.39)	15.16 (0.23)	10.98 (0.16)
	5. विविध एवं अन्य	14.95 (0.24)	16.56 (0.26)	14.56 (0.24)	17.79 (0.27)	22.29 (0.32)
	6. ह्रास					
	(क) बसों पर	32.66 (0.51)	45.90 (0.72)	43.77 (0.72)	46.27 (0.71)	51.06 (0.73)
	(ख) अन्य सम्पत्तियों पर	0.87 (0.01)	0.92 (0.01)	0.94 (0.02)	0.89 (0.01)	0.87 (0.01)
	योग (क) एवं (ख)	**33.53 (0.56)**	**46.82 (0.73)**	**44.71 (0.74)**	**47.16 (0.72)**	**51.93 (0.74)**
	कुल योग (1 से 6)	**491.64 (7.75)**	**547.06 (8.58)**	**588.76 (9.69)**	**644.72 (9.83)**	**686.02 (9.82)**
स	हानि[85]	**35.62 (0.56)**	**41.87 (0.66)**	**48.14 (0.79)**	**44.97 (0.69)**	**20.40 (0.29)**

नोट : कोष्ठक में दिये गये आँकड़े प्रति कि मी आय/व्यय को दर्शाते हैं। (रुपये में)

84 इसमें छोटे टूल्स एवं टैकल्स, टायर रिट्रेडिंग सामग्री, एम एस बार एवं चादरें, वर्दी तथा अन्य सामान्य मदें सम्मिलित थी।

85 हानियाँ पूर्वावधि समायोजनों के पूर्व हानियों को दर्शाती हैं।

परिशिष्ट–21

(प्रस्तर संख्या 3.5 एवं 3.5.13 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 1998–99 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में प्राप्त किये गये कार्यसंचालन मानकों को दर्शाती विवरणी

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
वाहन बेड़ा					
बसों की औसत संख्या					
स्वामित्व में	7920	7753	7570	7352	6859
किराये पर	310	488	497	846	982
योग	**8230**	**8241**	**8067**	**8198**	**7841**
सड़क पर बसों की औसत संख्या :					
स्वामित्व में	6891	6552	6432	6432	6177
किराये पर	310	488	497	846	982
योग	**7201**	**7040**	**6929**	**7278**	**7159**
सड़क पर बसों का प्रतिशत	87	85	85	87	90
कार्यचालन दक्षता (लाख में)					
अधिसूचित कि मी	8685.86	8870.29	8426.19	8565.06	8668.64
प्रभावी कि मी[86]	6321.68	6356.20	6055.72	6527.70	6950.82
मृत कि मी	163.00	161.00	152.00	166.00	172.00
सकल कि मी	6484.68	6517.20	6207.72	6693.70	7122.82
निरस्त कि मी	2364.18	2514.09	2370.47	2037.36	1717.82
स्वामित्व एवं किराये की बसों का अर्जित कि मी					
स्वामित्व में	6006.47	5858.80	5555.08	5689.70	5879.73
किराये पर	315.21	497.40	500.64	838.00	1071.09
अन्य	22.29	21.10	16.64	32.36	36.75
योग	**6343.97**	**6377.30**	**6072.36**	**6560.06**	**6987.57**
वाहन उत्पादकता (प्रति बस कि मी प्रति दिन)					
स्वामित्व में	208	206	201	212	235
किराये पर	279	278	276	271	299
योग	**210**	**211**	**206**	**218**	**243**

86 वर्ष 1994–95 से 1998–99 के प्रभावी किमी जैसा कि एम आई एस के अनुसार दर्शाया गया था, से वार्षिक कार्य–कलाप प्रतिवेदन के आंकड़ों में मामूली अंतर था। प्रबंधन से आंकड़ों को मिलान करने को कहा गया है।

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
ले जाये गये यात्रियों की संख्या (लाख में)					
स्वामित्व में	3220.44	3093.18	2732.25	2738.45	3014.13
किराये पर	265.78	444.89	421.72	618.11	768.07
योग	**3486.22**	**3538.07**	**3153.97**	**3356.56**	**3782.20**
धारित अनुपात (प्रतिशत)					
स्वामित्व में	65	70	68	64	65
किराये पर	62	62	60	62	63
योग	**65**	**69**	**67**	**64**	**65**
परिचालन अनुपात (प्रतिश्त)	65	69	67	64	66
कार्मिक उत्पादकता (प्रति कि मी प्रति कर्मी प्रति दिन)	31.21	31.87	31.07	34.21	37.87
बस कर्मी अनुपात	7.75	7.71	7.52	7.26	7.10
वित्तीय मानक[87]					
कुल आय (रुपये करोड़ में)					
स्वामित्व में	418.68	450.01	475.31	494.11	542.38
किराये पर	21.27	34.43	38.53	71.08	96.08
विविध	16.07	20.75	26.78	34.56	27.16
योग	**456.02**	**505.19**	**540.62**	**599.75**	**665.62**
कुल व्यय (रुपये करोड़ में)					
स्वामित्व में	474.40	519.83	557.98	586.18	604.35
किराये पर	17.22	27.23	30.78	58.54	81.67
योग	**491.64**	**547.06**	**588.76**	**644.72**	**686.02**
लाभ(+)/हानि (–) (रुपये करोड़ में)					
स्वामित्व में (हानि)	(–)39.67	(–)49.07	(–)55.89	(–)53.52	(–)34.82
किराये पर (लाभ)	4.05	7.20	7.75	12.55	14.42
योग (हानि)	**(–)35.62**	**(–)41.87**	**(–)48.14**	**(–)40.97**	**(–)20.40**
ह्रास (रुपये करोड़ में)	33.53	46.82	44.71	47.16	51.93
नकद लाभ/हानि (–) (रुपये करोड़ में)[88]	(–)2.09	4.95	(–)3.43	6.19	31.53
आय प्रति कि मी (पैसे)	718	79	890	914	953
व्यय प्रति कि मी (पैसे)	778	859	970	983	982
हानि प्रति कि मी (पैसे)	56	66	79	69	29
किराया प्रति कि मी (पैसे में)	20.10	20.60	23.80	25.50	26.50
ईंधन दक्षता					
डीजल औसत (प्रति कि मी प्रति लीटर)	4.51	4.51	4.53	4.65	4.60
टापिंग–अप/औसत (प्रति कि मी प्रति लीटर)	934	911	859	823	871
सुरक्षा एवं रख–रखाव					
दुर्घटना (प्रति लाख कि मी)	0.20	0.21	0.20	0.20	0.22
खराबी (प्रति दस हजार कि मी)	0.44	0.48	0.57	0.55	0.45

87 वित्तीय मानकों के आंकड़े (लेखे से लिये गये) एम आई एस में दर्शाये गये आंकड़ो से मेल नही खाते। निगम ने अंतर के कारणों को मिलान करने का आश्वासन दिया हैं।

88 ह्रास से पहले लाभ/हानि।

परिशिष्ट–22

(प्रस्तर संख्या 3.5 में संदर्भित)

वर्ष 1998–99 में मुख्य निष्पादन मानकों[89] में देश की 67 राज्य परिवहन इकाईयों में से शीर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थिति (पर्वतीय, नगरीय, नगरेतर सेवाओं को तुलनात्मक अध्ययन के लिये अलग से विचारित किया गया हैं) को दर्शाती विवरणी

विवरण	वर्ष 1998–99 के लिए शीर्ष से स्थिति/निष्पादन	उच्च निष्पादन/राज्य परिवहन इकाई का नाम	निम्न निष्पादन/राज्य परिवहन इकाई का नाम
31 मार्च को वाहन बेड़ों की संख्या	4/6582	18749/आंध्र प्रदेश एसआरटीसी	81/ मिजोरम एसटी
वाहन बेड़े का उपयोजन (प्रतिशत)	26/90	99.6 कोएमबटूर डिवीजन–I, तमिलनाडु	8.7/बिहार एसआरटीसी
बसों का प्रति किमी उपयोग (प्रति बस प्रति दिन)	28/235	595.9/स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कारर्पोशन लिमिटेड–तमिलनाडु	16.6/बिहार एसआरटीसी
बसों का प्रति किमी उपयोग प्रति बस (सड़क पर) प्रति दिन	32/266	704/स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कारर्पोरेशन लिमिटेड– तमिलनाडु डिवीजन–II	85.3 सिक्किम राष्ट्रीयकृत परिवहन
धारित अनुपात (प्रतिशत)	40/65	130.72 मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कारर्पोरेशन लिमिटेड–चेन्नई डिवीजन–II	36.78 सिक्किम राष्ट्रीयकृत परिवहन
लाभ (+) / हानि (–) प्रति किमी (पैसे)	4/(-)29	(+)43.90/बेंगलोर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कारर्पोरेशन, अरबन	(–)5673.6/ बिहार एसआरटीसी
डीजल लागत (पैसे प्रति किमी)	2/2.15	150.50/डीटीसी	1529/सिक्किम एनटी
बस कर्मी अनुपात	25/7.10	5.14/हिमाचल आरटीसी	67.01/बिहार एसआरटीसी
कार्मिक लागत (पैसे प्रति किमी)	12/462	396.6/तमिलनाडु एसटीसी लिमिटेड, विल्लूपुरम डिवीजन–I	3827.7/बिहार एसआरटीसी
अतिरिक्त कल पुर्जों की लागत (पैसे प्रति किमी)	25/177	17.2/कोएम्बटूर डिवीजन–I, तमिलनाडु	460/मिजोरम एसटी
टायर लागत (पैसे प्रति किमी)	7/40	23.6/केरल एसआरटीसी	298.9/मिजोरम एसटी

89 स्रोत : वर्ष 1998–99 की सी आई आर टी रिपोर्ट ।

परिशिष्ट–23

(प्रस्तर संख्या 3.5.1 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 1998–99 तक पाँच वर्षों में वर्ष–वार एवं किलोमीटर–वार बसों की संख्या को दर्शाती विवरणी

(बसों की संख्या)

वर्ष	वर्ष–वार विश्लेषण			किलोमीटर–वार विश्लेषण			
	4 वर्षो तक	4 से 8 वर्षो तक	8 वर्षो से अधिक	6 लाख तक	5 से 8 लाख	8 से 10 लाख	10 लाख से अधिक
1994-95	2338 (30)	3401 (44)	2018 (26)	2925 (38)	4279 (55)	536 (7)	17 (0)
1995-96	2542 (33)	2635 (34)	2553 (33)	2698 (35)	4508 (58)	474 (6)	50 (1)
1996-97	1781 (24)	2592 (35)	3090 (41)	2123 (28)	4413 (59)	833 (12)	94 (1)
1997-98	2147 (31)	2316 (33)	2542 (36)	2234 (32)	3582 (51)	1070 (15)	119 (2)
1998-99	2079 (32)	2338 (36)	2165 (32)	2066 (31)	3112 (48)	1205 (18)	199 (3)

नोट : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े योग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिशिष्ट–24

(प्रस्तर संख्या 3.5.1 में संदर्भित)

भौतिक लक्ष्यों एवं प्राप्तियों को दर्शाती विवरणी

(बसों की संख्या)

(i)	बदली हेतु लक्ष्य	700	800	800	700	800
(ii)	प्राप्तियाँ	731	427	122	800	415
(iii)	प्राप्तियों का प्रतिशत	104	53	15	114	52

परिशिष्ट – 25

(प्रस्तर संख्या 3.5.3 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 1998–99 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में वाहन उत्पादकता में कमी को दर्शाती विवरणी

वर्ष	लक्ष्य (प्रति किमी, प्रति बस प्रतिदिन)	प्राप्तियाँ (प्रति किमी, प्रति बस प्रतिदिन)	कमी (किमी)	बसों की संख्या	कमी (किमी लाख में)	योगदान में कमी (करोड़ रुपये में)
1994-95	235	210	25	8230	750.99	30.42
1995-96	234	211	23	8241	691.83	33.42
1996-97	234[90]	206	28	8067	824.45	42.62
1997-98	232	218	14	8198	418.92	21.70
1998-99	225	243	(18)	7841	(515.15)	(30.39)
				योग	**2215.59**	**97.77**

नोट : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े आधिक्य को दर्शाते हैं।

90 अस्थायी, पिछले वर्षों के आधार पर 234 लिया गया।

परिशिष्ट–26

(प्रस्तर संख्या 3.5.3 में संदर्भित)

1998–99[91] को समाप्त हुए तीन वर्षों में पाँच राज्य परिवहन इकाईयों द्वारा अधिसूचित किये गये किलोमीटर का तुलनात्मक निरस्तीकरण को दर्शाती विवरणी (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मिलित करते हुए)

वर्ष/विवरण	राज्य परिवहन इकाईयों के नाम				
	गुजरात	महाराष्ट्र	आंध्र प्रदेश	केरल	उत्तर प्रदेश
1996-97					
बस/कार्मिक अनुपात (क्रू)	4.84	4.54	5.28	5.64	4.30
अधिसूचित कि मी प्रति बस (लाख कि मी)	1.29	1.04	1.16	1.37	1.22
निरस्त कि मी प्रति बस (कि मी)	7404	2872	4898	17771	34211
कुल निरस्तीकरण (लाख कि मी)[92]	568.07	440.35	788.85	495.45	2370.47
1997-98					
बस/कार्मिक अनुपात (क्रू)	4.90	4.62	5.15	4.92	4.23
अधिसूचित कि मी प्रति बस (लाख में)	1.34	1.05	1.17	1.53	1.18
निरस्त कि मी प्रति बस (कि मी)	10515	4189	3676	30557	27993
कुल निरस्तीकरण (लाख कि मी)[92]	831.43	624.84	622.75	915.19	2037.36
1998-99					
बस/कार्मिक अनुपात (क्रू)	5.63	4.49	4.99	4.85	4.20
अधिसूचित कि मी प्रति बस (लाख में)	उपलब्ध नहीं	1.06	1.18	उपलब्ध नहीं	1.21
निरस्त कि मी प्रति बस (कि मी)	उपलब्ध नहीं	3752	4609	उपलब्ध नहीं	23995
कुल निरस्तीकरण (लाख कि मी)[92]	उपलब्ध नहीं	567.90	820.04	उपलब्ध नहीं	1717.82

91 स्रोत : वर्ष 1997–98 से 1998–99 की सी आई आर टी रिपोर्ट।

92 विवरणी 7 में निगम द्वारा दिये गये आंकड़े सी आई आर टी प्रतिवेदन के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। निगम से इनका मिलान करने को कहा गया हैं।

परिशिष्ट–27

(प्रस्तर संख्या 3.5.3 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में वर्ष 1998–99 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में अधिसूचित किलोमीटर के निरस्तीकरण हेतु जिम्मेदार कारकों को दर्शाती विवरणी

वर्ष	कुल निरस्तीकरण (लाख कि मी)	बसों की कमी के कारण निरस्तीकरण (लाख कि मी)	अंशदान की कमी (करोड़ रुपये में)	क्रू की कमी के कारण निरस्तीकरण (लाख कि मी)	अंशदान की कमी (करोड़ रुपये में)	खराबी के कारण निरस्तीकरण (लाख कि मी)	अन्य कारणों के कारण निरस्तीकरण (लाख कि मी)
1994-95	2318.11	1520.26 (65.58)	61.57	332.47 (14.34)	13.47	182.53 (7.87)	282.85 (12.20)
1995-96	2397.94	1662.67 (69.34)	80.31	309.93 (12.90)	14.94	193.26 (8.06)	232.64 (9.70)
1996-97	2231.96	1559.61 (69.88)	80.63	253.64 (11.36)	13.11	187.77 (8.41)	230.94 (10.34)
1997-98	1790.89	1259.47 (70.33)	65.24	194.17 (10.84)	10.06	181.43 (10.13)	155.82 (8.70)
1998-99	1472.13	963.48 (65.45)	56.85	141.88 (9.64)	8.37	162.48 (11.03)	204.29 (13.88)
योग			**344.60**		**59.95**		

नोट : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े निरस्तीकरण का प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिशिष्ट – 28

(प्रस्तर संख्या 3.5.4 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में वर्ष 1998–99 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में धारित अनुपात में कमी के फलस्वरूप हानि को दर्शाती विवरणी

वर्ष	लक्ष्य %	वास्तविक %	कमी %	आय में कमी (करोड़ रुपये में)
1994-95	70	65	5	33.84
1995-96	70	69	1	7.02
1996-97	70[93]	67	3	23.01
1997-98	72	64	8	70.65
1998-99	70	65	5	49.11
योग				**183.64**

93 निर्धारित नहीं, 70 ली गई।

परिशिष्ट–29

(प्रस्तर संख्या 3.5.5 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 1998–99 के आर्थिक रूप से अलाभप्रद मार्गों को विश्लेषित करती विवरणी

धारित अनुपात की सीमा	सेवाओं की संख्या		यात्रियों की औसत संख्या प्रति बस	सेवाओं का प्रतिशत		
वसूल न होने वाली सीमांत लागत						
	स्वामित्व	किराये पर		स्वामित्व	किराये पर	योग
14 तक	1	0	1–8	–	–	–
15–24	7	2	8–13	–	–	–
25–34	46	1	13–18	–	–	–
योग	**54**	**3**		**1.51**	**0.68**	**1.42**
वसूल न होने वाली कुल लागत						
35-44	179	26	19-24	–	–	–
45-54	671	75	24-29	–	–	–
55-64	1318	104	29-35	–	–	–
65-72	890	124	35-39	–	–	–
योग	**3058**	**329**	–	**85.66**	**75.11**	**84.51**
लाभ देते हुए						
73 और अधिक	458	106	39-54	–	–	–
कुल योग	**3570**	**438**	–	**12.83**	**24.21**	**14.07**

परिशिष्ट–30

(प्रस्तर संख्या 3.5.8 में संदर्भित)

1998–99 को समाप्त हुए तीन वर्षों में देश[94] के पाँच तुलनीय राज्य परिवहन इकाईयों के रख–रखाव लागत को दर्शाती विवरणी

वर्ष/विवरण	राज्य परिवहन इकाईयों के नाम				
	गुजरात	महाराष्ट्र	आंध्र प्रदेश	केरल	उत्तर प्रदेश
1996-97					
वाहन बेड़ों की अंतिम संख्या	8998	16865	17636	3750	7463
बस/रख–रखाव कर्मी अनुपात	1.11	0.83	1.43	1.90	2.23
रख–रखाव लागत प्रति प्रभावी कि मी (रुपये में)	1.69	0.65	2.02	2.22	2.99
रख–रखाव लागत प्रति बस प्रति वर्ष	2.11	0.65	2.23	2.07	2.59
1997-98					
वाहन बेड़ों की अंतिम संख्या	9249	17073	18389	3783	7005
बस/रख–रखाव कर्मी अनुपात	1.17	0.82	1.39	1.80	2.17
रख–रखाव लागत प्रति प्रभावी कि मी (रुपये)	1.83	0.67	2.02	2.30	3.04
रख–रखाव लागत प्रति बस प्रति वर्ष (रुपये लाख में)	2.31	0.68	2.29	2.24	2.60
1998-99					
वाहन बेड़ों की अंतिम संख्या	9459	17241	18749	3928	6582
बस/रख–रखाव कर्मी अनुपात	1.28	0.80	1.30	1.60	2.18
रख–रखाव लागत प्रति प्रभावी कि मी (रुपये में)	1.64	0.70	1.89	2.59	2.75
रख–रखाव लागत प्रति बस प्रति वर्ष (रुपये लाख में)	2.11	0.72	2.14	2.49	2.62

94 स्रोत : वाहन बेड़े की संख्या को छोड़कर जो सी आई आर टी रिपोर्ट से ली गई है शेष आँकड़े सम्बन्धित महालेखाकारों से प्राप्त किये गये है।

परिशिष्ट–31

(प्रस्तर संख्या 3.5.9 में संदर्भित)

1998–99[95] को समाप्त हुए तीन वर्षों में देश के पाँच तुलनीय राज्य परिवहन इकाईयों के ईंधन दक्षता के निष्पादन को दर्शाती विवरणी

वर्ष/विवरण	राज्य परिवहन इकाईयों के नाम				
	गुजरात	महाराष्ट्र	आंध्र प्रदेश	केरल	उत्तर प्रदेश
1996-97					
एच एस डी की कि मी प्रति लीटर उपलब्धि	4.96	4.63	5.02	3.89	4.53
टापिंग अप के लिये कि मी प्रति लीटर उपलब्धि (इंजन आयल)	1552	1685	1556	919	859
1997-98					
एच एस डी कि मी प्रति लीटर उपलब्धि	5.01	4.66	5.05	3.89	4.56
टापिंग अप के लिये कि मी प्रति लीटर उपलब्धि (इंजन आयल)	1527	1696	1589	933	823
1998-99					
एच एस डी की कि मी प्रति लीटर उपलब्धि	4.99	4.64	5.05	3.90	4.60
टापिंग अप के लिये कि मी प्रति लीटर उपलब्धि (इंजन आयल)	1544	1718	1699	898	870

95 स्रोत : वर्ष 1996–97 से 1998–99 की सी आई आर टी रिपोर्ट।

परिशिष्ट–32

(प्रस्तर संख्या 3.5.10 में संदर्भित)

वर्ष 1998–99 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चार क्षेत्रों में समय पूर्व खराब हुए टायरों के कारणों को विश्लेषित करती विवरणी

घिसने के कारण	इलाहाबाद	आगरा	देहरादून	मेरठ	योग
(i) नियंत्रण के आधीन नही (दुर्घटना, यांत्रिक खराबी एवं अन्य) कारण :	**5**	**4**	**1**	**0**	**10**
(ii) नियंत्रण योग्य कारण					
टक्कर के कारण फटना	9	16	35	20	80
रन फ्लैट[96]	57	28	76	60	221
रन टू डेथ (समय से बदला न जाना)	22	0	33	0	55
प्लाई का घिस जाना, गलत पहियों के एलाइनमेंट पर चलाना, पहियों के बियरिंग का ढीला होना	10	0	31	13	54
पूर्णतया घिस जाना, उपेक्षा से फटना, शोल्डर से हट जाना आदि	18	0	1	0	19
कनक्यूजन कट, गटर का प्रयोग करके चलाना	5	2	20	6	33
किनारों का फट जाना, अवरोध द्वारा स्कोरिंग	12	0	0	6	18
शोल्डर/ट्रिड का हट जाना, फलस्वरूप शोल्डर का कमजोर हो जाना	13	0	29	0	42
किनारों की स्कोरिंग, अधिक गर्म होना	2	0	6	0	8
योग (ii)	**148**	**46**	**231**	**105**	**530**

96 कम हवा अथवा बिना हवा के चलाना।

परिशिष्ट–33

(प्रस्तर संख्या 3.6.1.2.1 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्लाई वुड चेकर्ड शीट्स के स्थान पर एल्यूमीनियम चेकर्ड शीट्स के प्रयोग के औचित्य को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	मदें	मात्रा अथवा मूल्य
क	प्रति बस चेकर्ड प्लाई वुड शीट्स की मात्रा की आवश्यकता	8.5 शीट्स अथवा 25.3028 वर्ग मीटर
	आपूर्ति की औसत दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)	677.88
	कुल लागत (25.3028 X 677.88)– रुपये प्रति बस	17152
	पुनः बिक्री मूल्य (रुपये)	शून्य
	वास्तविक लागत (रुपये)	**17152**
ब	प्रति बस एल्यूमीनियम शीट्स की मात्रा की आवश्यकता (कि ग्रा)	215
	मूल्य प्रति कि0ग्रा0 (रुपये)	111.61
	सामग्री का कुल मूल्य (215 X 111.61)–रुपये	**23996.15**
	कबाड़ का पुनः बिक्री मूल्य (80 प्रतिशत लेते हुए) – 172 X रुपये 66.90 प्रति कि ग्रा केंद्रीय कार्यशाला द्वारा प्राप्त की गई नीलामी मूल्य को लेते हुए)	11506.80
	दोहरे जीवन काल के लिए सामग्री का वास्तविक मूल्य	12489.35
स	**एकल जीवन काल के लिये वास्तविक मूल्य (12489.35/2) (रुपये)**	**6245**
ड	**चेकर्ड प्लाई वुड के प्रयोग के कारण अतिरिक्त व्यय (17152–6245)–(रुपये)**	**10907**
	कुल अतिरिक्त व्यय (रुपये करोड़ में) (रुपये 10907 X 2015[97])	**2.20**

नोट : फर्श तथा ढाँचे के बीच ट्राँसमिशन बेल्टिंग की लागत को छोड़कर क्योंकि यह दोनों विकल्पों में की जानी थी)

97 फर्श बनाई गयी बसों की संख्या।

परिशिष्ट–34

(प्रस्तर संख्या 3.6.1.2.4 में संदर्भित)

वर्ष 1998–99 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नये टायरों का अधिक उपयोग किये जाने के कारण हुई हानि को दर्शाती विवरणी

मदें	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	Total
(क) वास्तविक उपभोग (संख्या)						
(अ) नये टायर	31359	32648	32291	33089	31016	160403
(ब) रीट्रेडेड टायर	44428	42228	51082	44849	57421	240008
(ख) कुल सकल कि मी (लाख में)	6507	6538	6224	6726	7160	33155
(ग) सकल कि मी के आधार पर आवश्यक उपभोग (संख्या)						
(अ) नये टायर (ख) X 2[98]/60000[99] कि मी	21690	21793	20747	22420	23867	110517
(ब) रीट्रेडेड टायर (ख) X 4[100]/ 34000[101] कि मी	76653	76918	73224	79129	84235	390159
(घ) नये टायरों का अधिक उपभोग (क) (अ)–(ग) (अ) संख्या	9669	10855	11544	10669	7149	49886
(च) नये टायरों का अधिक व्यय (घ) X रुपये 6000[102] (रुपये लाख में)	580.14	651.30	692.64	640.14	428.94	2993.16
(छ) रीट्रेडेड टायरों के उपभोग में बचत	32225	34690	22142	34280	26814	150151
(ज) रीट्रेडेड टायरों के व्यय में बचत (छ) X रुपये 1000[103] (रुपये लाख में)	322.25	346.90	221.42	342.80	268.14	1501.51
(च) शुद्ध अधिक व्यय (च)– (ज) (रुपये लाख में)	**257.89**	**304.40**	**471.22**	**297.34**	**160.80**	**1491.65**

98 बस के अगले पहियों में प्रयोग किये गये टायरों की संख्या।

99 निगम द्वारा स्वीकृत नये टायरों का औसत जीवनकाल।

100 बस के पिछले पहियों में प्रयोग किये गये टायरों की संख्या।

101 निगम द्वारा स्वीकृत रीट्रेडेड टायरों का औसत जीवनकाल।

102 नयें टायरों का औसत मूल्य।

103 रीट्रेडेड टायरों का औसत मूल्य।

परिशिष्ट–35

(प्रस्तर संख्या 4अ.19 में संदर्भित)

राजस्व के विलम्बित निर्धारण को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	खण्ड का नाम	निर्धारित की जाने वाली धनराशि (लाख रुपये में)	प्रकृति एवं अवधि	निर्धारण का माह	निर्धारित धनराशि (लाख रुपये में)
1.	केसा	6.73	ऊर्जा की चोरी (अगस्त 1998 तक)	दिसम्बर 1999	6.73
2.	वि वि ख –I, इलाहाबाद	9.10	विलम्बित भुगतान प्रभार (फरवरी 1999 से नवम्बर 1999)	दिसम्बर 1999	7.54
3.	वि वि ख–I, गोरखपुर	142.46	विलम्बित भुगतान प्रभार (मार्च 1999 से जुलाई 1999)	अगस्त 1999	142.46
4.	वि वि ख –I, बलिया	6.23	ईंधन प्रभार का कम प्रभारण (जुलाई 1998 से अक्टूबर 1998)	सितम्बर 1999	6.23
5.	वि वि ख –I, खलीलाबाद	9.12	जनता सर्विस कनेक्शन में प्रारम्भिक जमानत की राशि को कम लिया जाना (मई 1994 से सितम्बर 1999)	मार्च 2000	2.09
6.	वि वि ख – खलीलाबाद	18.70	माँग प्रभार तथा अतिरिक्त माँग प्रभारों को कम प्रभारित करना (मार्च 1996 से सितम्बर 1999)	मार्च 2000	18.70
7.	श वि वि ख –IV, आगरा	10.04	दर सूची के अशुद्ध प्रयोग के कारण कम प्रभारण करना	फरवरी 2000	10.04
	योग	**202.38**			**193.79**